

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना अई दिल्ली, 26 मार्च, 2001

सं. एल. 7/25(1)/2001-सी.ई.आर.सी.---विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 28, इसके पश्चात् इस अधिनियम के रूप में उल्लिखित, की गई शक्तियों तथा इसकी ओर से प्रदत्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, तत्पश्चात् आयोग के रूप में उल्लिखित इन विनियमों द्वारा एतदनिबन्धन और शर्तें विहित की जाती हैं। इनके अनुसार इस अधिनियम के खण्ड-13 (क), (ख) एवं (ग) के तहत टैरिफ निश्चित किए जाएंगे।

### अध्याय – १

# प्रारंभिक

- इन विनियमों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ( टैरिफ की शर्तें एवं निबन्धन) विनियमन, 2001 कहा 11 जाएगा।
- ये विनियमन 1-4-2001 से लागू होंगे तथा ये तीन वर्ष की समयावधि के लिए लागू रहेंगे बशर्ते कि इनकी 1.2 इससे पहले समीक्षा न की जाए अथवा आयोग द्वारा इनका समय न बढ़ाया गया हो।
- ये विनियम वहाँ लागू होंगे जहाँ पूँजी लागत-आधारित टैरिफ आयोग द्वारा नियत हों। 1.3

1.4 इन विनियमों के तहत उत्पादन शुल्क स्टेशन-वार निर्धारित किए जाएंगे तथा ट्रांसमिशन टैरिफ लाइन-वार, उप-स्टेशन-वार, जैसी भी स्थिति हो, निर्धारित किया जाएगा तथा क्षेत्रीय शुल्क में सम्मिलित होगी।

बशर्ते कि पूर्ण इकाईयों/प्रणालियों से संबंधित शुल्क के निर्धारण के लिए उपयोगिता के वास्ते आवेदन दर्ज किया जाए।

- 1.5 नई परियोजनाओं के मामले में, प्राधिकारी अथवा उत्पादक कम्पनी के निदेशक मण्डल के अलावा, किसी स्वतन्त्र एजेंसी द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, यथा अनुमोदित परियोजना लागत के आधार पर परियोजना के पूर्ण होने की संभावित तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व शुल्क निर्धारित करने के लिए इस अधिसूचना के परिशिष्ट -1 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- 1.6 शुल्क के प्रयोजन से इस परियोजना की पूँजी लागत, विभिन्न चरणों में विभाजित तथा इस परियोजना के भाग संघटित कर इकाईयों को वर्गीकृत किया जाएगा। सामान्य सुविधाएँ, ऐसी परियोजनाओं जिनकी परियोजना लागत का वर्गीकरण नहीं हुआ है तथा जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उनके मामले में इकाई तथा लाइन / उप-स्टेंशन की संस्थापित क्षमता के आधार पर आनुपातिक रूप में विभाजित की जाती हैं। सभी नए आवेदन परिशिष्ठ-1 में दिए गए फार्म में प्रस्तुत किए जाएंगे।
- 1.7 आयकर और विदेशी मुद्रा के विनियमन के अन्तर की वसूली उपयोगकर्त्ताओं के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से लाभग्राहियों से आयोग के समक्ष और याचिका दायर किए बगैर वसूल की जाएगी, यदि इन सेवाओं के बदले में मांगी गई धनराशि के सम्बन्ध में लाभग्राहियों को कोई आपत्ति है, तो वे आयोग के समक्ष उचित ढंग से अनुरोध दर्ज कर सकते हैं।
- 1.8 अधिसूचना में वर्णित मुख्य व्यवसाय से तात्पर्य विद्युत उत्पादन एवं उसके ट्रांसमिशन से संबंधित गतिविधि यों को विनियमित करना है तथा इसमें परामर्शी, दूरसंचार आदि जैसी विनियमित गतिविधियों या व्यवसायों को शामिल नहीं किया जाता है।
- 1.9 'स्वतंत्र एजेंसी' का तात्पर्य ऐसे अभिकरण से है, जिसे आयोग द्वारा पृथक अधिसूचित किया है।
- 1.10 अनुमोदित परियोजना लागत के संबंध में पूँजीगत व्यय को ध्यान में रखते हुए टैरिफ अवधि के दौरान टैरिफ संशोधन केवल उस स्थिति में आयोग द्वारा किया जाएगा जबकि ऐसा व्यय अनुमोदित लागत का 20% बढ़ जाए, सभी मामलों में जहाँ इस प्रकार का व्यय 20% से कम होगा, वहाँ टैरिफ संशोधन पर अगली टैरिफ अवधि में विचार किया जाएगा।
- 1.11 किसी प्रकार की आशंका को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि एतद् उल्लिखित मानक मात्र सिलिंग मानक होंगे तथा यह उन्नत मानकों पर सहमति होने से उत्पादक कम्पनी तथा लाभग्राहियों को नहीं रोकेगा।
- 1.12 इन विनियमों के तहत विहित मानक नार्थ-ईस्ट इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के नियंत्रणाधीन उत्पादक स्टेशनों पर लागू नहीं होंगे।

### 1.13 अतिरिक्त रूपया दायित्व

- (क) संबंधित वर्ष में वास्तविक ब्याज भुगतान एवं ऋण भुगतान पर अतिरक्त रुपये का अधिभार देय होगा, बशर्ते कि विदेशी मुद्रा की विनिमय दर में अन्तर होने से प्रत्यक्षतः ऐसा हो तथा सेवाओं या आपूर्ति या निविदाओं से इसकी भरपाइ जब नहीं होती तो प्रत्येक सेवा में ऋणों के पुनर्भुगतान पर विनिमय दरों में आने वाले अन्तर के प्रभाव की गणना करनें के लिए भारतीय चार्टर एकाउन्ट संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 11 (ग्यारह) में दी गई पद्धति का अनुसरण करना होगा।
- (ख) विदेशी मुद्रा में देय इक्क्विटी अंशदान पर दिए जाने वाले लाभांश की सीमा तक विदेशी विनिमय दर में यदि कोई अन्तर आता है तो, देय सीमा के अन्तर्गत पुनर्भुगतान किया जाएगा। जब कभी भी भुगतान किया जाएगा तो इसका भगतान बकाया धनराशि के रूप में बारह महीनों में किया जा सकता है।

### 1.14 कर-करार व्यवस्था (टैक्स इस्क्रो मेकेनिज्म्)

- लाभग्राही नियत बैंक में खाता खोलकर कर करार व्यवस्था के ब्याज का रखरखाव करेंगे। ब्याज की समस्त राशि उस लेखा में जमा होगी।
- (2) कर के दायित्व का आंकलन प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में 2 माह पूर्व की जाएगी तथा लाभग्राहियों को सूचित किया जायेगा। कंपनी रा०वि० बोर्डों/लाभग्राहियों से कर वसूलने के दायित्व को निभायेगी।
- (3) केन्द्रीय क्षेत्र की सेवाएं (सी.एस.यू.), कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त प्रमाण पत्र के कर-धारकों को कर की देय राशि का भुगतान करने के लिए धनराशि की निकासी के लिए प्राधिकृत की जाएंगी।
- (4) ये सेवाएं, कर प्राधिकारी से प्राप्त किसी भी धनराशि का भुगतान कर करार लेखा (टैक्स इस्क्रो एकाउन्ट)
   में करेंगी।
- (5) यदि कोई वापसी योग्य धनराशि होगी तो उसका भुगतान वापस लाभग्राहियों को नहीं किया जाएगा तथा उसे कर-करार लेखा में समायोजित किया जाएगा। यदि कोई धनराशि शेष वापसी योग्य होगी तो उसे अगले वर्ष में ले जाया जाएगा।
- (6) कर करार लेखा (इस्क्रो एकाउन्ट) को लाभग्राहियों की लेखा-पुस्तिका में, उनके बैंक लेखे के अनुसार दर्शाया जाएगा।

#### अध्याय -2

# तापीय विद्युत उत्पादक केन्द्र

2.1 परिभाषा : इस अध्याय के इस प्रयोजन के लिए जब तक कि यह संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो -

**'प्लान्ट लोड फैक्टर' या 'पी.एल.एफ.'** :- एक दिए गए समय के सन्दर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि संस्थापित क्षमता, किसी उत्पादक टर्मिनल पर उत्पादित कुल कि0 वाट घं का प्रतिशत किलोवाट में दर्शाया जाता है जिसे उस अवधि में घन्टों की संख्या से गुणा किया जाता है।

**'प्राधिकरण'** 'प्राधिकरण' का तात्पर्य, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा-3 के तहत गठित 'केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण' से है।

'अतिरिक्त ऊर्जा उपभोग'' या 'ए.यू.एक्स' - किसी अवधि से तात्पर्य उस अनुपात से है - जिसे उत्पादक टर्मिनल पर उत्पादित किलोवाट हावर में ऊर्जा का दिया गया प्रतिशत है, उत्पादक स्टेशन स्विचयार्ड पर दी गई किलोवाट हावर में ऋणात्मक ऊर्जा, उत्पादक टर्मिनल पर उत्पादित किलोवाट हावर में कुल ऊर्जा से है।

'उपलब्धता' :- किसी अवधि के लिए तापीय उत्पादन स्टेशन की उपलब्धता से तात्पर्य इस अवधि के दौरान सभी समयावधि के लिए औसत भेजी गई क्षमता (एस.ओसी) का प्रतिशत अनुपात तथा निम्न फार्मूले से उत्पादक स्टेशन पर दर्ज की गई एस.ओ.सी. से है :-

एन उपलब्धता ≖ {∑ एस.ओ.सी.<sub>आई</sub> ⁄ ( **1~ए.यू. एक्स. ∕ 100) + सी.एल.} x 100 ⁄ एच x आई.सी**. आई = 1

जहाँ,

आई.सी. = स्टेशन की संस्थापित क्षमता मे. वा. में

एस.ओ.सी. \*\*\* = एक विशिष्ट समयावधि का एस.ओ.सी.

एन = इस अवधि के दौरान समय खण्डों की संख्या

ए.यू.एक्स = कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में नियामक अतिरिक्त ऊर्जा उपभोग

एच = इस अवधि के दौरान घण्टों की संख्या = एन/4

सी. एल. = उत्पादन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बन्द पड़ी इकाई(यों) की कुल मेवा.घं क्षमता।

'ब्लॉक" कम्बुसन टर्बाइन सहित संयुक्त चक्रीय उत्पादन स्टेशन के संबंध में - जनरेटर, सम्बद्ध वेस्ट हीट रिकवरी ब्वायलर (रों), स्टीम टर्बाइन से जुड़ा-जनरेटर एवं सहायक उपकरण।

ष्यावस/ायिक प्रचालन तिथि' या सी.ओ.डी. :- एक इकाई का तात्पर्य उस तिथि से है जब लक मैक्सीमम कॉटीन्यूअस रेटिंग (एम.सी.आर.) या संस्थापित क्षमता सफल परीक्षण के दौरान प्रदर्शित की गई है। उत्पादन स्टेशन के सी.ओ.डी. की गणना अंतिम इकाईयों सी.ओ.डी. से की जाएगी, या

संयुधात चक्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन की इकाई या ब्लॉक के संबंध में, समकालिक तिथि से

'घो षित क्षमता' या ''ही.सी.'' :- किसी अवधि या समयावधि (टाईम ब्लॉक) का तात्पर्य, उत्पादक कम्पनी द्वारा घों क्षित एक्स. बस में मेघावाट के लिए उत्पादक स्टेशन की क्षमता से है।

वभाख्या :- घोषित क्षमता संस्थापित क्षमता से अधिक नहीं होगी।

**'उत्पादन केन्द्र'** – का तात्पर्य इकाई तथा शेष संयंत्र से है तथा संयुक्त चक्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्र से तात्पर्य <sup>:</sup>ब्लाक (ब्लाकों) तथा शेष संयन्त्र से है)।

सकल उष्मीयमान या जी.सी.वी.' - एक किलो ठोस या द्रव्य ईंधन या एक घन मीटर गैसीय ईंधन के पूर्ण दहन द्वारा किलो कैलोरी में उत्पादित ऊर्जा जैसी भी स्थिति हो।

**'सकल स्टेशन ताप दर'** या जी.एच.आर :- उत्पादन टर्मिनल पर एक किलोबाट घन्टा विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए के0 कैलोरी में आवश्यक ताप ऊर्जा।

संस्थापित क्षमता : विद्युत उत्पादन स्टेशन के संबंध में, इसका तात्पर्य दर्ज क्षमता या संविदात्मक क्षमता, जैसी भी स्थिति हो, से है।

अधिकतम सतत निर्धारण या एम.सी.आर.' - एक इकाई के संबंध में, इसका तात्पर्य किसी उत्पादक टर्मिनल पर अधिकतम सतत् उत्पादन, जिसकी गारन्टी निर्धारित मानकों पर उत्पादक द्वारा दी गई हो, से है, तथा

अंयुक्त चक्रीय विद्युता उत्पादन स्टेशन की इकाई या ब्लाक के संबंध में, इसका तात्पर्य उत्पादन टर्मिनल पर उस अधिकतम सतत् उत्पादन से है, जिसकी गारन्टी उत्पादक द्वारा जल∕स्टीम इन्जेक्शन (यदि लागू हो) और 50 एच जेड ग्रिड फ्रीकेन्सी एवं स्थल स्थिति पर परिशोधित हो।

**'प्रचालन एवं रस्वररवाव व्यय'** या ओ. एण्ड एम. व्यय : किसी एक अवधि के संबंध में, इसका तात्पर्य, जन शक्ति, कल-पुर्जे, उप भोज्य बीमा सहित उत्पादक स्टेशन के प्रचालन एवं रख-रखाव में हुए व्यय से है।

'निर्धारित क्षमता' - उत्पादन स्टेशन के संबंध में इसका तात्पर्य उत्पादन स्टेशन में आने वाले ब्लाकों की संख्या द्वारा गुणा किए गए ब्लॉक के अधिकतम सतत् निर्धारण (एम.सी.आर.) से है।

'सेन्ट आउट कैपेबिलिटी।' :- एक उत्पादक स्टेशन की सेन्ट आउट कैपेबिलिटी का तात्पर्य मेघायाट प्रति घन्टा एक्स-बस आपर्ति की क्षमता से है। इसके आधार पर 'उपलब्धता' निकाली जाएगी।

तापीय स्टेशन के लिए एस.ओ.सी., सभी तथ्यो-संशोधन/अद्यतन सहित डी.सी. होगी।

नोट । :

गैस टरबाइन/संयुक्त चक्रीय स्टेशनों के संबंध में जनरेटर, गैस ईंधन पर इकाई/मॉडयूल के लिए डी.सी. देगा तथा द्रवीय ईंधन पर अलग से इकाईयों/मॉडयूलों के लिए डी.सी. देगा, तथा इन दो का अलग-अलग तालिका बनेगी। किसी स्टेशन की कुल डी.सी. तथा कुल एस.जी. इन दोनों का जोड़ होगा।

नोट 2 :

किसी भी समयावधि के लिए गैस टर्बाइन। संयुक्त चक्रीय स्टेशनों के लिए औसत बारंबारता 49.52 एच. जेड है लेकिन 49.02 एच.जेड से कम नहीं है तथा एस.जी., डी.सी. का 98.5% अधिक है, एस.जी. इके डी.सी. का 98.5% तक कम होगा। तथा यदि समयावधि की औसत बारंबारता 49.02 से कम होती है तथा एस0जी0, डी0सी0 का 96.5% से अधिक है, एस0जी0, डीसी का 96.5% तक कम हो सकती है।

'इकाई' का तात्पर्य स्टीम जनरेटर -टर्बाइन-जनरेटर तथा उनके सहायक उपकरणों से है अथवा

संयुक्त चक्रीय उत्पादक स्टेशन के सभ्बन्ध में इसका अर्थ कम्बुस्टन टर्बाइन जनरेटर तथा अनुषंगी उपकरणों से है।

2.2 तापीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत बिक्री के लिए शुल्क (गैस तथा नाथपा आधारित स्टेशनों सहित) में दो भाग शामिल होंगे अर्थात् वार्षिक क्षमता अधिभारों की वसूली तथा ऊर्जा अधिभारों की वसूली। वार्षिक क्षमता (निर्धारित) अधिभारों में ऋण पूँजी पर व्याज, अवमूल्यन, इक्विटी में वापस की जाने वाली राशि, अवमूल्यन, प्रचालन एवं रख-रखाव व्यय पर अग्रिम तथा कार्यकारी पूँजी पर ब्याज शामिल है, ऊर्जा (परिवर्तनशील) अधिभारों में ईधन लागत आती है।

2.3 इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी -

(क) एन0टी0पी0सी0 के विद्यमान स्टेशनों के सम्बन्ध में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 43ए (2) के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अलग-अलग विद्युत स्टेशनों के लिए जारी विद्यमान शुल्क विज्ञप्तियों में यथा उल्लिखित ''लक्ष्य उपलब्धता'' तथा ''प्लान्ट लोड फैक्टर से सम्बन्धित प्रचालनात्मक मानकों को छोड़कर ये प्रचालनात्मक मानक अन्य स्टेशनों पर लागू रहेंगे।

- (ख) एन.टी.पी.सी. के विद्यमान तथा नए स्टेशनों के लिए तथा एन.एल. सी. ऐसे स्टेशनों के लिए जिनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई शुल्क अधिसूचना जारी नहीं की है लेकिन विद्युत क्रय करार (पी. पी.ए.)/थोक विद्युत आपूर्ति करार (बी.पी.एस.ए.) जो इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि को विद्यमान थे, को छोड़कर ये प्रचालनात्मक मानक लाभग्राहियों के साथ उत्पादन कम्पनियों द्वारा हस्ताक्षरित पी.पी.ए./बी.पी.एस.ए. द्वारा शासित होंगे।
- (ग) उत्पादक कम्पनी विशेष परिस्थिति में औचित्य को दर्शा कर ''लक्ष्य उपलब्धता'' में रियायत देने के लिए आयोग से सम्पर्क कर सकती है। विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा तैयार किए गए कारणों एवं औचित्य से संतुष्ट होने पर आयोग इस तरह की छुट जो उचित हो दे सकती है।

बशर्ते कि ऐसी रियायत से प्रभावित होने वाले संभावित पक्षकारों को बगैर सूचना दिए कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

- 2.4 प्रचालन के मानक
  - (1) पूर्ण क्षमता के (निर्धारित) अधिभारों की वसूली के लिए लक्ष्य उपलब्धता:-

(क) निम्न खण्ड (ख) के तहत आने वाले स्टेशनों को छोड़कर सभी थर्मल स्टेशनों के लिए 80% (ख) एन.एल.सी. (टी.पी.एस. II, चरण I एवं II) स्टेशनों 72%

(2) निश्चित ऊर्जा पर आधारित प्लान्ट लोह फैक्टर से बाहर प्रोत्साहन देय होगा। (क) निम्न खण्ड (ख) के तहत आने वाले स्टेशनों को छोड़कर सभी थर्मल स्टेशनों 77% को छोड़कर

(ख) एन.एल.सी. (टी.पी.एस. II, चरण I एवं II) स्टेशनों 72%

(3)कोयला आधारित स्टेशनों के लिए सकल स्टेशन ताप दर

- स्थिरीकरण अवधि के दौरान 2600 कि0 कैलोरी/कि0वाट प्रति घन्टा
- बाद की अवधि 2500 किं0 कैलोरी/कि0वा0 प्रति घन्टा

500 मेगावाट इकाईयों के सम्बन्ध में, जहाँ बॉयलर फीड पम्प विद्युत की भाँति प्रचालित किए जाते हैं, वहाँ स्टेशन ताप दर से 40 कि0 कैलोरी/कि0 वाट प्रति घन्टा की दर से ताप दर कम होगी।

लिगनाइट से चलने वाले विद्युत स्टेशनों के मामले में उपरोक्त सकल स्टेशन ताप दरें निम्नानुसार गुणककारकों

का उपयोग करते हुप	र सुधारी जाएगी।		· ·	
(क)	50% आईता वाली लिगनाइट	के लिए :1:10 का गुणन फै	क्टर	
(ख)	40% आर्द्रता वाली लिगनाइट	: के लिए :1:07 का गुणन फैक	स्टर	
(ग)	30% आर्द्रता वाली लिगनाइट	: के लिए :1:04 का गुणन फैब	स्टर	
(घ)	आर्रता की अन्य मानकों के	लिए गुणन फैक्टर निर्धारित कि	ज्या जाएगा।	
(4) गैस त	ाथा नाथपा आधारित स्टेशनों	के लिए सकल स्टेशन ताप	दर	
-	खुले साईकल के लिए -	2900 कि0 कैलोरी/कि0वात	: प्रति घन्टा	
-	संयुक्त साईकल के लिए-	2000 किं0 कैलोरी/कि.वाट	प्रति घन्टा	
(5) कोयल	॥ आधारित स्टेशनों के लिए	सहायक ईंधन तेल		
-	स्थरीकरण अवधि के लिए	- 5 मि.ली. / कि0वाट प्रा	ते घन्टा	
-	बाद की अवधि के लिए	- 3.5 मि.ली./कि0 वाट	्रप्रति घन्टा	
(८) अतिरि	(6) अतिरिक्त ऊर्जा स्वपत			
		कूलिंग टावर के साथ	बगैर कूलिंग टावर के साथ	
(क)	कोयला आधारित स्टेशन			
	200 मेगावाट श्रृंखला	9.5%	9.0%	
	500 मेगावाट श्रृंखला			
	- भाप चालित पम्प	8.0%	7.5%	
	- विद्युत चालिक पम्प	9.5%	9.0%	
(ख)	गैस तथा नाफथा आधारित	स्टेशन		
	संयुक्त साईकल	3.0%		
	खुली साईकल	1.0%		
	(			
स्थरीव	hरण अवधि के दौरान, नियामक	ह गाण खपत कुल मिलाकर उपर	ोक्त (क) एवं (ख) में दिए गए	

# (7) व्यावसायिक प्रचालन की तिथि

किसी इकाई के व्यावसायिक प्रचालन की तिथि की गणना इस प्रकार होगी :-

तापीय (कोयला∕लिगनाईट) स्टेशन

समक्रमण की तिथि से 180 दिन

से अधिक नहीं

गैस तथा नापथा आधारित स्टेशन समक्रमण की तिथि से

- (8) स्थाईकरण अवधि :- स्थाईकरण अवधि की गणना व्यावसायिक प्रचालन शुरू होने की तिथि से निम्नानुसार की जाएगी :-
  - (क) तापीय (कोयला/लिगनाइट) स्टेशन 180 दिन
  - (ख) खुली साईकल गैस एवं नाथपा आधारित स्टेशन 90 दिन
  - (ग) संयुक्त साईकल गैस एवं नाथपा आधारित स्टेशन 90 दिन

### ''व्याख्या''

 शुल्क की गणना करने के उद्देश्य से प्रचालन मापदण्ड, अर्थात् "स्टेशन ताप दर'', "सहायक ईधन तेल उपभोग'' तथा अतिरिक्त ऊर्जा खपत वास्तविक आधार पर तथा मानकों के आधार पर, जो भी कम हो निर्धारित किया जाएगा।

### 2.5 पूँँजी व्यय

इस परियोजना का पूँजी व्यय, प्राधिकरण के तकनीकी, आर्थिक स्वीकृति में निर्धारित अनुमोदित वित्तीय पद्धति या उचित स्वतंत्र एजेन्सी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार वित्त पोषित किया जाएगा। यह परियोजना लागत, पूँजी में परिणत प्रारंभिक स्पेयर की उचित धनराशि में शामिल की जाएगी।

इस परियोजना के पूर्ण होने में किया गया वास्तविक पूँजी व्यय, टैरिफ के निर्धारण का आधार बनेगा, जहाँ वास्तविक व्यय, अनुमोदित परियोजना लागत से अधिक होगा वहाँ शुल्कों के निर्धारण के लिए प्राधिकरण तथा किसी उचित स्वतंत्र एजेंसी द्वारा यथाअनुमोदित अधिक व्यय पर विचार किया जाएगा।

बशर्ते कि ऐसे अत्यधिक व्यय, उत्पादक कम्पनी या उसके आपूर्तिकर्त्ता या ठेकेदारों पर आरोप्य नहीं होंगे।

इसके अतिरिक्त, जहाँ उत्पादक कम्पनी तथा लाभग्राही के बीच विद्युत क्रय के करार में पूँजी व्यय की सीमा निर्धारित हो, वहाँ शुल्क के उपभोग के लिए ऐसी सीमा से अधिक पूँजी व्यय नहीं होगा।

2.6 अस्थिर (इन्फर्म) विधुत :

ंइन्फर्म विद्युत से तात्पर्य इकाई के वाणिज्यिक प्रचालन से पहले विद्युत विक्रय से है, इस प्रकार की बिक्री से प्राप्त <sup>948 GI/2001 -2</sup>

राजस्व (ईंधन लागत के अलावा) पूँजी व्यय में कमी के रूप में माना जाएगा तथा कुल राजस्व के रूप में नहीं माना जाएगा।

### 2.7 क्षमता (निर्धारित) अधिभारों का भुगतान

क्षमता भुगतान की गणना निम्न आधार पर की जाएगी तथाइसकी वसूली का सम्बन्ध उपलब्धता से होगा।

(क) ऋण पूँजी पर व्याज :

तद्नुसार प्राधिकरण तथा उचित स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार जैसी भी स्थिति हो अदायगी के कार्यक्रम पर ध्यान देते हुए ऋण पूँजी पर ब्याज की गणना बकाया ऋण पर की जाएगी।

(ख) अवमूल्यन

1

ŗ

### (1) अवमूल्यन के उद्देश्य से मूल्य का आधार सम्पत्ति की ऐतिहासिक लागत है।

अवमूल्यन की गणना, इस अधिसूचना के परिशिष्ट-॥ में संलग्न कार्यक्रम में उल्लिखित अवमूल्यन दर पर सीधी पद्धति के अनुसार वार्षिक गणना की जाएगी।

बशर्ते कि परियोजना के जीवन के दौरान कुल अवमूल्यन; अनुमोदित मूल लागत का 90% से अधिक नहीं होगा। अनुमोदित मूल लागत विदेशी विनिमय पर परिवर्तन के संदर्भ में अतिरिक्त पूँजीकरण में शामिल होगी।

(2) मंजूरी योग्य अवमूल्यन के अतिरिक्त, अवमूल्यन पर अग्रिम (ए.ए.डी.), जहाँ कहीं कार्यक्रम के अनुसार मंजूरी योग्य अवमूल्यन से मूल निर्धारित ऋण अदायगी अधिक होगी वहाँ अवमूल्यन पर अग्रिम देने की अनुमति होगी तथा इसकी गणना\_निम्नवत्त होगी :-

अवमूल्यन पर अग्रिम - कार्यक्रम के अनुसार अवमूल्यन के 1/12वाँ भाग की निर्धारित सीमा के अधीन अवमूल्यन पर अग्रिम धनराशि सूची के अनुरूप अवमूल्यन।

े गत कीमले अपग्रीने के शेष उपयोगी जीवन पर आँकी

(4) अवमूल्यन पहले वर्ष के प्रचालन से वसूल किया जाएगा। यदि सम्पत्ति का प्रचालन वर्ष के एक भाग के लिए होता है तो ऐसी स्थिति में अवमूल्यन को आनुपातिक आधार पर वसूल किया जाएगा।

- (5) पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित सम्पत्ति का अवमूल्यन, पूर्व शुल्क अवधि के दौरान पालन किए गए यथा निर्धारित पर्यावरणीय मानकों की शर्तों के अधीन टैरिफ का निर्धारण करते समय अलग-अलग मामले के आधार पर किया जाएगा।
- (ग) इक्वियटी पर अदायगी :

इक्विटी पर अदायगी का निर्धारण भुगतान तथा अंशदायी पूँजी के आधार पर होगा तथा ऐसी पूँजी का 16 प्रतिशत होगी।

व्याख्या :

इस परियोजना के वित्त पोषण के लिए विद्यमान सेवाएं, यदि कोई हों, के मुक्त आरक्षण के लिए सृजित अंश पूँजी तथा निवेश या आन्तरिक संसाधन जारी करते समय उत्पादन कम्पनी द्वारा जुटाए गए प्रीमियम को इक्विटी की अदायगी की गणना करने के लिए भुगतान की गई पूँजी के रूप में भी समझा जाएगा बशर्ते कि प्रीमियम की ऐसी धनराशि और आन्तरिक संसाधन उत्पादन स्टेशन की पूँजी व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हों तथा इस प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत तकनीकी आर्थिक स्वीकृति अनुमोदित वित्तीय पैकेज का एक भाग या कोई स्थतंत्र एजेंसी द्वारा अनुमोदित हो।

### (घ) बीमा सहित प्रचालन एवं रख-रखाव व्यय

(1) 1999-2000 के आधार वर्ष में पाँच वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रचालन में रही एन.टी.पी. सी. एवं एन.एल.सी. के विद्यमान स्टेशनों के लिए बीमा सहित (ओ. एण्ड एम. व्यय के रूप में उल्लिखित) प्रचालन एवं रख-रखाव व्यय वास्तविक ओ. एण्ड एम. व्ययों के आधार पर किए जाएंगे तथा अपसामान्य ओ. एण्ड एम. व्यय, यदि कोई हों तो वर्ष (1995~96 से 1999-2000 के लिए घटाए जाएंगे जिन्हें सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणित करना होगा।

वर्ष 1995-96 में 1999-2000 के लिए वास्तविक ओ.एच.एम. व्ययों का औसत वर्ष 1997-98 के लिए ओ. एण्ड एम. व्ययों के रूप में समझा जाएगा तथा इसे आधार वर्ष 1995-2000 के ओ. एण्ड एम. व्ययों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से दो बार निम्नानुसार बढ़ाए जाएंगे :-

बी.ओ. एवं एम 2000 - ए.वी.ओ. एवं एम ग (1.10)2

बी. ओ. एवं एम 2000 आई	=	उत्पादन स्टेशन के लिए वर्ष 1999-2000
-		के लिए आधार स्तर ओ एवं एम. व्यय

ए. वी. ओ. एवं एम = उत्पादन स्टेशनों के लिए 1995-96 से 1999-2000 तक औसत ओ. एवं एम व्यय

वर्ष 1999-2000 के लिए आधार ओ. एण्ड. एस. व्यय में सम्बद्ध वर्ष के लिए देय ओ. एण्ड. एम.

[PARTH]-SEC.4]

व्यय को पूरा करने के लिए 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और वृद्धि होगी।

- (2) पाँच वर्षों की अवधि में अस्तित्व में न रहे एन.टी.पी.सी. तथा एन.एल.सी. के नए तापीय स्टेशनों के मामले में आधार ओ. एवं. एम. व्यय, प्रचालन वर्ष में प्राधिकरण तथा उचित स्वतंत्र अभिकरण द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित वास्तविक पूँजी लागत का 2.5% निर्धारित होंगे तथा इनसे आधार वर्ष 1999-2000 के लिए ओ एण्ड एम. व्ययों को पूरा करने के लिए बाद के वर्षों के लिए 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होंगे। इसके बाद आधार ओ एवं एस व्यय में सम्बद्ध वर्ष के ओ. एवं. एम. देय व्यय पूरा करने के लिए ८ प्रतिशत प्रति वर्ष की जाएगी।
- (3) टैरिफ अवधि (2001-02 से 2003-04) के दौरान शुरु किए गए संयंत्रों के लिए प्रचालन एवं रख-रखाब व्यय, उसके शुरु होने वाले वर्ष में प्राधिकरण तथा उचित विलेख अभिकरण द्वारा जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदित वास्तविक पूँजी लागत का 2.5 प्रतिशत निर्धारित होगा तथा बाद के वर्ष में 6 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि होगी।
- (4) प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि का उपयोग प्रचालन एवं रख-रखाव कार्यों के मूल आँकड़ों को संशोधि त करने के लिए किया जाएगा। वृद्धि कारक एवं परिवर्तन की गणना वास्तविक मुद्रा स्फीति के उन आँकड़ों से की जाएगी जो 6 प्रतिशत उपरोक्त अधिसूचित वृद्धि दर के 20 प्रतिशत के भीतर आते हैं (ये 6 प्रतिशत को 1.2 प्रतिशत आँकी गई है। ये सेवाओं/लाभग्राहियों द्वारा समायोजित किए जाएंगे। दूसरे शब्दों में वृद्धिकारक की गणना 4.8 से 7.2 के बीच में आने वाले समायोजन सेवाओं द्वारा किया जाना चाहिए। इस सीमा से अधिक होने वाला किसी प्रकार का परिवर्तन, औद्योगिक श्रमिकों के लिए सी.पी.आई के सकल मूल्य सूचांक तथा डब्ल्यू पी आई के कुछ चुने हुये कम्पोनेटों का सूचांक (डब्ल्यू पी आई ओ एम) निम्न खण्ड(5) में दिए गए फार्मूले के अनुसार, जिसके लिए उपयोगकर्त्ता आयोग में आवेदन कर सकते हैं, का उपयोग कर वास्तविक वृद्धि कारक के आधार पर समायोजित किया जाएगा।
- (5) वार्षिक व्ययों में वृद्धि की गणना शुल्क अवधि के लिए प्रकाशित आँकड़ों से निम्नानुसार की जाएगी:-

0.4 X आईएनएफएल<sub>भीपीआइ</sub> + 0.6 X आई.एन.एफ.एल<sub>उष्पूपीआईओएम</sub> जहाँ :

आई.एन.एफ.एल. <sub>भीषे अर्घ</sub> = सी.पी.आई\_आईडब्ल्यू में वार्षिक औसत थृद्धि

जहाँ कहीं सरकार द्वारा सी.पी.आई\_आईडब्ल्यू सीधे प्रकाशित की जाती है, वहाँ उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होल सेल कीमतों पर असंकलित आंकड़ों से डब्ल्यू.पी.आई.ओ.एम. की गणना की जाएगी।

टिप्पणी

विद्युत उत्पादन सेवाओं के लिए होलसेल कीमत के विशेष सूचकांक को निम्नानुसार असंकलित डब्ल्.

13

पी.आई. श्रृंखला (1993-94 = 100) से चयनित सम्बद्ध घटक के औसत वजन के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

	वस्तुएँ	भार
1.	लुब्रीकेन्ट	0.16367
2.	सूती कपड़ा	0.90306
3.	जूट, सन एवं मेस्ता कपड़ा	0.37551
4.	कागज एवं कागज उत्पाद	2.04403
5.	रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद	2.38819
6.	बेसिक हैवी इन आर्गनिक रसायन	1.44608
7.	बेसिक हैवी आर्गनिक रसायन	0.45456
8.	पेंट वार्निस एवं लैक्चर	0.49576
9.	टर्पेनटाइन, सिन्थेटिक रेसिन, प्लास्टिक सामग्री आदि	<b>9.74628</b>
10.	विस्फोटक माचिस एवं अन्य रसायन	0.94010
11.	गैर-घातुई खनिज उत्पाद	2.51591
12.	मूल घातुई एलॉय एवं घातु उत्पादन	8.34186
13.	मशीनरी एवं मशीन उपकरण	8.36331
14.	यातायात उपकरण एवं पार्ट्स	4.29475
उपरोव	त्त सभी (डब्लू,पी.आई.ओ.एम.)	33.47307

 $sec_{q} (f) = \frac{\sum_{i=1}^{14} \frac{1}{2} ecq_{i}}{\sum_{i=1}^{14} \frac{1}{2} ecq_{i}} \frac{1}{2} ecq_{i}} \frac{1}{2} ecq_{i}}{\sum_{i=1}^{14} \frac{1}{2} ecq_{i}} \frac{1}{2} ecq_{i}} \frac{1}{2} ecq_{i}}{\sum_{i=1}^{14} \frac{1}{2} ecq_{i}} \frac{1}{2} ecq_{i}} \frac{1}{2} ecq_{i}}{2} ecq_{i}} \frac{1}{2} ecq_{i}} \frac{1}{2} ecq_{i}} \frac{1}{2} ecq_{i}} \frac{1}{2} ecq_{i}}{2} ecq_{i}} \frac{1}{2} ecq_{i}} \frac{1}{2} ecq_{i}}{2} ecq_{i}} \frac{1}{2} ecq_{i}} \frac{1$ 

### टिप्पणी :

देय प्रचालन एवं रख-रखाव व्ययों की गणना के लिए उपयोग में लाए जाने वाले आँकड़े सांवधिक लेखा परीक्षा द्वारा स्पष्ट होने चाहिए।

(ङ) कार्यकारी पूँँजी पर व्यय

कार्यकारी पुँजी पर ब्याज में निम्न शामिल होंगे :-

(1) एक माह की ईंधन लागत तथा वास्तविक रूप से आरक्षित उचित ईंधन सामग्री लेकिन यह पिट शीर्ष

स्टेशनों पर पन्द्रह दिनों तथा गैर-पिट शीर्ष स्टेशनों पर तीस दिनों के लिए ''लक्ष्य उपलब्धता'' के अनुकूल लागू होगा।

- (2) ''लक्ष्य उपलब्धता'' के अनुकूल सहायक ईंधन आयल के लिए 60 दिन का स्टॉक।
- (3) एक माह के लिए प्रचालन एवं रख-रखाव व्यय (नकद)
- (4) विद्यमान स्पेअर का रख-रखाव पूँजी लागत के एक प्रतिशत के अधिकतम के अधीन लेकिन पहले पाँच वर्षों के लिए पहले ही पूँजी में परिणत प्रारम्भिक स्पेअरों के पाँचवें भाग के मल्य से कम एक वर्ष की आवश्यकताओं से अधिक नहीं।
- (5) ''लक्ष्य उपलब्धता'' के आधार पर विद्युत की बिक्री के लिए दो माह के औसत बिल के समान प्राप्य।
- (6) इस प्रयोजन के लिए ब्याज दर, शुल्क लगाते समय विद्यमान नकदी-साख दरें होंगी।

2.8 रवण्ड 2.4 (1) में दिए गए ''लक्ष्य उपलब्धता'' पर पूर्ण निर्धारित अधिभार वसूल किए जाने योग्य होंगे। लक्ष्य उपलब्धता के स्तर से नीचे क्षमता (निर्धारित) अधिभारों की वसूली आनुपातिक आधार पर की जाएगी। शून्य उपलब्धता पर, कोई भी क्षमता अधिभार वसूल नहीं किया जाएगा।

2.9 क्षमता अधिभार का भुगतान आबंटित क्षमता के अनुपात में रुपये/कि.वाट/माह में मासिक आधार पर किया जाएगा।

### 2.10 ऊर्जा अधिभार

(1) ए.बी.टी. के अन्तर्गत आने वाले स्टेशनों के लिए ऊर्जा

(परिवर्तनीय) अधिभारों में ईंधन लागत शामिल होगी तथा यह निम्न फार्मूले के अनुसार उत्पादन स्टेशन से बाहर भेजने के लिए निर्धारित एक्स-बस ऊर्जा पर पैसे प्रति कि0 वाट घन्टा के आधार पर निकाली जाएगी :-

ऊर्जा अधिकार = ऊर्जा अधिभार की दर X निर्धारित उत्पादन (एक्स बस)

(2) ए. बी. टी. के अन्दर शामिल न किए गए स्टेशनों के लिए

ऊर्जा (परिवर्तनीय) अधिभारों में ईंधन लागत शामिल होगी तथा यह निम्न फार्मूले के अनुसार उत्पादन स्टेशन से बाहर भेजने के लिए निर्धारित (एक्स बस) ऊर्जा उत्पादन पर पैसे प्रति कि0 वाट घन्टा के आधार पर निकाली जाएगी।

ऊर्जा अधिभार = ऊर्जा अधिभारों की दर X भेजी गई ऊर्जा (एक्स. बस)

जहाँ,

जहाँ.

ऊर्जा अधिभारों की दर (आर.ई.सी.), एक किलो वाट घन्टा विद्युत आपूर्ति (एक्स.बस) के लिए प्राथमिक एवं संघटक ईंधन की आदर्श मात्रा की लागत का जोड़ होगी तथा इसकी गणना, निम्नानुसार की जाएगी :-

- पी<sub>प</sub> = प्राथमिक ईंधन की कीमत अर्थात् कोयला या लिगनाइट या गैस या नाफथ रुपया प्रति किलो
- (क्यू<sub>भएन</sub>) = उत्पादन टर्मिनलों में किलों में कि0वाट घन्टा विद्युत उत्पादन के लिए अपेक्षित प्राथमिक ईंधन की मात्रा तथा इसकी गणना सकल स्टेशन ताप दर के आधार पर (कोयला, लिगनाईट आधारित स्टेशनों के लिए सहायक ईंधन तेलों द्वारा उत्पादित कम ताप) तथा कोयला लिगनाइट या गैस या नाफथा (वास्तव में प्रज्वलित) की सकल कैलोरी मान के आधार पर की जाएगी।
- पी\_\_\_\_ = रुपया प्रति मिली लीटर में गौण ईंधन तेलों की कीमत।
- (क्यू<sub>एस</sub>)<sub>एन</sub> = खण्ड 2.4 (5) जैसी भी स्थिति हो, के आधार पर गौण ईंधन तेलों की मात्रा।
- (ए.यू.एक्स) = खण्ड 2.4 (6), जैसी भी स्थिति हो, के आधार पर सहायक ऊर्जा खपत।

### ईंधन के मूल्य या उष्मीय मान में परिवर्तन का समायोजन

प्रारंभ में कोयला/लिगनाइट या गैस या नाफथा की सकल कैलोरी मान प्रारंभिक तीन महीनों में वास्तविक आधार पर निकाला जाएगा। किसी प्रकार का परिवर्तन वास्तव में प्राप्त तथा प्रज्वलित कोयले/लिगनाइट या गैस या नाफथा के सकल कैलोरीमान के आधार पर तथा कोयला/लिगनाइट, तेल या गैस या नाफथा की खरीद के लिए उत्पादन कम्पनी द्वारा व्यय की गई वास्तविक लागत, जैसी भी स्थिति हो, के आधार पर समायोजित किया जाएगा। ईंधन की कीमतों के समायोजन के लिए आयोग के समक्ष अलग से याचिका दायर नहीं की जाएगी। कोई विवाद होने पर, व्यावसायिक आचरण विनियम-1999 के अनुसार उचित याचिका आयोग के समक्ष दायर की जाएगी।

### 2.11 प्रोत्साहन

(1) 21.5 पैसे प्रति कि0वाट घन्टा की सीमा के अधीन प्रोत्साहन मानकीय पी.एल.एफ. तथा 90% पी.एल.एफ. के बीच उत्पादन के लिए मानकीय पी.एल.एफ. पर निर्धारित क्षमता अधिभार/कि0वाट घन्टा का 50 प्रतिशत की दर से वसूल किया जाएगा। (2) 90% पी.एल.एफ. से अधिक उत्पादन के लिए प्रारंभ में दिए गए खण्डों के तहत पेय प्रोत्साहन का 50 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन की वसूली की जाएगी।

#### 2.12 आय पर कर

उत्पादन कम्पनी की मुख्य गतिविधि से होने वाली आय, यदि कोई हो, की गणना व्यय के रूप में की जाएगी, तथा इसकी वसुली लाभग्राहियों से उत्पादन कम्पनियों द्वारा की जाएगी।

कर की कम या अधिक वसूली होने पर उसका सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर प्रत्येक वर्ष समायोजन किया जाएगा।

बशर्ते कि :-

- (1) मुख्य गतिविधियों से होने वाली आय की अपेक्षा किसी अन्य स्रोत से होने वाली आय पर कर, यदि कोई हो, उत्पादन कम्पनी को प्राप्त होती है तो, यह शुल्क में बाह्य घटक के रूप में नहीं माना जाएगा। इस प्रकार की अन्य आय पर कर, उत्पादन कम्पनी द्वारा देय होगा।
- (2) कर से पूर्व एक वर्ष के लिए अग्रिम रूप से आँके गए स्टेशन-वार लाभ, समस्त स्टेशनों के कारपोरेट कर की देयता का वितरण करने के लिए आधार होगा।
- (3) आयकर अधिनियम 1961 की धारा, के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ लागू हो कर छूट का लाभ, संबंधित स्टेशन को दिया जाएगा।
- (4) आगे ले जाए गए हानियों के लिए क्रेडिट, यदि कोई हो, तो उसे बराबर आधार पर सभी स्टेशनों को वितरित किया जाएगा।
- (5) स्टेशनों को आवंटित कर, वार्षिक निर्धारित अधिभारों के रूप में समान अनुपात में लाभग्राहियों से वसूल किए जाएंगे।

#### 2.13 विकास अधिभार

ज़ैनरेटिंग कम्पनी, उत्पादन के सम्बन्ध में क्षेत्रीय आधार पर हर बिल में 5% की दर से विकास अधिभार प्राप्त कर सकती है। यह विकास अधिभार, किंसी राज्य के भीतर संयंत्र संचालन के लिए देय नहीं होगा। विकास अधिभार की उगाही निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

- (क) सेवाओं द्वारा एकत्र किया गया अधिभार एक अलग बैंक खाते में रखा जाएगा और यह आई.डी.एफ. सी. या आई.डी.बी.आई. जैसे की छूट वाले मान्यता प्राप्त अवसरचनात्मक निधियों की प्रतिभूति में निवेश किया जाएगा तथा उससे होने वाली आय बैंक के लेखा में जमा होगी।
- (ख) उत्पादन कम्पनी अपनी पुस्तिका में अलग लेखा का रख-रखाय करेगी तथा विकास अधिभार आरक्षित

लेखा में अधिशेष दर्शाएंगी तथा तुलन पत्र में उसके लिए किए गए निवेश को दर्शाएंगी।

- (ग) संस्थान की खरीद या अन्य कोई ऐसी फुटकर खरीद पर आरक्षित तथा उसके अनुरूप निवेश बाद
   के संस्थान को हस्तांतरित हो जाएगा ताकि नई धारिता में उन उद्देश्यों को प्राप्न किया जा सके।
- (घ) संबंधित क्षेत्र में किसी अतिरिक्त क्षमता के लिए अपेक्षित इक्विटी का एक तिहाई तक निधि का उपयोग किया जा सकता है तथा शेष दो तिहाई उत्पादन कम्पनियों द्वारा दिया जा रहा है।
- (ङ) नई क्षमता में इक्विटी का जिस सीमा तक उपयोग किया जाता है, नई परियोजना के शुल्कों के निर्धारण में इक्विटी पर वापसी के लिए आनुपातिक कटौती की जाती है।
- (च) इन निधियों के उपयोग के सम्बन्ध में, प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा, जो उत्पादन कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापित होगा।
- (छ) इन निधियों का किसी दूसरे ढंग से उपयोग या तो आयोग का प्रार्थना पत्र पर अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकता है या प्रेरणा से लेकिन इसके लिए सी.ई.आर.सी. विनियम के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा।

### 2.14 ए.बी.टी. के तहत शामिल स्टेशनों पर लागू अनियत विनिमय शुल्क

वास्तविक उत्पादन/निकासी तथा नियत उत्पादन/निकासी में होने वाले अन्तर की गणना अनियत विनिमय (यू.एन.) शुल्कों के माध्यम से की जाएगी। उत्पादन स्टेशन के लिए अनियत विनियम उसके वास्तविक उत्पादन के बराबर तथा उसके नियत उत्पादन से कम होगा। लाभग्राहियों के लिए अनियत विनिमय, कुल वास्नविक निकासी के बराबर तथा उसकी कुल नियत निकासी से कम होगा। अनियत विनिमय, प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लाकों के लिए निकाला जाएगा। सभी प्रकार के अनियत विनिमय करने का शुल्क समय ब्लॉक की औसत बारम्बारता तथा निम्न दरों के आधार पर लिया जाएगा :-

समय ब्लाकों की औसत बारम्बारता	अनियत विनिमय दर (पैसे प्रति किलो वाट घण्टा)
50.5 एच जेड और ऊपर	0.00
50.5 एच. जेड से नीचे और 50.48 एच जेड तक	5.60
49.04 एच. जेड नीचे तथा 49.02 एच जेड तक ऊ	पर 414.40
49.02 एच. जेड नीचे	420.00
50.5 एच. जेड तथा 49.02 एच.जेड. के बीच	0.02 एच जेड स्टेप में लीनियर

(उपर्युक्त सीमा में प्रत्येक 0.02 एच जैड स्टैप 5.6 पैसे प्रति कि0 वॉट घण्टा के बराबर है)

उपरोक्त बारम्बारता सीमा तथा अनियत विनिमय दर, समय-समय पर जारी अलग अधिसूचना के माध्यम से परिवर्तनाधीन हैं।

अनियन विनिमय से संबंधित प्रावधान, ए.बी.टी. के कार्यान्वयन के बाद निम्न समय सारिणी के अनुसार लागू होगे :-

दक्षिणी क्षेत्र	:	01-04-2001
<b>पूर्वी</b> क्षेत्र	:	01-05-2001
उनरी क्षेत्र	:	01-06-2001
पश्चिमी क्षेत्र	:	01-08-2001

### 2.15 रियायत

साख पत्र डारा बिल का भुगनान करने के लिए 2.5 प्रनिशत की रियायत देने की अनुमति होगी। यदि उत्पादन कम्पनी द्वारा साख पत्र के अनिरिक्त अन्य माध्यम से भुगतान किया जाता है लेकिन यह भुगतान बिल भेजने के एक माध के भीनर किया जाना है तो 1 प्रतिशत छूट की अनुमति होगी।

### 2.16 विलम्ब ने भ्यतान करने पर अधिकार

बिल उतने व यने की निश्चि से एक माह की अवधि के बिल के भुगतान में लाभग्राहियों द्वारा अधिक विलम्ब करने पर उत्पावन कम्पनी द्वारा 1.5 प्रनिशत की दर से विलम्ब-भुगतान अधिभार वसूल किया जाएगा।

### 2.17 अनुसूची तैयार करना

(इसे अनुसूची नेयार करने के लिए प्रक्तिया सम्बन्धी आई.ई.जी.सी. के अध्याय-7 के साथ पढ़ा जाएगा) अनुसूची की पर्द्धान नथा उपलब्धता गणना की पद्धति इस प्रकार होगी :-

- (1) प्रन्येक दिन ग्रन्य घन्टे से शुरू होकर, 15 मिनट के 96 समय खण्डों में विभाजित होगा।
- (2) उत्पादक, अपने उत्पादन स्टेशन की क्षमता की अग्रिम घोषणा करेगा। यह घोषणा उस क्षमता के लिए की जाएगी जो वास्तव में उपलब्ध हो सकेगी।

यह घोषणा, उत्पादन स्टेशन की क्षमता के लिए होगी ताकि दिन के प्रत्येक समय खण्ड के लिए एक्स-बस मेगावाट प्रति घन्टा आपूर्ति की जा सके। उत्पादक द्वारा यथा घोषित क्षमात, डी.सी. के रूप मे यथा उल्लिखित, उत्पादन अनुसूची के आधार पर होगी।

(3) घोषित क्षमता की घोषणा या उसे संशोधित करते हुए, उत्पादक यह सुनिष्टिचत करेगा कि उसके द्वारा घोषित क्षमता व्यम्ततम समय के दौरान अन्य समय की तुलना में कम नहीं होगी। तथापि, ऐसे मामलों में जब यूनिट ट्रिप करे उसका पुन: समक्रमण हो जिसके परिणामस्वरूप यूनिट 🤌 बल का लोप हो जाए।

- (4) उत्पादन अनुसूची, आई.ई.जी.सी. में दिए गए अनुसार, प्राचालन प्रक्रिया के अनुपालन में नेपार की जाएगी।
- (5) उत्पादन की घोषणा के आधार पर, आर.एल.डी.सी., लाभग्राहियों की अपने जेयरों की सूचना देश 'जनमें वे अपनी मांग देंगे।
- (6) लाभग्राहियों ब्रारा दी गई मांग के आधार पर तथा उत्पादन के परिवर्तन पर लकनीकी से माओं और ट्रांसमिशन प्रणाली की कठिनाईयों, यदि कोई हो, पर ध्यान देते हुए आर.एल.डी.सी., किफाय्त्त अनुकूल उत्पादन अनुसूची तथा निकासी अनुसूची तैयार करेगी तथा उसकी सूचना लाभग्राहियों एव उत्पादकों को देगी।

आरएल.डी.सी., वीर्घकालीन एवं अल्पकालीन (दैनिक अनुसूची) दोनों की फुटकर आवश्ययन्ताओं को पूरा करने के लिए क्रियाविधि तैयार करेगी।

- (7) अनुसूची उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन, उत्पादक के एक्स-बस पर होगा। लाभग्राहियों के लिए, नियत एवं वास्तविक कुल निकासी उनके सम्बन्ध प्राप्ति स्थल पर होगे।
- (8) लाभग्राहियों की कुल निकासी समय की गणना करने के लिए ट्रांसमिशन हानि को उनकी निकासियों में बराबर बांटा जाएगा।
- (9) एस.जी. के रूप में उल्लिखित, प्रत्येक समय खण्ड के लिए उत्पादन स्टेशन के नियत उत्पादन का तात्पर्य उत्पादन स्टेशन से बाहर भेजने के लिए निर्धारित मेगावाट घन्टा है।
- (10) ए.जी. के रूप में उल्लिखित, प्रत्येक समय खण्ड के लिए स्टेशन के वास्तविक उत्पादन से तात्पर्य उत्पादन स्टेशन से वास्तव में बाहर भेजे जाने वाला वाम्तविक मेगावाट घन्टा है।
- (11) किसी इकाई का बल लोप हो जाने पर, आरएलडी.सी., संशोधित घोषित क्षमता के आधार पर अनुसूची को संशोधित करेगा। संशोधित अनुसूची चोथे समय खण्ड से प्रभावित होगी, समय खण्ड की गणना उत्पादक द्वारा संशोधन के लिए दिए गए परामर्श से होगी, इसे पहला समय खण्ड माता जाएगा। संशोधित घोषित क्षमता भी चौथे टाइम ब्लॉक से प्रभावी होगी।
- (12) किसी समस्या, लोप, ट्रांसमिशन प्रणाली में खराबी या बाधा आने, सम्वद्ध स्विचयाई तथा कीतों प्र के स्वामित्त्व वाले उप-केन्द्रों (आरएल.डी.मी. द्वारा प्रमाणित) में बाधा आने पर जब उल्पावन स कमी

करना आवश्यक हो जाए तो, आर.एल.डी.सी. अनुसूची को संशोधित करेगा। यह चौथे समय खण्ड से प्रभावी होगा, इसकी गणना, उस समय खण्ड से की जाएगी जब विद्युत आपूर्ति में बाधा आएगी। ऐसे मामले में, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समय खण्ड में, स्टेशन का निर्धारित उत्पादन, वास्तविक उत्पादन के बराबर करने के लिए संशोधित किया जाएगा तथा लाभग्राहियों की निर्धारित निकासी भी वास्तविक निकाली के बराबर करने के लिए संशोधित होगी।

- (13) किसी ग्रिड में व्यवधान पैदा होने पर सभी उत्पादन स्टेशनों का निर्धारित उत्पादन एवं सभी लाभग्राहियों की निर्धारित निकासी, ग्रिड में व्यवधान आने से प्रभाविक सभी समय खण्डों के लिए उनके वास्तविक उत्पादन / निकासी के बराबर करने के लिए संशोधित की जाएगी। ग्रिड में व्यवधान आने और उसके समय का प्रमाण आर.एल.डी.सी. द्वारा देना होगा।
- (14) उत्पादक(कों) द्वारा घोषित क्षमता का संशोधन तथा उस दिन की शेष अवधि के लिए लाभग्राहियों की मांग अग्रिम सूचना द्वारा दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, संशोधित अनुसूची/घोषित क्षमता, छठे समय खण्ड से प्रभावी होगी, इसकी गणना उस समय से की जाएगी, जब आरएल.डी.सी. में संशोधन के लिए अनुरोध प्राप्त होगा।
- (15) यदि किसी भी समय, आर.एल.डी.सी. यह पाती है कि उचित प्रचालन प्रणाली के लिए अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है, यह स्वयं ऐसा कर सकती है तथा ऐसे मामले में, संशोधित अनुसूची चौथे समय खण्ड से प्रभावित होगी, इसकी गणना, आर.एल.डी.सी. द्वारा जारी संशोधित अनुसूची के समय से, उसे प्रथम समय खण्ड मानते हुए की जाएगी।
- (16) आरएल.डी.सी. द्वारा जारी/संशोधित उत्पादन अनुसूची तथा निकासी अनुसूची, संचार सफलता का लिहाज किए बगैर ही निर्धारित समय-खण्ड से प्रभावी होंगी।
- (17) निर्धारित उत्पादन का संशोधन तथा कार्योत्तर समझे जाने वाला संशोधन करने के लिए, लाभग्राहियों के निर्धारित निकासी के अनुरूप संशोधन किया जाएगा।
- (18) समय मान को ध्यान में रखते अनुसूची में परिवर्तन करने सम्बन्धी सूचना दर्ज करने के लिए सी. टी.यू. द्वारा प्रक्रिया तैयार करनी होगी।

### 2.18 घोषित क्षमता का प्रदर्शन

उत्पादन स्टेशन जिस क्षेत्र मे स्थित है, उस क्षेत्र के आरएल.डी.सी. द्वारा जब कभी भी यह कहा जाएगा कि उत्पादन कम्पनी अपने उत्पादन स्टेशनों की घोषित क्षमात का प्रदर्शन करे तो वे घोषित क्षमता का प्रदर्शन करें तो वे घोषित क्षमता प्रदर्शित कर सकते हैं। घोषित क्षमता का प्रदर्शन करते समय जनरेटर के बन्द हो जाने पर, जरनेटर के कारण हुए क्षमता अधिभार दण्ड के रूप में कम किए जाएंगे। एक दिन में किसी समय / समय-खण्ड के लिए पहली गलत घोषणा के लिए दण्ड, आने वाले दो दिनों के निर्धारित अधिभारों के बराबर वसूल किया जाएगा। दूसरी गलत घोषणा के लिए दण्ड, चार दिनों के लिए निर्धारित अधिभार के बराबर होगा और बाद की गलत-घोषणा के लिए, आयोग के आदेश के अनुसार, दण्ड ज्यामीतीय क्रम में गुणात्मक रूप में लगाया जाएगा।

#### टिप्पणी :

यदि यह पाया जाता है कि उत्पादक द्वारा अपनी क्षमता की घोषणा कम और कट की गई है तथा वास्तविक उत्पादन डी.सी. की तुलना में अधिक है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे अतिरिक्त उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, जनरेटर के कारण हुए यू. एन. अधिभार, कम करके शून्य कर दी जाएंगी तथा इस स्थिति में क्षमता के अनुपात में यह धनराशि लाभग्राहियों के यू.एन. लेखा में जमा कर दी जाएगी।

### 2.19 मीटरिंग तथा गणना करना

संस्थापन, परीक्षण तथा प्रचालन सहित मीटर की व्यवस्था करना तथा मीटर का रखरखाव एवं संग्रहण, परिवहन एवं ऊर्जा एक्स-रेंजों की गणना तथा 15 मिनट समय खण्ड के आधार पर औसत बारम्बारता की व्यवस्था पावरग्रिंड/आरएल.डी.सी. द्वारा की जाएगी। मीटरों के संसाधित आँकड़ों के साथ-साथ घोषित क्षमता तथा अनुसूची आदि से संबंधित आँकड़ों की आरएल.डी.सी. द्वारा आई.बी. को आपूर्ति की जाएगी तथा आर.ई.बी. मासिक आधार 'पर ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रीय लेखों के साथ-साथ यू.एन. शुल्कों को जारी करेगा। यू.एन. की गणना प्रक्रिया आयोग के आदेश द्वारा शापित की जाएगी।

### 2.20 बिल तैयार करना तथा क्षमता शुल्कों का भुगतान

बिल लथा क्षमता शुल्कों का भुगतान निम्न प्रकार मासिक आधार पर किया जाएगा :-

(1) प्रत्येक लाभग्राही, स्टेशन की कुल बिक्री योग्य क्षमता में उसके प्रतिशत अंश के अनुपात में, क्षमता शुल्कों का भुगतान करेगा। बिक्री कर क्षमता का तात्पर्य गृह राज्य (राज्यों), यदि कोई हो तो कुल क्षमता ऋण (माइनस) स्वतंत्र क्षमता से है।

### टिप्पणी-1

केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों की कुल क्षमता का आवटन केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है, इसका गैर-आवटन भाग भी होता है, गैर आवटन भाग के लिए आवटन, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर, कुल गैर-आवटित क्षमता के लिए किया जाता है। किसी लाभग्राही की कुल क्षमता शेयर, गैर-आवटित भाग को छोड़कर क्षमता शेयर तथा आवटन के जोड़ के बराबर होगा। केन्द्र सरकार द्वारा गैर-आवटित विद्युत का विशेष वितरण न करने पर यथा आवंटित शेयरों के अनुपात में आवंटित शेयरों में गैर आवंटित शेयरों को जोड़ दिया जाएगा।

### टिप्पर्णी-2

लाभग्राही, क्षेत्र के भीतर/बाहर अन्य राज्यों को अपने आर्बटित शेयर का भाग देने के लिए प्रस्ताव कर सकता है, ऐसे मामले में, विद्युत आपूर्ति की तकनीकी व्यावहारिकता पर निर्भर करते हुए तथा शेयर हस्तांतरण के लिए क्षेत्र के भीतर तथा बाहर अन्य राज्य के साथ उत्पादक कम्पनी द्वारा विशेष करार करने पर, लाभग्राही के शेयर, विशेष अवधि के लिए केन्द्रीय उत्पादन एजेन्सी द्वारा पुन: आर्बटित किए जा सकने हैं। जब ऐसा पुन: आबंटन किया जाता है। शेयर को देने वाला लाभग्राही, दिए गए शेयर के लिए क्षमता शुल्क का भुगतान नहीं करेगा सौंपी गई क्षमता के लिए क्षमता शुल्क एवं उपरोक्त पुन: आर्वटित क्षमता शेल किए क्षमता शुल्क उस राज्य द्वारा दिया जाएगा जिसे त्यागी गई क्षमता आर्वटित की जाती है। केवल, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, क्षमता के पुन: आबंटन अवधि के लिए उत्पादन स्टेशन के लाभग्राही, आबंटित क्षमता शेयरों के अनुसार पूर्ण निर्धारित शुल्क देंगे।

- (2) लाभग्राहियों को अपने क्षमता शेयरों का उपयोग करने के लिए किसी भी प्रकार का लेन-देन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। ऐसे मामलों में, ऐसे लाभग्राही जिनके पास उत्पादन स्टेशन की क्षमता में आवटन है, उन्हें अपने क्षमता शेयरों से नियत और अनियत सभी प्रकार से कारोबार के लिए क्षमता शुल्क तथा ऊर्जा शुल्क (उनके द्वारा किए गए व्यावसायिक वार्ता के तहत विद्युत बिक्री सहित) का पूर्ण भुगतान करना होगा।
- (3) यदि कोई ऐसी क्षमता है, जिसकी दिन प्रति-दिन के प्रचालन में मांग नहीं की जाती है तो ऐसे मामले में आरएल.डी.सी., क्षेत्र के लाभग्राहियों तथा अन्य आर.एल.डी.सी. को परामर्श देगी ताकि इस प्रकार की क्षमता की, उत्पादन कम्पानी/लाभग्राहियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर मांग की जा सकती है। इसकी सूचना आर. एल.डी.सी. को दी जानी होती है।
- (4) उत्पादक के क्षेत्र के बाहर रहने वालों सहित लाभग्राहियों द्वारा प्रत्येक माह निम्न फार्मूले के अनुसार क्षमता शुल्क देय होगा : ~

उत्पादक को देने के लिए कुल क्षमता शुल्कों के लिए :-

पहले माह = (1 X ए.सी.सी0 1)/12 दूसरे माह = (2 X ए.सी.सी0 2 - 1 X ए.सी.सी0 1)/12 तीसरे माह = (3 X ए.सी.सी0 3 - 2 X ए.सी.सी0 2)/12 चौथे माह = (4 X ए.सी.सी0 4 - 3 X ए.सी.सी0 3)/12

<b>1</b> 2
23
_

पाँचवे माह	=	(5 X ए.सी.सी0 5 - 4 X ए.सी.सी0 4)∕12
ভঠ নাह	=	(6 X ए.सी.सी0 6 - 5 X ए.सी.सी0 5)∕12
सातवँ माह	=	(7 X ए.सी.सी0 7 - 6 X ए.सी.सी0 6)∕12
आठवाँ माह	=	(8 X ए.सी.सी0 8 - 7 X ए.सी.सी0 7)∕12
नौवां माह	Ξ	(9 X ए.सी.सी0 9 - 8 X ए.सी.सी0 8)∕12
दसवां माह	=	(10 X ए.सी.सी0 10 - 9 X ए.सी.सी0 9)∕12
ग्याहरवां माह	=	(11 X ए.सी.सी0 11 - 10 X ए.सी.सी0 10)∕12
बारहवां माह	=	(12 X ए.सी.सी0 12 - 11 X ए.सी.सी0 11)∕12
और उत्पादन स्ते	रेशन की	क्षमता में निश्चित आबंटन वाले प्रत्येक लाभग्राही को देना होगा :-
पहले माह	=	(ए.सी.सी. 1 X डब्ल्यू.बी 1)∕1200
दूसरे माह	=	(2 X ए.सी.सी.2 X डब्ल्यू.बी 2 - 1 X ए.सी.सी. 1 X डब्ल्यू.बी 1)∕1200
तीसरे माह	Ŧ	(3 X ए.सी.सी.3 X डब्ल्यू.बी 3 - 2 X ए.सी.सी. 2 X डब्ल्यू.बी 2)∕1200
चौथे माह	=	(4 X ए.सी.सी.4 X डब्ल्यू:बी 4 - 3 X ए.सी.सी. 3 X डब्ल्यू.बी 3)∕1200
पाँचवे माह	=	(5 X ए.सी.सी.5 X डब्ल्यू.बी 5 - 4 X ए.सी.सी. 4 X डब्ल्यू.बी 4)∕1200
छठे माह	Ŧ	(6 X ए.सी.सी.6 X डब्ल्यू.बी 6 - 5 X ए.सी.सी. 5 X डब्ल्यू.बी 5)∕1200
सातवँ माह	=	(7 X ए.सी.सी.7 X डब्ल्यू.बी 7 - 6 X ए.सी.सी. 6 X डब्ल्यू.बी 6)∕1200
আতবাঁ माह	11	(8 X ए.सी.सी.8 X डब्ल्यू.बी 8 - 7 X ए.सी.सी. 7 X डब्ल्यू.बी 7)∕1200
नौवाँ माह	=	(୨ X ए.सी.सी.୨ X डब्ल्यू.बी ୨ - 8 X ए.सी.सी. 8 X डब्ल्यू.बी 8)/1200
दसवाँ माह	=	(10 X ए.सी.सी.10 X डब्ल्यू.बी 10 - 9 X ए.सी.सी. 9 X डब्ल्यू.बी 9)∕1200
ग्याहरवां माह	=	(11 X ए.सी.सी.11 X डब्ल्यू.बी 11 ~ 10 X ए.सी.सी. 10 X डब्ल्यू.बी 10)/1200
बाहरवां माह	=	(12 X ए.सी.सी.12 X डब्ल्यूबी 12 - 11 X ए.सी.सी. 11 X डब्ल्यूबी 11)∕1200

<u>ั</u>นธั

ए.सी.सी.पी.1, ए.सी.सी.2, ए.सी.सी.3, ए.सी.सी.3, ए.सी.सी.4, ए.सी.सी.5, ए.सी.सी.6, ए.सी.सी.7, ए.सी.सी.8, ए.सी.सी.9, ए.सी. सी.10, ए.सी.सी.11 एवं ए.सी.सी.12 वार्षिक क्षमता शुल्क की राशि है जो क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारवां तथा बारहवां माह की समाप्ति तक संचयी अवधि के लिए उपलब्धता के अनुरूप है। तथा डब्ल्यू वी.1, डब्ल्यू वी.2, डब्ल्यू वी.3, डब्ल्यू वी.4, डब्ल्यू वी.5, डब्ल्यू वी.6, डब्ल्यू वी.7, डब्ल्यू वी.8, डब्ल्यू वी. 9, डब्ल्यू वी.10, डब्ल्यू वी.11, डब्ल्यू वी.12, क्रमश: पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवे, दसवें, ग्यारहवें एवं बारहवें माह तक संचगी अर्थाध के दौरान लाभग्राहियों को आवटित क्षमता शेयरों का कुल औसत प्रतिशत है।

और,

वर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष है,

जब विज्ञप्ति के अनुसार शुल्क परिवर्तन का माह वित्तीय वर्ष का पहला माह नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में, परिवर्तन से पूर्व उस वर्ष के लिए (उपलब्धता'' वास्तविक उत्पादन तथा छोड़े ए (बीचिंग डाऊन) के आधार पर ''संभावित पी0एल0एफ0'' निर्धारित किया जाएगा तथा लाभग्राही का आवंटित क्षमता शेयर का कुल औसत प्रतिशत स्टेशन से कुल निकासी के बराबर होगा (क्षेत्रीय ऊर्जा गणना के अनुसार) जो कुल एक्स-बस उत्पादन के प्रतिशत स्टेशन से के व्यक्त होगा। परिवर्तन से पूर्व की अवधि के लिए क्षमता शुल्कों का भुगतान परिवर्तन की तिथि तक लागू शुल्क तथा आनुपातिक प्रोत्साहन, जो भी लागू हो, के अनुसार विनियामित किया जाएगा। शुल्क में परिवर्तन के बाद वाले माह के लिए क्षमता शुल्क का भुगतान इस आदेश के अनुसार उपरोक्त फार्मूले कें अनुरूप किया जाएगा।

#### अध्याय - 3

## जल विद्युत उत्पादक केन्द्र

3.1 परिभाषा : इस अध्याय के उद्देश्य से जब तक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

'वास्तविक ऊर्जा' :- का तात्पर्य किसी विशेष अवधि (दिन, वर्ष आदि) में संयंत्र द्वारा उत्पादित वास्तविक ऊर्जा की मात्रा है। वास्तविक ऊर्जा का मापन ''एक्स-बस'' होगा तथा यह स्टेशन बस बार से बाहर भेजी गई ऊर्जा होगी।

'प्राधिकरण' :~ का तात्पर्य विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा-3 के तहत गठित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से है। 'सहायक खपत' :-- का तात्पर्य परियोजना के सहायक उपकरणों द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा से है।

'क्षमता सूचांक' :- का तात्पर्य एक वर्ष तक दैनिक क्षमता का औसत से है।

'**दैनिक क्षमता सूचांक'** :- का तात्पर्य एक दिन के लिए अत्यधिक उपलब्ध क्षमता की तुलना में घोषित क्षमता का प्रतिशत से है।

घोषित क्षमता सूचांक = \_\_\_\_\_घोषित क्षमता (मेगावाट) \_\_\_\_\_ x 100 अधिकतम उपलब्ध क्षमता (मेगावाट)

**'घोषित क्षमता (मेगावाट)'** :- का तात्पर्य उत्पादक द्वारा यथाघोषित दूसरे दिन न्यूनतम समय में, उपलब्ध क्षमता से है। व्यस्ततम् समय 24 घन्टे की अवधि में तीन घन्टों से कम नहीं होगा।

'घोषित ऊर्जा' :- का तात्पर्य, उत्पादक द्वारा यथा घोषित आगामी 24 घन्टों की अवधि में संयंत्र में उत्पादित कुल अपने से है।

'आँका गया उत्पादन' :- का तात्पर्य उस उत्पादन से हे, जिसका उत्पादन करने के लिए उत्पादन स्टेशन सक्षम है परन्तु उत्पादक के नियंत्रण के बाहर ग्रिड/विद्युत प्रणाली के कारण जिसका उत्पादन नहीं हो शका है तथा रनके परिणाम स्वरूप जल का रिसाव होता है।

'अभिकल्पित ऊर्जा' :- का तात्पर्य ऊर्जा की उस मात्रा से है जिसमें स्टेशन की संस्थापित क्षमना के 95 प्रतिशन सहित वर्ष में 90 प्रतिशत विश्वसनीय उत्पादन हो।

व्याख्या :- उपलब्ध जल वैज्ञानिक आँकड़ों वाले वर्षों में कुल ऊर्जा उत्पादन (एन. वर्ष) को आरोही क्रम में व्यवग्थित किया जाता है, इस [(एन +1) X 0.9]<sup>th</sup> वर्ष का अर्थ 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष से है, 90 प्रतिशत विश्वसनीय यर्ष वह वर्ष है, जिसमें इस स्कीम के प्रचालन की संभावित अवधि के 90 प्रतिशत से अधिक या लगभग उसके समान वार्षिक ऊर्जा उत्पादन को।

- (क) प्राधिकरण के तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति मे निर्धारित अभिकल्पित ऊर्जा पर शुल्क के निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा।
- (ख) बहु-इकाई वाली परियोजनाओं के मामले में, इकाईयों के शुरू होने पर लागू अभिकल्पित ऊर्जा, अधिकरण के तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति में सम्बन्धित इकाई के लिए निर्धारित की जाएगी।
- (ग) प्राधिकरण के उपलब्ध होने योग्य अतिरिक्त जल वैज्ञानिक आँकड़ों तथा जल के संयुक्त उपयोग सहित ऊपरी धारा पर स्थित परियोजनाओं के शुरू होने तथा पूर्ण होने की अद्यतन स्थिति पर विचार करने के लिए परियोजना के पूर्ण होने पर नियोजित ऊर्जा की समीक्षा करनी चाहिए।
- (घ) यह प्राधिकरण, जब कभी भी प्राधिकरण की जानकारी में ऊपरी घाटा के जल के खपतकारी उपयोग में परिवर्तन या आपके बहने सम्बन्धी सूचना लाई जाती है तो वह परियोजना के शुरू होने के बाद अभिकल्पित ऊर्जा की समीक्षा कर सकता है।
- (ङ) वर्तमान में उपयोग की जा रही अभिकल्पित ऊर्जा को शुल्क परियोजना के लिए उपयोग किया जाता रहेगा, तथापि इस अधिसूचना को जारी करने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर सभी विद्यमान परियोजनाओ की अभिकल्पित ऊर्जा का प्राधिकरण समीक्षा करते हैं।

**'इनफर्म विद्युत'** :- का तात्पर्य उत्पादन इकाई के व्यावसायिक प्रचालन से पूर्व विद्युत की बिक्री से है।

**'संस्थापित क्षमता'** :-- का तात्पर्य एक स्टेशन में उत्पादन इकाईयों की नाम पट्ट क्षमता के संकलन या ऊँची दर, कम दर को ध्यान में रखते हुए जो भी लागू हो, पर समय-समय पर विचार करने के लिए प्राधिकरण के परामर्श में यथानिर्धारित क्षमता का संकलन है।

**'अधिकतम उपलब्ध क्षमता (मेगावाट)'** :- का तात्पर्य जल स्तरों, प्रवाहों तथा 100% खुले द्वारों की मौजूदा दशाओ के तहत सभी चल रही इकाईयों से उत्पादित संयंत्र की अधिकतम क्षमता से है। व्यम्ततम समय, 24 घन्टे की अवधि में तीन घन्टों से कम नहीं होगा।

'प्राथमिक ऊर्जा' :- का तात्पर्य किसी स्टेशन में वास्तिव आधार पर अभिकल्पित ऊर्जा की तुलना में उत्पादित ऊर्जा की मात्रा से है।

'परियोजना' :- में बांध, इनटेक, जल कन्डक्टर प्रणाली, विद्युत स्टेशन, विद्युत उत्पादन की तुलना में इस स्कीम की उत्पादन इकाईयों जैसे सभी घटकों सहित पूर्ण जल विद्युत उत्पादन सुविधाएं आती हैं। **'बिक्री योग्य प्राथमिक ऊर्जा'** :- का तात्पर्य गृह राज्य को मुफ्त ऊर्जा की अनुमति देने के बाट बिक्री के लिए उपलब्ध प्राथमिक ऊर्जा की मात्रा से है।

'बिक्री योग्य गौण ऊर्जा' :- का तात्पर्य गृह राज्य को भुफ्त ऊर्जा की अनुमति देने के बाद बिक्री के लिए उपलब्ध गौण ऊर्जा की मात्रा से है।

'नियत ऊर्जा' :- का तात्पर्य, आर.एल.डी.सी. द्वारा निर्धारित आगामी 24 घन्टे की अवधि में संयंत्र पर उत्पादित की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा से है।

'गौण ऊर्जा' :- से तात्पर्य स्टेशन में वार्षिक आधार पर अभिकल्पित ऊर्जा से अधिक उत्पादित ऊर्जा की मात्रा से है।

'स्टेशन' :- से तात्पर्य एक ऐसे जल विद्युन उत्पादक केन्द्र से है, जिसमें रिवर्सिबल इकाई सहित एक या उसमे अधिक जल विद्युत पैदा करने वाली इकाईयाँ संस्थापित हैं।

3.2 प्रचालन के मापदण्ड

प्रचालन के मापदण्ड इस प्रकार हैं :--

(1) मानक क्षमता सूचकांक :- 85 प्रतिशत

(2) सहायक खपत :-

- (क) सत्तही जल विद्युत स्टेशन जिनमें जनरेटर के शीर्ष पर लगाए गए चक्करदार उद्दीपक = विद्युत उत्पादन का 0.2 प्रतिशत।
- (ख) सत्तही जल विद्युत स्टेशन जिसमें स्टेटिक एक्साइटेशन प्रणाली है = उत्पादित ऊर्जा का 0.5 प्रतिशत।
- (ग) भूमिगत जल विद्युत स्टेशन जिनमें जनरेटर के शाफट पर चक्करदार उद्दीपक लगा हो = उत्पादित ऊर्जा का 0.4 प्रतिशत।
- (घ) भूमिगत जल विद्युत केन्द्र, स्टेटिक एक्साइटेशन के साथ = विद्युत उत्पादन का 0.7 प्रतिशत।
- (3) ट्रांस्फरमेशन में होने वाली क्षति :-(उत्पादन वोल्टेज से ट्रांसमिशन वोल्टेज तक) उत्पादित ऊर्जा का 0.5 प्रतिशत।
- (4) व्यावसायिक प्रचालन की तिथि :-सिक्रोनाइजेशन की तिथि से 15 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए।

#### 3.3 पूंजीगत व्यय

इस परियोजना के पूँजीगत व्यय का प्राधिकरण की तकनीक-आर्थिक स्वीकृति में निर्धारित अनुमोदित विसीय पैकेज या उचिन स्वतंत्र इकाई द्वारा यथाअनुमोदित, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार विस्त पोषण किया जाएगा। इस पूँजीगत लागत में पूँजीकृत प्रारभिक उपकरणों की उचिन धनरागि शामिल की जाएगी।

इस परियोजना के पूरा होने में वास्तव में व्यय की गई पूँजी के आधार पर शुल्कों का निर्धारण किया जाएा, कहीं-कहीं अनुमोदित परियोजना लागत की तुलना में वास्तविक व्यय अधिक होगा, वही प्राधिकरण तथा उचित स्वतंत्र अकिरण द्वारा यथा अनुमोदित आंधक व्यय पर शुक्लों के निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा।

बज्ञते कि इस प्रकार का अधिक व्यय उत्पादक कम्पनी या आपूर्तिदाताओं या ठेकेदारों पर नहीं लगाया जाएगा।

बन्नते कि जहाँ उत्पादक कम्पनी तथा लाभग्राहियों के बीच विद्युत क्रय करार हुआ हो वहाँ पूँजीगत व्यय की सीमा की व्यवस्था है, यह पूँजीगत व्यय, शुल्क की गणना के लिए ऐसी सीमा से अधिक नहीं होगा।

#### 3.4 इन्फर्म विद्युत :-

इन्फर्म विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को पूँजीगत मत व्यय में कभी त्रहीं माना जाएगा तथा सकल राजस्व के रूप में नहीं माना जाएगा।

#### 3.5 वार्षिक शुल्कों की गणना :-

एक जल विद्युत स्टेशन से विद्युत की बिक्री के लिए इस डि-भागीय शुल्क में थार्षिक क्षमता शुल्कों तथा प्राथमिक ऊर्जा शुल्कों की वमूली शामिल है। एक स्टेशन के लिए शुल्कों को निम्न्धानुसार विनियामिन किया जाएगा: -ामता प्रभार को निम्नलिखित आधार पर परिकलित किया जाएगा। क्षमता प्रभार = (वार्षिक निर्धारित लागत - ऊर्जा प्रभार) जहाँ, वार्षिक निर्धारित लागन (ए एफ सी) निम्नवत् होगी :

ए एफ सी = आई ओ एल + डी ई पी + आर ओ ई + ओ एवं एम + आई डब्ल्यू सी

🐘 एल 🛥 ऋण पूंजी पर ब्याज

डी ई पी = अवमूल्यन के मुकाबले अवमूल्यन तथा अग्रिम

आर ओ ई = इक्वियटी पर यसूली

ओ एवं एम = प्रचालन एवं रख-रखाव खर्च

आई डब्ल्यू सी = कार्यशील पूंजी पर ब्याज

जब क्षमता प्रभार नकारात्मक होगा, यह राणि भून्य मानी जाएगी।

(क) ऋण पूंजी पर ब्याज

प्राधिकारी द्वारा अथवा किसी उपयुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार, जैसा भी मामला हो, पुन: भुगतान के नियत समय पर यथा विचार करते हुए ऋण पूंजी पर ब्याज बकाया ऋण पर परिकलित किया जाएगा।

(ख) अवमूल्यन

- (1) अवमूल्यन के उद्देश्य के लिए मूल्य आधार परिसंपत्ति की ऐतिहासिक लागत होगी।
- (2) ''इस अधिसूचना के परिशिष्ट-II में संलग्न अनुसूची में विहित अवमूल्यन दर पर म्ट्रेटलाइन पद्धति के अनुसार अवमूल्यन का वार्षिक परिकलन किया जाएगा।

बशर्ते कि परियोजना अवधि के दौरान कुल अवमूल्यन स्वीकृत मूल लागत के 90: से अधिक न हो। स्वीकृत मूल लागत में विदेशी विनिमय दर परिवर्तन के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण भी शामिल होगा।

(3) अनुमोद्य अवमूल्यन के अतिरिक्त, अवमूल्यन के मुकाबले अग्रिम (ए ए डी) को स्वीकृत किया जाएगा जहाँ कहीं मूल रूप से नियत ऋण पुन: भुगतान अनुसूची के अनुसार अनुमोद्य अवमूल्यन से अधिक हो तथा निम्नवत् परिकलित किया जाएगा :

ए ए डी - मूल रूप से नियत ऋण पुनः भुगतान राशि जो मूल ऋण राशि की 1/12वां उच्चतम सीमा हो - अनुसूची के अनुसार अवमूल्यन

- (4) संपूर्ण ऋण के पुन: भुगतान पर, शेष अवमूल्य कीमत परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन में फैला दी जाएगी।
- (5) अवमूल्यन प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभार्य होगा। वर्ष के हिस्से के लिए परिसंपत्ति के परिचालन के मामले में, अवमूल्यन प्रो-रैटा आधार पर प्रभारित किया जाएगा।
- (6) पर्यावरण संरक्षण से संबंधित परिसंपत्तियों के मुकाबले अवमूल्यन को टैरिफ निर्धारण के समय मामला - दर - मामला आधार पर स्वीकृति दी जाएगी बशर्ते यथानिर्धारित पर्यावरण संबंधी मानक पिछली टैरिफ अवधि के दौरान संग्रहीत कर लिए गए हों।

### (ग) इक्विटी पर वसूली :

इक्विटी पर वसूली भुगतान की गई तथा स्वीकृत पूंजी पर परिकलित की जाएगी तथा ऐसी पूंजी का 16 प्रतिशत होगी।

व्याख्या :

परियोजना के वित्त पोषण के लिए विद्यमान उपयोगिता, यदि कोई है, के फ्री रिजर्व से सृजित आंतरिक संसाधनों के विनियोग तथा अंश पूंजी जारी करने में जैनरेटिंग कंपनी द्वारा बढ़ाया गया प्रीसियम भी इक्विटी पर रिटर्न के परिकलन के उद्देश्य के लिए भुगतान की गई पूंजी माना जाएगा, बशर्ते यह प्रीसियम राशि और आंतरिक संसाधन वास्तव में बिजली उत्पादन परियोजना का पूंजी व्यय पूरा करने के लिए उपयोग किए गए हों तथा प्राधिकारी अथवा किसी उपयुक्त स्वतंत्र अभिकरण द्वारा, जैसा भी मामला हो, स्वीकृत तकनीकी-आर्थिक निषटान में तय स्वीकृत वित्तीय पैकेज का भाग हो।

#### (घ) प्रचालन एवं रख-रखाव खर्च (ओ एवं एम)

(1) एन एच पी. सी के विद्यमान स्टेशन, जो 1999-2000 क आधार वर्ष में 5 वर्ष या उसमे अधिक से प्रचालन में हैं, के लिए बीमा (अब से प्रचालन एवं रख-रखाव खर्च के रूप में जिक्र किया जाएगा) सहित प्रचालन और रख-रखाव खर्च (ओ एवं एम) वास्तविक ओ एवं एम खर्चों के आधार पर लिए जाएंगे, इसमें असामान्य ओ एवं एम खर्च यदि कोई 1995-96 से 1999-2000 के लिए हैं, साविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा यथाप्रमाणित हैं, शामिल नहीं किए जाएंगे।

1995-96 से 1999-2000 वर्षों के लिए वास्तविक ओ एवं एम खर्चों का औसत, वर्ष 1997-98 के लिए मानकर ओ एवं एम खर्च को 1999-2000 आधार वर्ष के ओ एवं एम खर्चों तक पहुँचने के लिए 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दुगुना बढ़ा दिया जाएगा, जैसा कि, नीचे दिया गया है :

बी ओ एवं एम 2000 = ओ एचं एम का औसत x  $(1.10)^2$ 

जहाँ

बी ओ एवं एम 2000 = जैनरेटिंग स्टेशन के लिए 1999-2000 के लिए ओ एव एम मूल स्तर ए वी ओ एवं एम = जैनरेटिंग स्टेशन के लिए 1995-96 से 1999-2000 तक ओ एव एम का औसत

वर्ष 1999-2000 के लिए आधार ओ एवं एम खर्चों को संबद्ध वर्ष के स्वीकार्य ओ एवं एम खर्चों तक पहुँचने के लिए 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और 'बढ़ा दिया जाएगा।

(2) एन एच पी सी के नए हाइड्रो स्टेशन के मामले में, जो पांच वर्ष की अवधि जिनका अग्तित्व नहीं था, आधार ओ एवं एम खर्च प्राधिकारी अथवा किसी उपयुक्त स्वतंत्र अभिकरण द्वारा स्वीकृत वास्तविक पूंजी लागत के 1.5 प्रतिशत पर निर्धारण किया जाएगा, तथा आधार वर्ष 1999-2000 के लिए ओ एवं एम खर्च तक पहुँचने के लिए अनुवर्ती वर्ष से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ओर बढा दिया जाएगा।

- (3) टैरिफ अवधि (2001-02 से 2003-04) के दौरान शुरु किए संयंत्रों के लिए, आधार ओ एवं एम खर्च प्राधिकारी अथवा किसी उपयुक्त स्वतंत्र अभिकरण द्वारा स्वीकृत वास्तविक पूंजी लागत के 1.5 प्रतिशत पर निर्धारित किए जाएंगे, मामला कमीशनिंग वर्ष में हो तथा अनुवर्ती वर्ष के लिए 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वार्षिक वृद्धि के अधीन होगा।
- (4) 6 प्रतिशत प्रति वर्ष्ज का वृद्धि घटक ओ एवं एम खर्चों के आधा आंकड़ों में संशोधन के लिए उपयोग किया जाएगा। वृद्धि घटक में डेविएशन वास्तविक, स्फीति डाटा से परिकलित किया जाएगा। जो उपर्युक्त 6 प्रतिशत के अधिसूचित वृद्धि घटक (जो 6 प्रतिशत के किसी भी तरफ 1.2 प्रतिशतता बिंदु होता है) के 20 प्रतिशत के भीतर होता है, को उपयोगिता/लाभार्थियों द्वारा आमेलित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, परीक्षित आंकड़ों से परिकलित वृद्धि घटक 4.8 से 7.2 प्रतिशत की सीमा में है, इस परिवर्तन को यूटीलिटी में आमेलित किया जाए। इस सीमा से परे कोई भी डेविएशन, जो नीचे नोट 2 से खंड (5) में दिए गए फार्मूला के अनुसार, जिसके लिए यूटीलिटी एक याचिका के साथ आयोग में पहुँचेगी, औद्योगिक कार्मिकों (सी पी आई - आई डबल्यू) के लिए सी पी आई के तौलित मूल्य सूचकांक तथा डबल्यू पी आई (डबल्यू पी आई ओ एम) के चयन घटकों के एक सूचकांक को लागू करके वास्तविक वृद्धि घटक के आधार पर समायोजित किया जाएगा।
- (5) टैरिफ अवधि के लिए प्रकाशित आंकड़ों से वार्षिक खर्चों की वृद्धि निम्नवत होगी :

'জন্ধাঁ

नोट । :

जबकि सीपीआई \_\_आईडबल्यूसी में सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, डबल्यू पी आईओ एम उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित थोक मूल्यों पर डिसएग्रीमेंट आंकड़ों से परिकलित किए जाएंगे।

नोट 2 :

डबल्यूपीआई डिसएग्रीमेटिड डबल्यू पीआई सीरीज (1993-94 = 100) से चयनित संबद्ध घटकों की तौलित औसत के रूप में प्राप्त किए जाएं, जैसे कि नीचे दिए गए हैं :

[PADEHI---SFC 4]

	जिंस	यजन
1.	लुब्रिकेंट	0.16367
2.	सूती कपड़ा	0.90306
3.	पटसन, सन और मेस्ता कपड़ा	0.37551
4.	पेपर और पेपर उत्पाद	2.04403
5.	रबर और प्लास्टिक उत्पाद	2.38819
6.	मूल भारी अकार्बनिक रसायन	1.44608
7.	मूल भारी कार्बनिक रसायन	0.45456
8.	पेंट, यार्निश एवं लैकर्स	0.49576
9.	तारपीन, सिंथेटिक रेजिन	
	प्लास्टिक सामग्री आदि	0.74628
10.	माचिस, विस्फोटक एवं अन्य रसायन	0.94010
11.	गैर-धान्विक खनिज उत्पाद	2.51591
12.	बेसिक मैटल एलोय और मेटल उत्पाद	8.34186
13.	मशीनरी एवं मशीन टूल	8.36331
14.	परिवहन उपकरण एवं जुड़नार	4.29475
	उपर्युक्त सभी (डबल्यूपीआईओएम)	33.47307

डब्ल्यू. पी.आई.ओ.एम. = 
$$\frac{\sum_{i=1}^{14} \frac{3}{3} \sqrt{3}}{\sum_{i=1}^{14} \frac{3}{3} \sqrt{3}} \sqrt{10}$$
 जहाँ

डब्ल्यू पी आई जिंस का थोक मूल्य सूचकांक है और डब्ल्यू आई संबंधित वजन है। नोट : 3 स्वीकार्य ओ एवं एम खर्च के परिकलन के लिए प्रयुक्त आंकड़े सबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। नोट : 4

सी पी आई आई डब्ल्यू सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे, जबकि डब्ल्यू पी आई ओ एम उद्योग मंत्रालय

<u>32</u>

द्वारा प्रकाशित थोक मूल्यों पर डिस एग्रीमेट आंकड़ों से परिकलित किए जाएंगे।

### (ङ) कार्यशील पूंजी पर ब्याज

कार्यभील पूंजी पर ब्याज निम्नलिखित को कवर करेगी :

- (1) एक माह के लिए प्रचालन एवं रखरखाव खर्च
- (2) विद्यमान स्पेअर का रख-रखाव वास्तविक तक लेकिन पहले पांच वर्षों के लिए पहले ही पूंजी में परिणत प्रारम्भिक स्पेअरों के पांचवें भाग के मूल्य से कम से कम एक वर्ष की आवश्यकताओं से अधिक नहीं।
- (3) बिजली की बिक्री के लिए औसत बिलिंग के दो माह के बराबर प्राप्य।
- (4) इस उद्देश्य के लिए ब्याज दर टैरिफ फाइल करते समय प्रचलित नकद-ऋण दरें होंगी।
- 3.5.2 पूर्ण क्षमता प्रभार पुनः वसूली योग्य होंगी यदि केन्द्र 85% क्षमता सूचकांक प्राप्त कर लेल है। क्षमता प्रभार मासिक आधार पर परिगणित किया जाएगा और रू∕कि0वा0∕माह में जानी जाएगी।

#### 3.5.3 प्राथमिक ऊर्जा प्रभार

ऊर्जा प्रभार गृह राज्य को दी गई निःशुल्क बिजली के समायोजन के बाद जेनरेटिंग स्टेशन से भेजे जाने के लिए तय एक्स-बस ऊर्जा पर पैसे प्रति कि.वा. के आधार पर रखा जाएगा।

पम्प स्टोरेज स्टेशनों के अलावा सभी हाइड्रो स्टेशनों के लिए प्राथमिक ऊर्जा दर संबंधित क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र थर्मल पावर स्टेशन के न्यूनतम परिवर्तनीय प्रभारों के 90% के रूप में ली जाएगी। प्राथमिक ऊर्जा टर परियोजना की प्राथमिक ऊर्जा दर तथा बिक्री योग्य ऊर्जा के आधार पर परिकलित की जाएगी। यह दर संव के मैरिट ऑर्डर डिस्पैच में प्रयुक्त होने वाली दर भी होगी।

```
प्राथमिक ऊर्जा प्रभार = प्राथमिक बिक्री योग्य ऊर्जा (एक्स-बस)*
प्राथमिक ऊर्जा दर/(1-आर)
```

```
गौण ऊर्जा प्रभार = गौण बिक्री योग्य उर्जा (एक्स बस)*
गौण ऊर्जा दर⁄ (1-आर)
```

आर = 0.12 तथा गृह राज्य को 12% निःशुल्क बिजली का परिचायक है।

गौण ऊर्जा दर प्राथमिक ऊर्जा दर के बराबर होगी।

### 3.6 उत्तोरक/अनुत्रोरक

'क्षमता प्रभार' तथा 'ग्राथमिक ऊर्जा प्रभार' के अतिरिक्त, जब क्षमता सूचकांक (सी आई) 85% के मानक क्षमती सूचकांक लक्ष्य से अधिक होगा तो जैनरेटर को उत्प्रेरक दिया जाएगा। उन्प्रेरक 100% के अधिकतम क्षमता सूचकांक तक प्राप्त होंगे। वडि क्षमता सूचकांक 85% से कम होगा, क्षमता सूचकांक मूल्य के प्रो-रैटा आधार पर जैनरेटिंग कंपनी को भुगतान किए गए क्षमता प्रभारों से अनुन्द्रेस्क काट लिया जाएगा।

निम्नलिखित सूत्र के अनुसार उत्प्रेरक भुगतान योग्य होगा 👉

(क) उत्प्रेरक = (वार्षिक निर्धारित लागत - प्राथमिक ऊर्जा प्रभार) X (सीआई<sub>ए</sub>-मीआई<sub>ए)</sub>)
 (यह सकारात्मक या नकारात्मक मात्रा हो सकती है)

जहाँ.

सीआई, प्राप्त क्षमता प्रभाग है तथा सीआई<sub>गत</sub> प्रतिशत में क्षमता सूचकांक का मानक मूल्य है। उत्प्रेरक के प्रयोजन से टैरिफ अवधि के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित प्राथमिक ऊर्जा दर संपूर्ण टैरिफ अवधि के दौरान स्थिर रहेगा।

उच्च क्षमना सूचकांक तथा गौण ऊर्जा के कारण उत्प्रेरक मासिक आधार पर दिए जाएंगे, जो वित्तीय वर्ष के प्रत्येक माह में संचयी समायोजन के अधीन होंगे तथा अंतिय रामायोजन वित्तीय वर्ष के अत में किया जाएगा।

वर्षिंक आधार पर परिकलित कुल उत्प्रेरक भुगतान विभिन्न लाभार्थियों द्वारा उनके व्यक्तिगत आबंटित क्षमता के अनुसार शेयर किया जाएगा।

#### 3.7 आय पर कर

जेनमेंटिंग कपनी की मुख्य गतिबिधि से आय पर कर, यदि कोई है, व्यय के रूप में परिकलित किया जाएगा तथा जनरेटिंग कॉपनी द्वारा लाभार्थियों ने वसूल किया जाएगा। कर के तहत कोई भी वसूली संबधिक नेग्वा-परीक्षकों के प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रत्येक वर्ष समायोजित की जाएगी।

### बशर्ते कि

(1) जेनरेटिंग कॉफ्नी को मुख्य गतिविधि में आय के अलावा होने वाली किसी अन्य आय पर कर, यदि कोई हैं, की टैरिफ में घटक के जरिए पास (पास थ्रू कंपोनेंट) के रूप में नहीं माना जाएगा। ऐसी किसी अन्य आय पर कर का भुगतान जैनरेटिंग कंपनी द्वारा किया जाएगा।

- (2) टैक्स से पहले स्टेशन-चार लाभ, जैसांकि वर्ष के लिए अग्रिम अनुमान किया गया है, निगमित कर के वितरण का आधार होगा, जो सभी स्टेशनों की देयता होगी।
- (3) कर अवकाश का लाभ, जहाँ आयकर अधिनियम, 1961 के उपचधों के अनुसार उपयोज्य है, संबंधित स्टेशनों को पास कर दिया जाएगा।
- (4) आगे ले जाने वाले नुकसानों के लिए ऋण भी, यदि कोई है, सभी स्टेशनों के लिए साम्य ढंग से दिया जाएगा।
- (5) स्टेशनों को आबंटिन कर वार्षिक निर्धारित लागतों के रूप में समान अनुपातों में लाभार्थियों से प्रभारित किया जाएगा।

### 3.8 विकास अधिभार

*.*.

जैनरेटिंग कंपनी नई क्षमता शामिल करने तथा परियोजना विकास गतिविधियों के उड़देश्य के लिए क्षमता तथा प्राथमिक ऊर्जा प्रभारों दोनों पर 5% विकास अधिभार की हकदार होगी। विकास अधिभार का अनन्य रूप से किसी एक राज्य में प्रचालन के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा। विकास अधिभार की लेपी निम्नलिरिवत शर्नो के अधीन होगी :

- (क) यूटिलिटी द्वारा संचित अधिभार को एक अलग बैंक खाते में रखा जाएगा तथा आई थे एफ मी अथवा आई बी आई कर मुक्त बांडों जैसे मान्यताप्राप्त बुनियादी कोष की सिक्योगिंटियों में निवेज किया जाएगा तथा उससे प्राप्त आय को भी बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
- (रव) जैनरेटिंग कंपनी अपने बहियों में अलग खाते रखेगी तथा विकास आधाशत रिजर्व स्वाते में अप राजि तथा इसके मुकाबले किए गए निवेश को अपने तुलन-पत्र में दिखाएगी,
- (ग) उपक्रम की खरीद अथवा किसी अन्य ऐसी आवश्यकता पर रिजर्च तथा वाएसऐंदिंग तिवंशों को तई क्षमता शामिल करने को उद्देश्य से उत्तराधिकारी उपक्रम को अतरित कर दिया जाएगा;
- (घ) इस धनराशि को संबंधित क्षेत्र में किस क्षमता जुडाव के निए डॉब्वटी आवश्यकता के 173 की सीमा तक इस्तेमाल किया जा सकता है, तथा शेष 2/3 जेनरेटिंग कम्प्रनी द्वारा मुहेया करावा जाएगा

- (ङ) उस सीमा तक जिसमें किसी नई क्षमता जुड़ाव में इक्विटी के रूप में धन प्रयुक्त किया जाता है, नई परियोजना के टैरिफ निर्धारण में ईक्विटी पर वसूली के लिए प्रो-रैटा कमी की अनुमति दी जाएगी;
- (च) इन धनराशियों के उपयोग से संबंधित विहित प्रपत्र में जैनरेटिंग कंपनी के सांवधिक लेखा~परीक्षकों
   द्वारा यथा सत्यापित प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष आयोग में फाइल किया जाए;
- (छ) किसी भी तरीके से इन धनराशियों का उपयोग या तो याचिका द्वारा या स्वत. ही आयोग की पूर्वानुमति से होगा जिसके लिए सी ई आर सी (व्यापार आचार) विनियमन का पालन किया जाएगा।

### 3.9 असारणीबद्ध अन्त: परिवर्तन (यू आई)

वास्तविक जैनरेशन/ड्रॉल तथा सारणीबद्ध जैनरेशन/ड्रॉल में परिवर्तन असारणीबद्ध अन्तः परिवर्तन (यूआई) के माध्यम से होगा। किसी जैनरेटिंग स्टेशन के लिए यू आई इसके वास्तविक जैनरेशन के बराबर होगा जिसमें सारणीबद्ध जैनरेशन नहीं होगा। किसी लाभार्थी के लिए यूआई इसके कुल वास्तविक ड्रॉल, जिसमें कुल सारणीबद्ध ड्रॉल नहीं होगा, के बराबर होगा। प्रत्येक 15 मिनट के टाइम ब्लॉकों में यू आई काम करेगा। सभी यू आई आवागमन के लिए प्रभार टाइम ब्लॉक की औसत फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेंगे।

यह सकारात्मक या नकारात्मक मात्रा हो सकती है।

निम्नलिखित यू आई दरें लागू होंगी :

टाइम ब्लॉक की औसत फ्रीक्वेंसी	यू आई दर (पैसे प्रति कि.वाट धण्टा)	
50.5 एच जैड तथा अधिक	0.0	
50.5 एच जैड से कम तथा 50.48 एच जैड तक	5.6	
49.04 एच जैड से कम तथा 49.02 एच जैड तक	414.4	
49.02 एच जैड से कम	420.00	
50.5 एच जैड तथा 49.02 एच जैड के बीच	0.02 एच जैड स्टैप?के लीमियर	
(उपर्युक्त सीमा में प्रत्येक 0.02 एच जैड स्टैप 5.6 पैसे प्रति कि.वा. घण्टा के बराबर है)		
उपर्युक्त औसन फ़्रीक्वेंसी सीमा तथा यू आई दरें अलग अधिसूचना अथवा समय-समय पर आयोग के आदेश के माध्यम से परिवर्तन के अधीन हैं।		

यू आई से संबंधित प्रावधान ए बी टी के कार्बाम्ववन के बाद, निम्नलिखित समय सूची के अनुसार लागू होगी।

दक्षिणी क्षेत्र	:	01~04 -2001
पूर्वी क्षेत्र	:	01-05-2001
उसरी क्षेत्र	•	01-06-2001
पश्चिमी क्षेत्र	:	01-08-2001
पूर्वासर क्षेत्र	:	तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी।

#### 3.10 **छ**ट

ऋण पत्र के माध्यम से बिलों के भुगतान पर 2.5 प्रतिशत की छूट की अनुमति होगी। जहाँ भुगतान ऋण पत्र के खोलने अथवा बाद में, किंतु जैनरेटिंग कंपनी द्वारा बिलों के दिए जाने के एक महीने के भीतर किए जाएंगे, 1 प्रतिशत की छूट की अनुमति होगी।

#### 3.11 विलंब भुगतान अधिभार

यदि लाभार्थी/लाभार्थियों द्वारा बिलों के भुमातान में बिल देने की तारीख से । महीने की अवधि से अधिक विलंब होत्ता है, जैमर्सेटेंग कांपनी क्वस 1.5 प्रतिभत प्रति माह की दर से विलंब भुगतान अधिभार लेवी किया जाएगा।

## 3.12 जीम्ड जैनरेशम

यदि कम जैनरेशन, जैनरेशिन कंपनी के नियंत्रण के परे कारणों की वजह से है अभवा बोर्ड की पारेषण लाशनों की अनुपलब्धता के कारण है, अथवा संबंधित क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केंद्र से अनुदेशों को वापस लिए जाने के कारण जिसके परिणानस्वरूप जल फैलाब है, ऐसे फैलाव पर ऊर्जा प्रभार का भुगतान जैनरेटिंग कंपनी द्वारा किया जाएगा। ऐसे स्पिलेज के लिए लाभार्थियों में ऊर्जा प्रभारों का बंटवारा स्टेशन की बिक्री योग्य क्षमता मे 'उनके शेयरों के अनुपात में होगा। उपर्बुक्स एक्सउंट पर ऊर्जा प्रभार स्वीकार्य नहीं होंगे यदि वर्ष भर में उत्पन्न ऊर्जा डिजाइन ऊर्जा के बारबर या उससे अधिक हो।

## 3.13 अनुसूची तैयार करना

अनुसूची की पद्धति तथा उपलब्धता गणना की पद्धति इस प्रकार होगी :-

(1) प्रत्येक दिन ज़ुन्य घन्टे से ज़ुरू होकर, 15 मिनट के 96 समय खण्डों में विभाजित होगा।

(2) उत्त्पादक, अपने उत्पादन स्टेशन की क्षमता की अग्रिम घोषणा करेगा। यह घोषणा उस क्षमता के लिए होगी जिसे 24 घंटे की अवधि में 3 घण्टे की समय अवधि के लिए वास्तव में उपलब्ध कगया जा सकता है।

जैनरेटर आर एल डी सी को सारणी तैयार करने में सभर्थ बनाने के लिए घोषित क्षमता (एमडबल्यू), अधिकतम उपलब्ध क्षमता (एम डबल्यू) तथा कुल एक्स-बस (एमडबल्युएच) की स्त्रना देगा।

घोषणा में जन उपयोग आदि पर प्रतिबंध(ों) के कारण दिन की किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान जैनरेशन की सीमा भी आमिल होगी।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि घोषित क्षमता साधारणतः संयंत्र की संस्थापित क्षमता से अधिक न हो। संयंत्र की अति भार क्षमता भी, जहाँ उपलब्ध है, सिस्टम आवश्यकताओं के मामले में घोषित की जाएगी।

- (3) घोषित क्षमता की घोषणा या उसे संग्रोधित करते हुए, उत्पादक यह सुनिष्टिचन करेगा कि उसके द्वारा घोषित क्षमता व्यस्ततम समय के दौरान अन्य समय की तुलना में कम नहीं होगी। तथापि, ऐसे मामलों में जब यूनिट ट्रिप करे उसका पुन: समक्रमण हो जिसके परिणामस्वरूप यूनिट के बल का लोप हो जाए।
- (4) उत्पादन अनुसूची, आई.ई.जी.मी. में दिए गए अनुसार, प्राचालन प्रक्रिया के अनुपालन में तैयार की जाएगी।
- (5) उत्पादन की घोषणा के आधार पर, आरएल.डी.सी., लाभग्राष्टियों की अपने शेयरों की सूचना देंगे जिसमें वे अपनी मांग देंगे।
- (6) लाभग्राहियों द्वारा दी गई मांग के आधार पर तथा उत्पादन के परिवर्तन पर तकनीकी सीमाओं और ट्रांसमिशन प्रणाली की कठिनाईयों, यदि कोई हो, पर ध्यान देते हुए आरएल.डी.मी., किफायली अनुकूल उत्पादन अनुसूची तथा निकासी अनुसूची तैयार करेगी तथा उसकी मूचना लाभग्राहियों एवं उत्पादको को देगी।

आर.एल.डी.सी., दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन (दैनिक अनुसूची) दोनों की फुटकर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रियाविधि तैयार करेगी।

- (7) अनुसूची उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन, उत्पादक के एक्स -बस पर होगा। लाभग्राहियों के लिए,
   नियत एवं वास्तविक कुल निकासी उनके सम्बन्ध प्राप्ति स्थल पर होंगे।
- (8) लाभग्राहियों की कुल निकासी समय की गणना करने के लिए ट्रांसमिशन हानि को उनकी निकासियों
   में बराबर बांटा जाएगा।

- (9) प्रत्येक टाइम ब्लॉक के लिए जैनरेटिंग स्टेशन के सारणीबद्ध जैनरेशन का अभिप्राय सारणीबद्ध एम डबल्यू एच जैनरेशन का अभिष्राय सारणीबद्ध एम डबल्यू एच जैनरेटिंग स्टेशन से एक्स - बस बाहर भेजे गये।
- (10) प्रत्येक टाइम ब्लॉक के लिए जैनरेटिंग स्टेशन का वास्तविक जैनरेशन का अभिप्राय वास्तविक एम डबल्यू एच जैनरेटिंग स्टेशन से एक्स~बस बाहर भेजे गए।
- (11) किसी इकाई का बल लोप हो जाने पर, आरएल.डी.सी., संशोधित घोषित क्षमता के आधार पर अमुसूची को संशोधित करेगा। संशोधित अनुसूची चौथे समय खण्ड से प्रभाबित होगी, समय खण्ड की गणना उत्पादक द्वारा संशोधन के लिए दिए गए परामर्श से होगी, इसे पहला समय खण्ड माना जाएगा। संशोधित घोषित क्षमता भी चौथे टाइम ब्लॉक से प्रभावी होगी।
- (12) किसी समस्या, लोप, ट्रॉसमिशन प्रणाली में खराबी या बाधा आने, सम्बद्ध स्विचयार्ड तथा सी.टी.यू के स्वाभिन्व वाले उप-केन्द्रों (आरएल.डी.सी. द्वारा प्रमाणित) में बाधा आने पर जब उत्पादन में कमी करना आवश्यक हो जाए तो, आरएल.डी.सी. अनुसूची को संशोधित करेगा। यह चौथे समय खण्ड से प्रभावी होगा, इसकी गणना, उस समय खण्ड से की जाएगी जब बिखुत आपूर्ति में बाधा आएगी। ऐसे मामले में, प्रथम, द्विनीय एवं नृतीय समय खण्ड में, स्टेशन का निर्धारित उत्पादन, वास्तविक उत्पादन के किस स्वास्तविक निकाली के बराबर करने के लिए संशोधित किया जाएगा तथा लाभग्राहियों की निर्धारित निकासी भी वास्तविक निकाली के बराबर करने के लिए संशोधित किया जाएगा होगी।
- (13) किसी पिड में व्यवधान पैदा होने पर सभी उत्पादन स्टेशनों का निर्धारित उत्पादन एवं सभी लाभग्राहियों की निर्धारित निकासी, गिड में व्यवधान आने से प्रभाविक सभी समय खण्डों के लिए उनके वास्तविक उत्पादन ⁄ निकासी के बराबर करने के लिए संशोधित की जाएगी। ग्रिड में व्यवधान आने और उसके समय का प्रभाण आर.एल.डी.सी. द्वारा देना होगा।
- (14) उत्पादयः (कों) द्वारा घोषित क्षमता का संशोधन तथा उस दिन की श्रेष अवधि के लिए लाभग्राहियों की मांग अग्रिम सूचना द्वारा दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, संशोधित अनुसूची/घोषित क्षमता, छठे समय खण्ड से प्रभावी होगी, इसकी गणना उस समय से की जाएगी, जब आर.एल.डी.सी. में संशोधन के लिए अनुरोध प्राप्त होगा।
- (15) यदि किमी भी समय, आरएल.डी.सी. यह पाती है कि उचित प्रचालन प्रणाली के लिए अनुसूची में मंशोधन करने की आवश्यकता है, यह स्वयं ऐसा कर सकती है तथा ऐसे मामले में, संशोधित अनुसूची

[PART III---SEC. 4]

चौथे समय स्वण्ड से प्रभावित होगी, इसकी गणना, आर.एल.जी.सी. द्वारा आरी संशोधित अनुसूची के समय से, उसे प्रथम समय खण्ड मानते हुए की जाएगी।

- (16) आर.एल.डी.सी. द्वारा जारी/संशोधित उत्पादन अनुसूची तथा निकासी अनुसूची, संचार सफलता का लिहाज किए बगैर ही निर्धारित समय-स्वण्ड से प्रभावी होंगी।
- (17) निर्धारित उत्पादन का संझोधन तथा कार्योत्तर समझे जाने वाला संशोधन करने के लिए, लाभग्राहियों के निर्धारित निकासी के अनुरूप संशोधन किया जाएगा।
- (18) समय मान को ध्यान में रखते अनुसूची में परिवर्तन करने सम्बन्धी सूचना दर्ज करने के लिए सी. टी.यू. द्वारा प्रक्रिया तैयार करनी होगी।
- (19) (क) रन-ऑफ-रिवर किरम के हाइड्रो-स्टेशन

चूंकि ऐसे स्टेशनों में कोई नियमन संभव नहीं है, इन्हें अवश्यम्भावी रन स्टेशन माना जाएगा। अतिभार क्षमता के मद्दे-नजर अधिकतम घोषित क्षमता उपलब्ध पल के पूर्व उपयोग करने के लिए आवश्यक क्षमता के बराबर या अधिक होनी चाहिए। कोई गिराव नहीं होगा, जब तक कि संयंत्र अपनी पूर्ण संयंत्र क्षमता से संचलित न हो रहा हो।

(ख) दैनिक भंडारण तथा दीर्घकालिक भंडारण हाइड्रो स्टेशन

इस तरह के हाइड्रो स्टेशन सर्वाधिक व्यस्त घंटों के दौरान व्यस्ततम घंटा मांग प्रणाली के दौरान प्रचालन के लिए अभिकल्पित किए जाते हैं। घोषित क्षमता अतिभार क्षमता, जहाँ लागू हो, सहित संयंत्र की अधिकतम उपलब्ध क्षमता के बराबर होगी। आर एल डी सी यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह के स्टेशनों की जेनरेशन सारणी तैयार की जाए तथा स्टेशनों को तद्नुस्तर विशिष्ट प्रणाली आवश्यकताओं ⁄ समस्याओं की स्थिति में भेजा जाए।

#### 3.14 घोषित क्षमता का प्रदर्शन

उस क्षेत्र की आर एल डी सी, जहाँ जैनरेटिंग स्टेशन स्थित हैं, द्वारा जब कभी कहा जाए, जैनरेटिंग कंपनी को अपने जैनरेटिंग स्टेशन की घोषित क्षमता का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। सी टी यू द्वारा विनिर्दिष्ट उचित सीमा के अंदर जैनरेटिंग कंपनी द्वारा घोषित क्षमता के प्रदर्शन में असफल हो जाने की स्थिति में जैनरेटिंग कंपनी पर देय क्षमता प्रभार को दंड के रूप में कर दिया जाता है।

किसी भी 24 घंटे की अवधि के लिए पहली गलत घोषणा के लिए दंड के रूप में दो दिनों के लिए निर्धारित प्रभारों के बराबर प्रभारित किया जाएगा। दूसरी गलत घोषणा के लिए चार दिनों के लिए निर्धारित प्रभार तथा अनुवर्ती गलत घोषणाओं के लिए आयोग के आदेशानुसार दंड को ज्योमीट्रिकल ढंग से बहुगुणित कर दिया जाएगा।

रन-ऑफ-रिवर तथा पांडेज्-टाइप-हाइड्रो स्टेशनों के मामले में न्यूनतम उपलब्ध प्रवाही स्थिति में स्टेअन की घोषित क्षमता के परीक्षण के लिए प्रक्रिया आर एल डी सी द्वारा विकसित की जाएगी।

नोटः

यदि यह महसूस किया जाता है कि घोषित क्षमता या जैनरेटर द्वारा दी गई घोषित क्षमता सी टी यू ढ़ारा विनिर्दिष्ट सहन क्षमता के भीतर वास्तविक जैनरेशन की तुलना में पुनः पुनः कम आंकी जाती है, तो ऐसे अतिरिक्त जैनरेशन के कारण जैनरेटर को देय यू आई प्रभार को शून्य तक घटा दिया जाता है तथा धनराशि को लाभार्थियों को उनकी क्षमता शेयर के अनुपात में कंपनी के यू आई खातों में जमा कर दिया जाता है।

जैनरेटिंग स्टेशन की प्रचालन लॉग बुक आर एल डी सी द्वारा पुनरीक्षा के लिए उपलब्ध होंगी। इन बुक्स में मशीन प्रचालन तथा रख-रखाव, जलाशय स्तर तथा उत्प्लव-मार्ग प्रचालन का अभिलेख रखा जाता है।

#### 3.15 मीटरन तथा लेखांकन

मीटरों के संस्थापन, परीक्षण तथा संचालन और रख-रखाव तथा ऊर्जा प्रभारों के एवं 15 मिनट टाइम ब्लॉक पर औसत फ्रीक्वेंसी के लेखांकन के लिए आवश्यक आंकड़े तैयार करने के लिए एवं परिवहन सहित मीटर संबंधी व्यवस्थाएं पावर ग्रिड/आर एल डी सी द्वारा मुहैया कराई जाएंगी।

घोषित क्षमता तथा सारणियों आदि से संबंधित आंकड़ों के साथ-साथ मीटरों के तैयार आंकड़े आर एल ही सी द्वारा आर ई बी को दिए जाएंगे तथा आर ई बी मासिक आधार पर ऊर्जा के क्षेत्रीय खाते तथा यू आई प्रभार जारी करेगा। यू आई लेखांकन प्रक्रिया आयोग के आदेशों द्वारा संचालित होगी।

## 3.16 क्षमता प्रभारों के बिल तथा भुगतान

क्षमता प्रभारों के बिल तथा भुगतान मासिक आधार पर निम्नलिखित तरीके से किए जाएंगे :--

प्रत्येक लाभार्थी स्टेशन की कुल बिक्री योग्य क्षमता में अपने प्रतिशत शेयर के अनुपात में क्षमता
 प्रभार का भुगतान करेगा, गृह राज्य निःशुल्क क्षमता समायोजित की जाएगी।

नोट-1ः

केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों की कुल क्षमता का आबंटन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है, जिसमें अनाबंटित भाग भी होता है। अनाबंटित भाग का आबंटन भारत सरकार द्वारा कुल अनाबंटित क्षमता के लिए समय-समय पर किया जाता है। किसी लाभार्थी की कुल क्षमता अंग उसकी क्षमता अंग तथा अनाबंटित भाग में से आबंटन का जोड़ होता है। भारत सरकार द्वारा अनाबंटित बिजली के किसी विशिष्ट वितरण न होने की दशा में, अनाबंटित बिजली उसी अनुपात में आबंटत शेयरों में शामिल कर दी जाएगी जैसे आबंटित शेयरों में की जाती है।

नोट-2 :

लाभार्थी दूसरे राज्य क्षेत्र में/राज्य से बाहर क्षेत्र में अपने आबंटित शेयर के अंश के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव रख सकते हैं। ऐसे मामलों में, यह बिजली अंतरण की तकनीकी व्यवहार्यता तथा ऐमे अंतरणों के लिए क्षेत्र में/बाहर दूसरे राज्यों के साथ जैनरेटिंग कंपनी द्वारा किए गए विशेष करार पर निर्भर करता है, लाभार्थियों के शेयर एक विशिष्ट अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा पुन: आबंटिन किए जा सकते हैं। जब इस तरह के पुन: आबटन किए जाने हैं, तो लाभार्थी जिसने अपने शेयर प्रत्यर्पिन कर दिए हैं, प्रत्यर्पित शेयरों के लिए क्षमता प्रभार के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रत्यर्पित कर दिए हैं, प्रत्यर्पित शेयरों के लिए क्षमता प्रभार के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रत्यर्पित क्षमता तथा उपर्युक्त पुन:आबंटित के लिए क्षमता प्रभार का भुगतान उस राज्य(ों) द्वारा किया जाएगा, जिसे प्रत्यर्पित क्षमता प्रत्यर्पित की गई है। जैसा कि ऊपर है, क्षमता के पुन: आबंटन की अवधि के अतिरिक्त जैनरेटिंग स्टेशन के लाभार्थी आबंटित क्षमता श्रेयरों के अनुसार पूर्व निर्धारित प्रभार का भुगतान करता रहेगा।

(2) लाभार्थियों को क्षमता जेयरों के उपयोग के लिए किसी लेन-देन पर बातचीत की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। ऐसे मामलों में, जैनरेटिंग स्टेशन की क्षमता में आबंटन रखने वाले लाभार्थी क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा

+2

प्रभार (उनके द्वारा की गई बातचीत में तय लेन देन के तहत बिजली की बिक्री सहित) अपने क्षमता शेयरों से सुचित और अनुसुचित लेन-देन के लिए पूर्व भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

- (3) यदि कोई क्षमता दिन-प्रति-दिन प्रचालन के दौरान अवांछित रहती है, आर एल डी सी क्षेत्र के सभी लाभार्थियों को तथा अन्य आर एल डी सी को परामर्श देगी जिससे कि आर एल डी सी का सूचना के तहत संबंधित जैनरेटिंग कंपनी/लाभार्थियों को द्विपक्षीय व्यवस्था के माध्यम से इस क्षमता की मांग रहे।
- (4) क्षमता प्रभारों का भुगतान लाभार्थी/लाभार्थियों, क्षेत्र से बाहर रहने वालों सहित, प्रत्येक माह निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार जैनरेटर को करना होगा :

पहले माह	=	(1 X ए.सी.सी0 1) ∕ 12
दूसरे माह	×	(2 X ए.सी.सी0 2 - 1 X ए.सी.सी0 1)∕12
तीसरे माह	Ŧ	(3 X ए.सी.सी0 3 - 2 X ए.सी.सी0 2)∕12
चौथे माह	Ξ	(4 X ए.सी.सी0 4 - 3 X ए.सी.सी0 3)∕12
पाँचवे माह	=	(5 X ए.सी.सी0 5 - 4 X ए.सी.सी0 4)∕12
छठे माह	=	(८ X ए.सी.सी0 ८ - 5 X ए.सी.सी0 5)∕12
सातवाँ माह	=	(7 X ए.सी.सी0 7 ~ 6 X ए.सी.सी0 6)/12
आठवाँ माह	н	(8 X ए.सी.सी0 8 - 7 X ए.सी.सी0 7)∕12
नौवाँ माह	=	(९ X ए.सी.सी0 ९ - 8 X ए.सी.सी0 8)∕12
दसवाँ माह	~	(10 X ए.सी.सी0 10 - 9 X ए.सी.सी0 9)∕12
ग्याहरवां माह	=	(11 X ए.सी.सी0 11 - 10 X ए.सी.सी0 10)∕12
बारहवां माह	=	(12 X ए.सी.सी0 12 - 11 X ए.सी.सी0 11)∕12

 $i^{\text{th}}$ -महीना  $\frac{\nabla R R}{12} + \frac{(i-1)}{12} * (\nabla R R R) - \nabla R R R_{i-1}$ 

और प्रत्येक लाभार्थी जैनरेटिंग स्टेशन से क्षमता में मजबूत आबंटन रखने पर निम्नलिखित भुगतान करेगा :-

पहले माह	=	(ए.सी.सी. 1 X डब्ल्यूबी 1) / 1200
दूसरे माह	=	(2 X ए.सी.सी.2 X डब्ल्यू.बी 2 - 1 X ए.सी.सी. 1 X डब्ल्यू.बी 1)/1200
नीसरे माह	=	(3 X ए.सी.सी.3 X डब्ल्यू.बी 3 ~ 2 X ए.सी.सी. 2 X डब्ल्यू.बी 2)∕1200

)

चौथे माह	ł	(4 X ए.सी.सी.4 X डब्स्यू.बी 4 - 3 X ए.सी.सी. 3 X डब्ल्यू.बी 3)∕1200
पाँचवे माह	=	(5 X ए.सी.सी.5 X डब्ल्यू.बी 5 - 4 X ए.सी.सी. 4 X डब्ल्यू.बी 4)∕1200
छठे माह	Ŧ	(6 X ए.सी.सी.6 X डब्ल्यू.बी 6 - 5 X ए.सी.सी. 5 X डब्ल्यू.बी 5)∕1200
सातवाँ माह	Ξ	(7 X ए.सी.सी.7 X डब्ल्यू.बी 7 - 6 X ए.सी.सी. 6 X डब्ल्यू.बी 6)/1200
आठयाँ माह	*=	(8 X ए.सी.सी.8 X डब्ल्यू.बी 8 - 7 X ए.सी.सी. 7 X डब्ल्यू.बी 7)/1200
नौवाँ माह	=	(१ X ए.सी.सी.१ X डब्ल्यू.बी १ - 8 X ए.सी.सी. 8 X डब्ल्यू.बी 8)∕1200
दसवाँ माह	=	(10 X ए.सी.सी.10 X डब्ल्यू.बी 10 - 9 X ए.सी.सी. 9 X डब्ल्यू.बी 9)∕1200
ग्याहरवां माह	=	(11 X ए.सी.सी.11 X डब्ल्यू.बी 11 ~ 10 X ए.सी.सी. 10 X डब्ल्यू.बी 10)/1200
बारहवां माह	Ξ,	(12 X ए.सी.सी.12 X डब्ल्यूबी 12 - 11 X ए.सी.सी. 11 X डब्ल्यूबी 11)∕1200
<sup>th</sup> -महीना =		$\frac{(i - 1)}{12} + \frac{(i - 1)}{12} + \frac{(v + 1)}{12} + ($
जहाँ		

पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें महीने के अंत तक क्षमता प्रभार की राजि ए.सी.मी.1, ए.सी.सी.2, ए.सी.सी.3, ए.सी.सी.3, ए.सी.सी.4, ए.सी.सी.5, ए.सी.सी.6, ए.सी.सी.7, ए.सी.सी.8, ए.सी.सी.9, ए. सी.सी.10, ए.सी.सी.11 एवं ए.सी.सी.12 है।

तथा डब्ल्यू बी.1, डब्ल्यू बी.2, डब्ल्यू बी.3, डब्ल्यू बी.4, डब्ल्यू बी.5, डब्ल्यू बी.6, डब्ल्यू बी.7, डब्ल्यू बी.8, डब्ल्यू बी. 9, डब्ल्यू बी.10, डब्ल्यू बी.11, डब्ल्यू बी.12, संचयी अवधि क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवे, दसवं, ग्यारहवें एवं बारहवें महीनेकी अवधि के दौरान लाभार्थी को प्रतिशन आबंटित क्षमता शेयर का तौलित औसन है।

वर्प से ताल्पर्य विसीय वर्ष है,

जब इस अधिमूचना के अनुसार टैरिफ पर परिवर्तन का महीना वितीय वर्ष का पहला महीना है, तो स्विचओवर से पहले वर्ष के भाग के लिए 'क्षमता सूचकांक' डीम्ड क्षमता सूचकांक'' माना जाएगा जो वास्तविक जैनरेशन के आधार पर निर्धारित तथा बैकिंग डाउन एवं लाभार्थी के प्रतिशत आबटित क्षमता शेयर की तौलित औसत कुल एक्स-बस ज'नरेशन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त स्टेशन से इसकी कुल निकासी (क्षेत्रीय ऊर्जा लेखांकन के अनुसार) के बराबर त्यात स्विच ओवर से पूर्व अवधि के लिए क्षमता प्रभार का भुगतान स्विचओवर की तिथी तथा प्रो-रैटा उत्प्रेरक की प्रयोज्य टैरिफ के अनुसार विनियमित किया जाएगा, जैसा भी उपयोज्य हो, भुगतान किया जाएगा। टैरिफ

ोवर के बाद भार के लिए क्षमता प्रभारों का भुगतान ऊपर दिए गए फार्मूला (सूत्र) के अनुसार किया

#### अध्याय ४

#### अंतर्राज्यीय संचरण

## 4.1 परिभाषाएँ :

जहाँ संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्याय के प्रयोजन के लिए :---

- (1) ''प्राधिकरण'' :---विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से है।
- (2) किसी दी गई अवधि के लिए संचरण प्रणाली के संबंध में 'उपलब्धता' से घंटों में वह समय अभिप्रेत है, जिस अवधि के दौरान संचरण प्रणाली आपूर्ति बिन्दु से वितरण बिन्दु तक निर्धारित बोल्टेज पर विद्युत संचरण में समर्थ हो तथा इसे दी गई अवधि में कुल घंटों के प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा।
- (3) ''आयोग'' से विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 3 के अधीन संस्थापित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग से है।
- (4) "कान्ट्रेक्ट पाथ" से संचरण पथ की श्रेणी से बना हुआ वह लघुतम पथ अभिप्रेत है जो वहीलिंग प्रणाली में प्राप्ति के बिन्दु से वितरण के बिन्दु के बीच संविदा की हुई विद्युत शक्ति को ढोने में समर्थ हो।
- (5) "कान्ट्रेक्टेड पावर" से एम. डब्ल्यू. में वह विद्युत अभिप्रेत है जिसके ढोने की सहमति कीलिंग संस्था ने दी है अधवा जो आयातक और निर्यातक सेवा के बीच आबंटन/समझौता के अनुसार वहीलिंग संस्था के द्वारा ढोया जाना अपेक्षित है।
- (6) ''रेटेड वोल्टेज'' से विनिर्माता डिजाईन वोल्टेज अभिप्रेत है। जिस पर संचरण प्रणाली प्रचलन के लिए अभिकल्पित की गई है अथवा ऐसा कम वोल्टेज है जिस पर बिजली के आपूतिकर्त्ता और प्राप्तकर्त्ता के परामर्श से पथ को आवेशित किया गया है।
- (7) ''संचरण सेवा समझौता'' से ऐसा समझौता संविदा, समझौता ज्ञापन अथवा ऐसा कोई प्रसंविदा अभिप्रेत है जो संचरण सेवा की संचरण सेवा और लाभानुभोगी सेवा के बीच हुआ हो।
- (8) "संचरण प्रणाली" से संचरण पथ के साथ सह उप केन्द्रों अथवा अंतर्संयोजिन पर्थों के साथ-साथ सह उप केन्द्रों का समूह अभिप्रेत है।
- (9) ''क्हीलिंग संस्था'' से कोई ऐसी उत्पादक कम्पनी, बोर्ड, लाइसेंसी अथवा ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत

है जो ऊर्जा के अंतर्राज्यीय संरचरण में लगा हुआ हो।

(10) 'च्हीलिंग' से ऐसा प्रचालन अभिप्रेत है, जिसके द्वारा संचरण प्रणाली और संचरण संस्था की सह सुविधाएँ विद्युत प्रवहण के लिए दूसरे व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं।

## 4.2 प्रचालन का प्रतिमान

प्रचालन के प्रतिमान, समय-समय पर उनके संशोधन के अधीन निम्नलिखित होंगे --

## (1) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख इसके निर्धारित वोल्टेज स्तर और तारीख के सात दिन बाद, जब संचरण सेवा द्वारा चार्ज करने के लिए तैयार घोषित की गयी है, की तारीख होगी, किन्तु ऐसे कारणों के लिए चार्ज करने में समर्थ न हो जो इसके आपूर्तिकर्त्ता और ठेकेदारों को आरोप्य न हो।

## (2) उपकेन्द्र में अनुषंगी विद्युत की खपत

(क) ए० सी० प्रणाली - शून्य

## नोट

एयर कॉडिशनिंग, लाइटिंग, तकनीकी खपत के प्रयोजन के लिए ए० सी० उपकेन्द्रों में अतिरिक्त रवपत अपने प्रचालन और अनुस्तर्श व्यय के रूप में सचरण कम्पनी द्रारा वहन किया जाएना।

## (ख) एच. वी. डी. सी उप केन्द्र

एच. वी. डी. सी. केन्द्रों में विद्युत की अतिरिक्त खपत के लिए भारत सरकार उस क्षेत्र मे आई0एस0जी0एम0/केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से उचित अंग आवंटित करेगी। ऐसे विद्युत के लिए उस क्षेत्र के लाभभोगियों द्वारा निर्धारित प्रभार वहन किया जाएगा और आई0एस0जी0एस0 केवल परिवर्तनीय के प्रभार के लिए संचरण संस्था को बिल भेजेगा।

## (3) संचरण प्रणाली की मानक उपलब्धता

संचरण प्रणाली की मानक उपलब्धता 98% है तथा इसकी गणना इस अधिसूचना के परिभिष्ट-11 में निहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

## 4.3 पूंजीगत लागत और पूंजीगत संरचना

- (क) संचरण प्रणाली का पूंजीगत व्यय का प्राधिकरण की तकनीकी आर्थिक मंजूरी में निर्धारित अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार अथवा उपयुक्त स्वतंत्र एजेंसी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा।
- (रव) पूंजीगत लागन में प्रचालन के प्रथम पाँच वर्षों के लिए पूंजीकृत प्रारभिक अतिरिक्त कल पुर्जे शामिल होंगे। अनुमोदित परियोजना लागत वह लागत होगी जो प्राधिकरण की तकनीकी आर्थिक मंजूरी में विनिर्दिष्ट की गयी हो, अथवा उपयुक्त स्वतंत्र एजेंसी द्वारा अनुमोदित की गई हो, जैसी भी स्थिति हो।
- (ग) परियोजना की समाप्ति पर वहन किया गया वास्तविक पूंजीगत व्यय टैरिफ निर्धारित करने के लिए मानदंड होगा। जहाँ वास्तविक व्यय अनुमोदित परियोजना लागत से अधिक हो जाता है वहाँ प्राधि करण अथवा उपयुक्त स्वतंत्र एजेंसी, जैसी भी स्थिति हो द्वारा यथानुमोदित अधिक-व्यय टैरिफ निध रित करने के प्रयोजन के लिए वास्तविक पूंजीगत व्यय माना जाएगा बर्शने कि अधिक व्यय संचरण कम्पनी अथवा इसके आपूर्तिकर्ता अथवा ठेकेदारों को आरोप्य न हो।

आगे यह भी प्रावधान है कि जहाँ संचरण संस्था और लाभाभोगियों के बीच संचरण सेवा के लिए सभझौता हुआ हो और इसमें पूंजीगत व्यय पर परिसीमा को व्यवस्था हो, वहाँ पूंजींगत व्यय ऐसी परिसीमा से अधिक नहीं होगा।

## 4.4 संचरण प्रभार का परिकलन

संचरण प्रणाली द्वारा बिजली के संचरण के लिए सिंगल पार्ट टैरिफ में वार्षिक संचरण प्रभार में ऋण पूंजी पर ब्याज, मूल्य ह्वास, मूल्य ह्वास के प्रति अग्रिम रागि, प्रचालन और अनुरक्षण व्यय, इक्विटी पर लाभ और नियामक उपलब्धता स्तर पर कार्यगील पूँजी पर ब्याज गामिल होंगे। प्रमुख व्यवसाय पर वास्तविक रागि पर आय पर कर को व्यय के रूप में गिना जाता है तथा एफ.ई.आर.वी. यथानिर्धारित रूप में विनयमित किया जाएगा।

वार्षिक संचरण प्रभार की गणना निम्नलिखिन आधार पर की जाएगी, अर्थात्

(क) ऋण पूँँजी पर ब्याज

ऋण पूँजी पर ब्याज प्राधिकरण अथवा किमी म्वतंत्र एजेंसी द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज के अनुसार वापसी की अनुसूची को विधिवत् ध्यान में रखते हुए बकाया ऋण परिकलित किया जाएगा।

(ख) मूल्य हास

- (1) मूल्य कास के प्रयोजन से मूल्य आधार परिसंपत्ति की पुरानी लागत होगी।
- (2) मूल्यब्रास का परिकलन परिशिष्ट -II में इस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में यथानिर्धारित मृल्यहास की दर पर स्टेट लाइन तरीके के अनुसार वार्षिक रूप से किया जाएगा।

बशर्ते परियोजना की अवधि के दौरान कुल मूल्यहास अनुमोदित मूल लागत के 90% से अधिक नहीं होगा। अनुमोदित मूल लागत में विदेशी विनिमय दर विचालन के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण शामिल होगा।

(3) अनुमन्य मून्यहास के अलावा मूल्यहास के लिए अग्रिम की अनुमति तब दी जाएगी जहाँ कहीं प्रारंभिक रूप से अनुसूचित ऋण की वापसी अनुसूची को अनुसार अनुमत्य मूल्यहास से अधिक हो तथा उसकी गणना निम्न प्रकार से की जाएगी।

मूल्य प्रस के प्रति अधित = मूल ऋण धनराशि के 1/12 की परिसीभा के अधीन मूल रूप से अनुसूचिन ऋण वापनी की धनराशि - अनुसूची के अनुसार मुल्य हास

- (4) समम्त ऋण की वापसी पर शेष मूल्य हास को मूल्य परिसंपति के शेष उपयोग करने की अवधि में लिया जाएगा।
- (5) मूल्यहाम प्रचालन के प्रथम वर्ष में ही प्रभारित किया जाएगा। वर्ष के किसी भाग के लिए परिमंपनि के प्रचालन के मामले में मूल्यहास यथानुपात आधार पर प्रभारित किया जाएगा।
- (6) पर्यावर्णीय मुरक्षा में सर्वधित परिसंपत्ति के लिए मूल्यहास की टैरिफ के निर्धारण के समय मान दर मामले आधार पर अनुमति दी जाएगी। यह इस भर्त के अधीन होगी दि यथानिक्ष-दित पर्यावरणीय मानकों का पिछली टैरिफ अवधि के दोरान अनुपालन किया गया है।

## (ग) इक्विटी पर लाभ

इक्विवटी पर लाभ संचरण प्रणाली के संबंध में प्रदत्त और अभिदत्त पूंजी पर परिकलित किया जाएगा तथा ऐसी पूंजी का 16% होगा।

#### स्पष्टीकरण-।

परियोजना के वित्त पोषण के लिए ग्रेयर पूंजी जारी करते समय संचरण कम्पनी द्वारा वसूले गए प्रांमियम और वर्तमान सेवा के स्वतंत्र रिजर्व से सृजित संसाधन यदि कोई हो, को इक्विटी पर लाभ की गणना करने के प्रयोजना से प्रदत्त पूंजी के रूप में माना जाएगा, बशर्ते ऐसी प्रीमियम धनराशि और आंतरिक संसाधन का संचरण परियोजना का पूंजीगत व्यय वहन करने के लिए उपयोग किया जाता है तथा यह अनुमोदित वित्तीय पैकेज का भाग है जैसा कि प्राधिकरण द्वारा दी गई तकनीकी आर्थिक मंजूरी में निर्धारित है।

## (घ) प्रचालन और अनुरक्षण व्यय

प्रचालन और अनुरक्षण व्यय जिसमें 'ग्रीमा पर व्यय भी सम्मिलित है, यदि कोई हो (एतत् पश्चात् प्रचालन और अनुरक्षण व्यय कहा जाए) निम्न प्रकार से परिकलित किया जाएगा :-

(1) जहाँ उप केन्द्रों (ओ0 एम0 एस0) और पथ (ओ0 एम0 एल0) पर असामान्य व्यय, यदि कोई हो, के अलावा प्रचालन और अनुरक्षण व्यय प्रत्येक क्षेत्र वे लिए अलग से उपलब्ध हो, इसे क्रमशः व्यंहीय संख्या और पथ की लम्बाई से भाग देकर सामान्य बनाया जाएगा। जहाँ उपयुक्त आंकड़े उपलब्ध न हों, वहां क्षेत्र का प्रचालन और अनुरक्षण व्यय 30 : 70 के आधार पर 'संविभाजित किया जाएगा और इसे निम्न प्रकार से सामान्य बनाया जाएगा -

किलोमीटर में पथ की लम्बाई की प्रति यूनिट प्रचालन और अन्रक्षण व्यय

**ओ०एम०एल०एल०** = पथों के लिए प्रचालन और अनुरक्षण व्यय (ओ.एम.एल.)/किलोमीटर में पथ की औमत लम्बाई (एल.एल)

उपकेन्द्रो के लिए प्रचालन ओर अनुरक्षण व्यय

**ओ.एम.बी.एन0** = उप केन्ट्रों के लिए प्रचालन और अनुरक्षण व्यय (ओ. एम. एस.) ⁄ खंडों की औसत संख्या। <u>(</u>बी. एन.) (2) पथों और खंडों के लिए सामान्यीकृत प्रचालन और अनुरक्षण व्यय को पाँच वर्ष के औसत (1995-96 से 1999-2000 की अवधि) में दो वर्षों (1998-99 और 1999-2000) के लिए प्रति वर्ष 10% की वृद्धि की जाएगी ताकि वर्ष 1999-2000 के लिए पथ की लम्बाई की प्रति यूनिट और प्रति खंड प्रचालन और अनुरक्षण के प्रतिमान पर पहुँचा जा सके।

पथ की लम्बाई का प्रति यूनिट मानक प्रचालन और अनुरक्षण (एन०ओ०एम०एल०एल०) = ए.वी. ओ.एम.एल.एल x (1.10)<sup>2</sup>

प्रति खंड मानक प्रचालन और अनुरक्षण (एन.ओ.एम.बी.एन.) = ए.वी.ओ.एम.बी.एन. x (1.10)<sup>2</sup>

जहां ए.वी. ओ. एम. एल. और ए.वी.ओ.एम.बी.एन. क्रमशः पथ की लम्बाई के प्रति यूनिट और प्रति खंड प्रचालन और अनुरक्षण व्यय हो।

ए.० वी० ओ० एम० एल० एल० =	<u> </u>	ओ० एम० एल०,
	<u>1999-2000</u> i 1995-96	एल0 एल0 <sub>,</sub>

ए त वी 0 ओ 0 एम0 बी 0 एन 0 = 
$$\frac{\sum_{i 1999-2000}^{1999-2000}}{\sum_{i 1999-2000}^{1999-2000}}$$
 बी 0 एन 0,

जहाँ एल० एल० आई० और बी० एन० आई० किसी दिए गए वर्ष में क्रमशः पथ की औसत लम्बाई और खंडों की संख्या है।

(3) पिछले पैरा से लिए गए क्षेत्र के लिए एन0 ओ0 एम0 एल0 एल0 ओर एन0 ओ0 एम0 बी0 एन0 में प्रति वर्ष 6% की दर से वृद्धि की जाएगी ताकि संगत वर्ष में पथ की लम्बाई की प्रति यूनिट और प्रति खंड प्रचालन ओर अनुरक्षण रबर्च का मानक मूल्य प्राप्त किया जा सके। उस प्रणाली के लिए अनुमत्य प्रचालन और अनुरक्षण रबर्च की गणना करने के लिए उस वर्ष में मानक मूल्यों को पथ की लम्बाई और खड़ो की सख्या (जैसी स्थिति हो) से गुणा किया जाएगा।

(4) प्रनि वर्ष 6% का वृद्धिकरण का प्रयोग प्रचालक और अनुरक्षण रवर्च के मानक आधार आंकडे मे

#### भारत का राजपत्र : असाधारण

संशोधन करने के लिए किया जाएगा। वास्तविक स्फीति आंकड़े, जो 6% के उपर्युक्त अधिसूचित वृद्धि कारक के 20% के अंदर है (जो 6% की दोनों ओर 12% बिन्दु होता है), को सेवाओं / लाभानुभोगियों द्वारा समायोजित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में यदि प्रेक्षित आंकड़े परिकलित वृद्धि कारक 4.8 से 7.2% के अंतर्गत है, यह विचलन कम्पनियों द्वारा वहन किया जानां चाहिए। इस सीमा से अधिक विचलन औद्योगिक कमी के लिए सी0 पी0 आई0 के भारित मूल्य सूचकांक और डब्ल्यू पी.आई (डब्ल्यू पी. आई. टी. आर.) के चयनित घटकों के सूचकांक के आधार पर निर्णित वास्तविक वृद्धि कारक के आधार पर समायोजित किया जाएगा, जिसका सूत्र नीचे दिया गया है, इसके लिए कम्पनी याचिका के साथ आयोग के पास जा सकती है।

(5)टैरिफ अवधि के दौरान वास्तविक वृद्धिकारक का परिकलन प्रकाशित आंकड़े से किया जाएगा, जो इस प्रकार है :-

वृद्धि = 0.55 x स्फीति + 0.45 x स्फीति req q dots

जहाँ

स्फीति<sub>शीणआई</sub> = सी.पी.आई.आई. \_\_\_डब्ल्यू में वार्षिक औसत स्फीति

स्फीति अन्यू शआईटीआर = डब्ल्यू पी.आई.टी.आर. में वार्षिक औसत स्फीति (इसे निम्न प्रकार से परिकलित किया जाए) (6)डब्ल्यू पी.आई.टी0 आर0 का परिकल्पन गैर समुच्चयित (डिसएग्रिगेटेड) डब्ल्यू पी आई. श्रेणियों (1993-94 = 100) से चयनित सगत कारकों (निम्न सुचीबद्ध) के भारित औसत के रूप में किया जाता है।

	जिन्स	वजन
1.	सूती कपड़ा	0.90306
<b>2</b> .	कागज एव कागज उत्पाद	2.04403
3.	रंबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	2.38819
4.	पेन्ट, वार्निश एवं रोगन	0.49576
5.	तारपीन, सिंथेटिक रेजीन प्लास्टिक सामग्री आदि	0.74628
6.	अधातु खनिज उत्पाद	2.51591
7.	मूल धातु मिश्रधातु तथा धात्विक उत्पाद	8.34186
8.	मशीनरी तथा मशीन टूल्स	8.36331
9.	परिवहन उपकरण एवं पुर्जे	4.29475

उपर्युक्त सभी डब्ल्यू पी आई टी आर 30.0931

डब्ल्यूपीआईटीआर = 
$$\frac{\sum_{i=1}^{9} \frac{1}{1} = 1}{\sum_{i=1}^{9} \frac{1}{1} = 1} = \frac{1}{1}$$

जहाँ डब्ल्यू पी आई / वें उप समूह का थोक मूल्य सूचकांक है और डब्ल्यू / इससे संबंधित भार है।

टिप्पणी

किसी भी वित्तीय वर्ष में ओ तथा एम व्यय की गणना सबंधित नियामक ओ तथा एम व्यय की प्रति इकाई लाईन लम्बाई अथवा बेयों की संख्या के आधार पर की जाएगी। वर्ष 1999-2000 के नियामक ओ नथा एम व्यय (एन ओ एम एस एल तथा एन ओ एम बी एन, जैसी भी स्थिति हो) में 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दी जाएगी ताकि उन्हें सबंधित वर्ष के स्तर पर लाया जा सके। इन नियामक खर्चों को लाइन लम्बाई अथवा खण्डों की संख्या, जो भी स्थिति हो, से गुणा करके जिन वर्षों में विस्तार हुआ है उनकी संख्या जोड़ने पर प्रति वर्ष नेटवर्क बिस्तार के कारण हुआ ओ एड एम खर्च प्राप्त होगा। स्थापना वर्ष के लिए लाइनों तथा खण्डों के ओ एड एम खर्च उक्त वर्ष के दौरान वे जितने माह कार्यशील रहे उनकी संख्या से विभाजित किए जाएंगे।

### टिप्पणी

जबकि सी पी आई — आई डब्ल्यू सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है, डब्ल्यू पी आई टी आर की गणना उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित थोक मूल्यों के विच्छिन्न आंकड़ों से की जाएगी।

## टिप्पणी

: St

अनुमत्य ओ एंड एम व्यय की गणना के लिए उपयोग किए गए आंकड़े सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे।

(ङ) कार्यशील पूंजी पर ब्याज

कार्यशील पूँजी पर ब्याज में निम्नलिखित शामिल होगा :-

() 👻 एक माह का प्रचालन तथा रख-रखाव व्यय (नकद)

 (2) पूँजी लागत के 1% नियामक दर से रखरखाव स्पेयर घटा प्रारंभिक पूँजीगत म्पेयर का 1/5
 हिस्सा बाद के प्रत्येक वर्ष में रख-रखाव स्पेयर की लागत में ओ एंड एम ट्रान्समिजन प्रणाली के व्यय में संशोधन के लिए लागू दर से संशोधन दिया जाएगा तथा

(3) दो माह क़े औसत बिल से प्राप्त धनराशि जिसकी गणना नियामक उपलब्धना स्तर के आधार पर की जाएगी।

#### 4.5 आय पर कर

ट्रांसमिशन यूटिलिटी की प्रमुख गतिविधि से सृजिक आय पर कर यदि हो, की गणना व्यय के रूप में दी जाएगी और इसकी वसूली लाभानुभोगियों से की जाएगी।

कर वसूली में हुई कमी अथवा अधिकता से संबंधित राशि का समायोजन सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रतिवर्ष किया जाएगा।

बशर्ते :

- मूल गतिबिधि के अलावा अन्य किसी गतिबिधि से प्राप्त आय पर कर में दर के घटक मे छूट नहीं
   दी जाएगी। ऐसी अन्य आय पर कर का भुगतान ट्रान्समिशन यूटिलिटी द्वारा किया जाएगा।
- (2) किसी वर्ष में कर से पूर्व आंका गया क्षेत्रवार लाभ सभी क्षेत्रों को भिन्न-भिन्न कर देयता के वितरण का आधार होगा।
- (3) आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार लागू कर अवकाश का लाभ लाभानुभोगियों को दिलाया जाएगा।
- (4) आगे ले जाए जाने के दौरान हुई हानि का उत्तरदायित्य किसी अन्य समान आधार के अभाव मे ऊपर उल्लिखित अनुपात (उप खण्ड (ii)) में दिया जाएगा।
- (5) क्षेत्रों को आवंटित कर लाभानुभोगियों से प्रभारित किया जाएगा, जिस तरह वार्षिक निर्धारित प्रभार / मौजूदा प्रभार लिए जाते हैं।

## 4.6 ट्रान्समिशन प्रभार का भुगतान

पूर्ण वार्षिक ट्रांसमिशन प्रभार प्रचालन की 98% उपलब्धता पर वसूल किया जाएगा। 98% से कम ट्रांसमिशन प्रभार का भुगतान अनुपातिक आधार पर किया जाएगा। 98% से अधिक उपलब्धता पर वार्षिक ट्रांसमिशन प्रभार का भुगतान नहीं किया जाएगा। ट्रांसमिशन प्रभार का परिकलन महिने वार किया जाएगा। ट्रांसमिशन प्रणाली में एक से अधिक लाभानुभोगी होने पर प्रत्येक लाभानुभोगी के लिए ट्रांसमिशन प्रभार की गणना निम्नलिखिन सूत्र से की जाएगी।

(*)) (	टी. सी		ई. बी
	<u></u>	Χ,	
गिकन मभूम	12		ई. एस.

ट्रासमिशन प्रभार =

जहां टी.सी = लाभानुभोगियों द्वारा भुगतान किया जाने वाला वार्षिक ट्रांसमिशन प्रभार। ई.बी = क्षेत्री ऊर्जा खाते के अनुसार प्रत्येक लाभानुभोगी को केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों से की गई मासिक ऊर्जा बिक्री

## ई.एस. = केन्द्रीय क्षेत्र स्टेशनों से कुल मासिक ऊर्जा बिक्री।

## टिप्पणी

लाभानुभोगियों द्वारा जहां सृजन/अनिर्धारित इंटरचेंज प्रभार के भुगतान के लिए उपलब्धता आधारित सृजन दर तथा अनिर्धारित इंटरचेंज दर लागू की जाती है वहां प्रत्येक लाभानुभोगी पर प्रभारति मासिक ट्रांसमिशन प्रभारों की गणना सबंधित आई.एस.जी.एस. द्वारा आबंटित क्षमता अथवा ट्रांसमिशन अनुबंध, यदि किया गया हो के आधार पर की जाएगी।

## 4.7 प्रोत्साहन

98% से अधिक उपलब्धता के मामले में ट्रांसमिशन यूटिलिटी निम्नलिखित सारणी के अनुसार प्रोत्साहन की प्रपात्र होगी।

उपलब्धता %	साम्य के % के रूप में प्रोत्साइन	साम्य के % के रूप में संधित प्रोत्साहन
98 % तथा इससे कम	0.00	0.00
98.01% - 98.50%	1.00	1.00
98.51% - 99.00%	1.00	2.00
99.01% - 99.50%	1.00	3.00
99.51% - 99.75%	1.00	4.00

# 4.8 लाभानुभोगियों द्वारा एच.वी.डी.सी. सहित अंतरक्षेत्रीय परिसम्पत्तियों के ट्रांसमिशन प्रभार को वहन करने का सिद्धांत

दो निघर स्थित क्षेत्रों द्वारा एच.वी.डी.सी. प्रणाली सहित अतरक्षेत्रीय परिसम्पतियों के ट्रांसमिशन प्रभार 50 : 50 के अनुपात में वहन किए जाएंगे। ये ट्रांसमिशन प्रणाली ट्रांसमिशन प्रभारों के साथ अंतरक्षेत्रीय परिसम्पतित्तयों के ट्रांसमिशन प्रभारों की 50% राशि मिलाकर लाभानुभोगियों से वसूल किए जाएंगे।

## 4.9 अंतर्राज्यीय ट्रान्समिशन के विहलिंग प्रभार

## 4.9.1 पावरग्रिड/लाइसेन्सी प्रणाली पर व्हीलिंग

4.9.11 किसी पावर ग्रिंड अथवा किसी लाइसेन्सी की ट्रासमिशन प्रणाली के माध्यम से बिजली के अन्तर्राज्यीय पारेषण के मामले में उन्हें लेने वाले, देने वाले तथा मध्यस्थ क्षेत्रों (यदि कोई हों) से मिलने वाले कुल मासिक प्रभार अपरिवर्तित रहेंगे।

4.9.1.2 ए.बी.टी. लागू होने तक, मांसिक पारेषण प्रभार ऊर्जा प्राप्त करने के अनुपात में वहन किए जाएंगे। लेने वाले

क्षेत्र के मामले में पावरग्रिड/लाइसेन्सी को अदा किए जाने वाले मासिक पारेषण प्रभार देने वाले क्षेत्र से प्राप्त ऊर्जा सहित क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा के अनुसरण में प्राप्त ऊर्जा के अनुपात में वहन किए जाएंगे। देने वाले के मामले में पावरग्रिड/लाइसेन्सी को अदा किए जाने वाले पारेषण प्रभार इसके क्षेत्र के बाहर के घटकों तथा लाभानुभोगियों (आयातक यूटिसिरीज) द्वारा क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा के अनुसार आहरित ऊर्जा के अनुपात में वहन किए जाएंगे। ए.बी.टी. लागू होने के बाद मासिक पारेषण प्रभार क्षमता आवंटन तथा कॉन्ट्रेक्टेड बिजली के आधार पर लिए जाएंगे। तथापि मध्यस्थ क्षेत्र (क्षेत्रों) में पावरग्रिड/लाइसेन्सी के उपयोग के लिए आयातक यटिलिटी द्वारा कोई पारेषण प्रभार अदा नहीं किया जाएगा।

4.9.1.3 पावरग्रिड/लाइसेन्सी की प्रणाली हेतु उपयोग के लिए पारेषण में हुए नुकसान का भुगतान किया जाएगा।

## 4.9.2 राज्य विद्युत बोर्ड / राज्य की संस्था के माध्यम से व्हीलिंग

4.9.2.1 राज्य विद्युत बोर्ड/राज्य की संस्था के माध्यम से बिजली की व्हीलिंग के मामले में व्हीलिंग यूटिलिटी व्हीलिंग प्रभार तथा परिषण प्रभार वहन करने के लिए परस्पर सहमत होने का प्रयास करेंगे। ऐसे मामलों में आयोग की मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी। तथापि केवल व्हीलिंग प्रभार के बारे में अनुबंध न होने के आधार पर व्हीलिंग यूटिलिटी अपनी प्रणाली के उपयोग से इंकार नहीं करेगी।

4.9.2.2 यदि पक्ष व्हीलिंग प्रभार पर सहमत नहीं होते तो व्हीलिंग प्रभार की गणना के लिए कान्ट्रेक्ट पाथ विधि का उपयोग किया जाएगा। इस पाथ के मासिक पारेषण प्रभार कान्ट्रेक्टड पाथ में कान्ट्रक्टड पाक्र तथा एस.आई.एल. लाइनों के अनुरूप आने लाले अनुपात में अदा किए जाएंगे। कान्ट्रेक्ट पाथ के लिए मासिक पारेषण प्रभार की गणना इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसरण में की जाएगी।

4.9.2.3 यदि विनिमय की सुविधाा के लिए व्हीलिंग यूटिलिटी द्वारा कोई विशेष व्यवस्था (जैसे सस्ते जैनरेशन को बैकिंग डाउन करना) की जाती है, तो सत्यापनीय अवसर लागत अथवा कान्ट्रेक्ट पाथ विधि के आधार पर जात किए गए प्रभार, जो भी अधिक हो, का भुगतान व्हीलिंग यूटिलिटी को किया जाएगा। किसी भी मामले में व्हीलिंग प्रभार कान्ट्रेक्ट पाथ में पर्याप्त क्षमता वाली नई पारेषण लाइन के प्रभार में अधिक नहीं होंगे। जिस क्षेत्र मे व्हीलिंग यूटिलिटी स्थित है उसके क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के सदस्य सचिव व्हीलिंग प्रभार की गणना ऊपर उल्लिखित सिद्धान्न के अनुसार करेंगे। 4.9.2.4 व्हीलिंग के कारण हुई इन्क्रिमेन्टल पारेषण हानि का भुगनान वस्तु रूप में किया जाएगा. अर्थात पारेषण हानि की प्रतिपूर्ति आयातक यूटिलिटि द्वारा प्रभारित ऊर्जा की समान मात्रा के रूप में की जाएगी। पारेषण हानि के संबंध में असहमति होने के मामले मे व्हीलिंग यूटिलिटी प्रणाली में इन्क्रिमेन्टल पारेषण हानि जान करने के लिए संबंधित क्षेत्र के सदस्य सचिव द्वारा अध्ययन कराया जाएगा। 49.2.5 क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के सदस्य सचिव के निर्णय से असहमति के मामले में आयोग से सम्पर्क किया जा सकता है। आयोग द्वारा अन्तिम आदेश दिए जाने तक क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड के सदस्य सचिव के निर्णय का अनुपालन अनन्तिम आधार पर किया जाएगा।

## 4.10 विकास सरचार्ज

ट्रान्समिशन यूटिलिटी को क्षेत्रीय स्तर पर पारेषण प्रभार से संबंधित प्रत्येक बिल पर 10 प्रनिशत विकास सरचार्ज की पात्रता होगी। विकास सरचार्ज निम्नलिखित शर्तों पर लेवी किया जाएगा :-

- (क) ट्रान्समिशन यूटिलिटी द्वारा प्राप्त सरचार्ज एक अलग बैंक खाते में रखा जाएगा और इसका निवेश मान्यता प्राप्त संस्थाओं के फंड जैसे आई डी एफ सी अथवा आई डी बी आई टैक्स फ्री बॉण्ड में किया जाएगा और प्राप्त आय बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- (ख) ट्रान्समिशन यूटिलिटी अलग बही खाते रखेगी तथा बकाया राशि को विकास सरचार्ज आरक्षी खाते
   में दर्शाएगी और इसके निवेश को तुलन पत्र में दर्शाएगी।
- (ग) उपक्रम की रवरीद होने अथवा अन्य किसी आपान स्थिति में आरक्षी निधि तथा तदनुरूप निवेश उत्तराधिकारी उपक्रम क्षमता वर्धन के उद्धेश्य से अन्तरित कर दिया जाएगा।
- (घ) इस कोष का उपयोग संबंधित क्षेत्र में क्षमता वर्धन की साम्य आवश्यकता के 1/3 हिस्से की
   सीमा तक किया जा सकेगा और शेष 2/3 ट्रान्समिशन यूटिलिटी द्वारा दिया जाएगा।
- (ङ) किसी भी नई क्षमता वर्धन के लिए जिस सीमा तक कोष का उपयोग साम्य के रूप में किया जाता है, नई परियोजना के टैरिफ निर्धारण में साम्य से प्राप्त आय में अनुपानिक कमी करने के अनुमति दी जाएगी।
- (च) इस कोप के उपयोग के बारे में एक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा,
   जो ट्रांसमिशन यूटिलिटी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवन सत्यापित होगा।
- (छ) अन्य किसी प्रकार से इस कोष का उपयोग आयोगी की पूर्व अनुमति से याचिका द्वारा अथवा स्वयमेव किया जा सकेगा। जिसके लिए सी.ई.आर.सी (कार्य संचालन) विनियम मे निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

4 11 छूट

ऋण पत्र प्रस्तुत करने के माध्यम से बिलो का भुगतान करने पर 2.5° की छूट दी जाएगी। यदि भुगतान

[भाग [][—खण्ड 4]

बाद में ऋण पत्र खोलकर अथवा अन्यथा किया जाता है, परन्तु ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा बिल प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर किया जाता है तो एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

## 4.12 विलम्भ से भुगतान करने पर सरवार्ज

यदि लाभानुभोगी द्वारा बिल का भुगतान बिल में उल्लिखित तिथि से एक माह की अवधि के बाद किया जाता है तो ट्रांसमिशम यूटिलिटी द्वारा प्रतिमाह 1.5% की दर से विलम्ब सरचार्ज लिया जाएगा।

> के. षेणुगोपाल, सचिव [विज्ञापम III/IV/असा./150/2000]

### परिशिष्ट-।

ताप केन्द्रों के लिए टैरिफ फाइलिंग के दस्तावेजों की जांच-सूची (भाग-1)

1.	सक्षम प्राधिकारी से परियोजना का अनुमोदन	
2.	सक्षम प्राधिकारी से पूंजीगत लागत अनुमोदन	
3.	इक्विटी सहभागिता करार एवं विदेशी इक्विटी के लिए आवश्यक अनुमोदन	
4.	वित्त वर्ष 1998-99 एवं उससे आगे के केन्द्रवार∕कार्पोरेट लेखा परीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ तथा हानि खाते और सभी अनुसूची एवं अनुबंध	
5.	भारत सरकार की परियोजना विशिष्ट टैरिफ अधिसूचना या लाभभोगियों सहित पी. पी.ए. की एक प्रति।	
6.	टैरिफ प्रस्ताव का विवरण (फार्म-1)	
7.	मानकीय तकनीकी/वित्तीय/समष्टि- आर्थिक धारणा/ऊर्जा उत्पादन मापदण्ड (फार्म-2)	
8.	पावर स्टेशन बुनियादी सूचना तथा तकनीकी विशेषताएं (फार्म सं० 2 ए.)	
9.	नियत-प्रभार के विभिन्न घटकों का सार (फार्म3)	

10. ऋण पर ब्याज का अभिकलन (फार्म-4)

- कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज की औसत दर परिकलन का विवरण (फार्म सं0-5)
- सी.ई.आर.सी. मानदण्डों के अनुसार परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्वास का विवरण (फार्म सं0-6)
- 13. परिचालन एवं रखरखाव व्यय परिकलन (फार्म सं०-७)
- 14. पूंजीगत लागत एवं पित्त-पोषण ढांचे का विवरण (फार्म सं0-8)
- वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय एवं पूंजीकृत तथा अनुमोदित व्यय का विवरण्ग (फार्म सं0 - 9)
- 16. पर्यावरण संबंधी मामलों एवं इसके संबंधित विषयों की सूचना (फार्म सं० ९ ए)
- 17. बकाया ऋण, ब्याज एवं उस पर वित्त पोषण प्रभारों का विवरण (फार्म सं. 10)
- 18. वित्तीय पैकेजों के विवरण (फार्म सं.-11)
- 19. परिचालन एवं रख-रखाव व्यय के विवरण (फार्म सं0-12)
- कोयला/लिग्नाइट आधारित केन्द्रों के ऊर्जा प्रभार के अभिकलन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण/सूचना (फार्म सं0 13 एवं 13 ए)
- 21. गैस/ नाफ्या ईंधन आधारित केन्द्रों/ठोस ईंधन केन्द्रों के लिए माध्यमिक ईंधन तेल से ऊर्जा प्रभार के अभिकलन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण/सूचना (फार्म सं. 14 एवं 14 ए.)
- 22. ऊर्जा प्रभार दर की परिकलन की पद्धति (फार्म-15)
- 23. कोई अन्य संबंधित सूचना (कृपया उल्लेख करें)

		- 1
 _	 	





















## टैरिफ फाइलिंग फार्म- भाग-। (ताप उत्पादक कंपनी)

कंपनी का नाम

उत्पादक केन्द्र का नाग

टैरिफ फाइलिंग के कारण का संक्षिप्त विवरण

-----से ----- तक की टैरिफ अवधि को शामिल करने के लिए टैरिफ प्रस्तावों का विवरण

विवरण	वर्तमान		प्रस्तावित		
	2000 01	2001-02	2002 -03	2003-04	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
नियत प्रभार का विवरण (करोड़ का)					
1.1 ऋण पर ब्याज (फार्म-3)					
1.2 कार्यशील पूंजी पर ब्याज (फार्म-3)					
1.3 मूल्यहास (फार्म-3)					
1.4 मूल्यहास पर अग्रिम (फार्म-3)					
1.5 इक्विटी पर प्रतिफल (फार्म-3)				<u></u>	
1.6 परिचालन एवं रस्व-ररवाव व्यय (फार्म-3)					
<b>म</b> ुल					
ऊर्जा प्रभार वर का परिकलन (रू० ⁄ के.डब्ल्यू.एच.) (फार्म-15)	स्थिरीकर	ण के समय	स्थिरीक	रण के बाद	
2.1 प्राथमिक ईंधन से ऊर्जा प्रभार की दर (आर.ई.सी.) <sub>ग</sub>					
2.2 माध्यमिक/वैकल्पिक ईंधन से ऊर्जा प्रभार की दर (आरई.सी.) <sub>ल</sub>					
2.3 ऊर्जा प्रभार की दर (आर.ई.सी.)					
	(1)         नियत प्रभार का विवरण (करोड़ का)         1.1 ऋण पर ब्याज (फार्म-3)         1.2 कार्यशील पूंजी पर ब्याज (फार्म-3)         1.2 कार्यशील पूंजी पर ब्याज (फार्म-3)         1.3 मूल्यहास (फार्म-3)         1.4 मूल्यहास पर अग्रिम (फार्म-3)         1.5 इक्विटी पर प्रतिफल (फार्म-3)         1.6 परिचालन एष रख-रखाव व्यय (फार्म-3)         वतुल         ऊर्जा प्रभार वर का परिकलन (रू० / के.डब्ल्यूएच.) (फार्म-15)         2.1 प्राथमिक ईंधन से ऊर्जा प्रभार की दर (आर.ई.सी.) <sub>ल</sub> 2.2 माध्यमिक / चैकल्पिक ईंधन से ऊर्जा प्रभार की दर (आर.ई.सी.) <sub>ल</sub>	2000-01         (1)       (2)         नियत प्रभार का विवरण (करोड़ का)       (2)         नियत प्रभार का विवरण (करोड़ का)       (1)         1.1 ऋण पर ब्याज (फार्म-3)       (12         1.2 कार्यशील पूंजी पर ब्याज (फार्म-3)       (13         1.2 कार्यशील पूंजी पर ब्याज (फार्म-3)       (14         1.3 मूल्यहास (फार्म-3)       (14         1.4 मूल्यहास पर अग्रिम (फार्म-3)       (14         1.5 इक्विटी पर प्रतिफल (फार्म-3)       (15         1.6 परिचालन एच रख-रखाव व्यय (फार्म-3)       (16         7       कुल         2.5 इक्विटी पर प्रतिफल (फार्म-3)       (16         1.6 परिचालन एच रख रख-रखाव व्यय (फार्म-3)       (17         1.6 परिचालन एच रख का परिकलन       (स्थरीकर (फार्म-3))         2.1 प्राथमिक ईंधन से ऊर्जा प्रभार की दर (आर.ई.सी.) की       (30         2.2 माध्यमिक / वैकल्पिक ईंधन से ऊर्जा प्रभार की       (30         २.2 माध्यमिक / वैकल्पिक ईंधन से ऊर्जा प्रभार की       (30         दर (आर.ई.सी.) ल       (30	2000-01     2001-02       (1)     (2)     (3)       नियत प्रभार का विवरण (करोड़ क0)	2000 -01     2001 -02     2002 -03       (1)     (2)     (3)     (4)       नियत प्रभार का विवरण (करोड़ क0)     (1)     (1)     (1)       11 जप्टण पर ब्याज (फार्म-3)     (1)     (1)       12 कार्यशील पूंजी पर ब्याज (फार्म-3)     (1)     (1)       13 मूत्यहास (फार्म-3)     (1)     (1)       14 मूत्यहास (फार्म-3)     (1)     (1)       15 इक्विटी पर प्रतिफल (फार्म-3)     (1)     (1)       16 परियालन एष रख -रखाव व्यय (फार्म-3)     (1)     (1)       कर्जा प्रभार वर का परिकलन (फार्म-3)     (1)     (1)       कर्जा प्रभार वर का परिकलन (फार्म-3)     (1)     (1)       21 प्राथमिक ईंधन से ऊर्जा प्रभार की दर (आराई.सी.) <sub>स</sub> (1)     (1)       22 साध्यमिक /वैकल्पिक ईंधन से ऊर्जा प्रभार की दर (आराई.सी.) <sub>स</sub> (1)     (1)	

टिप्पणी : परवर्सी वर्षों में वृद्धि पर निगरानी रखने के लिए ईंधन-लागत में किसी भी वृद्धि पर या एफ.पी.ए. के लिए विचार किया जाए।

(याचिकाकर्ता)

फार्म-।

फार्म -2

## त्रं शक्ति केन्द्र का नागः

\_\_\_\_

विवरण		वर्तमान	प्रत्ता	वित
मार्च को समाप्त वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
भानकीय मापदण्ड (सी.ई.आर.सी. झारा यथा निर्धारित) लक्ष्य उपलब्धि				
मानकीय पी.एल.एफ		······································		
अतिरिक्त खपत (%)				
केन्द्र ताप दर के.केल./के.डब्ल्यू एच.				
लक्ष्य उपलब्धि में परिचालन के घंटे		· · · · · ·		
लक्ष्य पी.एल.एफ. में परिचालन के घंटे			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
विशेष तेल स्वपत (एम.एल./के.डब्ल्यू.एच.)				
परिचालन एवं रख-रखाव प्रभार (5 वर्ष से कम पुराने संयंत्रों की सी.सी. की प्रतिशतता (5 वर्षों से अधिक पुराने संयंत्रों के वास्तविक आंकड़ो पर आधारित)				
कार्यशील पूंजी (डब्ल्यू.सी.) के लिए महीनों में कोयला भंडार तथा व्यय				<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>
कार्यशील पूंजी के लिए महीनों में तेल-भंडार	<b></b> _			7, ()===========
कार्यशील पूंजी के लिए स्पेयर्स भंडार -				
परिचालन एवं रख-रखाव के % के रूप में		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
कार्यग्रील पूंजी के लिए महीनों में वमूल किए जाने योग्य इक्विटी पर प्रतिफल की दर (%)				
র্জ্যা उत्त्पादन	•	<u>.                                    </u>		
अनुमानित उपलब्धता				
वास्तविक / अनुमानित पी.एल.एफ.			, <u></u> , 10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
রন্দাবিন কর্জা			<u> </u>	
बेची गई ऊर्जा				

(याचिकाकर्ता)

.. .

-

शकित केन्द्र- बुनियादी सूचना एवं तकनीकी विशेषताएँ	देशेषताएँ		फार्म-2 ए	
वित्त वर्ष :				., III —
धाक्ति केन्द्र का नाम	-			• • •
स्थान क्षेत्र :		राज्य :	जिला	   _
संयंत्र की बुनियादी विशेषताए एव ईंधन की प्रकृति	म्रकृति			
संयत्र की बुनियादी विशेषताए (टिप्पणी । देखे)				
संविदागत क्षमता				
ईंधन की प्रकृति				-
क्षमता : (कार्य परीक्षण के आधार पर - यदि कोई र	हो) आंकड़ प्रत्येक एकल इकाई	रकल इकाई के लिए दिए जाएं (टबों जेनरेटर के साथ) मॉड्यूल-। (या चरण-।) से	ष) मॉदयूल-। (या चरण-।) से प्रारंभ करें)	<u> </u>
मॉडयूल (ब्लॉक) नाम या संस्या				<u> </u>
इकाई नबर				
एककालन (सिक्रोनाइजेमन) की ताग्रीख				<u> </u>
एककालन की तारीख को क्षमता				
व्यावसायिक परिचालन में प्रविष्टि की तारीख को क्षमता				
स्थिरीकरण की तारीख				
स्थिरीकरण की तारीख को क्षमता				
मिधारित क्ष्मता				
बॉयलर फीड पम्प की चालन की प्रकृति - यदि कोई हो	हो (टिपाणी-2 देखें)	()		T
कडेंसर के लिए कूलिंग प्रण्यासी की प्रकृति - यदि कोई ।	र्दि हो (टिप्पणी-3 देखें)	(स्रे)		
विद्युत जेनरेटर के लिए कूलिन प्रणाली की प्रकृति (टिप्पणी-4 देखें)	टेपाणी-4 देखें)			<u>,</u>
अन्य मुख्य विशेषताएँ २०००				
ाटप्पणा । . उदाहरण - कायला स्वत्र के लिए (क) परम्परागत स्टीम जनरेटर (ख) सकुलोटेग फ्लुइडाइज्ड बंड कम्बद्यान जनरेटर (ग) स्टीम जनरेटर के शध्यम से सब क्रिटिकल आदि टिप्पची 2 · (क) मोटर चालित (स्व) स्टीम टर्बाइन चालित, अन्य (विवरण टें)	यरागत स्टॉम जनरटर गत, अन्य (विवरण टें)	(ख) सर्कुलोटेग फ्लुइडाइज्ड बेड कम्बग्रन जेनरेटर (ग) स	टोन जेनरेटर वे शाध्यम से सब क्रिंटिकल आदि	
टिप्पणी 3 : (क) कूलिंग प्रणाली द्वारा (ख) वेट कूलिंग टावर का उपयोग करते हुए क्लोज्ड टिप्पणी 4 , (क) एयर कल्ड (ख) वाटर कल्ड (ग) हाइहोजन कल्ड (घ) अन्य (विवरण टे)	टावर का उपयोग करते इंदोजन कल्ड (घ) अन	(क) कूलिंग प्रणाली द्वारा (ख) वेट कूलिंग टावर का उपयोग करते हुए क्लोज्ड साइकिल कूलिंग (ग) अन्य (विवरण दें) : (क) एयर कल्ड (स) वाटर कल्ड (ग) हाइडोज्रन कल्ड (घ) अन्य (विवरग टे)		
			(याचिकाकर्ता)	— 

| भाग ||| - स्वण्ड 4 |

भारत का राजपत्र : अमाधारण

शवित केन्द्र का नाम									फार्च - 3	62
					व्यावर	व्यावसायिक परिवालन	की तिथि से	टैरिफ	अबधि तक	2
मार्च को समाप्त वर्ष	-	2	3	4	5	2000-01	01-02	02-03	03-04	
नियत प्रभारों के विभिन्न घटकों का सार										· ·
ो. ऋण पर ब्याज (फर्म-4 के अनुसर)										
1.2 कार्यश्वील पूजी पर ब्याज (फार्म-5 के अनुसर)							 			]
t.3 मूल्यह्वास (ए) (फार्म-७ के अनुसार)										THE GAZ
।.4 मूल्यहास पर आग्रेम र्रे										ETTE
वर्षक दोरोजन अहण का ब्यप्नज सहित भुगतान (फार्म-4 के अनसार)								-		OFI
अस्या का बारहवां भाग							-			NDIA
(फार्म-4 के अनुसार ऋण) मगरने के संस्तर्भन रेम मनि (के)										A:E)
२.५२अ. ५ अतन्तत ६४ धाभ (ब. ) मृत्यहास पर आग्रेम (बी-ए.)										(TRA
15 इविचटी पर प्रतिफल								_		ORE
										INAF
										Y
विदेश्वी इविचटी पर प्रतिफल भारतीय दविचटी पर पतिफल				L						
इक्विटी पर प्रतिफल (क <b>रोड़ क</b> 0)										
16 परिचालन एव रत्तरत्वाव व्यय (फार्म-7 के अनुसार)							 			PART
								(म	(याचिकाकर्ता)	111-SEC. 4]

	[ भाग II	Iख	দন্ত 4	]								भारत	কা	राजप	त्र :	असा	धारण		<u></u>									6	3
फार्म - ४		03-04																											(याचिकाकर्ता)
		02 -03																											
		01-02																											
		2000-01																											
		4															•												
		3																											
		2																											
		-																											
श्वक्ति केन्द्र का नाम	व्यावसायिक परिचालन की तिथि से	मार्च को समाप्त वर्ष	ऋण पर ब्याज का अभिकलन	ञ्चण-प्रभार का अभिकलन	क्षण-। मूल मुद्रा मे च्र्यण	मूल राशि का पुर्न भुगतान रे	झेषदेय राशि	व्याज - करोड़ ६० में	च्रधणा-2 मूल मुद्रा में उग्रण	मूल राग्नि का पुर्न भुगतान	झेष्ददेय राशि	क्याज - कोरोड़ ६० में	क्षण-3 मूल मुद्रा मे क्वण	मूले रागि का पुर्न भुगतान	झेषदेय राशि	ब्याज - करोड़ ६० में	च्रधण-4 मूल मुद्रा में उद्यण	मूल राग्नि का पुर्न भुगतान	शेषदेय रात्रि	ब्याज – करोड़ ६० में	वार्षिक किस्त (करोड़ रू० में)	सवित पुनर्भुगतम	वर्ष के अंत में ऋण (विदेश्री मुद्रा विनिमय दर)	बी.एस. ऋण	कृत ब्याज भुगतान	टैरिफ के लिए ऋण पर बाज	आई.डी.सी. को प्रभारित ब्याज	टिप्पणी :अतिरिक्त ऋण - यदि कोई हो तो पुन:	विवरण दें

## शक्ति केन्द्र का नाम :

	परिक	लन का विवरण			
तम	ऋण का संक्षिप्त विवरण	राशि	ब्याज दर	ब्याज	टिप्पणी
įο		(करोड़ रू. में)	सी.सी.:		
1	2	3	4	5=3*4	+
			<u> </u> -	-+	
व					<u> </u>
ग					
घ					
<u>.</u>		<u> </u>	<b></b>		<u></u>
			<u> </u>		·
<u> </u>			<u></u>		┿────
	<u> </u>		<u></u>	-+	+
			┝────		+
			<u> </u>		┼
	कुल		<u>├</u>		- <u>†</u>
	ब्याज की भारित औसत दर (5/3)				+
	मार्च को समाप्त वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-0
	कार्यशील पूंजी पर ब्याज				
				_ <u>_</u>	<u> </u>
	कोयला भंडार-1 या 1/2 महीना				
	तेल भंडार - 2 महीने	<u>_</u>	┨──────	· <del> </del>	+
	परिधालन एवं रखरखाव थ्यय - । महीना	<u>_</u>			╆────
	स्पेयर्स - । वर्ष = परि एवं रख. का		<u> </u>		<u> </u>
	40% घटा पांचयां भाग				
	प्रथम 5 वर्षों के प्रारंभिक पुंजीकृत स्पेयर्स का प्राप्त करने योग्य = 2 महीने				
	प्राप्त करने योग्य = 2 महीने				
	कुल कार्यशील पूंजी (करोड़ ह्0 में)				<u> </u>
	अनुमत कार्यशील पूजीगत ऋण				<u> </u>
	भारित औसल ब्याज वर		}		
	कार्यशील पूजी पर ब्याज (करोड़ रू० में)		ļ		
	सी.सी. : नकद उधार		1		

(याचिकाकर्ता)

<u>[</u> भाग	<u>III –</u>	राण	[4]						મ	रत क	া ব্যেন্সপদ	ः असाधार	<b>ч</b> т	<u></u>	·			 <u> </u>	_
फार्म - 6				Ξ												~	:	Ĩ	(থাাবকাকানা <u>)</u>
4	कून निर्धाल के टौठन कून्य द्वास की आपके	10-00	5	(16)														4	या।चक
	जन्म स	60-60	20-20	(15)														~	-
	in Pul	61-10	7	14)															
	2009 - 2001			(13)															
			4 î v 4 v	(21)															
				11)=(11)															
		s.	E	Ð															
	111			Ê.						+								 	
										1									
		1									Τ							<u> </u>	
	र्षस उत्तरन के लिए उन्नुकींत तस्त उन कींग करतीत तस्त उत्तर आहर	रे में टिंग्स आति में सा सर	2909-01 2001-92 29 4	9				Γ	1					1					
	₩5  ¥6  10	1 246	!	(5)															
	arrika a	ari à ver ai fue di	-	۲															
	स्टन के सिर्	í í me	~	(3)														 	
	केस्स उठ		-	(2)														 	
<b>श</b> वित केन्द्र का ना <b>ग</b>				()	समी नुरूष नरें	<b>₽</b> ₽	भवन	संयत्र एवं <b>नडीन</b> री	[	(क) अन्य छोटी मदें	चुन (क)	(स) उक्त (क) वें झावित निम्नहितिस दरों का उल्लेख करें	(क) पूंजीकृत <mark>प्रायमिक</mark> सेमर	(ख) निर्माण के दौरान ब्याज्ञ		प्रदूषण नियंत्रण के उपकर <del>ण</del>	कीत ल		
मेत न					a de la	(क) <b>भूगि</b>	(ख) भवन	(म)	( <b>ਬ</b> )	अन्त ह		अक्त अक्त बहो ब	(क)	<u>(</u>	म	(म)			
₩ •					<b>3</b>		4 <sup>1</sup>			<u>(म</u>		<b>3</b>			पूंजीकृत			 	

948 GI/2001 9

न्ताम
<del>9</del>
क <del>ो</del> न्द्र
म्रावित

Ą

परिचालन एवं रत्यरत्वाव व्यय का परिकलन

	1											
		95-96	6-95	<b>8</b> 6-79	66-96	00- 66	औरमा 95-96 वे 25	<b>anta</b> rt 99-00-	<b>381137</b> 2000-01	टेरिफ अम्बध 2001-2002 200	अन्द्रीय 2002 - 03	2003 - 04
	(1)	(2)	(e)	•	(3)	(9)	nn- 44	(9)	(6)	(ai)	(H)	(a)
बायस्त -	नानस्त-। : परि एवं रस्तर वास्तविक आंकसे के आवधार पर (1995-96 से 1999-2000 तक	क्ष भर (199	12-96 B 1	999-2000	तक)							
	(क) कुल परि एवं त्तवर व्यय											
	(स) असानान्य चंदी एवं रत्तर व्यय*											
	- पान्डी प्रभार के कारच											
	- अन्य तथ्यों के कारन											
	(म) आधार भरि एवं रस्तर का परिकत्तन(क-स्व)						w	X <del>=E</del> x(1-1)²	X x (1-06)	Xx(1-06) <sup>2</sup>	Xx(1-06) <sup>3</sup>	Xx(1-06)*
<del>- 1461</del> - 2	नाम्सा-2 : वर्तनान दंवंत्र जिनके सिए पिछले 5 क्वे	- 1995-96		वे 1999-2000 तक के फरि एवं	के चरिए	ां रस्मर आंव	रसर आंकड़े उपलब्ध नहीं है और	न्हीं है और		कुछ नर वंगंत को टेरिफ में आए	फ वें आपर।	
	चालू होने का दर्ष											
	आधार परि वं रस्तर का परिकलन **							۲	Y x (1.06)	Y x (1.06)*	Y x (1.06) <sup>3</sup> Y x (1.06) <sup>4</sup>	Y x (1.06)*
रियनी :												
•	<u> जनाझरन परि एवं रत्तर व्यय जिले पान</u> ी के प्रभास आदि	के प्रभास औ		धेक वहि, ब	ने प्रकारि में		में अत्यधिक वदि, जो प्रकृति में अस्वायरण हैं और जिसके लिए प्रयोक्तर एक पथक याविका दर्ज करेस।	हे किए प्रयोत	सिंह एक प्रा	क परिका	दर्व करेका।	

आधार परि एवं रस्तर (Y) = (0.025 X पूंखीनत सामत) इते 1999-2000 स्तर सक साने के लिए चानू होने के लिए वर्ष के चहर 10 प्रतिमत प्रति वर्ष की दर ते बड़ामा जवाझरण परि एवं रत्तर व्यय जिले प्रम्डी के प्रम्डा आदि में अत्यधिक वृदि, जो प्रकृति में अद्याग्ररण हैं और जिसको लिए प्रयोगस्य एक पृष्क पानिका दर्ज करेका। मा।

उदाहरण के लिए यदि 1996-97 में चालू चंत्रंत्र की पूंचीनत लानत 100 करोड़ है तो 1999-2000 के आधार को इत प्रकार आभिकलित किया चाता है : 1999-2000 का आधार परि एवं रस्तर (प्रारू वें Y) = (0.025<sup>\*</sup> 100)<sup>\*</sup> (1.10)<sup>3</sup> (याचिकाकर्ता )

नाम
F
<b>a</b> <b>b</b>
ग्रवित

	विक्सण
	<del>a</del>
4	L L
	वित्तपोषण
	स
	समुत
1	पुंचीगत

ऋण उप-योग (व)

				[ ]							
(1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)       (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)       (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)       (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)       (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)       (2)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)     (1)       (2)     (1)     (2)     (1)     (1)     (1)     (1)       (2)     (2)     (2)     (1)     (1)     (1)     (1)       (2)     (2)     (2)     (1)     (1)     (1)     (1)       (2)     (2)     (2)     (2)     (1)     (1)     (1)       (2)     (2)     (2)     (2)     (2)     (1)     (1)       (3)     (3)     (3)     (3)     (3)     (3)     (4)       (4)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)       (5)     (4)     (4)     (4)     (4)     (4)       (3)     (4)     (4)     (4)     (4)       (4)     (4	विवरण			Βļ	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	÷,		Ĩ
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	(1)	(2)	(1)	<b>E</b>	(\$)	(9)	Ē	(9)	0	<b>e</b>	(2)
	(क) (i) सभी नुत्य मरें										
5   5   6   6   5   5   6   6   6   5   1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 									
『					-						
E IN R C L E IN 7 C L L I											
M C C C M F C L C L	(क) (ii) जन्म छोटी करें										
K C E P P C E E	कुत (क)										
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		ਜ									
L   E   P   E   L   · · · · ·											
5					ļ						
[@17F[E]   E    "	प्रदूषग नियंत्रण के	     									
1771 (三)	कुत (ल)			†—							
	फोलन के स्केलों				Ī						
些    三    "											
[ ]   "											
5    !!		   									
	(ग) अल्ल										
••	कुल (क+स्व+म)			<u></u> 				· 9			
اللها مدار الله المالية. وما الله معان الله الله الله الله الله الله الله ال	iundi :										
	जतां कहीं व्यौरा देना अपेक्षित एवं उत्तयस्पक ह	ो आहण एवं इति	केवटी वित पोवण	के संबंध	「おうちょう」	( उसके सम	र्थन में व्याल	रत्त्वयेव व	भि चांसम	Ĩ	

,

ज्ञवित केन्द्र का नान

(4) (5)			(5) (5) (6) (5) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2		क. पयावरण सबाधत विषया स जुड उपकरणा, मंशानरा एव पूर उपकरण आदि का नाम अनुमोदित लागत में शामिल संज संज संगणित के लिए यथा	<b>एवं पूंजीगत परिसम्पतियों के विवरण</b> ज्ञामिल उपकरणों आदि पर कॉलम (3 लुमान वास्तुव में व्यय की वीच यथो गई राशि	<b>के विवरण</b> कॉलम (3) एव कॉलम (4) के बीच अंतर के कारण	म्रानदण्डों से प्राप्त एमिसन स्तर आही पर कॉलम (5) में निर्धोरित कारण्डों का प्रभाव (परिभाषा बताएं)
				(2)	(3)	(4)	(5)	(9)
	उक्त (क) के अंतर्गत सूचीबद्ध उपकरण वर्ष भर परिचालन में रहे। यदि नहीं तो उसके कारण बताएं और वह असीधे बताएं जिसमें उपकरण ातन में नहीं थे। ाल विषयों से संबधित लागू सरकारी एवं अर्ध-सरकारी अनुमोदन /निपटान की प्रतियाँ संलग्न करें।	उक्त (क) के अंतर्गत सूचीबद्ध उपकरण वर्ष भर परिचालन में रहे। यदि नहीं तो उसके कारण बताएं और वह अस्वीय क्ताएं जिसमें उरफ्करण ालन में नहीं थे। ारण विषयों से संबधित लागू सरकारी एवं अर्ध-सरकारी अनुमोदन /निपटान की प्रतियाँ संलग्न करें। हि तथा पुनर्सांपन के लिए उपगत साधन। यि एवं राज्य सरकारों की सक्षम प्रवर्तन एजेसियों द्वारा जारी निरीक्षण रिपोर्ट /प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न करें।	उक्त (क) के अंतर्गत सूचीबद्ध उपकरण वर्ष भर परिचालन में रहे। यदि नहीं तो उसके कारण बताएं और वह अक्षीय बताएं जिसमें उपकरण ातन में नहीं थे। राण विषयों से संबीधत लागू सरकापि एवं अर्ध-सरकापि अनुमोदन /निपटान की प्रतियाँ संलग्न करें। चि तथा पुनरर्थापन के लिए उपगत साधन। यि एवं राज्य सरकारों की सक्षम प्रवर्तन एज्रेसियों द्वारा जारी सिणर रिपोर्ट /प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न करें। कि या पूरी तरह बंद करने के लिए पर्यावरण प्रवर्तन एज्रेंसी द्वारा जारी समय एवं अवधि एवं उसके कारणों का विषरण दें।					
	उक्त (क) के अंतर्गत सूचीबद्ध उपकरण वर्ष भर परिचालन में रहे। यदि नहीं तो उसके कारण बताएं और वह अर्यधे बताएं जिसमें उपकरण ातन में नहीं थे। रण विषयों से संबधित लागू सरकारी एवं अर्ध-सरकारी अनुमोदन ∕निपटान की प्रतियाँ संलग्न करें।	उक्त (क) के अंतर्गत सूचीबद्ध उपकरण वर्ष भर परिचालन में रहे। यदि नहीं तो उसके कारण बताएं और वह अवीधे बताएं जिसमें उपकरण ालन में नहीं थे। रण विषयों से संबंधित लागू सरकारी एवं अर्ध-सरकारी अनुमोदन /निपटान की प्रतियाँ संलग्न करें। कि तथा पुनर्स्थापन के लिए उपगत साधन। घि एवं राज्य सरकारों की सक्षम प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जारी निरीक्षण रिपोर्ट /प्रमाणपत्रों की प्रतियां संलग्न करें।	उक्त (क) के अंतर्गत सूचीबढ़ उपकरण वर्ष भर परिचालन में रहे। यदि नहीं तो उसके कारण बताएं और वह अवीध बताएं जिसमें उपकरण ातन में नहीं थे। ाल विषयों से संबंधित लागू सरकारी एव आर्य-सरकारी अनुमोदन /निपटान की प्रतियाँ संलग्न करें। हि तथा पुनरर्थापन के लिए उपगत साधन। वि एवं राज्य सरकारों की सक्षम प्रवर्तन एजेसियों द्वारा जारी सिमय एवं अवधि एवं उसके कारणों का विषरण दें।					

Ø

(चाचिकाकर्ता)

विवरण 1 प्रारंभ में श्रेष विवरण के नए ट्रेंच) (2) क्व के दौरान चुढि (ऋण के नए ट्रेंच) (3) वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान के (4) कालम (3) या कॉल्म(4) भें परिकलित कालम (3) या कॉल्म(4) भें परिकलित (4) कालम (3) का कं वृद्धि / वित्ताय (5) कालक (5) कालम (3) कालम (3) कालम (4) कालम (4) कालम (4) कालम (5) कालम (4) कालम (5) कालम (4) कालम (5) कालम (4) कालम (5) कालम (4) कालम (5) कालम (4) कालम (5) कालम (5)	5	n					
┝┈╶╋╴╊┈╎═╴╼╸┾╸┾═┾═				2000-01	01-02	02-03	03-04
वर्ष के दौरान भुगताया गया ब्याज/ (9)							
वित करण प्रभार							
अगले वर्षों में ले जाया गमा झेव बकाया (10)=(7+8-9)							
टिपाणी (॥)							
उसण सीक्षे का ।∕ा2 वांभाग (12)							
स. (12) एवं यें (4) की न्यूनतम यांत्रि (13)							
रिपानी :							
।. यह फार्म प्रत्येक ऋण∕उधार के लिए भरा जा	ताए और बाद	में एसीगेट	ट कर लिया	जाए। इसके	जाए और बाद में एग्रीगेट कर लिया जाए। इसके साथ संबंधित ऋण दस्तावेज प्रस्तुत करें।	र्षण दस्तावेज ।	स्तुत करें।
2. ऍ (1) में उल्लिसित वित्तीय वर्षों में, ऋण ले अवधि, जो भी कम हो, शामिल की जाएगी। ट	नि के सम्भय व्यावसायिक र	से मूल्य नि उत्पादन की	भर्धारण तक ते तारीस्व के	की अवधि या अनुरूप वित्ती	लेने के समय से मूल्य निर्धारण तक की अवधि या बकाया पूरे ऋण के पुनर्भुगतान तक की व्यावसायिक उत्पादन की तारीस के अनुरूप वित्तीय वर्ष के संबंध में सूचना, निर्माण-अवधि	ा के पुनर्भुगत र में सूचना, नि	ु ान तक की नांग-अवधि
£ –	मार्टो पर सूचन	ग के आभि	निश्चयन क	ो सरल बनाने	के लिए विभारि	बेत करें।	
3. टिप्पणी रॉ का उपयोग, यदि आवस्यक हो, तो	ो आंकहों ∕फ्र	स्तावों का	ब्यौरा देने /	सफ्ट करने के	तो आंकड़ों / प्रस्तावों का ब्यौरा देने / स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है	<b>ग सकता है।</b>	

=		₩ ₩									[				···	[					
फार्म - ।।		कुल मी.सी. की %																			
		कुल स्व की %																			
		अपफ्रट शुल्क एक्सपो प्रामुल्क																			
		गारंटी कम्मीशन																			
		स्थाज दा																प्रस्तुत करें।			
		खर अवधि													,			(फार्मेट) में			
		पुनर्भुगत्वन की अवधि																वरण प्राह्त			
		यांधि कुल (करोड़ स्फ में)																केज के वि			
		राधि भारतीय मुद्रा मे (करोड़ स्य में)																त, वित्तीय र			
		विनिमय दर																यथाअनुमोदि			
	विवरण	राग्नि एफ.सी. में (मुद्रा का न्वम)																हिकारी हारा			
नाम	वित्तीय पैकेज का विवरण	निधि का स्रोत ऋण													ख)	ख)		टिप्पणी : परियोजना के अनुकोदन के सबय सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाअनुमोदित, वित्तीय पैकेज के विवरण प्रारूप (फार्मेट) में प्रस्तुत करें।	ोती बुद्रा	ोजना सागत	
धाकित केन्द्र का नाम			विदेशी	342 미 - 1	<b>ailei – 2</b>	3분에 - 3	<u>⊐u</u> er - 4	भारतीय	국표 데 - 1	ज्यूण -2	कुल आहण (क)	इविचटी	विदेशी	भारतीव	षुल इकिंदरी (स)	कुत वित पोषण (क+स)	कुल परियोजना लागत	टिप्पणीः : परियोजना के	एफत्सी = विदेशी बुद्र	पी.से = परियोजना सागत	

[ भाग III—खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

71

(याचिकाकर्ता )

शक्ति केन्द्र का माम :

## परिचालन एवं रखरखाव व्यय का विवरण

		95-96	96-97	97-98	98-99	99-2000
	1	2	3	4	5	6
(क)	परिचालन एवं रस्वरत्वाव व्यय का क्यौरा			· ·		
	1 कर्मचारी लागत					
	2. मरम्मत एवं रख-रखाव	1				
	3. भंडार-जिसकी खपत की गई		1	1		
	4. प्रावित्त प्रभार			1		
	<ol> <li>जल प्रभार</li> </ol>	1	1			
	6. संचार व्यय		1			
	7. योत्राष्ट्रपय		1			
	8. बीमा		1	1	1	
	- संयंत्र एवं मशीनरी	1			<u> </u>	
_	- अम्प		1			
	9. किराया	1	1	1	1	
	10. सुरक्षा - व्यय	· ·				
_	11. ब्यावसायिक व्यय					
	12. मुद्रण एवं सेखन सामग्री					
	13. कार्पोरेट कार्यालय व्यय विनिधान	1				
	14. अन्य ब्यय	<u>  " </u>	1	+		1
	15. कुल (1 से 14)	1		1		
	घटाएं : वसूली (यदि कोई हो)					
	मिवल व्यय			T		
	टिप्पणी : 1. उत्पावक कोन्द्रों को कार्पोरेट ब्यम के बिनिधान की प्रक्रिया विनिर्विष्ट की आए। 2. विए गए शीर्ष के अंतर्गत परि एवं रख-रखर ब्यय में बार्षिक वृत्ति (20 प्रतिशत से अधिक का स्पष्टीकरण विया जाए) 3. आंकडे सांविधिक सेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किए जाए।					
(रेष)	कार्पोरेट कार्यालय व्यय		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			+
·	(कुल)	1			+	1
	- प्रत्यक्ष कर्मचारी व्यय	1	t	1	1	+
	- रिपेयर एवं रखरत्वाव	1			·•	<b>†-</b>
	- प्रशिक्षण एवं भर्ती	1	1			
	- संभार	1			<u>+</u>	1
	- uman	<u> </u>	t	1	1	† <del></del>
	- सुरक्षा	1	ļ		+	1
	- किराया	<b></b>	<u> </u>	1	+	- <u> </u>
	- अन्य	†			1	+

(यायिकाकर्ता)

फा**र्म** -13

73

## कोयला/लिग्नाइट आधारित केन्द्रों के ऊर्जा प्रभारों के अभिकलन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण/सूचना

कंपनी

उत्पादक केन्द्र

स्थापित क्षमता (मे.वाट.)

संयंत्र का कन्फीगरेशन

क्र.	विवरण	ऊर्जा प्रभा	र अभिकलन के लिए	विचारित व्यय
सं.		भारत सरकार की परियोजना विशिष्ट टैरिफ अधिसूचना के अनुसार	लाभभोगियो के पी.पी. ए. ⁄बी पी.एस ए. के अनुसार	सी.ई आर.सी की अधिसूचना के अनुसार
1.	केन्द्र का सी.ओ.डी.	<u> </u>		
	इकाई - I			
	इकाई - II			
		「 <u> </u>		
	इकाई -एन			
	टिप्पणी : केन्द्र का सी.ओ.डी. चालू अतिम इकाई का सी.ओ.डी. होगा			
2.	सकल केन्द्र ताप दर (के.केल./के.डब्ल्यू.एच.) जी.एच.आर.			
	- स्थिरीकरण अवधि के दौरान			
	- परवर्ती अवधि			· · · · ·
3.	माध्यमिक ईंधन तेल खपत (एम.एल./के.उम्ल्यू.एच.) (क्यू)			
	- स्थिरीकरण अवधि के दौरान			
	- परवर्ती अवधि			
4.	अतिरिक्त ऊर्जा की खपत (%) (अतिरिक्त)			······································
	- स्थिरीकरण अवधि के दौरान			
	- कूलिंग टावर के साथ			
	- कूलिंग टावर के बिना			
	परवर्ती अवधि			······································
	- कूलिंग टावर के साथ			
	- कूलिंग टावर के बिना			
	बी.एफ.पी. की प्रकृति का उल्लेख करें -			
	क्या विद्युत चालित है या वाष्प चालित			
5.	टैरिफ फाइलिंग के महीने से पिछले तीन महीनो की कोयले/ लिग्नाइट की बेटेड औसत जी.सी.वी. (के.केल/कि.ग्रा.) (जी.सी.वी.) <sub>1</sub> (फार्म 13-ए में विस्तृत वर्क्तशीट प्रस्तुन करे)			

#### फार्म-13

# कोयला/लिग्नाइट आधारित केन्द्रों के ऊर्जा प्रभारों के अभिकलन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण/सूचना

कंपनी

उत्पादक केन्द्र

स्थापित क्षमता (मे.वाट.)

सयंत्र का कन्फीगरेशन

क्र.	विवरण	ऊर्जा प्रभा	र अभिकलन के लिए	विचारित व्यय
सं.		भारत सरकार की परियोजना विशिष्ट टैरिफ अधिसूचना के अनुसार	लाभभोगियों के पी.पी. ए. ⁄बी.पी.एस.ए. के अनुसार	सी.ई.आर.सी की अधिसूचना के अनुसार
1.	केन्द्र का सी.ओ.डी.			<b></b>
	इकाई - I			···· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ·
	इकाई - II			
	इकाई -एन			
	टिप्पणी केन्द्र का सी.ओ डी. चालू अतिम इकाई का सी.ओ.डी. होगा			
2.	सकल केन्द्र ताप दर (के.केल./के.डब्ल्यू.एच.) जी.एच.आर.			
	- स्थिरीकरण अवधि के दौरान			
	- परवर्ती अवधि			
3.	गाध्यमिक ईंधन तेल खपत (एग.एल.∕के.डक्ल्यू.एथ.) (क्यू)			
	- स्थिरीकरण अवधि के दौरान		_	
	- परवर्ती अवधि			
4.	अतिरिक्त ऊर्जा की खपत (%) (अतिरिक्त)			
	- स्थिरीकरण अवधि के दौरान			
	- कूलिंग टावर के साथ			
	- कूलिंग टावर के बिना			
	परवर्ती अवधि			
	- कूलिंग टावर के साथ			
	- कूलिंग टावर के बिना			
	बी.एफ.पी. की प्रकृति का उल्लेग्य करें -			
	क्या विधुत चालिन है या वाष्प चालिन			
5.	टैरिफ फाइलिंग के महीने से पिछले तीन महीनों की कोयले ⁄ लिग्नाइट की षेटेड औसत जी.सी.वी. (के.केल ⁄ कि.ग्रा.) (जी.सी वी.) <sub>स</sub> (फार्म 13 -ए मे विस्नृत वर्कशीट प्रस्तुत करें)			

.

कीपता / सिमा बाट आधारित केंद्रों के उसकी भ्रम्प्र के परिकतन के लिप भ्रमुत किया जाने बाता विपरण / पूर्वन किसि क्वाप्तन के लिप भ्रमुत के लिप जाने के लिप जाने के लिप नहीं के लिप की की मही किसि क्वाप्तन के लिप का यही के लिप की / सिमा का को लिप की को तिप्त की को लिप को को लिप को	ज्यां प्र	भार के पाँ								•
प्रथम महोने के लिए         दूसरे महोने के लिए         के लिए         के लिए         के लिए           मुल बेटेड         मुल बेटेड         मुल बेटेड         मुल बेटेड         मुल बेटेड         के लिए         के लिए           मुल बेटेड         मुल बेटेड         मुल बेटेड         मुल बेटेड         मुल बेटेड         मुल बेटेड         के लिए         के लिए           मान हे तो मत्रदेशन         ((लएलती)         के लिए         के लिए         के लिए         के लिए         के लिए           मान हे तो मत्रदेशन         ((लएलती)         को सेतत वे         आंगत वं         के लिए         के लिए           ((लएलती)         (क)         ((लएलती)         को सेतत वे         के लिए         के लिए         के लिए           ((क)         ((क)         ((क)         ((क)         ((क)         ((क)         ((b)			ধিলন	के लिए फ्र	स्तुत कि	<b>॥ जाने</b> वा	ला विक्स	ण ⁄ सूचना		
सुल बेटेड ज़ोसन ज़ोसन ज़ोसन ज़ोसन ज़िस वेटेड ज़ोसन ज़िस वेटेड ज़ीसन ज़िस वेटेड ज़ीसन ज़िस वेटेड ज़ीसन ज़िस वेटेड ज़िस वेटेड ज्जिम वेटेड ज्जुम वे			प्रथम मह	धने के लिए		मे के लिए	मीस)	महीने लिए	at the	में महीनों लिए
स्वित्त वित्त         (तपराप्ती)         (पपराप्ती)         (पपराप्ती)           विंग         ((का)         ((का)         ((का)           ((a)         ((a)         ((a)         ((a)           ((a)         ((a)         ((a) <td< th=""><th>r बेटेड सित</th><th>पूर्ण पुष्</th><th>मु भुष</th><th>कुल वेटेड औसत</th><th>कें केंग्र</th><th>कुल वेटेड औसन</th><th>क् एक</th><th>कुल वेटेड औसत</th><th>रू ज</th><th>कुल वेटेड औसत</th></td<>	r बेटेड सित	पूर्ण पुष्	मु भुष	कुल वेटेड औसत	कें केंग्र	कुल वेटेड औसन	क् एक	कुल वेटेड औसत	रू ज	कुल वेटेड औसत
म्रान है तो मर्स्टोपत म्रान है तो मर्स्टोपत (स्पल्पती) (स्पलि)										
Rel         (renterif.)										
(खरापती)         (खरापती)         (खरापती)           (a)         (a)         (a)           (a)         (b)         (a)           (a)         (a)         <										
से         (to)         (to)           त         (to)         (to)           (to)         (to)         (to)		(एमएनटी)								
(Eo)         (Eo)         (Eo)           Ratar Terr         (Eo)         (Eo)										
स्व         (so)         (so) <th< td=""><td></td><td>( teo )</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>		( teo )								
त्रा     (to)     (to)     (to)     (to)       आधार गुल     (to)     (to)     (to)     (to)       सिवहन     (to)     (to)     (to)     (to)       गुल     (to)     (to)     (to)     (to)		( Eo )								
ति         (to./vetb)         (to./vetb) <td></td> <td>(<b>t</b>o)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		( <b>t</b> o)								
सिंहत / विच्च     (संहत / विच्च)       आग्र मूल्य     (स्त)       आग्र मूलय     (स्त)       संपत्ती     (स्त)       तेत च स्पूरी     (स्त)       तेत च सपूरी     (स्त)       तेत च सपूरी     (स्त)       तेत च सपूरी     (स्त)       तेत च सपूरी     (स्त)       प्रतिहतन     (स्त)       स्ति     (स्त)       स्ति     (स्त)       स्ति     (स्त)       स्ति     (स्त)       स्ति     (स्त)       स्ति     (म्ल)       तेरी     (म्लारी)       चित गीते     (म्लारी)       चित गीते     (म्लारी)		(६०/स्पती)								
आप सुन्य       (म0)       (म0)       (H0)		(केंकेत/किस्त)								
साबदी     (क)     (क)       तेत ज सुपूरी     (क)     तेत ज सुपूरी       तेत ज सुपूरी     (क)       विक्राय का     (क)       प्रिंतहन्न     (a)       जुला     (b)       हुरी     (b, b)       हरी     (b, b)       हर     (b, b)       ह		( <b>E</b> 0 )								
हेत य ह्यूटी विक्रय कर परिवहन दूरी हुत्ते हुत्त राशि		(Fo)								
विक्रंप कर परिवहन हैरी हुन्तु हुन्तु हुन्तु हुन्तु	। हसूरी	(¥0)								
परिवहन कुल गाँधी हेरी	। स्र	(a)								
कुल कुल गीरी कुल गीरी	E	(tea)								
दूरी कुल यांग्रि		( <b>₹</b> 0)								
दर कुल गीमि		(कि.मी.)								
कुल राधि	, <b></b>	(कः/कि								
कुल सीध		मी. / एम.टी )								
	-	(±o)								
		(Ec)								
उक्त दिए गए मासिक आंकड़ों के समर्थन में दस्ताके कोयला/लिम्नाइट कंपनी एवं परिवहन कंपनी द्वारा हि ट्य एम्टर में क्षेत्र आग्यी को तिम्लही आपार एउ आह			(एमएनटी) (एमएनटी) (एमएनटी) (क) (क) (क) (क) (क) (क) सेस बुल (क) सिक्त कि (क) सिक्त कि (क) सित्त सित सित्त सत	(एमएमटी) (एमएमटी) (एमएमटी) (स्०) (स्०) (स्०) (स्०) (स्०) सिक्त / स्ब) सिक्त / स्ब) सिक्त / स्ब) सिक्त / स्ब) सिक्त (स्०) सिक्त सी सिन्त सी सी सिन्त सी सिन्त सी सिन्त सी सिन्त सी सिन्त सी सिन्त सी सिन्त सी सिन्त सी सी सी सी सी सी सी सी सी सी सी सी सी स	सि प्रिस्पस्टी) (एसएसटी) (स्र) (स्र) (स्र) (स्र) (स्र) (स्र) (स्र) सि प्रय का विवराण दे। द्युषे (स्रि) सि प्रय का विवराण दे। द्युप्त सर्भ सि प्रय का विवराण दे। सर माह प्रति माह आधार पर ईंधन भूल्य समायोर	(एमएमटी) (एमएमटी) (एमएमटी) (स्ट) ( (स्ट) ( ( (स्ट)) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	(एसएसटी) (एसएसटी) (हरू) (हरे) (हरू) (हरे)	(एमएनाटी) (एमएनाटी) (हरु) (हरु) (हरु) (हरु) (हरु) (हरु) (हरु) (हरु) हरूरी (हरु) हरूरी (हरु) (हरे) (हरु) (हरे) (हरु) (हरे) (हरु) (हरे) (हर) (हरे) (हर) (हर) (हर) (हर) (हर) (हर) (हर) (हर	(एसएसटी) (एसएसटी) (ह.) (ह.) (ह.) (ह.) (ह.) (ह.) हहूद (ह.) (ह.) (ह.) (ह.) (ह.) (ह.) (ह.) (ह.)	(स्थालगंटी) (स्थालगंटी) (स्थालगंटी) (स्थालगंटी) (स्थालगंटी) (स्थालगंटी) त्या (स्थालगंटी) ति (स्थालगंटी) ति (स्थालगंटी) ति स्थालगंटी ति स्थालगंटी

**फार्म**-14

# गैस/नाफ्था/तरल ईंधन आधारित केन्द्रों के ऊर्जा प्रभारों के अभिकलन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण/सूचना

कंपनी

उत्पादक केन्द्र

स्थापित क्षमता (मे.वाट.)

संयंत्र का कन्फीगरेशन

क्र.	विवरण	কর্জা प्रभा	र अभिकलन के लिए	विचारित व्यय
सं.		भारत सरकार की परियोजना विशिष्ट टैरिफ अधिसूचना के अनुसार	लाभभोगियो के पी.पी. ए.⁄बी.पी.एस.ए. के अनुसार	सी.ई.आर.सी. की अधिसूचना के अनुसार
1.	केन्द्र का सी.ओ.डी.	<u> </u>		<u>.</u>
	इकाइ / ब्लॉक - I			
	इकाइ ∕ ब्लॉर्क - II			
	इकाइ ∕ ब्लॉक - एन			
	टिप्पणी : केन्द्र का सी.ओ.डी. यह होगा जो पिछली चालू			
	अंतिम इकाई/य्लॉक का सीओ.डी. होगा			
2.	केन्द्र की सकल ताप दर (के.केल./के.डब्ल्यू.एच.) जी.एच.आर.			
	- ओपन साइकिल परिचालन			
	- सयुक्त साइकिल परिचालन			
3.	अतिरिक्त ऊर्जा स्थपत (%) (अतिरिक्त)			
	-ओपन साइकिल परिचालन			
	- स्थिरीकरण अषधि में परवर्ती अवधि			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	संयुक्त साइकिल परिचालन			
	- स्थिरीकरण अवधि में परवर्ती अवधि			
4	टैरिफ फाइलिंग के महीने से पिछले तीन महीनों के लिए गैस/ नाफ्धा/द्रव्य ईंधन/ एस.एफ.ओ. के जी.सी.वी. वेटेड औसत/ के केल/एस.सीएम. या के.केल/कि.ग्रा.) (जी.सी.वी.) <sub>ग</sub> या (जी.सी.वी.) <sub>एन</sub> (फार्म 14 -ए मे विस्नृत वर्कशीट प्रस्तुत करें)			
5	टैरिफ फाइलिंग के महीने से पिछले तीन महीनों के लिए गैस/ नाफ्था/द्रव्य ईंधन/एस.एस.ओ. का वेटेड औसत मूल्य (रू0/ हजार सी.एम.या रू0/एमटी.) - (पी.) <sub>ग</sub> (फार्म 14-ए मे ि.स्तृत वर्कशीट प्रस्तुत करें)			
6	ईंधन मूल्य समायोजन सिद्धांत का उल्लेख करें - ओपन साइकिल परिचालन - स्थिरीकरण अवधि मे - परयर्ली अवधि - सयुक्त साइकिल परिचालन			

कंपनी

उत्पादक केन्द्र

स्थापित क्षमता (मे.वाट.)

संयंत्र का कन्फीगरेशन

क्र.	विषरण	ऊर्जा प्रभा	र अभिकलन के लिए	विचारित व्यय
सं.		भारत सरकार की परियोजना विशिष्ट टैरिफ अधिसूचना के अनुसार		सी.ई.आर.मी. की अधिसूचना के अनुसार
	- स्थिरीकरण अवधि में	<u></u>		
	- परवर्ती अवधि			
टिप्प 1.	णी : भारत सरकार की परियोजना विशिष्ट टैरिफ अधिसूचना या		। गी.पी.ए. की एक प्रति	। प्रस्तुत्त करें।
2.	ओपन साइकिल एवं संयुक्त साइकिल परिचालन के ऊर्जा ऽ अलग-अलग दें।			-

- 3. कोई अन्य संबंधित सूचना प्रस्तुल करें।
- 4. जो लागून हो उसे काट दें।

(याचिकाकर्ता)

गैस/नाफ्या/द्रव्य ईंधन आधारित केन्द्रों/गैंस ईंधन	आधारित एस.एफ.ओ.		ऊर्खा 3	फार्म-।4 ए के ऊर्खा प्रभार के परिकलन के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण ⁄ चूचना	र्किलन वे	के लिए प्रस	रुत किय	जाने वाल	म म विवर	फार्म-14 ए वरण ⁄ दूचना	78
			प्रथम सर्ह	प्रथम महीने के लिए	दूसरे मही	दूसरे महीने के लिए	में में	तीसरे महीने के लिए	सम्म ती के	सभी तीनों महीनों के लिए	}
	कुल वेटेड औसत	केल	स् कि	कुल वेटेड औसत	म् स्ट्र	कुल वेटेड औसत	्म के	कुल वेटेड औसत	ਦ ਓ?	कुल वेटेड औसत	
तिभिष्											
कन्साइनमेंट स											
द्रव्य ईंधन/एसएफ.ओ./गैस की मात्रा		(एमएमटी) /एमसी.एन	/एमसी.एन								
द्रव्य ईंधन/एस.एफ.ओ./गैस की प्रकृति/ग्रेड											THE
ईंधन कम्पनी द्वारा ली गई राशि		(teo)									E GA
कोयले की प्रकृति/ग्रेड											ZE
कोयला कं द्वारा वसूल की गई राशि		(환)									TE
रेल / शिप / सड़क / पाइपलाइन द्वारा परिवहन		(teo)									OF I
भुगतान किया गया कुल मूल्य		( <b>æ</b> o )									NDI
भेजे गए द्रव्य ईंधन ∕ गैस का इकाई मूल्य		(क₀ ∕एमटी)									A
ईधन का जो.सी.वे.		के केल /मिग्राम	च	केकेल⁄घन मीटर							EXT
ईधन कंपनी द्वारा क्सूल की गई राशि	आधार मूल्य	( <b>F</b> o)									RAC
	रायल्टी	( to )									RDI
	सेस या इयूटी	(to)									NAF
	विक्रय कर	(to)									<u>.</u>
	परिवहन	( ∳o )									
	कुल	(teo)									
रेल /शिप / सड़क भार्ग द्वारा परिवहन	दूरी	(कि.मी. )									
	दर	(कः /कि.मी.	. / एम.टी								PAR
	कुल सांधि	(teo)									<u> </u>
कुल भुगतान किया गया		(teo)									-Sec
िटिपाणी : । उक्त दी गई मुचना के समर्थन में दस्सवेजी प्रमाण दे। 2. ईंधन कंपनी एवं परिवहन कंपनी द्वारा लिए गए मूल्य का विवरण दें। 3 सी.ई.आर.सी. को तिमाही आधार पर माह प्रति माह आधार पर ईंधन म	। दे। त्य का विवरण दें। आधार पर ईंधन मृत्य समायोजन के आंकडे इस प्राह्म	। मुल्य समायोज	न भ <u>ु</u>	डे इस प्राह्म में	70				(नानि)	(याचिकाकर्ता)	<u>. 4]</u>
		6									

,

## ऊर्जा प्रभार दर परिकलन की पद्धति

क्रम सं0	विवरण	फार्मूला	कीमत
1.	माध्यमिक ईंधन तेल∕वैकल्पिक ईंधन से ऊर्जा प्रभार की दर (आरई.सी.) <sub>एन</sub>	=(क्यू <sub>रग</sub> ) <sub>एन</sub> xपी <sub>एन</sub>	
2.	एस.एफ.ओ.∕वैकल्पिक ईंधन से हीट योगदान (एच.) <sub>एस</sub>	=(क्यू <sub>एस</sub> ) <sub>एन</sub> xजीसीवी <sub>"म</sub>	
3.	एस.एफ.ओ.∕ वैकल्पिक ईंधन से हीट योगवन (एच.) <sub>¶</sub>	= जीएचआर -एच <sub>एन</sub>	
4.	विशिष्ट प्राथमिक ईंधन खपत (क्यू <sub>न) एन</sub>	= एच <sub>प</sub> ∕ (जीसीवी) <sub>ग</sub>	
5. 6	प्राथमिक ईंधन से ऊर्जा प्रभार की दर (आरई.मी) <sub>ग</sub> ऊर्जा प्रभार एक्स-बस प्रति के. डब्ल्यूएच दर (आर.ई.सी)	= (क्यू <sub>भ) एन</sub> x पी <sub>ग</sub> = (आरर्इसी) <sub>एग</sub> + (आरर्इसी) <sub>ग</sub>	⁄ (1-एयूएक्स )

टिप्पणी :

 कोयला / लिग्नाइट ज्वलित संयंत्रों के मामले मे स्थिरीकरण अवधि एवं परवर्ती अवधि के लिए ऊर्जा प्रभार की दर अलग-अलग परिकलित की जाएगी।

- 2 गैस/द्रव्य ईधन ज्वलित संयंत्रों के मामले में स्थिरीकरण अवधि तथा परवर्ती अवधि के लिए तथा ओपन साइकिल एव सयुक्त साइकिल के लिए ऊर्जा प्रभार दर अलग-अलग परिकलित की जाएगी।
- सम्पूर्ण ऊर्जा प्रभार, एबीटी. द्वारा कवर्ड सयंत्रों के मामले में भेजी जाने वाली एक्स-बंस ऊर्जा डिलीवर्ड ⁄ सेंट आउट के आधार पर तैयार किए जाएगे।

परिशिष्ट - 1

٦

Г

## हाइड्रो केन्द्रों के लिए टैरिफ फाइलिंग के दस्तावेजों की जांच-सूची (भाग-2)

1.	सक्षम प्राधिकारी से परियोजना का अनुमोदन	
2.	सक्षम प्राधिकारी से पूंजीगत लागत अनुमोदन	
3.	इक्विटी सहभागिता करार एवं विदेशी इक्विटी के लिए आवश्यक अनुमोदन	
4.	वित्त वर्ष 1998-99 एवं उससे आगे के केन्द्रवार/कार्पोंग्ट लेखा परीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ तथा हानि खाते और सभी अनुसूची एवं अनुबंध	

80	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY	[Part IIISec. 4]
5.	भारत सरकार की परियोजना विशिष्ट टैरिफ अधिसूचना या लाभभोगियों सहित पी. पी.ए. की एक प्रति।	
6.	टैरिफ प्रस्ताव का विवरण (फार्म-1)	
7.	ऊर्जा प्रभार के अभिकलन के लिए अपेक्षित सूचना एवं क्षमता-सूची (फार्म-2)	
8.	नियत-प्रभार के विभिन्न घटकों का सार (फार्म-3)	
9.	ऋण∙पर ब्याज का अभिकलन (फार्म∽4)	
10.	कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज की औसत दर परिकलन का विवरण (फार्म सं0 - 5 )	
11.	सी.ई.आर.सी. मानदण्डों के अनुसार परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्वास का विवरण (फार्म सं0 -6 )	
12.	परिचालन एवं रखरखाव व्यय परिकलन (फार्म सं० - ७)	
13.	पूंजीगत लागत एवं वित्त-पोषण ढांचे का विवरण (फार्म सं0−8)	
14.	वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय तथा पूंजीकृत अनुमोदित व्यय का विवरण (फार्म सं	0-9)
15.	पर्यावरण संबंधी मामलों एवं इसके संबंधित विषयों की सूचना (फार्म सं० 9 ए)	
16.	बकाया ऋण, ब्याज एवं उस पर वित्त पोषण - प्रभारों का विवरण (फार्म सं. 10)	
17.	वित्तीय पैकेजों के विवरण (फार्म सं.–11)	
18.	परिचालन एवं रख-रखाव व्यय के विवरण (फार्म सं0–12)	[]
19.	कोई अन्य संबंधित सूचना (कृपया उल्लेख करें)	

٠

# टैरिफ फाइलिंग फार्म - भाग-II (हाइड्रो उत्पादक कंपनी)

कंपनी का नाम

उत्पादक केन्द्र का नाम

टैरिफ फाइलिंग के कारण का संक्षिप्त विवरण

-----से ----- तक की टैरिफ अवधि को शामिल करने के लिए टैरिफ प्रस्तावों का विवरण

विवरण	वर्त्तमान		प्रस्तावित	
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
. नियत प्रभार का विवरण (करोड़ का)				
1.1 ऋण पर ब्याज (फार्म~3)				
<ol> <li>1.2 कार्यशील पूंजी पर ब्याज (फार्म-3)</li> </ol>	,			
1.3 मूल्यह्नास (फार्म-3)			,*	
1.4 मूल्यहास पर अग्रिम (फार्म-3)				
1.5 इक्विटी पर प्रतिफल (फार्म-3)				<b>-</b>
1.6 परिचालन एवं रख-रखाव व्यय (फार्म-3)				
मुल				
2. प्राथमिक ऊर्जा प्रभार (करोड़ रू०)	1	I		·
(फार्म-2 के अनुरूप)				

टिप्पणी :

वार्षिक क्षमता प्रभार + वार्षिक ऊर्जा प्रभार, वार्षिक नियत प्रभारों के बराबर होंगे।

(याचिकाकर्ता)

## शक्ति केन्द्र का नाम :

फार्म -2

## ऊर्जा प्रभार के अभिकलन के लिए अपेक्षित सूचना एवं क्षमता-सूची

क्र. स.	विवरण		मीजूवा 2000-2001	टैरिफ अवधि 2001-2004 के लिए सी.ई.आर.सी मानदण्डों के अनुसार
1.	स्थापित क्षमता मे.वाट		<u>_</u>	
2.	गृह राज्य को नि शुल्क शक्ति %			
3.	व्यावसायिक परिचालन की तारीग्व		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	इकाई-1		· · · · · · · · · · · · · · · ·	
	<u>इ</u> काई-2			
	इकाई - 3			
4.	केन्द्र की प्रकृति		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	(क) सर्फेस		<u></u>	
	(रख) भूमिंगत			
5	निकास की प्रकृति			
	(क) जेनरेटर पर रोटेटिंग एक्साईटर		<u></u>	
	(ख) स्टेटिक एक्साईटेशन प्रणाली		<u> </u>	
6.	डिजाइन ऊर्जा	पैसे / को डब्ल्यू एच.		
7	अतिरिक्त खपन	%	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
8	ट्रासफोर्मेशन हानि	%		
9.	प्राथमिक ऊर्जा दर (संबंधित क्षेत्र के केन्द्रीय	पैसे ∕ के.उब्ल्यू.एच	<u></u>	
	उत्पादक केन्द्र का 90% एल.बी.सी.)			
10	प्राथमिक ऊर्जा प्रभार	करोड़ रू में		
n	क्षमता -सूची	1 1		
5	नॉर्मेटिव क्षमना सूचकाँक	85%		

(याचिकाकर्ता)

श्ववितः केन्द्र का नाम									फार्म - 3	
						₽.	दक तिथि	विभेदक तिथि से टैरिफ अवधि तक	ग्वधि तक	[भाग]
मार्च को समाप्त वर्ष	-	2	e	4	ۍ	2000-01	01-02	02-03	03-04	
नियत प्रभारों के विभिन्न घटकों का सार										দ্বেত্র .
।.। व्रधन पर ब्याज्ञ (फार्म-4 के अनुसार)										1]
12 कार्यक्रील पूजी पर ब्याज (फार्ब-5 के अनुसार										
1.3 मूल्पह्वात (ए) (फार्म-6 के अनुसप)										
1.4 मूल्यहास पर आग्रेम										
वर्ष के दौरान ऋण का भुगतान										गरत
(फार्क-4 के अनुसार)										का व
न्म्रण का ब्याहिवां भाग र										राजप
										त्र : 
ए.ए.ख.के.अतगत दय साज्ञ (बा.) जन्महाज्ञ पर अधिक (डी.–ए)										असार
										भारण
1.5 इविवटी पर प्रतिभन्त न्त्रन्म										
1 1										
विदेशी इविवटी पर प्रतिफल -										
भारतीय इविचटी पर प्रतिपत्त इविचटी यर प्रतिफल (करोड क०)										
1.6 परिचालन एव रस्तरस्वय व्यय कन्नते हो नहीं हो ज्वई-किन्ने हे (फ्लफ़्लन)										
ताहर्षे के लिए उनुसा कुल अनुसा की एव राजपाय (टी.बेलारसएस 1= स्तरसारस प्राय ब्रोप्सप्रसाल (म्बर्ग-२)										
तमें का सेडनों के लिए कुल अनुमत थीं स्व सव-रस्वय (टीडोएसडीस्त)= वेएनस्व X इनओएनवेस्ति (फ्रॉनेन्ट)								4	(याचिकाकर्ता)	83
कुत अनुमत फी एव रात्राख्य (टी.खेर्म्याएस.एस.+टी.खेर्म्पाडेएन)							+			5 

शकित केन्द्र का नाम									फार्म- ⊿	r—
व्याक्सायिक परिचालन की तिथि से									r - -	
मार्च को समाप्त वर्ष	 2	e	4	Ī	1	10-0007	01-02	02-03	03-04	
अस्ण पर ब्याज का अभिकलन										1 .
द्वाण-प्रभार का अभिकलन										
क्सणा-1 मूल जुद्रा में क्षण										
भूल राशि का पुर्न भुगतान रेसरेस स्टब्स्	 									
ाषदय शाभ व्याज - करोड स्० मे	 									
च्राण-2 मुल मुद्रा में द्वापा	 +		<u> </u>							
ूर्त्त सींग का पुर्न भुगतान	 									
भेषदेय सभि	 									
ब्याज - करोड ६० मे	 									
उस्यण - 3 मूल मुद्रा में उस्पुण	 									·
मूल सींध का पुर्न भुगतान					-					
शोषदेय राशि	 									
ब्याज - केरोड स्० मे	 									
त्रधण∼4 मूल मुद्रों में त्रिण	 									
मूल राग्नि का पुर्न भुगतान केलनेल ता <del>कि</del>	 									
भाग करोड़ ६० मे ब्याज - करोड़ ६० मे	 									
दार्षिक किस्त (करोड रू० मे)				<u>}</u>						<u> </u>
संचित पुनर्भुगतान										` <u> </u>
वर्ष के अत में ऋण (वर्तमान वास्तविक दर)	 ·									
बी. / एस. ॠण	 									г. –
कुल व्याज भुगतान	 									
टैरिफ के लिए उसण पर ब्याज										T
आई.डी.सी को प्रभारित व्याज										
<b>टिप्पणी</b> :अतिरिक्त ऋण - यदि कोई हो तो पुन	 ·									r – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
विवरण द									(याचिकाकती)	- <u> </u> 1

THE GAZETTE OF INDIA DISTRAORDINARY (PARCHI SEC. 4)

<u>8</u>4

-

(याचिकाकर्ता)

	का वि	ववरण			
क्रम	ऋण का संक्षिप्त विवरण	राशि	ब्याज दर	ब्याज	T
सं०		(करोड़ रू में)	(%) (सीसी)	ļ	
1	2	3	4	5=3*4	
क					
ख		1		<u> </u>	
ग		<u> </u>		<u> </u>	<b>↓</b>
घ				} 	¥
ह			<u> </u>	<u> </u>	+
		<u> </u>	<del>}</del>	<u> </u>	+
+		<u> </u>		<u> </u>	+
					f
$ \rightarrow $	<b>मु</b> ल	<u> </u>			ļ
	ब्याज की भारित औसत दर (5/3)		ļ	<b>↓</b>	<b>↓</b>
	मार्चको समाप्त वर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
	कार्यशील पूंजी पर भ्याज				<u>↓</u>
	परिचालन एवं रखरखाव व्यय - । महीना				
†	स्पेयर्स*		<u> </u>		1
	प्राप्त करने योग्य = 2 महीने				
	कुल कार्यशील पूंजी (करोड़ रू० में)				
		<u> </u>		ĺ	<u> </u>
	कार्यशील पूँजी ऋण अनुमत	<u> </u>			<u> </u> -
	भारित औसत ब्याज दर	<u> </u>			<u> </u>
	कार्यशील पूंजी पर क्याज (करोड़ का में)				
		<u>├</u>	<u> </u>		+
आव प्रार्रा	खरखाव स्पेयर वास्तविक आधार पर किन्तु एक वर्ष की गरयकता घटा प्रारम्भिक स्पेयर के पाँचवें भाग से अधिक नहीं। म्भक स्पेयर का यह मूल्य पूँजीकृत है। ो ≕ कैश क्रेडिट				

शक्ति केन्द्र का नाम :

कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज की औसत दर तथा कार्यशील पूंजी की राशि के परिकलन

फार्म-5

शवित केन्द्र का नाम															फार्म - 6	9
														<u>B</u>	(म्ध करोड़ों में)	में)
	and the second	केस उन्हरन हे हिन्	र अनुमेदित तका किंगेन कालीक चका क्राह	155 156	न क्रान्सिक	16 ALK	(Are med mo ) (計を refer to	a Anter anter an Anter anter anter		आवित	मूल्यहात की ह		ŧ	की के टील ज	अच्ची देरोलन भूत्व हित की प्रीत	की रक्षी
	<b>F</b>	यतं ने समय न	च्ची नेतन किंग हो होते. स्वति के सन		14 (H) (H)	¥.					रा (ब्रोसी किं क्षेत्र अगर के	9	60-10	tστω	10°.0	
	-	7	-	1	2000 -01	2000-01 2001-02 학 퍜			तायन्	<b>답</b>	क्र अधिवृत्तित की नई है।	मुल्महार नुल्महार	5	- 3 3		्र जिस्साय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(2)	(8)	(6)	(10)	(11)=(10)-(7)	) (12)	(13)	(*	(15)	(16)	(17)
(क) (i) सभी नुरुष नदे																
(क) भूमि (क																
(स्व) भवन																
(ग) संयंत्र एवं मझीन्सी															1	
(A)																
(क) (ii) अम्य छोटी मदे																
कुल (क)																
(स्र) उक्त (क) वें झामिल निम्नलिस्वित वदों का उल्लेख कों																
(क) पू <mark>ंजीकृत क्रामेम्क स्</mark> वेयर																
(स्व) निर्माण के दौरान ब्याज																
पूंचीकृत																
(म) प्रदूषण निधंत्रण के उपकेसण																
कील स्व																
														÷	(याचिकाकर्ता )	कर्ता )

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III--SEC. 4]

									,				_
धाक्त परिचा	शाक्त केन्द्र का नाम परिचालन एवं रखरखाव व्यय का परिकलन	न										फार्म - 7	
		1995 - 96	1996 - 97	1997 - 78	1998 - 99	1999 - 2000	औसन 95-95 में 92-00	अगधार 1999 - 2000	आध्यत 2000 - 2001		टेरिफ अवधि 2001-2002   2002-2003   2003-2004	2003-2004	— खण्ड —
		121	(8)	14)	(5)	(6)	(2)		[6]	_	(III)	(12)	• • • ] • • • ·
मामला - ।	् परि एवं रस्वर आंकड़े 1995-96 से	1999-2000 <del>d</del>	तक उपलब्ध										
	(क) कुन परि एव स्वर व्यय												
	(ख) अमानान्य परि एव रस्वर व्यय*												
	- अनिरिकन सुरक्षा व्यय												
	- साइ										}		
	- ओवर स्टैंफिंग												
	- अन्य कोई												
	(ग) आधार परि एव स्तवर का						ш	X=Ex(11)'	X x (1.06)	Xx(1.06) <sup>5</sup>	XX(1.06)	Xx(1 06)*	
	परिक-नन (कस्व )									, . , .		-	
मामला - 2	मानला-2 ः वर्तनान संयंत्र जिनके लिए पिछले 5 वर्षों	- 1995-96		से 1999-2000 तक	के मि	एवं रस्वर आंकड़े	उपलब्ध	नहीं है।					
	चानू होने का वर्ष												्जला
	आधार परि व रखर का परिकलन **							~	Y x (1 06)	Y × (1 06) <sup>2</sup>	۲ × (1 06) <sup>3</sup>	Y × (1 06,*	
*	असामान्य परिवालन एवं रस्व-रस्वाव व्यय, जैसे ∶-												
ı	इन्सर्जेसी के कारण सुरक्षा व्यय												
ı	असाबान्य स्थिति के कारण												
1	एन.एच.पी.सी की पूरी हुई परियोजनाओं से वर्ष 1999-2000 तथा रसरस्थाव स्थय में महत्त्वपर्भ कमी ज़ाई है।	र्षि 1999 -2( हे है।		न निर्माण <del>ा</del> धी	न परियोजना	ओं में कर्बच	ारियों को पुन	ितैनात कि	मा समा है।	इसने 1999 -	के दौरान निर्माणाधीन परियोजनाओं में कर्बचारियों को पुनः तैनात किया गया है। इससे 1999 -2000 में परिचातन	रेचातन	
	रसिलिए परिवालन एवं रखरस्वाव के वास्तविक स्वय के पिछले आंकड़ों के आधार पर मानदण्ड नियानक आधार से अधिमुन्दांकित होंगे। इसलिए परिवालन एवं रखरस्वाव के वास्तविक स्वय के पिछले आंकड़ों के आधार पर मानदण्ड नियानक आधार से अधिमुन्दांकित होंगे।	क स्यय के	पिछले आंक	हों के आधा	र पर मानदब	<b>उ नि</b> यानक	आपार से ज	धिमुल्याकित	होंगे। होंगे।				
	स्न.एच.पी.की परिवासन एवं रस्वरस्वाव आंकड़े 1999–2000 में रोजवार स्तर की धारणा के अंतर्गन कन समायोजित करने चाहिए। उनका अर्थ में कि किन्न मानमें से लिए जर्मकी सेना 2000 के रोजवार स्तर की धारणा के अंतर्गन कन समायोजित करने चाहिए।	प्रांक हे 1999 	-2000 H	रोजकार स्तर २००२ २ <del>२</del> <del>२</del>	की धारणा भ	के अंतर्गन	कन समायोति २०२४ २०२०	क्त करने चा	हिए।				
	रवना जन व ान ापनव जानना पर लन्नता वतन, 1999-2000 न एजन। प्रयोक्ता अवामान्य परि एवं. रस्व. व्यय लेने के लिए एक पुथक याविका दर्ज करे।	कनचारा पत के लिए एक	न, १४४४ - ४ इप्रथक या	१०७७ न ८७७ चेका दर्ज क			1999 - 2000 - বেজণাৎ ক আঘাদ ৭ং বনাথোজনে কিথা আছে। যদক যান্রিকার বর্ত্ত করি।	बार					
:	आधार परि एवं रखर = (0.015 x पूज्येगत सामत) 1999	त सामत) । 	999-2000 2	के स्तर पर `	साने के हि टे	<del>য</del> ় যে যি মান্তি মা	-2000 के स्तर पर नाने के लिए 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर बढ़ावा गया।	की दर पर	बढ़ाया गया।		4		
	उदाहरण के लिए याद 1996-97 में चालू समत्र की पूजीगत सागत 100 करोड़ का है तो 1999-2000 का आधार इस प्रकार अभिकलित किया जाता है 1999-2000 का आधार परि एवं रस्मस्वाव = (০০15*1000*71.1003	समत्र को पू र = (nnis	ਗੀਸਰ सागत • 1001• (1	100 केरीड़ 10 <sup>3</sup>	म 19 19	1999 -200	0 का आप्रधार	इ.स. प्रकार	<b>अभिकलित</b>	किया जाता			
				2							(यारि	(याचिकाकर्ता )	<u> </u>

[भाग !!!—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण

शकित केन्द्र का नाम								फार्म - 8
पूंजीगत सागत एवं वित्तपोषण दांचे का विवरण	Ē							
नियत तिथि में मार्च को समाप्त वर्ष	-	5	ę	• • • •	2000-01	01-02	02 -03	03-04
बुमियादी परियोजना वित्तीय मापदण्ड								
परियोजना के प्रारंभ में अनुमोदित पूंजीगत लागत								
वर्ष के दौरान वृद्धि								
वर्ष के दौरान विलोग								
चकल पूर्जीयत लागत (करोड़ रू०) (क)								
टैरिफ के अनुसार भूत्यहास (करोड़ रू०)								
संचित मूल्यहास (करोड़० रू०) (ख)								
मूल्यहास के सोग्य निवल परिसम्पत्तिम (ग≂क-स)								
कार्यक्षेल पूंजी अंतर (कापूंजी का 25%) (घ)								
दीर्घकासीन वित्त से पूरी की गई कुल लागत (ग+घ)								
कूल्यहास के योग्य सकल परिसम्पन्यि								
्मूल परियोज्म्ना लाग्रत की तुलना में इक्विटी								
वर्ष के दौरान वृद्धि								
इ <del>वि</del> वटी उप-योग (ङ)								
भूल पूर्जीगत लागत पर बकाया ऋण								
वर्ष के दौरान जोड़े गए ऋग								
च्चण उप-योग (च)								
कुल वित्तपोषण (								ć
टिप्पणी : अनुमोदित या वास्तविक धूंजीगत लागत - जो	भी कम हो							(যাৰিকাকর্तা)

शावित केन्द्र का नाम										फार्म - 9	<u> </u>
वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय एवं पूंजीकृत∕अनुमोदित व्यय	/ अनुमोदि	त व्यय व	का विवरण	F					<b>a</b>	(स्थ करोड़ों में)	<u>भागे [[[</u> -
वित्यम	नियन निथि	से मार्च को समाप्न	प्न वर्ष						E,		G
	-	2	5	2000-000Z	20-1002	2002-03	2003-04	τ. •	अनुबोदित स्वय	linka 2	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(2)	(0)	(6)	(01)	(12)	+] 
(क) (i) सभी मुख्य नदें											_
(क) भूमि	   	   . 									
(편) भवन											
(ग) संयंत्र एवं भशीनरी		   									
(क) (ii) अन्य छोटी मदें											
कुल (क)											
(स्व) उक्त (क) में शामिल की गई निम्नलिक्षित मदों का	उल्लेख	<b>म</b> ्रें									
(क) पूजीकृत प्रारोभक स्पेयर्स											(() 901
(ख) निर्माण के दौरान पूंजीकृत ब्याज प्रावधान											
(ग) प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण											
कुल (स)		   		+							<u>পলা</u> 
वित पोषण के सोतों का ब्यौरा		+	<u>+</u>								धारण
(क) ऋण⁄उधार		   									
		   	†								-
(ख) इक्विटी		   									
(ग) अन्य				+					+   		
कुल (क) + (ख) + (ग)				<b> </b>							
टिप्पक्षी :											
* जहां कहीं स्पौरा देना अपेक्षित एवं आवश्यक हो द्युण एवं इक्विटी दित पोषण के संबंध में दे और उसके समर्थन में द्युण दस्तावेज आदि संतम्न करें।	ा <b>एवं</b> इक्वि	टी दित्त योच	ग के संबंध	म् भ स् <mark>रो</mark> र	उसके सन	र्षन में च्यूण	दस्तावेज उ	ग्राटि संलम्न ।	करें।		
* परियोजना, उसके उपस्करों की लागत तथा वित्त की योजना के		संबंध ने पी.	आई.बी. /सी	ई.ए./ए <b>न</b> .अ	िएफ ⁄रे संच	प्राधिकारिये	ों के अनुको	रन की प्रतिर	स्वंध में पी.आई.बी./सी.ई.ए./एन.ओ.एफ/यक्षन प्राधिकारियों के अनुमोदन की प्रतिया प्रस्तुत करें। (उ	t। (याचिकाकर्ता )	

90			TH	E GA	ZETT	E OF	IND	IA :	EXT	RAG	ORD	INA	RY	<u>.                                    </u>	P.\R	<u>     SFC. 4]</u>
फार्म-9 ए		(स्थ करोहों में)	ይ ታ	(6)											ज दे।	(याचिकाकर्ता)
			यदि कोई अन्य विषय हो तो उल्लेख करें	(8)										कन्द्राय एव राज्य सरकारा का सक्षम प्रवतन एजासथा द्वारा निराम्लणा (प्राट/प्रमाणपत्रा का प्रातया सलग्न कर। आंशिक या पूरी तरह बंद करने के लिए पर्यावरण प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जारी. समय एवं अवधि एवं उसके कारणों का विवरण दें।	उक्त (घ) में उत्त्लितित आंशिक या पूरी तरह से बंद करने के कारणों के समाधान के लिए की गई निवारक कारवाई के विवरण दे	
			पर्यावरण प्रबंध योजना के लिए शामिल की गई यौंश	(1)									लग्न कों। *	तया सलग्न कर एवं उसके का	टकी गई निवास	
		9 1	प्रतिपूरक एफोएस्टेशन	(9)									की प्रतियां सं भ हे ह	गपत्रा का प्रा य एवं अवधि	ाधान के लिए	
			आर व आर लागत	(5)									पर्यावरण विषयों से संबंधित लागू सरकारी एवं अर्ध-सरकारी अनुमोदन /निपटान की प्रतियां संलग्न करें। 2.6. 5.5. 5.6 5.6	कन्द्राय एव राज्य सरकारा का संक्षम प्रवतन एजास्या द्वारा निराम्रणा ारपाट / प्रमाणपत्रा का प्रातया सलग्न कर। ऑगिक या पूरी तरह बंद करने के लिए पर्यावरण प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जारी, समय एवं अवधि एवं उसके कारग	के कारणों के सम	
	ूवना		कैच <del>म</del> ेन्ट एरिया के लिए शामिल की गई ,गींधे	(4)									नं आर्ध-सरकारी अ	एजासया द्वारा नि विरण प्रवर्तन एजें	रह से बंद करने	
	धेत विषयों पर क्	म	कॉलम (1) एव कॉल्म(2) के बीच अंतर के कारण	(3)									लागू सरकारी एर A	का सक्षम प्रवतन करने के लिए पय	भ्रांशिक या पूरी त	
नाम :	रवं इससे संबंधि	षयों का विवर	<u> </u>	(2)									ग्यों से संबंधित `	राज्य सरकारा मुरी तरह बंद ः	<b>ने</b> ं उत्त्लितित ः	
शकित केन्द्र का नाम	पर्यावरण मामलों एवं इससे संबंधित विषयों पर सूचना	(क) पर्यावरण विषयों का विवरण	सी.ई.ए. द्वारा अनुकोदित सागत में शामिल की गई वास्तव में व्यय राज्रि (टैरिफ के लिए की की गई राज्रि गई राणना के समान)	(1)										ग. कन्द्राय एव घ. आंशिक या		

शकित केन्द्र का नाम									फार्स - 10
बकाया ऋण, व्याज एवं उन पर	उन पर वित्तीय प्रभारों	ों का विदरण	إرسا						2
		6	व्यावसायिक परिचालन के	रिचालन के	वर्षों से			-	
विवरण	Ξ	-	2	e	•	2000-01	01-02	02-03	03-04
प्रारंभ में श्रेष	(2)								
वर्ष के दौरान वृद्धि (ऋण के नए ट्रेंच)	(3)								
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	(7)								
रो (3) या रो(4) में परिकलित न की गई ब्रोद्धि⁄विलोग (समयोजन के									
कारण) द्वारा अन्य समायोजन	(5)								
वर्ष के अत में झेच	(6)=(2+3-4-5)								
वर्ष/अवधि के लिए संचित ब्याज	(2)								
वर्ष के टौरान देय वित्तकरण प्रभार	(8)								
वर्ष के दौरान भुगताया मया ब्याज/	(6)								
वित्त करण प्रभार									
अगले वर्षों में ले जाया गया झेव बकाया	(10)=(7+B-9)								
टिपाणी	(Ξ)								
उद्यणः राशि का ।∕।2 वां भाग	(12)								
रो (12) एवं यें (4) की न्यूनतम राशि	(13)								
टिप्पणी :									
1. यह फार्म प्रत्येक ऋण/उधार के लिए भग	ग्धार के लिए	L	र और बाद	में एग्रीगे <b>ट</b>	ट कर लिया	जाए। इसके स	ाथ संबंधित ≂	जाए और बाद में एग्रीगेट कर लिया जाए। इसके साथ संबंधित ऋण दस्तावेज प्रस्तुत करें।	ास्तुत करें।
2. रॉ (1) में उल्लिसित वित्तीय वर्षों में, ऋण लेने के समय से मूल्य निर्धारण तक की अवाधे या बकाया पूरे ऋण के पुनर्भुगतान तक की 2. रॉ (1) में उल्लिसित वित्तीय वर्षों में, ऋण लेने के समय से मूल्य निर्धारण तक की अवाधे या बकाया पूरे ऋण के पुनर्भुगतान तक की	तीय वर्षों में, 	च्हण ले <sup>ने</sup>	ो को समय ?	से मूल्य F	भर्धारण तक	की अवाधे या 2.2	बकाया पूरे ऋ र्रे	जिन्मेगित जिन्मीगत	ान तक की र
अवाध, जा भा बाद हा, शामल का जाएगा। व्यावसायक उत्पादन का तारास्व क अनुरूप ावत्ताय वष क सबध म सूचना, निमाण-अवाध के दौरान कुल ब्याज एवं अन्य वित्तपोषण प्रभारों पर सूचना के अभिनिश्चयन को सरल बनाने के लिए विभाऊ्रित करें।	शामल का ल अन्य वित्तपे	الله الأمالي إطعا كلما	यावसाायक रों पर सूच	उत्पादन क नाके अभि	ा तारास्व क निश्चयन क	अनुक्प वित्ताय ो सरल बनाने त	विष क सबा केलिए विभारि	४ म सूचना, ान केत करें।	माण - अवाध
3. टिप्पणी रॉ का उपयोग, यदि आवश्यक हो	यदि आवस्पक		आंकड़ों ∕ प्र	स्तावों का	ब्यौरा देने /	सो आंकड़ों ∕ प्रस्तावों का ब्यौग देने ∕ स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है।	लिए किया उ	का सकता है।	
								•	(याचिकाकर्ता )

सय गाँव भारतीय प्रीके कुल प्रमितित गरि जिस्के कुल स्था सुन मैं की जिस स्था में जिस स्था म स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्था में जिस स्था स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्था में जिस स्था म	ाति भरतीय पति स्वीत कुल मुद्य में (क्यों) (क्योंक फ्रा) मुद्य में (क्योंक क्योंक क्यांक क्यांक मुद्य क्यांक मुद्य मंत्र समुद्य में मुद्य मंत्र समुद्य मंत्र मुद्य मंत्र समुद्य मंत्र मुद्य मंत्र समुद्य मंत्र मुद्य मंत्र समुद्य मंत्र मुद्य मंत्र समुद्य मंत्र मंत्र समुद्य मंत्र मंत्र समुद्य मंत्र मंत्र समुद्य मंत्र मंत्र समुद्य मंत्र मंत्र समुद्य मंत्र समुद्य मंत्र सार सार सार सार सार सार सार सार सार सा	गारटी सभीमन राजुन्त सनि सनि सनि सनि सनि सनि सनि सनि सनि सनि	गारटी अपक्रत् भ्रान्त सन्तम्पा भाभुन्न भाभुन भाभुन्न भाभुन भाभुन भाभुन भाभुन्न भाभुम भाभुन भाभुम भाभुम भाभुभुन भाभुभुन भाभुभुन भाभुभाभुम भाभुन	गारटी अपफ्रस्ट बुल्क उत्तस्परी प्राधुन्क भौगन भौगन श्रि श्रि श्रि श्रि श्रि स्	गारटी उपफर बुन्त सब कनीमन प्राज्जन्क कुल सब प्राज्जन्क विकार प्राविकार	
संस भारतीय पांधे कुल मुद्रा में (करोड (करोड कुल का भे) (करोड कि का भो में) स्र भी स्र भी स् स्य भी स्र भी स् स्र भी स्र भी स् स् भी स् स्य म स् स् स्य म स् स्य म स् स् स्य म स् स् स् स् स् स् स् स् स् स्	गारटी अपग्रुत आजित सनीमन प्राभुत्व नि हित अस्व नि हित हित हित हित हित हित हित हित हित हि	गारटी सम्प्रीजन राजुन्न मिन्द्र मिन्द्र साम् सम्प्र स्र स्र स्र स्र स्र स्र स्र स्र स्र स	गारटी सम्प्रीजन समीजन प्राप्तुनन सिन हिन हिन हिन हिन हिन हिन हिन हिन हिन ह	गारटी उत्तसम् दन्मीजन प्रायुन्त हिंत हिंत हिंत हिंत हिंत हिंत हिंत हिं	गारटी अपग्रुट भुल्क दन्मीमन स्वाभित्रन सन्ति भाभुल्क सिनिका साचिका	_
						राप्ति एफ.सी वितिमय मे (मुद्रा का टर नाम)
	ा 	ा प्राप्त केंज के विषरण प्रारूप (फ़ारेंट) ने प्राप्त करें।	ा प्राप्त के के विषरण प्राप्त (फ्रामेंट) में प्राप्त करें।	ा । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।		
			ारिस, वितीय वैकेंज के विवरस प्राप्त (फार्मेट) में प्राप्त करें।	ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि ि		
	[]         []	Image: Section of the secti	1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1       1     1     1     1     1     1	ात्र किसेन के विकास प्राप्त (फार्नेट) ने प्राप्त करें।		
		मिनिन पैकोज के विवरण प्राहत कों।	ादित, वित्तीय पैकेंज के विवरस प्रारूप (फार्मेंट) ने प्राप्तुत करें।	 		
		ा प्राप्त के विषत्ता प्राप्त (फ़र्मेट) में प्रस्तुत करें।	ारित, वितीय पैकेंज के विषरण प्रारूप (फार्मेंट) में प्रस्तुत करें।	ारित, वितीय पैकेंज के विवरस प्रारूप (फार्नेट) में प्रसुत कों।		
	[सोरित, वित्तीय वैकेंज के विवरण प्राह्म (फार्मेट) में प्रस्तुत करें।	तित, दितीय येकेज के विवरण प्राह्म (फार्मेट) नें प्रस्तुत करें।	ारित, वितीय येकेंज के विवरण प्रारूप (फार्मेट) में प्रस्तुत करें।	ारित, वितीय पैकेंज के विवरण प्रारूप (फार्मेंट) में प्रस्तुत कों।		
		तित, वित्तीय वैकेंज के विवरण प्राह्म (फार्मेंट) ने प्रस्तुत करें।	ास्ति मैकोज के विवरस प्राप्त (फार्मेंट) में प्रस्तुत कों।	ादित, वितीय पैकेंज के विवरण प्राहर (फार्नेट) ने प्रासुत करें।		
		ार्टन, वित्तीय पैकेंज के विवरण प्राफ़्य (फ़ार्जेट) ने प्रस्तुत कों।	भिन्तीय पैकोज के विवरण प्रारुप (फार्बेट) वे प्रस्तुत करें।	भित्तीय सैकोज के विवरण प्राह्म (फार्मेंट) में प्रस्तुत करें।		
	[सोदित, वित्तीय वैकेंज के विवरण प्रारूप (फार्मेट) में प्रस्तुत करें।	ोटित, वित्तीय पैकेंज के विवरण प्राह्म (फार्मेंट) ने प्रस्तुत करें।	सित, वित्तीय पैकेंज के विवरण प्राहर (फार्नेट) हे प्रस्तुत करें।	गोदित, वितीय वैकेंज के विवरण प्रारूप (फार्मेंट) में प्रस्तुत करें।		
	[योरित, वित्तीय वैकेंज के विवरण प्राह्म (फार्जेट) ने प्रस्तुत करें।	सित, वित्तीय पैकेज के विवरण प्रारूप (फार्जेट) ने प्रस्तुत करें।	ोदित, वित्तीय यैकेंज के विवरण प्राह्म (फार्नेट) ने प्रस्तुत करें।	गोदित, वित्तीय वैकेंज के विवरण प्रारूप (फार्जेट) ने प्रस्तुत करें।		
	] जोदित, वित्तीय वैकेंज के विवरण प्राह्म (फार्मेट) में प्रस्तुत करें।	ोदित, वित्तीय पैकेंज के विवरण प्राफ़् (फ़ार्नेट) ने प्रस्तुत करें।	र्तित, वित्तीय पैकेज के विवरण प्रारूप (फार्जेट) ने प्रस्तुत करें।	ग्रेतित, वितीय यैकेंज के विवरण प्राह्म (फार्मेंट) वे प्रस्तुत करें।		
	भोदित, वित्तीय यैकेंज के विवरण प्राह्म (फार्मेट) में प्रस्तुत कों।	ोदित, वित्तीय यैकेंज के विवरण प्राह्म (फार्नेट) ने प्रस्तुत करें।	ोदित, वितीय पैकेंज के विवरण प्राक्ष (फार्मेट) में प्रस्तुत करें।	ग्रीदित, वित्तीय वैकेज के विवरण प्रारूप (फार्मेट) वे प्रस्तुत करें।		
	] योदित, वित्तीय यैकेंज के विवरण प्राह्म (फार्मेट) वें प्रस्तुत करें।	ोदित, वित्तीय यैकेज के विवरण प्राक्ष्य (फार्जेट) ने प्रस्तुत करें।	ोदित, वित्तीय पैकेज के विवरण प्राक्ष्य (फार्मेट) में प्रस्तुत करें।	गोदित, वित्तीय पैकेंज के विवरण प्राक्त (फार्नेट) ने प्रस्तुत करें।		
	] सोरित, वितीय पैकेंज के विवरण प्राक्ष्प (फार्जेट) में प्रस्तुत करें।	ोदित, वित्तीय पैकेंज के विवरण प्राक्ष्प (फार्मेट) वे प्रस्तुत करें।	ोदित, वित्तीय यैकेज के विवरण प्राक्ष (फार्नेट) वें प्रस्तुत करें।	ग्रेदित, वितीय यैकेंज के विवरण प्राक्ष्य (फार्मेट) वे प्रस्तुत करें।		
	यिति, वित्तीय पैकेज के विवरण प्राक्ष्य (फार्मेट) में प्रस्तुत करें।	ोदित, वित्तीय पैकेज के विवरण प्राक्ष्प (फार्मेट) में प्रस्तुत करें।	ोदित, वित्तीय पैकेज के विवरण प्राक्ष्य (फार्मेट) में प्रस्तुत करें।	ग्रेदित, वित्तीय पैकेज के विवरण प्रारूप (फार्मेट) वें प्रस्तुत करें।		

शकित केन्द्र का नाम :

## परिचालन एवं रखरखाव व्यय का विवरण

		95-96	96-97	97-98	98-99	99-2000
	1	2	3	4	5	_6
(क)	परिश्वालन एवं रखरत्वाव व्यय का आगैरा					
	<ol> <li>स्टोर्स और स्पेयर्स की खपत</li> </ol>					
	2. मरम्मत एवं रख - रखाव					
	3. प्रशासनिक व्यय					
	- बीमा					
	- किराया					<u> </u>
	- विद्युत प्रभार					
	- यात्रा और परिवहन	<u> </u>				
. <u>.</u>	- स्टाफ कार					·
	- टेलीफोन, टैलेक्स और डाक					
	- विज्ञापन			<b></b>	<u></u>	
	- मनोरंजन					
	- निगमित प्रबंध प्रभार			<u></u>		
	- अन्य					
	4. कर्मचारी लागत					
	- वेतन, मजदूरी और भत्ते	ļ				
	- कर्मचारी कल्याण व्यय	ļ				·
	<ol> <li>कार्पोरेट कार्यालय व्यय विनिधान</li> </ol>					
	८. कुल (। से 5)	<u>_</u>				
	घटाएं : वसूली (यदि कोई हो)	<u> </u>		· · · · ·		<u> </u>
	निवल व्यय					J
	टिप्पणी :					
	<ol> <li>उत्पादक केन्द्रों को कार्पोरेट व्यय के विनिधान की प्रक्रिया</li> </ol>					
	विनिर्दिष्ट की जाए।					
	2. दिए गए शीर्ष के अंतर्गत परि एवं रख-रखाव. व्यय में वार्षिक					
	वृद्धि (20 प्रतिशत से अधिक का स्पष्टीकरण दिया जाए)					
	<ol> <li>आंकड़े सॉविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किए जाएं।</li> </ol>	ł				
(741)	कार्पोरेट कार्यालय व्यय (एग्रीगेट)				<u> </u>	+
(~~)	- कर्मचारी व्यय		ļ	<u> </u>	<u> </u>	
	- रिपेयर एवं रखरखाव			<u> </u>		
		·	ļ		<u> </u>	
	- प्रशिक्षण एवं भर्ती	ļ	L		<u> </u>	<u> </u>
	- संचार					
	- यात्रा					
	- सुरक्षा		<u> </u>			<u> </u>
	- किराया		1			1
		+		·/	1	·/ ·······

(याचिकाकर्ता)

फार्म-12

परिशिष्ट -1

# ट्रांसनिशन प्रणाली के लिए टैरिफ फाइलिंग के दस्तावेजों की जांच-सूची (भाग-3) सक्षम प्राधिकारी से परियोजना का अनुमोदन 1. सक्षम प्राधिकारी से पूंजीगत लागत अनुमोदन 2. इक्विटी सहभागिता करार एवं विदेशी इक्विटी के लिए आवश्यक अनुमोदन 3. वित्त वर्ष 1998-99 एवं उससे आगे के क्षेत्रवार/कार्पोरेट लेखा परीक्षित 4. तुलन-पत्र एवं लाभ तथा हानि खाते और सभी अनुसूची एवं अनुबंध भारत संरकार की परियोजना विशिष्ट टैरिफ अधिसूचना या लाभभोगियों सहित 5. बी.पी.टी.ए. की एक प्रति। टैरिफ प्रस्ताव का विवरण (फार्म-1) 6. ट्रांसमिशन लाइनों एवं सब-स्टेशनों के विवरण (फार्म-2) 7. नियत-प्रभार के विभिन्न घटकों का सार (फार्म-3) 8. ऋण पर ब्याज का अभिकलन (फार्म-4) 9. कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज की औसत दर परिकलन का विवरण (फार्म 10. सं0 - 5) सी.ई.आर.सी. मानदण्डों के अनुसार परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास का विवरण (फार्म 11. सं0 - 6)

ਮਾਸ	н	 4	

12.

13.

14.

परिचालन एवं रखरखाव व्यय परिकलन (फार्म सं0-7)	
पूंजीगत लागत एवं वित्त-पोषण ढांचे का विवरण (फार्म सं०-८)	
वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय एवं पूँजीकृत तथा अनुमोदित व्यय का विवरण (फार्म सं०-९)	

95

पर्यावरण संबंधी मामलों एवं उससे संबंधित विषयों की सूचना (फार्म सं० ९ ए) 15.

बकाया ऋण, ब्याज एवं उन पर वित्त पोषण - प्रभारों का विवरण (फार्म सं 10) 16.

- विसीय पैकेजों के विवरण (फार्म सं-11) 17.
- परिचालन एवं रख-रखाव ध्यय के विवरण (फार्म सं0-12) 18.

कोई अन्य संबंधित सूचना (कृपया उल्लेख करें) 19.

फार्म -1

# टैरिफ फाइलिंग फार्म- भाग-III (ट्रांसमिशन कंपनी)

कंपनी का नाम

पावर प्रणाली का नाम

प्रारंभ होने की तिथि

टैरिफ फाइलिंग के कारण का संक्षिप्त विवरण \_\_\_\_\_

-----से ----- तक की टैरिफ अवधि को शामिल करने के लिए टैरिफ प्रस्तावों का विवरण

विवरण	वर्त्तमान		प्रस्तावित	
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नियत प्रभार का विवरण (करोड़ रू०)				
।। ऋण पर ब्याज (फार्म-3)				
1.2 कार्यझील पूंजी पर ब्याज (फार्म-3)				
1.3 मूल्यह्वास (फार्म-3)			. <b></b>	
1.4 मूल्यहास पर अग्रिम (फार्म-3)				
<u>1.5 इविचटी पर प्रतिफल (फार्म-3)</u>				
<u> 1.6 परिचालन एवं रस्त-रस्ताव व्यय (फार्म-3)</u>	<u></u>			
कृस	r I			

(याचिकाकर्ता)

फार्म -2

# ट्रांसमिशन लाइनों एवं सब-स्टेशनों के विवरण

वर्ष 1995-96 से 1999-2000

क्षेत्र का नाम :

पावर प्रणाली का नाम :

ट्रांसमिशन लाइन :

क्र. सं.	लाइन से	का नाम तक	लाइन की प्रकृति ए.सी. ⁄ एच.वी.डी.सी.	एस.सी. या डी.सी.	वोल्टेज स्तर कि.वो.	लाइन की लंबाई कि.मी.	वाणिज्यिक परिचालन की तारीख
<u>l</u> .							
2.							
3.							
4.					. <u> </u>		
			<u> </u>				 

### सब स्टेशन

क्र. स.	सब स्टेशन का नाम	सब स्टेशन की प्रकृति परम्परागत / जी.आई.एस.	योल्टेज स्तर कि.वो0	ट्रांसफार्मर की संख्या और एम.वी.ए. क्षमता/रिएक्टर	वाणिज्यिक परिचालन की तारीख
1.	<del></del>				
2.	<u> </u>				
3.					
4.					

74867/2001-13

(याचिकाकर्ता)

		पावर प्रणाली का नाम						0	फार्म-: व्यावसायिक परिचालन तिथि से टैरिफ अवधि तक	<b>गलन ति</b> षि	से टैंसिफ <b>उ</b>	फार्म-3 वधि तक
				2	9	4	ۍ ا		2000-01	01-02	02-03	03-04
		1 1										
		┍─┍										
	(diffeense of the second secon											
		_										
	(1)       (											
	(1)     (1)     (1)     (1)       (1)     (1)     (1)     (1)     (1)       (1)     (1)     (1)     (1)     (1)       (1)     (1)     (1)     (1)     (1)       (1)     (1)     (1)     (1)     (1)       (1)     (1)     (1)     (1)     (1)       (1)     (1)     (1)     (1)     (1)       (1)     (1)     (1)     (1)     (1)											
	(1)       (1) </td <td></td>											
	(1)       (1) </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>     </td> <td></td> <td></td>									   		
	(याविकाकर्ता)											
	(1)											
(गांविकाकर्ता)	(याचिकाकर्ता)											
(याविकाकर्ता)	(याचिकाकर्ता)											
											पु 	चिकाकर्ता)

		<u> </u>	T						1				[ [				T					<u> </u>	ţ	t	$t^{-}$	†		1	E
फार्म - 4	03-04																												(याचिकाकर्ता)
	02 -03																												
	01-02																												
	2000-01													•															
					-																								
	4																												
	3																												
	7																												
	-																			<u> </u>									
पावर प्रणाली का नाम व्याक्सायिक परिचालन तिथि से	मार्च को समाप वर्ष	म्राज मा आभिकलन	<b>न्ध्रम</b> ं भर ब्याज का अभिकलन	न्ध्राज – प्रभव्नार का अभिकलन्तन	सरणा−। चूल मुद्रा में साण	मूल राप्ति का पुर्न भुगतान	झेवदेय राजि	ब्याज - करोड़ स्० मे	अस्ता-2 कृत मुद्रा में उद्यण	मूल योंगे का पुर्न भुगलन	झेषदेय राज्नि	स्वाज - करोड़ का में	त्रधण-3 मूल मुद्रा में न्यम	मूल रात्रि का पुर्न भुगतान	झेचदेय राझि	स्थाज - करोड़ रू <b>ं</b> में	अर्थण-4 मूल मुद्रा में अर्थल	मूल रात्रि का पुर्न भुगतम	झेषदेय राहि	ब्याज - करोड़ रू० में	वार्षिक किस्त (करोड़ ६० में)	सचित पुनर्भुगतान	वर्ष के अंत में ऋण (वर्तमान वास्तविक दर)	बी. / एस. च्राण	केल व्याज भुगतान	टेरिफ के लिए आज पर ब्याज	आई.डी.सी. को प्रभारित ब्याज	टिष्मणी :अतिरिक्त ऋण - यदि कोई हो तो पुन	- विवरण हे

[ भाग III—खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र : अग्नाधारण

#### फार्म -5

### पावर प्रणाली का नाम :

#### कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज की औसत दर तथा कार्यशील पूंजी की राशि के परिकलन का विवरण राशि क्रम त्राण का संक्षिप्त विवरण ब्याज दर ब्याज राशि (करोड रू. में) | (%) (सीसी) र्स ० 3 4 5=3<sup>4</sup>4 ī 2 क रष ग घ T कुल 4 ब्याज की भारित औरत दर (5/3) मार्च को समाप्त वर्ष 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 कार्यशील पूंजी पर व्याज परिचालन एवं रखरखाय व्यय - 1 महीना स्पेयर्स \* प्राप्त किए जाने योग्य-2 माइ कुल कार्यझील पूंजी (करोड़ रू0 मे) अनुमन कार्यशील पूंजी ऋण भारित औसत ब्याज दर कार्यशील पूंजी पर व्याज (करोड़ रू0 में)

टिप्पणी . रखररबाब स्पेयर 1% पूजीगत लागत की नार्मेटिव दर पर है। प्रन्येक परवर्ती वर्ष के लिए रखरखाब स्पेयर की लागत, ट्रांसमीजन प्रणाली के परिघालन एव रखरखाब पर व्यय के संजोधन के लिए लागू दर पर संजोधित की जाएगी।

सीसी = कैंश क्रेडिट

(याधिकाकर्ता)

		) 14 14	केक्त ट्रावनिकन के लिए उन्होंदिव त्वनव		क बींस वस्त्रीक त्राम उद्यह	ang ang	the set and the real firm	रीक असी बाग डोरे वे प्रतित		क्षेतित वित	कून्यहास की	2000-2001		ज क देखे	मून्य निर्धाल के दौरान मून्य हास की राति	an din an din
	F	ने स्मान क	चतं ने स्मान लॉ-वा की लिं		वे दीन सकी वे सा स्व		म् र जित्सम् स जित्सम् र	वित कर्ब के ड्रन्ट बढ् डविंगिस्ट	कुन अनुम्बेटित				01.09	50-60	M.M	
	-	2	-	1	2000-01 2000-01 को कुल		कारग गृदि घर्द्रमन्(७) ने स्वर्धना इस ती वर्ष है।		स्तमत	16	डाग आधिलूचित की नई है)	विचारत नृत्य द्वास	70-10			म् मृत्यद्वास
(1)	(2)	(3)	(†)	(5)	(e)	(2)	(8)	(6)	(10)	(11)=(10)-(2)	(12)	(13)	14)	(15)	(16)	(17)
(क) । सभी नुरूष मदें																
(क) भूमि																
(स) भवन																
(ग) संयंत्र एवं मझीनरी				+	1											
(町) (町)																
(क) ॥ अन्य छोटी महे																
कुल (क)																
(स) उक्त (क) वें भावित निम्नलिसित वदों का उल्लेख करें				<u> </u>												
(क) पूंजीकृत प्रारभिक स्पेयर																
(ख) निर्माण के दौरान ब्याज								-								ł
भूजीकृत																
(ग) प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण																
मुल स																
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									(यान्	(याचिकाकर्ता)	र्ता )
				-												

फार्म-6 (स्प करोड़ों में)

,

भावर प्रधल्तनर का नान परिचालन एवं रखरखाव व्यय का परिकलन	सन		ĺ								
	1995-96	1990-97	1997 - 9B	1998-99	1999 - 2000	औसत १५-१५ डे २१-८८	30017 1999 - 2000	आधार 2000 - 2001	2001-2002	टेरिफ अवधि 2002 - 2003	2003 - 2004
(1)	(2)	(5)	(4)	(2)	(9)	(2)	(8)	(6)	(OI)	(n)	(12)
(क) कुल परि एवं स्लर व्यय											
(स्व) असामान्य परि एवं रखर व्यय*											
- अतिरिक्त सुरक्षा व्यय के कारण											
- किसी अन्य कारण से						- -					
(ग) आधार परि एव रखर परिकलन के आकडे (क-ख)											
(घ) औरएमएल (लाइनो के लिए ओ. तथा एम.=0.7 ×(ग)						. ·					
ओ.एम.एस सब स्टेशनो के लिए ओ एव एम 0.3 = 0.3 × (ग)									-		
के प्रारभ में लाइनों की लबाई - कि.मी. मे											
के दौरान जोडी गई लाइनों की लबाई -कि मी मे											
के अन मे लाइनो की लबाई											
एन. (क्षेत्र मे लाइन की औसत लंबाई-किमी. मे)											
के प्रारभ में बेज की संख्या											
मे जोडे गए बेज											
के अत मे बेज की संख्या											
बीएन. (धेंत्र में बेज दरी औसन सख्या)											
ए दी ओ एमएल.एल. ( औ एम.एल / एल.एल )						ţ2			,		
ए वी. ओ.एम बी.एन. ( ओ.एम.एस / बी.एन.)						एका 2					
एन ओएमएलएल (लाइन दर्शनम्बाई दर्श प्रति इकाई अनुमन परि एव रखर)							ई3=ई2X(1 1)²	<mark>1</mark> 3≑X(1 06)	€́3X(1 06;²	ई3X(1 06i <sup>3</sup>	≸3×(1 051*
एन ओएम बीएन (अनुमनि योग्य परि एवं रखर प्रति वे)							FRILEFF 2011	₹453=Xi1 06)	रूनिउX(1 06)	एफ3X(1 0€¦	PE3X(1:06)*

- असामान्य परि एवं रासर व्यय जैसे सुरक्षा व्यय के कारण, जो प्रकृति में असामान्य है, जिसके लिये प्रयोक्ता एक पृथक याचिका फाइल करेगा। Ξ
- के ओ.एम.एल. का जोड़ 1995-96 से 1999-2000 की अवधि Т कॉलम 7 में लिखे जाने वाला औ वत की गणना की पद्धति 3

告 के एस.एस. का 1995-96 से 1999-2000 की अवधि (लाइनों के लिए सामान्यकृत परि एवं रस्वर,

₹.2) I

बेल की वरंखा के आधार पर सब-स्टेशनों के लिए सावान्यकुन परि एवं रस्वर व्यय के औरत के परिकलन के लिए भी यही पद्धति लाबू की जाए।

किसी दिए गए वित्त वर्ष में नेटवर्क विस्तार के कप्तण संबंधित नामेंटिव परि एवं रस्य-रस्ताव व्यय का अभिकलन लाइन की लंबाई की प्रति इकाई या बेज की संस्था के आधार पर किया जाएगा। 3

1999-2000 के नामेंटिव परि एवं रखरखाव (एन.ओ.एन.एत.एत. या एन.ओ.एन.वी.एन. जैसी भी स्थिति हो) को संबंधित वर्ष के स्तर पर ताने के लिए 6 प्रतिष्ठत प्रति दर्ष पर बढाया जाएगा। उस वर्ष, जितने विस्तार किया यया है, के लिए लाइन की लंबाई या बेज की सख्या-जैसी भी स्थिति हो, द्वारा नुवित ये नार्नेटिंद व्यय, नेटवर्क विस्तार के कारण प्रति वर्ष का कारण परि एवं रस्वरस्वाव व्यय देंगे। चालू करने के वर्ष के लिए, जोड़ी गई लाइनों तथा बेज के लिए परि एवं रक्षरक्षाव व्यय को उस वर्ष के दौरान उनके परिचालन के बहीनों के आधार पर राविष्मजित किया जाएगा। (याचिकाकर्ता)

फार्म-7

,

[PART III-SEC. 4]

पावर प्रणाली का नाम										फार्म - 9	<u>[ भाग</u>
वास्तव में किए गए पूंखीगत व्यय एवं पूंखीकृत / अ	त / अनु•	ोदित ह	मुमोदित व्यय का विवरण	ख							<u>   </u> -t
विवरण	व्यय मरिति विवि वे ,	तिसंचित् स	म्रार्चको सम्बात कर्ष ।	2000-01	2001-02	2002 -03	2003-04	, मू भूम	कुत अन्नोहित ब्यय	रिपली	avs +
(1)	(2)	(e)	) <del>(</del>	(2)	(9)	(2)	(9)	(6)	(01)	(12)	J
(क) र सभी मुख्य भदें											
(क) भूमि											
(स) भवन											
(ग) संयंत्र एवं मशीनरी											
(क) 2. अन्य छोटी बहे											
कुल (क)											
) में शामिल की गई निम्नलिसित मदों	का उत्तेल	व मे									1140
(क) पूंजीकृत प्रारभिक स्पेयर्स											का रा
(स्व) निर्माण के दौरान पूंजीकृत ब्याज प्रावधान											অপস
(ग) प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण											: जा 
कुत (स)											तापार
दित पोषण के सोतों का ब्यौर											.ण ====
(क) ऋण /उधार											
(स) इक्विटी											
											-
(ग) अन्य											
कुल (क)+(ख)+ग											
टियाधी					,		} }				
े जहा कहा स्वाप दना अपक्षित एव आवस्थक हा त्राण एव होक्वटी वित पाषण के सबध वे दे और उबके समयेन वे त्राण दस्तावेज आदि सलल करें। * परियोजना, उबके उपस्करों की लागत तथा वित की योजना के संबंध ने पी.आई.बी.∕सी.ई.ए.∕एव.ओ.एफ.∕सक्षम प्राधिकारियों के जनुबोदन की ग्रतियां प्रस्तुत करें।	ब्राण एव इ की योजना	विषटी वि के संबंध	त्त पोषण के स मिं पी.आई.बी. /	बाध में दे आपे 'सी.ई.ए. / एक्टर	र उत्ताकंसभ थ्रो.एफ ∕सम्न	ापेन में च्राण ४ प्राधिकारिये	ंदस्तावेज अ ॉके अनुगोद	ाटि सत्सम्न व त्न की प्रतिय	र्तो। गंप्रस्तुत करें।		
									(म	(याचिकाकर्ता)	105

106	THE GAZETTE OF INDIA · EXTRAORDINARY	[Part III—Sec. 4]
फार्म-9 ए	क्षेत्र (1)	(याचिकाकर्ता)
	यदि कोई अन्य विषय हो तो उल्लेख करें (6) (6) गं बलग्न करें।	
	रिंधर ब्राग अनुनोरित वास्तव में ब्यय की कॉलम (1) एवं प्रतिपूरक पर्धवरण प्रबंध योजना के यहि कोई अन्य जत में ब्रानिस की गई पात्रि को कॉलम (2) के बीच एफोएस्टेशन लिए शानिल की गई पात्रि जतने के जतने के लिए कानिल की गई पात्रि जतने के जतने के राग्तन के कारण अंतर के कारण (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (6) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	
	प्रतिपूरक एफोएस्टेशन (4) (4) (4) (4)	
विषयों पर सूचना	कॉलम (1) एवं कॉलम(2) के बीच अतर के कारण (3) (3) (3) गु सरकारी एवं आ	
नाम : व इससे संबंधित भयों का विषरण	वास्तत में व्यय की गई याशि (2) (2) वों से खंगीधत ला	
पावर प्रणाली का नाम : पर्यावरण मामलों एव इससे संबधित विषयों पर सूचना (क) पर्यावरण विषयों का विवरण	सीई.ए. द्वारा अनुमोदित वास्तव में व्यय की म्रागत में आभिल की गई गई राशि धांत्र टेरिफ के लिए की गई गणना के समान) (1) (2) (1) (2) सं. पर्यावरण विषयों से संबंधित रु	

पावर प्रणाली का नाम									फार्म - 10
बकाया ऋण, स्थाज एवं उन पर	उन पर वितीय प्रभारों का	रों का विवरण	<b>(1</b>						
		ଞ	व्यावसायिक परिचालन	रिचालन के	वर्षों से				
विवरण	Ē	-	2	ę		2000-01	01-02	02-03	03-04
प्रारंभ में झेष	(2)								
वर्ष के दौरान वृद्धि (ऋण के नर ट्रेंच)	(3)								
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	•								
र्य (3) म रो(4) में परिकलित न की गई व्रुद्धि/विलोप (समायोजन के									
कारण) द्वार्य अन्य समायोजन	(5)								
वर्ष के अंत में झेव	(6)=(2+3-4-5)								
वर्ष/अवधि के लिए मंचित व्याज	(2)								
वर्ष के दौरान देय वित्तकरण प्रभार	(8)								
वर्ष के दौरान भुगताया गया व्याज/	(6)								
वित्तरण प्रभार									
अगले वर्षों में ले जाया गया शेष बकाया	(10)=(7+8-9)								
टिप्पणी	(II)								
आत्रण राभि का ।∕।2 वांभाग	(12)								
ये(12) एवं ये(4)की न्यूनतम यांश	(13)								
टिप्पणी :									
<ol> <li>यह फार्म प्रत्येक ऋण/उधार लेने के समय</li> </ol>	धार लेने के		जाए और	बाद में एर्ग्र	मिंट कर लि	या जाए। इसके	साथ सर्वाधित	भग जाए और बाद में एग्रीमेंट कर लिया जाए। इसके साथ संबंधित ऋण दस्तावेज प्रस्तुत करें।	प्रस्तुत करें।
2. रो (1) में उत्लिसित वित्तीय वर्षों में, ऋण	तीय वर्षों में,		के समय	से मूल्य <sup>नि</sup>	नेर्धारण तक	की अवधि या	बकाया भूरे ऋ	लेने के समय से मूल्य निर्धारण तक की अवधि या बकाया पूरे ऋण के पुनर्भुगतान तक की	ान तक की
अवधि, जो भी बाद हो, शानिल की जाएगी के दौरान कुल ब्याज एवं अन्य वित्तपोषण	शामिल की <sub>ज</sub> अन्य वित्तप्	ㅋᄧ	ावसायिक <sup>1</sup> तें पर सच	परिचालन व ना के अभि	ति तारीस्व के निम्चयन के	। व्यावसायिक परिचालन की तारीस्व के अनुरूप वित्तीय वर्ष के संबंध में सूच प्रभारों पर सचना के अभिनिष्ठचयन को सरल बनाने के लिए विभाजित करें।	ग वर्ष के संबंध के लिए विभारि	व्यावसायिक परिचालन की तारीख के अनुरूप वित्तीय वर्ष के संबंध में सूचना, निर्माण-अवधि भारों पर सचना के अभिनिष्ठचयन को सरल बनाने के लिए विभाजित करें।	ार्माण - अवधि
3. टिप्पणी रो का उपयोग, यदि आवश्यक हो,	यदि आवश्यव		्र आंकहों ∕ प्र	स्तावों क <u>ा</u>	ब्यौर से/	तो आंकड़ों / प्रस्तावों का ब्यौरा देने / स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है।	े लिए किया ज	ग सकता है।	
									(याचिकाकर्ता)

पावर प्रणाली का नाम							ļ				फार्म - 11
वित्तीय पैकेज का विवरण	विवरण										
निधि का स्रोत	र्याशे एफ.सी. में (मुद्रा का नाम)	विनिमय दर	रात्रि भारतीय मुद्धा में (कत्तेह म्यु मे)	ा भे जुन में) में)	पुनर्भुगतान की अवधि	छूट अवधि	ब्याज की दर्	गारंटी कमीझन	अपफ्रंट शुल्क एक्सपो. प्राशुल्क	कुल की श्व	कुल पीसी की %
<b>अट्ट</b> ण - विदेशी									,		
雍町-1											
<u>स्त</u> ण-2											
- 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14											
भारतीय											
- अब्र ता - I							j 			,	
국내 - 2											
कुल आध्रा (क)											ļ
इविचटी											
विदेशी											
भारतीय											
कुल इक्विटी (स)											
कुल वित पोषण (क+ख)											
कुल परियोजना लागत											
टिप्पणी : परियोजना के अनुनोदन के समय वक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाअनुनोदित तथा परवर्ती संगोधन, विसीय पैकेज और कोई परवर्ती संशोधन हो तो उसके अस्तर को	वाधिकारी द्वारा	यथाअनुबोटि	रेत तथा परव	तीं संशोधन,	वितीय पैकेज	न और कोई	परवर्ती संश	फ्रिन हो तो		विवरण प्राक्ष (फार्नेट)	ार्षेट)
एफ.सी = विदेशी जुद्रा											
पी.ही = परियोचना सागत											
										(याचि	(याचिकाकर्ता)

## पावर प्रणाली का नाम :

# परिचालन एवं रखरखाव व्यय का विवरण

	ऋण का संक्षिप्त विवरण	95-96	96-97	97-98	98-99	99-2000
	1	2	3	4	5	6
(क)	परिचालन एवं रत्वरत्वाव व्यय का ब्यौरा		_	T		
	कर्मचारी लागत	1		1		
	मरम्मत एवं रख-रखाव	1			1	
	पावर प्रभार				1	
	प्रशिक्षण एवं भर्ती					
	संचार ष्यय					
	यात्रा व्यय					
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री					
	किराया				<u> </u>	<u> </u>
	विविध-व्यय					
	बीमा					
	अन्य		ļ			
	कार्पोरेट कार्यालय व्यय विनिधान		<u> </u>			
	महा योग	ļ	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>
	घटाएं : वसूली (यदि कोई हो)		<u> </u>			
	निषल परि एषं रखरखाव व्यय	┥────	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	टिप्पणी . 1. विभिन्न प्रणालियों को कार्पोरेट व्यय के विनिधाान की प्रक्रिया –					
	का उल्लेख करें।					
	2. दिए गए शीर्ष में परि एवं रख-रखर व्यय में वार्षिक					
	वृद्धि (20 प्रतिशत से अधिक का स्पष्टीकरण दिया जाए)					
	<ol> <li>आंकड़ों को साविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किए जाएं।</li> </ol>					
	कार्पोरेट कार्यालय व्यय					+
((4))	(कुल)					
	- कर्मचारी लागत	┥────		+		
	- मरम्मत एवं रखरखाव					<u> </u>
	- पावर प्रभार				<u> </u>	
$\left  \right $	- प्रशिक्षण एवं भर्ती		<u>+</u>			<u> </u>
	- प्रांशवर्ण ९व मता - यात्रा व्यय		<b></b>			
	- यात्रा व्यय - मुद्रण एवं लेखन सामग्री		+			-{
	- गुइण २व लखन सामग्र। - किराया		┨			
}	- अन्य		<u> </u>		<u> </u>	
	- कुल					
	घटाएँ - वसूली (यदि कोई हो)	┫	+	·†	+	· <b>†</b>
	नियल कार्परिट व्यय		<b>↓</b>		-{	<u> </u>

(याचिकाकर्ता)

फार्म-12

٠

## परिशिष्ट-II

अवमूल्यन अनुसूची				
 सम्पत्ति	ायों का विवरण	उपयोगी जीवन वर्ष	परिकलित दर (90 % के आधार	पर परिकलित)
		1	2	3 = 1*2
स.	पूर्ण स्वामित्व में भूमि	अपरिमित		
ब.	पट्टे पर ली गई भूमि			
	(1) भूमि में निवेश के लिए	पट्टे की अवधि या पट्टे के आबंटन पर समाप्त न हुई शेष अवधि		
	(2) क्लीरिंग स्थल की लागत	स्थल की क्लीरिंग की तिथि को पट्टे की शेष बची हुई अवधि		
स	सम्पत्ति			
खरीदी	गई नई सम्पत्ति			
	(क) संयंत्र नींव सहित उत्पादन स्टेशनों में संयंत्र एवं मशीनरी			
	(1) जल विद्युत	35	2.57	90
	(2)स्टीम -विद्युत एन.एच.आर.एस. एवं वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर / संयंत्र	25	3.60	90
	(3) डीजल-विद्युत एवं गैस संयंत्र	15	6.00	90
	(ख) कूलिंग टावर एवं चक्करदार			
	जल प्रणाली	25	3.60	90

1	1	1
1	L	I

(ग) जल-विद्युत प्रणाली के भाग के रूप में जलीय कार्य जिसमें शामिल र्ष	ř-		
(1) बाँध, स्पिलवे वियर, नहर-पुनः पक्के, फ्लूमेल एवं साइफन	50	1.80	90
(2) पुन: पक्की की गई पाइप लाईन, एवं सर्ज (टैंक) जलीय नियंत्रण वाल्व एवं अन्य जलीय कार्य	35	2.57	90
(घ) स्थाई प्रकृति के भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्य, जिनका ऊपर उल्लेख नहीं है :-			
(1) कार्यालय एवं शोरूम	50	1.80	90
(2)तापीय-विद्युत उत्पादन संयंत्र	25	3.60	90
(3) जल-विद्युत उत्पादन संयंत्र	35	<sup>2</sup> .57	90
(4)लकड़ी से बने अस्थाई खड़ी			
संरचना	5	18.0	90
(5) कच्ची के अतिरिक्त अन्य सड़कें	50	1.80	90
(6) अन्य	50	1.80	90
(ङ) ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर (कियोस्क)			
उप-स्टेशन उपकरण एवं अन्य लगे (संयंत्र नींव संदित)	उपस्कर		
(1) ट्रांसफार्मर (नींव सहित) 100 कि. वोल्ट एम्पियर एवं ऊपर के रेटिंग वाले	25	3.60	90
(२) अन्य	25	3.60	90
(च) स्विचगियर, केबल कनेक्शन सहित	25	3.60	90
(छ) लाइटनिंग अरेस्टर			
(1) स्टेशन टाइप	25	3.60	90
(2) पोल टाइप	15	6	90
(3) सिन्क्रोनस कन्डेंसर	35	2.57	90

(ज) बेटरी	5	18.00	90
(1) ज्वाइन्ट बॉक्स तथा	35	2.57	90
तथा डिस्कनेक्टेड बॉक्स			
सहित भूमिगत केबल			
(2) केबल डक्ट प्रणाली	50	1.80	90
(झ) सपोर्ट सहित आवर हेड लाइन			
(1) 66 के.वी. से अधिक के नामिनल वोल्टेज पर फैब्रिकेटेड स्टील प्रचालन पर लाइनें	35	2.57	90
(2) 13.2 कि. वाट से अधिक, लेकिन 66 किलोवाट से अधिक नहीं, नामिनल वोल्टेज पर स्टील सपोर्ट प्रचालन पर लाईन	25	3.60	90
(3) स्टील या इन्फोर्स्ड कंक्रीट सपोर्ट्स			
लाइनें	25	3.60	90
(4) शोधित लकडी सपोर्ट्स पर लाइन	25	3.60	90
(ञ) मीटर	15	6 00	90
(ट) सेल्फ प्रोपेल्ड वेहिकल	5	18.00	90
(ठ) वातानुकूलित संयत्र			
(1) स्टेटिक	15	6 00	90
(2) पोर्टेबल	5	18.00	90
(ङ) (1) कार्यालय का फर्नीचर			
एवं फिटिंग	15	6.00	90
(2) कार्यालय के उपकरण	15	6 00	90
(३) फिटिंग एवं उपस्करों सहित	15	6 00	90
आंतरिक वायरिंग			
(4)स्ट्रीट लाइट की फिटिंग	15	6.00	90
(ढ) किराये पर लिए गए उपस्कर			
(1) मोटर के अलावा	5	18 00	90
(2) मोटर	15	6 00	90

(ण) संचार उपकरण			
(1) रेडियो एवं उच्च बारम्बारता	15	6.00	90
कौरियर प्रणाली			
(2)टेलीफोन लाइन एवं टेलीफोन	15	6.00	90
(ण) पुरानी खरीदी गई सम्पत्ति तथा अनुसूची में अन्यथा न दी गई	भालिक द्वारा अधिग्रहण करते एवं दशा को ध्यान में रखते		•

द्वारा यथा निर्धारित उचित अवधि

परिशिष्ट-III

## ट्रांसमिशन प्रणाली उपलम्धता की गणना संबंधी प्रक्रिया

सम्पत्ति

- क्षेत्रीय ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता की गणना के लिए ट्रांसमिशन एलीमेंट को निम्न प्रकार के समूह में बांटा जाएगा :-
  - (1) ए. सी. ट्रांसमिशन लाइनें : ए.सी. ट्रांसमिशन लाइन की प्रत्येक सर्किट को एक एलीमेंट समझा जाएगा।
  - (2) इन्टर-कनेक्टिंग ट्रांसफार्मर (आई.सी.टी.) : प्रत्येक आई.सी.टी. बैंक (3 सिंगल फेज ट्रान्सफार्मर एक साथ) से एक एलीमेंट बनेगा।
  - (3) स्टेटिक वी.ए.आर कम्पनसेटर (एस.वी.सी.) :- एस.वी.सी. एवं एस.वी.सी. ट्रांसफार्मर को मिलाकर एक एलीमेंट बनेगा। तथापि, 50% क्रेडिट, इन्डक्टिव तथा 50% केपेसिटिव दर निर्धारण के लिए दिया जाएगा।
  - (4) स्वीचड् बस रिएक्टर : प्रत्येक स्वीचड् बस रिएक्टर को एक एलीमेंट समझा जाएगा।
  - (5) एच. वी. डी. सी. लाइनें :- दोनों छोरों पर सहायक उपकरणों के साथ एच. वी. डी. सी. के प्रत्येक पोल को एक एलीमेंट समझा जाएगा।
  - (6) एच. वी.डी. सी. बैक-टू-बैक स्टेशन : एच. वी. डी. सी. बैक-टू-बैक स्टेशन का प्रत्येक ब्लॉक एक एलीमेंट माना जाएगा। यदि सम्बद्ध ए. सी. लाइन (एच वी डी सी बैक-टू-बैक के जरिए अन्त: क्षेत्रीय विद्युत के स्थानान्तरण के लिए आवश्यक) उपलब्ध नहीं है, तो एच. वी. डी. सी. बैक-टू-बैक स्टेशन ब्लॉक को भी अनुपलब्ध माना जाएगा।

2. क्षेत्रीय ट्रांवमिशन प्रणाती की उपलब्धता की गणना इस प्रकार की जाएगी :-  
% प्रणाली उपलब्धता  

$$= \frac{31 \times एसीअ + 41 \times ए 414 + 442 \times ए4160 + 31 \times 24160 + 01 \times 24160 \times 100}{31 + 41 + 442 + 317 \times 24160 + 07 \times 24160 \times 100}{31 + 41 + 442 + 317 \times 24160 + 07 \times 24160 \times 100}{31 + 41 + 442 + 317 \times 24160 + 07 \times 24160 \times 100}{31 + 41 + 442 + 317 + 077 +$$

- (ख) प्रत्येक एच.वी.डी.सी. पोल के लिए निर्धारित एम डब्ल्यू क्षमता X सर्किट कि.मी.
- (ग) प्रत्येक आई.सी.टी. बैंक के लिए निर्धारित एम.वी.ए. -क्षमता

- (घ) एस.वी.सी. के लिए निर्धारित एम.वी.ए.आर. क्षमता (इन्टक्टिव एवं केपेसिटिव)
- (ङ) स्वीचड् बस रिएक्टर के लिए निर्धारित एम.वी.ए.आर. क्षमता
- (च) दो क्षेत्रीय ग्रिडों को जोड़ने वाले एच.वी.डी.सी. बैक-टू-बैक स्टेशन प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक ब्लॉक की निर्धारित एम.डब्लयू क्षमता का 50%।
- ट्रांसमिशन एलीमेंट की प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्धता को बेटेज फैक्टर, विचाराधीन कुल घन्टे तथा उस श्रेणी के प्रत्येक एलीमेंट के लिए गैर-उपलब्ध घन्टों के आधार गणना की जाएगी। ट्रांसमिशन एलीमेंट की प्रत्येक श्रेणी की उपलब्धता की गणना के लिए फार्मूला इस परिशिष्ट के अनुलग्नक-11 में दिया गया है।
   निम्न कारणों से बाधित ट्रांसमिशन एलीमेंट, पावरग्रिड पर आरोप्य नहीं होगा तथा उसे उपलब्ध समझा जाएगा।
  - (1) पावरग्रिड ट्रांसमिशन प्रणाली की बन्दी जिसे किसी अन्य अभिकरण / अभिकरणों ने अपनी ट्रांसमिशन लाइनों के रख-रखाव तथा निर्माण के लिए प्राप्त किया है।
  - (2) अत्यधिक वोल्टेज के कारण पावरग्निड लाइनों की मैनुअल ट्रिपिंग तथा आर.एल.डी.सी. के निर्देशों के अनुसार स्वीचड् बस रिएक्टर की मैनुअल ट्रिपिंग।
- 6. निम्न कारणों के लिए पावरग्रिड ट्रांसमिशन एलीमेंटों को आउटेज समय, विचाराधीन अवधि के अन्तर्गत एलीमेंट के कुल समय से घटा दिया जाएगा।
  - (1) प्राकृतिक कारणों से तथा पावरग्रिड को नियंत्रण के बाहर के कारणों से होने वाला एलीमेंट आउटेज तथापि, आई.ई.बी. के सदस्य सचिव द्वारा संतुष्ट होने पर, उपरोक्त कारणों से होने के कारण होने वाला लोप, पावरग्रिड का समझा जाएगा। इस एलीमेंट को पुन: ठीक करने के लिए उपयुक्त समय आर.ई.बी. के सदस्य सचिव द्वारा दिया जाएगा तथा इस उचित समय के अलावा पुन: एलीमेंट को ठीक करने के लिए पावर ग्रिड द्वारा मांगा गया अतिरिक्त समय पावरग्रिड को दिया गया लोप समय माना जाएगा। सदस्य सचिव-आर.ई.बी. समय वृद्धि के आकलन के लिए पावरग्रिड तथा किसी विशेषज्ञ से सम्पर्क कर सकते हैं। ई. आर. एस. की सहायता से चालू किया गया सर्किट उपलब्ध माना जाएगा।
  - (2) ग्रिड में किसी घटना/व्यवधान के कारण होने वाले लोप पावरग्रिड पर आरोपित नहीं किया जाएगा अर्थात् अन्य अभिकरण द्वारा अपने स्वामित्व में लिए गए सब स्टेशन तथा बेज में होने वाला फाल्ट, जिससे पावर ग्रिड एलीमेंट का लोप हो। तथापि, यदि आरएल.डी.सी. से निर्देश प्राप्त करने पर भी एलीमेंट को पुन: ठीक नहीं किया जाता है तो ग्रिड की घटना/व्यवधान को उचित समय में इस प्रणाली को सामान्य बनाते समय यह समझा जाएगा कि समस्त समयावधि के लिए यह एलीमेंट उपलब्ध नहीं है तथा लोप समय, पावरग्रिड पर आरोपित किया जाएगा।
- 7. यदि किसी तत्व के लोप होने पर केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशन में उत्त्पादन में हानि होती है तो एलीमेंट की लोप अवधि, उस दिन, जब उत्पादन की ऐसी क्षति हुई थी, के लिए वास्तविक लोप अवधि से दुगुनी अवधि मानी ज 'ं।

## अनुलग्नक-1

क्रम सं०	लाइन योल्टेज	कन्डक्टर कन्फ्यूगरेशन	एस.आई.एल.
I.	765	क्वैड वेसिंगिस	2250
2.	400	क्वैह वेर्सिमिस	691
3.	400	ट्वीन मूस	515
4.	400	द्वीन ए.ए.ए.सी.	425
5.	400	क्वैड जेबरा	647
5.	400	क्वैड ए.ए.ए.सी.	646
7.	400	ट्रिपिल स्नोबर्ड	605
3.	400	ए.सी.के.सी (500/26)	556
<b>)</b> .	400	ट्वीन ए.सी.ए.आर.	557
0.	220	ट्वीन जेबरा	175
1.	220	सिंगल जेबरा	132
2.	132	सिंगल पैन्थर	50
3.	66	सिंगल हॉग	10

# ए.सी. लाइनों की सर्ज इम्पेडेस लोडिंग (एस.आई.एल.)

'লৰ

## अनुलग्नक-11

ट्रांसमिशन एलीमेंट के प्रत्येक श्रेणी की उपलब्धता की गणना संबंधी सूत्र

एवी<sub>ग</sub> = (एच. वी. डी. पी. पोल की पी संख्या की उपलब्धता) = 
$$\sum_{j=1}^{\infty} W_j$$
  
 $j = 1$   
एवी<sub>ना</sub> = (आई. सी. टी. की क्य संख्या की उपलब्धता) =  $\sum_{j=1}^{\infty} W_j (T_j F_j)$ 

$$\frac{1}{k} = \frac{\sum W k (Tk - TNAk)}{k} / \frac{1}{k}$$

$$\begin{bmatrix} r \\ \sum_{i=1}^{r} \frac{1}{T_{i}} \frac{1}{T_{i}} + \sum_{i=1}^{r} \frac{1}{T_{c}} \frac{1}{T_{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \\ \sum_{i=1}^{r} \frac{1}{T_{c}} \frac{1}{T_{c}} \end{bmatrix}$$

एवी<sub>एम</sub> = (स्वीचड् बस रिएक्टरों की एस संख्या की उपलब्धता) =  $\sum_{m=1}^{s} \frac{m}{m} \frac{s}{m} \frac{s}{m} \frac{s}{m}$  m = 1 Tm / m = 1

ए.वी. = एच.पी.डी.सी. बैक -टू -बैक स्टेशन ब्लाकों की = 
$$\sum_{n=1}^{t} \frac{W_n(T_n - T_{NAn})}{N = 1} / \sum_{n=1}^{t} W_n$$
  
टी संख्या की उपलब्धता

Ti, Tj, Tk, T <sub>i</sub> l, Tcl, = Tm & Tn	I <sup>m</sup> ए.सी. लाइन, j <sup>m</sup> एच वी डी सी पोल, K <sup>m</sup> आई सी टी, I <sup>m</sup> एस वी सी (इन्डक्टिय प्रचालन) I <sup>m</sup> एस वी सी (कैपेसिटव प्रचालन), m <sup>m</sup> स्वीचड् बस रिएक्टर और n <sup>m</sup> एच वी डी सी बैक टू-बैक ब्लाक के लिये कुल घंटे (उस अवधि के अलावा जिसका आउटेज पावरग्रिड को पेराग्राफ 6 के अनुसार आरोप्य नहीं है।)
$T_{NA}i, T_{NA}j, T_{NA}k, T_{NA}l, = T_{NAc}l, T_{NA}m \& T_{NA}n$	<ul> <li>i<sup>n</sup> ए.सी. लाइन, j<sup>n</sup> एच वी डी सी पोल,</li> <li>k<sup>n</sup> आई सी टी, i<sup>n</sup> एस वी सी (इंडक्टिव प्रचालन),</li> <li>i<sup>n</sup> एस वी सी (कैपेसिटव प्रचालन)</li> <li>m<sup>n</sup> स्विचड् बस रिएक्टर तथा n<sup>n</sup> एच वी डी सी बैक -टू - बैक ब्लॉक के लिए विचाराधीन अवधि के दौरान अनुपलब्ध घंटे (पावर ग्रिड के लिए जिम्मेदार न ठहराए जाने वाले आऊटेजिस की समय-अवधि को छोड़कर, जिसे प्रक्रिया के पैरा 5 के अनुसार उपलब्ध समझा गया।)</li> </ul>

## CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2001

No. L-7/25(1)/2001-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 28 of the Electricity Regulatory Commission Act. 1998, hereinafter referred to as the Act and all other powers enabling in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission, hereinafter referred to as the Commission, hereby prescribes through these Regulations the terms and conditions in accordance with which the tariff under clauses (a), (b) and (c) of Section 13 of the Act shall be determined.

#### CHAPTER 1

#### PRELIMINARY

- 1.1 These Regulations shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions of Tariff) Regulations, 2001.
- 1.2 These Regulations shall come into force w.e.f. 1-4-2001, and shall remain in force for a period of 3 years, unless reviewed earlier or extended by the Commission.
- 1.3 These Regulations shall apply where the capital cost-based tariff is determined by the Commission.

1.4 The generation tariff under these Regulations shall be determined station-wise and transmission tariff shall be determined line-wise, sub station-wise, as the case may be, and aggregated to regional tariff.

Provided that a utility may file a petition for fixation of tariff in respect of the completed units/systems.

- 1.5 In case of new projects, a utility shall submit the petition as per Appexdix I to this notification, for determination of tariff at least 3 months in advance of the anticipated date of completion of project based on the project cost as approved by the Authority or an appropriate independent agency, other than the Board of Directors of the Generating Company, as the case may be.
- 1.6 For the purpose of tariff the capital cost of the project shall be broken up into stages and by distinct units forming part of the project. The common facilities shall be apportioned on the basis of the installed capacity of the units and lines/sub Stations where break up of the project cost is not available and in case of on-going projects. All fresh petitions shall also be filed in the form as per 'Appendix I.
- 1.7 Recovery of Income Tax and Foreign Exchange Rate Variation shall be done directly by the utilities from the beneficiaries without filing a petition before the Commission. In case of any objections by the beneficiaries to the amounts claimed on these counts, they may file an appropriate petition before the Commission.
- 1.8 The core business as described in this notification refers to regulated activities of generation or transmission of electricity and does not include other business or activities of the regulated utility like consultancy, telecommunication, etc.
- 1.9 `Independent agency' means the agency approved by the Commission by a separate notification.
- 1.10 Tariff revisions during the tariff period on account of capital expenditure within the approved project cost incurred during the tariff period may be entertained by the Commission only if such expenditure exceeds 20% of the approved cost. In all cases, where such expenditure is less than 20%, tariff revision shall be considered in the next tariff period.
- 1.11 For removal of doubts, it is clarified that the norms prescribed herein are the ceiling norms only and this shall not preclude the Generating Company and other beneficiaries from agreeing to improved norms.
- 1.12 The norms prescribed under these Regulations shall not apply to the Generating Stations under the control of North East Electric Power Corporation.

## 1.13 Extra Rupee Liability

- (a) Extra rupee liability towards interest payment and loan repayment actually incurred, in the relevant year shall be admissible; provided it directly arises out of foreign exchange rate variation and is not attributable to Utility or its suppliers or contractors. Every utility shall follow the method as per the Accounting Standard-11(Eleven) as issued by the Institute of Chartered Accountants of India to calculate the impact of exchange rate variation on loan repayment.
- (b) Any foreign exchange rate variation to the extent of the dividend paid out on the permissible equity contributed in foreign currency, subject to the ceiling of permissible return shall be admissible. This as and when paid, may be spread over the twelve-month period in arrears.

## 1.14 Tax Escrow Mechanism

- (i) The beneficiaries shall maintain an interest bearing tax escrow account in a scheduled bank. All amounts of interest shall be credited to that account.
- (ii) The tax liability shall be estimated two months before the commencement of each year and intimated to the beneficiaries. The company shall endeavour to minimize its liability on account of taxes recoverable from SEBs/ beneficiaries.
- (iii) Central Sector Utilities (CSUs) shall be authorised to withdraw the amounts for settling the tax liability on presentation to the escrow holder of a certificate from the company's statutory auditors that such amounts are immediately due and payable to the taxing authority.
- (iv) The utilities shall pay into the tax escrow account any refund received from the taxing authority.
- (v) The refunds if any shall not be paid back to the beneficiaries and shall be adjusted in the escrow account. Any balance due or returnable shall be rolled over to the next year.
- (vi) The Escrow Accounts shall be reflected in the books of the beneficiaries as their bank account.

#### **CHAPTER 2**

## THERMAL POWER GENERATING STATIONS

2.1 <u>DEFINITIONS-</u> Unless the context otherwise requires for the purpose of this chapter,

'Plant Load Factor' or 'PLF' - In relation to a given period, is expressed as the percentage of total kWh generated at generator terminals to Installed Capacity, expressed in kilowatts (kW) multiplied by number of hours in that period.

**'Authority** ' means Central Electricity Authority constituted under Section 3 of the Electricity (Supply) Act 1948.

'Auxiliary Energy Consumption' or 'AUX' - In relation to any period, means the ratio, expressed as a percentage, of energy in kWh generated at Generator terminals minus energy in kWh delivered at the Generating Station Switchyard to gross energy in kWh generated at the Generator terminals.

**'Availability'-** Availability of thermal generating station for any period shall be the percentage ratio of average Sent Out Capability (SOC) for all the time blocks during that period and rated SOC of the generating station as per the following formula:

Availability ={( $\sum_{i=1}^{n} SOC_i$  /(1-AUX/100)) + CL } x 100/ h x I.C.

where,

I.C. = Installed Capacity of the station in MW
SOC<sub>1</sub> = SOC of the ith time block of the period
n = Number of time blocks during the period
AUX = Normative Auxiliary Energy Consumption as a percentage of gross generation.
h = Number of hours during the period = n/4
CL = Gross MWh of capacity of unit(s) kept closed on account of Generation scheduling order.

**'Block'** – In relation to Combined Cycle Generating Station includes Combustion turbine – generator(s), associated Waste Heat Recovery boiler(s), connected Steam Turbine – generator and auxiliaries.

**'Commercial Operation Date' or 'COD**' - In relation to a Unit means date by which the Maximum Continuous Rating (MCR) or Installed Capacity is demonstrated through a successful trial run. The COD of the Generating Station shall be reckoned from the COD of the last Unit or

149 55/2101-16

in relation to a Unit or Block of a combined cycle generating station, the date of synchronization.

'**Declared Capacity**' or '**DC'** - In relation to any period or time block, means the capability of the Generating Station to deliver ex-bus MWh declared by the generating company.

Explanation: The Declared Capacity shall not exceed the Installed Capacity.

'Generating Station' means Units and balance of plant and,

In relation to Combined Cycle Generating Station means Block(s) and balance of plant.

'Gross Calorific Value' or 'GCV' - The heat produced in kCal by complete combustion of one kg. of solid fuel or liquid fuel or one standard cubic meter of gaseous fuel, as the case may be.

'Gross Station Heat Rate' or 'GHR' - The heat energy in kCal input required to generate one kWh of electric energy at Generator terminals.

**'Installed Capacity'** - In relation to a Generating Station means Rated Capacity or the contracted capacity as the case may be.

'Maximum Continuous Rating' or 'MCR'- In relation to a Unit means the maximum continuous output at the generator terminals, guaranteed by the manufacturers at rated parameters and,

In relation to a Unit or Block of a combined cycle Generating Station means the maximum continuous output at the Generator(s) terminals, guaranteed by the manufacturer with Water/steam injection (if applicable) and corrected to 50 Hz grid frequency and site conditions.

**'Operation and Maintenance Expenses' or 'O&M Expenses'** - In relation to a period means the expenditure incurred in operation and maintenance of the generating station including manpower, spares, consumables, insurance and overheads.

**'Rated Capacity'** - In relation to the Generating Station means the Maximum Continuous Rating (MCR) of a Unit multiplied by number of Units in the Generating Station and ,

In relation to the Combined Cycle Generating Station means the Maximum Continuous Rating (MCR) of Block multiplied by the number of Blocks in the Generating Station.

**'Sent Out Capability'-** Sent Out Capability (SOC) of a Generating Station means the capability to deliver ex-bus MWh based on which 'availability' shall be worked out.

SOC for Thermal Stations shall be the DC, with all before-the-fact revisions/updating.

#### Note 1:

In case of gas turbine/combined cycle stations, the generator shall give DC for units/modules on gas fuel and DC for units/modules on liquid fuel separately, and the two shall be scheduled separately. Total DC and total SG for the station shall be the sum of the two.

#### Note 2:

For the gas turbine/combined cycle stations for any time block, the average frequency is below 49.52 Hz but not below 49.02 Hz and SG is more than 98.5% of DC, SG shall be deemed to have been reduced to 98 5% of DC and if the average frequency of the time block is below 49.02 Hz and SG is more than 96.5% of DC, SG shall be deemed to have been reduced to 96.5% DC.

'Unit' means Steam Generator - Turbine - Generator and their auxiliaries, or ,

In relation to Combined Cycle Generating Station, means Combustion Turbine-Generator and auxiliaries.

2.2 The tariff for sale of electricity from Thermal Generating Stations (including Gas and Naphtha based stations) shall comprise of two parts, namely, the recovery of annual Capacity (Fixed) Charges and Energy (Variable) Charges The annual Capacity (Fixed) Charges shall consist of interest on loan capital, depreciation, return on equity, advance against depreciation, operation and maintenance expenses, and interest on working capital. The Energy (Variable) Charges shall cover fuel cost.

- 2.3 Notwithstanding anything contained in this notification,
- (a) the operational norms except those relating to "Target Availability" and "Plant Load Factor", as contained in the existing tariff notifications for individual power stations issued by the Central Government under proviso to Section 43 A(2) of the Electricity (Supply) Act, 1948 in respect of the existing stations of NTPC shall continue to apply for those stations.
- (b) The operational norms, except those relating to "Target Availability" and "Plant Load Factor" for the existing and the new stations of NTPC and NLC for which no tariff notification has been issued by the Central Government but Power Purchase Agreements (PPAs)/ Bulk Power Supply Agreements (BPSAs) exist on the date of issue of this notification, shall be governed by the respective PPAs / BPSAs signed by the Generating Company with the beneficiaries.
- (c) The Generating Company may approach the Commission for relaxation of "Target Availability" in exceptional circumstances with due justification. The Commission on being satisfied of the reasons and justification furnished by the Generating Company may grant such relaxation as may be considered appropriate

Provided that no relaxation shall be granted without notice to the parties likely to be affected by such relaxation.

#### 2.4 Norms of Operation

#### (i) Target Availability for recovery of full Capacity (Fixed) charges

(a)	For all thermal Stations except those	
``	covered under clause (b) below	<b>- 8</b> 0%
(b)	For NLC (TPS-II, Stage I&II) Stations	- 72%

# (ii) Plant Load Factor based on scheduled energy beyond which incentive shall be payable

(a)	For all Thermal Stations except those	
	covered under clause (b) below	- 77%
(b)	For NLC (TPS-II, Stage I&II) Stations	- 72%

#### (iii) Gross Station Heat Rate for coal based stations

-During stabilization per	2600 K. Cal/kWh	
-Subsequent period	-	2500 K. Cal/kWh

In respect of 500 MW units where the boiler feed pumps are electrically operated, the heat rate of 40 K. Cal/kWh shall be reduced from Station Heat Rate.

In case of lignite fired power stations, the Gross Station Heat rates indicated above shall be corrected using multiplying factors as follows:

- (a) For lignite having 50% moisture: Multiplying factor of 1.10
- (b) For lignite having 40% moisture: Multiplying factor of 1.07
- (c) For lignite having 30% moisture: Multiplying factor of 1.04
- (d) For other values of moisture content, multiplying factor shall be prorated.

#### (iv) Gross Station Heat Rate for gas and Naphtha based stations

-For open cycle -	2900 K. Cal/kWh
-For combined cycle -	2000 K. Cal/kWh

## (v) Secondary fuel oil consumption for coal based stations

-During stabilization period	-	5 ml/kWh
<ul> <li>Subsequent period</li> </ul>	-	3.5 ml/kWh

(vi)	) Auxiliary Energy Consumption With cooling tower		Without cooling tower
	(a) Coal based stations		
	200 MW series 500 MW series	9.5 per cent	9.0 per cent
	-Steam driven pumps -Electrically driven pumps	8.0 per cent 9.5 per cent	7.5 per cent 9.0 per cent

#### (b) Gas and Naphtha based stations

Combined cycle	3.0 per cent
Open cycle	1.0 per cent

During the stabilization period, normative auxiliary consumption shall be reckoned at 0.5 per cent over and above the figures specified at (a) and (b) above.

#### (vii) Date of Commercial Operation

The date of commercial operation of individual units shall be reckoned as follows:-

Thermal (coal/lignite) Station:	Not exceeding 180 days from the date of synchronization.
<b>a</b>	

#### Gas and Naphtha based Station:

From the date of synchronization.

#### (vill) Stabilization period

Stabilization period commencing from the date of commercial operation shall be reckoned as follows:

- (a) Thermal (coal/lignite) station 180 days
- (b) Open cycle gas and Naphtha based station 90 days
- (c) Combined cycle gas and Naphtha based station 90 days

## "Explanations:-

1. For the purpose of calculating the tariff, the operating parameters, i.e."Station Heat Rate", "Secondary Fuel Oil Consumption" and "Auxiliary Consumption" shall be determined on the basis of actuals or norms, whichever is lower.

## 2.5 Capital Expenditure

The capital expenditure of the project shall be financed as per the approved financial package set out in the techno-economic clearance of the Authority or as approved by an appropriate independent agency as the case may be. The project cost shall include reasonable amount of capitalized initial spares.

The actual capital expenditure incurred on completion of the project shall form the basis for fixation of tariff. Where the actual expenditure exceeds the approved project cost, the excess expenditure as allowed by the Authority or an appropriate independent agency shall be considered for the purpose of fixation of tariff.

Provided that such excess expenditure is not attributable to the Generating Company or its suppliers or contractors;

Provided further that where a Power Purchase Agreement entered into between the Generating Company and the beneficiary provides a ceiling on capital expenditure, the capital expenditure shall not exceed such ceiling for computation of tariff.

## 2.6 Infirm Power

In respect of infirm power, that is sale of electricity prior to commercial operation of the unit, any revenue from such sale (other than the fuel cost ), shall be taken as reduction in capital expenditure and not as net revenue.

## 2.7 Payment of Capacity (Fixed) Charges

The Capacity Charges shall be computed on the following basis and its recovery shall be related to Availability.

## a) Interest on loan capital

Interest on loan capital shall be computed on the outstanding loans, duly taking into account the schedule of repayment, as per the financial package approved by the Authority or an appropriate independent agency, as the case may be.

## b) **Depreciation**:

(i) The value base for the purpose of depreciation shall be the historical cost of the asset.

Depreciation shall be calculated annually as per straight line method at the rate of depreciation as prescribed in the Schedule attached to this notification as **Appendix-II**.

Provided that the total depreciation during the life of the project shall not exceed 90% of the approved original cost. The approved original cost shall include additional capitalization on account of foreign exchange rate variation also.

(iii) Advance against depreciation (AAD), in addition to allowable depreciation, shall be permitted wherever originally scheduled loan repayment exceeds the depreciation allowable as per schedule and shall be computed as follows:

AAD = Originally scheduled loan repayment amount subject to a ceiling of 1/12<sup>th</sup> of original loan amount minus Depreciation as per schedule

- (iv) On repayment of entire loan, the remaining depreciable value shall be spread over the balance useful life of the asset.
- (v) Depreciation shall be chargeable from the first year of operation. In case of operation of the asset for part of the year, depreciation shall be charged on prorata basis.
- (vi) Depreciation against assets relating to environmental protection shall be allowed on case-to-case basis at the time of fixation of tariff subject to the condition that the environmental standards as prescribed have been complied with during the previous tariff period.

## (c) Return on Equity:

Return on equity shall be computed on the paid up and subscribed capital and shall be 16 percent of such capital. **Explanation:**-

Premium raised by the Generating Company while issuing share capital and investment or internal resources created out of free reserve of the existing utility, if any, for the funding of the project, shall also be reckoned as paid up capital for the purpose of computing the return on equity, provided such premium amount and internal resources are actually utilised for meeting the capital expenditure of the generating station and forms part of the approved financial package as set out in the techno-economic clearance accorded by the Authority or approved by an appropriate independent agency, as the case may be.

## (d) **Operation and Maintenance expenses including insurance**

(i) Operation and Maintenance expenses including insurance (hereinafter referred to as O&M expenses) for the existing stations of NTPC and NLC which have been

in operation for 5 years or more in the base year of 1999-2000, shall be derived on the basis of actual O&M expenses, excluding abnormal O&M expenses, if any, for the years 1995-96 to 1999-2000 duly certified by the statutory auditors.

The average of actual O&M expenses for the years 1995-96 to 1999-2000 considered as O&M expenses for the year 1997-98 shall be escalated twice at the rate of 10 percent per annum to arrive at O&M expenses for the base year 1999-2000, as given below:

 $BO\&M2000_i = AVO\&M_i \times (1.10)^2$ 

Where  $BO\&M2000_i =$  Base level O&M expenses for 1999-2000 for ith generating station

 $AVO&M_{1} = Average O&M$  expenses from 1995-96 to 1999-2000 for the ith generating station

The Base O&M expenses for the year 1999-2000 shall be further escalated at the rate of 6 percent per annum to arrive at permissible O&M expenses for the relevant year.

- (ii) In the case of new thermal stations of NTPC and NLC which have not been in existence for a period of five years, the Base O&M expenses shall be fixed at 2.5 percent of the actual capital cost as approved by the Authority or an appropriate Independent agency, as the case may be, in the year of commissioning and shall be escalated at the rate of 10 percent per annum for subsequent years to arrive at O&M expenses for the base year 1999-2000 level. Thereafter the Base O&M expenses shall be further escalated at the rate of 6 percent per annum to arrive at permissible O&M expenses for the relevant year.
- (iii) For plants commissioned during the tariff period (2001-02 to 2003-04), the Base O&M expenses shall be fixed at 2.5 percent of actual capital cost as approved by the Authority or an appropriate Independent agency, as the case may be, in the year of commissioning and shall be subject to an annual escalation of 6 per cent per annum from the subsequent year.
- (iv) The escalation factor of 6 percent per annum shall be used to revise the base figure of O&M expenses. A deviation of the escalation factor computed from the actual inflation data that lies within 20 percent of the above notified escalation factor of 6 percent (which works out to be 1.2 percentage points on either side of 6 percent) shall be absorbed by the utilities/beneficiaries. In other words if the escalation factor computed from the observed data lies in the range of 4.8 to 7.2 percent, this variation should be absorbed by the utilities. Any deviations beyond this limit shall be adjusted on the basis of the actual escalation factor arrived at by applying a weighted price index of CPI for industrial workers (CPI\_IW) and an index of select components of WPI (WPIOM) as per formula given in note below clause (v) herein below, for which the utility shall approach the Commission with a petition.

(v) The escalation of yearly expenses from the published data for the tariff period shall be computed as follows:

 $0.4 \times INFL_{CPI} + 0.6 \times INFL_{WPIOM}$  where:

INFL<sub>CPI</sub> = Annual Average Inflation in CPI\_IW

INFL<sub>WPIOM</sub> = Annual Average Inflation in WPIOM

Where as CPI\_IW is directly published by the Government, WPIOM shall be computed from disaggregated data on wholesale prices published by Ministry of Industry.

#### Note

The special index of wholesale prices for power generating utilities (WPIOM) may be obtained as a weighted average of relevant components selected from disaggregated WPI series (1993-94=100) as given below:

COMMODITIES	WEIGHTS
1. Lubricants	0.16367
2. Cotton Cloth	0.90306
3. Jute, Hemp and Mesta Cloth	0.37551
4. Paper & Paper Products	2.04403
5. Rubber & Plastic Products	2.38819
6. Basic Heavy Inorganic Chemical	1.44608
7. Basic Heavy Organic Chemical	0.45456
8. Paints Varnishes & Lacquers	0.49576
9. Turpentine, Synthetic Resins, Plastic materials etc	0.74628
10.Matches Explosives & Other Chemicals	0.94010
11. Non-Metallic Mineral Products	2.51591
12. Basic Metals Alloys & Metals Products	8.34186
13. Machinery & Machine Tools	8.36331
14. Transport Equipment & Parts	4.29475
All the Above (WPIOM)	33.47307

*WPIOM* =  $\frac{\sum_{i=1}^{14} wiWPIi}{\sum_{i=1}^{14} wi}$  where *WPIi* is the wholesale price index of the ith

commodity and wi is the respective weight

## Note

The data used for computing the permissible O&M expenses shall be certified by the statutory auditors,

## (e) Interest on Working Capital

Interest on Working Capital shall cover:

- (i) Fuel cost for one month and reasonable fuel stocks as actually maintained but limited to fifteen days for pit head stations and thirty days for non pit-head stations, corresponding to the "Target Availability"
- (ii) sixty days stock of secondary fuel oil, corresponding to the "Target Availability"
- (iii) Operation and Maintenance expenses (cash) for one month;
- (iv) maintenance spares at actuals subject to a maximum of one per cent of the capital cost but not exceeding one year's requirements less value of one fifth of initial spares already capitalized for first five years;
- (v) receivables equivalent to two months' average billing for sale of electricity calculated on "Target Availability"; and
- (vi) The interest rate for this purpose shall be the cash-credit rates prevailing at the time of tariff filing.

2.8 Full Fixed Charges shall be recoverable at "Target Availability" specified in clause 2.4(i). Recovery of Capacity (Fixed) Charges below the level of Target Availability shall be on pro-rata basis. At zero availability, no Capacity Charge shall be payable.

2.9 The payment of Capacity Charges shall be on monthly basis in Rs/kW/Month in proportion to the allocated capacity.

## 2.10 Energy Charges

## (i) For stations covered under ABT

Energy (variable) Charges shall cover fuel costs and shall be worked out on the basis of paise per kWh on ex-bus energy scheduled to be sent out from the generating station as per the following formula:

Energy Charges = Rate of Energy Charges X Scheduled Generation (ex-bus)

## (ii) For stations other than those covered under ABT

Energy (variable) charges shall cover fuel costs and shall be worked out on the basis of paise per kWh on ex-bus energy delivered / sent out from the generating station as per the following formula:

Energy Charges = Rate of Energy Charges X Energy delivered (ex-bus)

Where,

**Rate of Energy Charges (REC)** shall be the sum of the cost of normative quantities of primary and secondary fuel for delivering ex-bus one kWh of electricity and shall be computed as under:

$$REC = \frac{P_p \times (Q_p)_n + P_s \times (Q_s)_n}{(1 - (AUX))}$$

Where,

- P<sub>p</sub> = Price of primary fuel namely coal or Lignite or Gas or Naphtha in Rs/Kg
- (Q<sub>p</sub>)<sub>n</sub> = Quantity of primary fuel required for generation of one kWh of electricity at generator terminals in Kg, and shall be computed on the basis of Gross Station Heat Rate (less heat contributed by secondary fuel oil for coal/lignite based stations) and gross calorific value of coal/lignite or gas or Naphtha actually fired.
- $P_s =$  Price of Secondary fuel oil in Rs./ml,
- (Q<sub>s</sub>)<sub>n</sub> = Quantity of Secondary fuel oil as per clause 2.4 (v),
- (AUX)= Auxiliary Energy Consumption as per clause 2.4 (vi) ,as the case may be.

## Adjustment on account of variation in price or heat value of fuels

Initially Gross Calorific Value of coal/lignite or gas or naphtha shall be taken as per actual in the preceding three months. Any variation shall be adjusted on a month to month basis on the basis of Gross Calorific Value of coal/lignite or gas or naphtha actually received and burnt and actual landed cost incurred by the Generating Company for procurement of coal/lignite, oil, or gas or Naphtha as the case may be. No separate petition need to be filed with the Commission for fuel price adjustment. In case of any disputes an appropriate petition in accordance with CERC (Conduct of Business Regulations) 1999 shall be filed before the Commission.

#### 2.11 Incentive

- (i) An incentive shall be allowed to be recovered @ 50% of the fixed cost/kWh at normative PLF for generation between normative PLF and up to 90% PLF, subject to a ceiling of 21.5 paise/kWh.
- (ii) For generation beyond 90% PLF, incentive shall be allowed to be recovered @ 50% of the incentive payable under the preceding clause.~

## 2.12 Tax on income

Tax on income from core-activity of the Generating Company, if any, is to be computed as an expense and shall be recoverable by the Generating Company from the beneficiaries.

Any under or over recoveries of tax shall be adjusted every year on the basis of certificate of statutory auditors.

Provided that:

- i) Tax on any income streams other than income from core-activity, if any, accruing to the Generating Company shall not constitute as a pass through component in the tariff. Tax on such other income shall be payable by the Generating Company.
- ii) The station-wise profit before tax as estimated for a year in advance shall constitute the basis for distribution of the Corporate tax liability to all the stations.
- iii) The benefit of Tax Holiday where applicable as per the provisions of the Income Tax Act, 1961 shall be passed on to the respective stations.
- iv) The credit for carry forward losses, if any, shall be given in an equitable manner for all stations.

v) The tax allocated to stations shall be charged to the beneficiaries in the same proportion as annual fixed charges.

#### 2.13 Development Surcharge

The Generating Company shall be entitled to a Development Surcharge of 5% on every bill for Fixed Charges raised by it in respect of generation at regional level. The Development Surcharge shall not be payable for plants operating exclusively within a State. The levy of Development Surcharge shall be subject to the following conditions:

- (a) Surcharge collected by the utilities shall be kept in a separate bank account and may be invested in securities of recognised infrastructure funds like IDFC or IDBI Tax free bonds and income therefrom shall also be credited to that bank account;
- (b) The Generating Company shall maintain separate accounts in its books and ict the balance in the Development Surcharge Reserve Account and the stment represented against the same in the balance sheet;
- (c) On the purchase of the undertaking or on any other such contingency the reserve and the corresponding investments shall be transferred to the successor undertaking to subserve the same objective of fresh capacity addition;
- (d) The fund can be made use of to the extent of 1/3<sup>rd</sup> of the equity requirement for any capacity addition in the respective region and the balance 2/3<sup>rd</sup> being provided by the Generating Company;
- (e) To the extent to which the fund is used as equity in any new capacity addition, pro rata reduction for the return on equity in the determination of tariff of the new project shall be allowed;
- (f) A certificate in the prescribed form regarding the use of these funds shall be filed with the Commission every year, duly verified by the statutory auditors of the Generating Company;
- (g) The use ese funds in any other manner shall be only with the prior approval of the Commission either on petition or suo motto for which the due process as per the CERC (Conduct of Business) Regulations shall be followed.

#### 2.14 <u>Unschedule Interchange(UI) Charges applicable to stations covered under</u> ABT

Variation in actual generation/drawal and scheduled generation/drawal shall be accounted for through Unscheduled Interchange (UI)Charges. UI for Generating Station shall be equal to its actual generation minus its scheduled generation. UI for beneficiary shall be equal to its total actual drawal minus its total scheduled drawal. UI shall be

worked out for each 15 minute time block. Charges for all UI transactions shall be based on average frequency of the time block and the following rates shall apply:

Average Frequency of time blook	UI Rate (Palse per kWh)
50.5 Hz and above	0.00
Below 50.5 Hz and up to 50.48 Hz	5.60
Below 49.04 Hz and up to 49.02 Hz	414.40
Below 49.02 Hz	420.00
Between 50.5 Hz and 49.02 Hz	linear in 0.02 Hz step

(Each 0.02 Hz step is equivalent to 5.6 paise /kWh within the above range)

The above average frequency range and UI rates are subject to change through a separate notification from time to time.

The provisions relating to UI shall come into force in accordance with the following time schedule, after implementation of ABT.

Southern Region	:	01-04-2001
Eastern Region	:	01-05-2001
Northern Region	:	01-06 <b>-2</b> 001
Western Region	:	01-08-2001

#### 2.15. <u>Rebate</u>

For payment of bills through letter of credit, a rebate of 2.5 per cent shall be allowed. If the payments are made by a mode other than through letter of credit but within a period of one month of presentation of bills by the Generating Company, a rebate of 1 per cent shall be allowed.

## 2.16 Late Payment Surcharge

In case the payment of bills by the beneficiary (ies) is delayed beyond a period of 1 month from the date of billing a late payment surcharge at the rate of 1.5 percent per month shall be levied by the Generating Company.

## 2.17 Scheduling:

(This shall be read with Chapter 7 of IEGC regarding procedure for scheduling).

Methodology of Scheduling and Calculating Availability shall be as under:

(i) Each day starting from 00.00 hrs. shall be divided into 96 time blocks of 15 minutes intervals.

(ii) The generator shall make an advance declaration of capability of its generating station. The declaration shall be for that capability which can be actually made available.

The declaration shall be for the capability of the Generating Station to deliver exbus MWh for each time block of the day. The capability as declared by generator, referred to as DC, would form the basis of generation scheduling.

- (iii) While making or revising their declaration of capability, the generator shall ensure that its declared capability during peak hours is not less than that during other hours. However, exception to this rule shall be allowed in case of tripping/re-synchronisation of units as a result of forced outage of units.
- (iv) The generation scheduling shall be done in accordance with the operating procedure, as stipulated in the IEGC.
- (v) Based on the declaration of the generator, RLDC shall communicate their shares to the beneficiaries out of which they shall give their requisitions.
- (vi) Based on the requisitions given by the beneficiaries and taking into account technical limitations on varying the generation and also taking into account transmission system constraints, if any, RLDC shall prepare the economically optimal generation schedules and drawal schedules and communicate the same to the generator and the beneficiaries.

RLDC shall also formulate the procedure for meeting contingencies both in the long run and in the short run (Daily scheduling).

- (vii) The scheduled generation and actual generation shall be at the generator's exbus. For beneficiaries, the scheduled and actual net drawals shall be at their respective receiving points.
- (viii) For calculating the net drawal schedules of beneficiaries, the transmission losses shall be apportioned to their drawals.
- (ix) Scheduled generation of the generating station for each time block, referred to as SG shall mean the Scheduled MWh to be Sent Out Ex-bus from the Generating Station.
- (x) Actual generation of the station for each time block, referred to as AG, shall mean actual MWh actually Sent Out Ex-bus from the generating station.
- (xi) In case of forced outage of a unit, RLDC shall revise the schedules on the basis of revised declared capability. The revised schedules shall become effective from the 4th time block, counting the time block in which the revision is advised by the

generator to be the first one. The revised declared capability shall also become effective from the 4th time bock.

- (xii) In the event of bottleneck in evacuation of power due to any constraint, outage, failue ation in the transmission system, associated switchyard and sule by CTU (as certified by RLDC) necessitating reduction in get DC shall revise the schedules which shall become effective from the 400 block, counting the time block in which the bottleneck in evacuation of power has taken place to be the first one. Also, during the first, second and third time blocks of such an event, the scheduled generation of the station shall be deemed to have been revised to be equal to actual generation and also the scheduled drawals of the beneficiaries shall be deemed to have been revised to be equal to their actual drawals.
- (xiii) In case of any grid disturbance, scheduled generation of all the Generating Stations and scheduled drawal of all the beneficiaries shall be deemed to have been revised to be equal to their actual generation/drawal for all the time blocks affected by the grid disturbance. Certification of grid disturbance and its duration shall be done by RLDC.
- (xiv) Revision of declared capability by the generator(s) and requisition by beneficiary(ies) for the remaining period of the day shall also be permitted with advance notice. Revised schedules/declared capability in such cases shall become effective from the 6th time block, counting the time block in which the request for revision has been received in RLDC to be the first one.
- (xv) If, at any point of time, RLDC observes that there is need for revision of the schedules in the interest of better system operation, it may do so on its own and in such cases, the revised schedules shall become effective from the 4th time block, counting the time block in which the revised schedule is issued by RLDC to be the first one.
- (xvi) Generation schedules and drawal schedules issued/revised by RLDC shall become effective from designated time block irrespective of communication success.
- (xvii) For any revision of scheduled generation, including post facto deemed revision, there shall be a corresponding revision of scheduled drawals of the beneficiaries.
- (xviii) A procedure for recording the communication regarding changes to schedules duly taking into account the time factor shall be evolved by CTU.

## 2.18 Demonstration of Declared Capability

The Generating Company may be required to demonstrate the declared capability of its Generating Station as and when asked by the RLDC of the region in which the Generating Station is situated. In the event of generator failing to demonstrate the declared capability, the capacity charges due to the generator shall be reduced as a

measure of penalty. The quantum of penalty for the first mis-declaration for any duration/block in a day shall be the charges corresponding to two days Fixed Charges. For the second mis-declaration the penalty shall be equivalent to Fixed Charges for four days and for subsequent mis-declarations, the penalty shall be multiplied in the geometrical progression as per the order of the Commission.

Note:

In case it is observed that the declaration of its capability by the generator is on lower side and the actual generation is more than DC, then UI charges due to the generator on account of such extra generation shall be reduced to zero and the amount shall be credited towards UI account of beneficiaries in the ratio of their capacity share in the station.

#### 2.19 Metering and Accounting

Metering arrangements, including installation, testing and operation and maintenance of meters and collection, transportation and processing of data required for accounting of energy exchanges and average frequency on 15 minute time block basis shall be provided by the POWERGRID/RLDCs. Processed data of the meters along with data relating to declared capability and schedules etc., shall be supplied by RLDCs to REBs and REBs shall issue the Regional Accounts for energy as well as UI charges on monthly basis. The UI accounting procedures shall be governed by the orders of the Commission.

#### 2.20 Billing and Payment of Capacity Charges

Billing and Payment of Capacity Charges shall be done on a monthly basis in the following manner:

(i) Each beneficiary shall pay the Capacity Charges in proportion to its percentage share in total saleable capacity of the station. Saleable capacity shall mean total capacity minus free capacity to Home State(s), if any.

#### Note I

Allocation of total capacity of Central Sector Stations is made by Central Government from time to time which also has an unallocated portion. Allocation of the unallocated portion shall be made by the Central Government from time to time, for the total unallocated capacity. The total capacity share of any beneficiaries would be sum of its capacity share plus allocation out of the unallocated portion. In case of no specific distribution of unallocated power by the Central Government, the unallocated power shall be added to the allocated shares in the same proportion as the allocated shares.

#### Note 2

The beneficiaries may propose surrendering part of their allocated share to other States within/outside the region. In such cases, depending upon the technical feasibility of power transfer and specific agreements reached by the generating company with other States within/outside the region for such transfers, the shares of beneficiaries may be re-allocated by the Central Generating for a specific period. When such re-allocations are made, the beneficiaries who surrender the share shall not be liable to pay capacity charges for the surrendered share. The capacity charges for the capacity surrendered and reallocated as above shall be paid by the State(s) to whom the surrendered capacity is allocated. Except for the period of reallocation of capacity as above, the beneficiaries of the generating station shall continue to pay the full fixed charges as per allocated capacity shares.

- (ii) The beneficiaries shall have full freedom for negotiating any transaction for utilisation of their capacity shares. In such cases, the beneficiary having allocation in the capacity of the generating station shall be liable for full payment of Capacity Charges and Energy Charges (including that for sale of power under the transactions negotiated by them) for all its scheduled and unscheduled transactions from its capacity share.
- (iii) If there is any capacity which remains un-requisitioned during day-to-day operation, RLDC shall advise all beneficiaries in the region and the other RLDCs so that such capacity may be requisitioned through bilateral arrangements with the concerned generating company/beneficiary(ies) under intimation to the RLDC.
- (iv) The Capacity Charges shall be paid by the beneficiary(ies) including those outside the Region to the generator every month in accordance with the following formula:

Total Capacity Charges payable to the generator for the:

```
1^{st} month = (1xACC1)/12

2^{nd} month = (2XACC2 - 1XACC1)/12

3^{rd} month = (3xACC3 - 2XACC2)/12

4^{th} month = (4xACC4 - 3xACC3)/12

5^{th} month = (5XACC5 - 4xACC4)/12

6^{th} month = (6XACC5 - 5xACC5)/12

7^{th} month = (7XACC7 - 6xACC6)/12

8^{th} month = (8xACC8 - 7xACC7)/12

9^{th} month = (9xACC9 - 8xACC8)/12

10^{th} month = (10xACC10 - 9xACC9)/12

11^{th} month = (11xACC11 - 10xACC10)/12

12^{th} month = (12xACC12 - 11xACC11)/12
```

and, Each beneficiary having firm allocation in capacity of the generating station shall pay for the :

 $1^{st}$  month = [ACC1 x WB1]/1200  $2^{nd}$  month = [2XACC2 x WB2 - 1XACC1x WB1]/1200  $3^{rd}$  month = (3xACC3 x WB3 - 2XACC2 x WB2]/1200  $4^{th}$  month = (4xACC4 x WB4 - 3xACC3 x WB3]/1200  $5^{th}$  month = (5XACC5 x WB5 - 4xACC4 x WB4]/1200  $6^{th}$  month = (6XACC5 x WB6 - 5xACC5 x WB5]/1200  $7^{th}$  month = (7XACC7 x WB7 - 6xACC6 x WB6]/1200  $8^{th}$  month = (8xACC8 x WB8 - 7xACC7 x WB7]/1200  $9^{th}$  month = (9xACC9 x WB9 - 8xACC8 x WB8]/1200  $10^{th}$  month = (10xACC10 x WB10- 9xACC9 x WB9]/1200  $11^{th}$  month = (11xACC11 x WB11- 10xACC10x WB10]/1200  $12^{th}$  month = (12xACC12 x WB12- 11xACC11x WB 11]/1200

Where,

ACC1, ACC2, ACC3, ACC4, ACC5 ACC6, ACC7, ACC8, ACC9, ACC10, ACC11 and ACC12 are the amount of Annual Capacity Charge corresponding to 'Availability' for the cumulative period up to the end of 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup> 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup>, 5<sup>th</sup>, 6<sup>th</sup>, 7<sup>th</sup>, 8<sup>th</sup>, 9<sup>th</sup>, 10<sup>th</sup>, 11<sup>th</sup> and 12<sup>th</sup> months respectively.

And, WB1, WB2, WB3, WB4, WB5, WB6, WB7, WB8, WB9, WB10, WB11 and WB12 are the weighted average of percentage allocated capacity share of the beneficiary during the cumulative period up to 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup> 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup>, 5<sup>th</sup>, 6<sup>th</sup>, 7<sup>th</sup>, 8<sup>th</sup>, 9<sup>th</sup>, 10<sup>th</sup> 11<sup>th</sup> and 12<sup>th</sup> month respectively.

And,

Year means the financial year.

When the month of changeover to tariff as per this notification is not the first month of a financial year, then 'Availability' for the part of the year prior to switchover shall be "deemed PLF" determined on the basis of actual generation plus backing down and weighted average of percentage allocated capacity share of the beneficiary shall be equal to his total drawal from station (as per regional energy accounting) expressed as percentage of total ex-bus generation. Payment of capacity charges for the period prior to switchover shall be regulated as per tariff applicable till the date of switchover and pro-rata incentive, as applicable, shall be paid. Payment of Capacity Charges for the month after the switchover to tariff as per this order shall be as per the formula given above.

#### **CHAPTER 3**

## HYDRO POWER GENERATING STATIONS

3.1 <u>Definitions</u>: Unless the context otherwise requires for the purpose of this chapter,

'Actual energy ' means the quantum of energy actually generated by the plant over a specified period (day, year, etc.). The measurement of Actual energy shall be "ex-bus" and shall reflect the energy sent out at the station bus bars.

'Authority ' means Central Electricity Authority constituted under Section 3 of the Electricity (Supply) Act 1948.

**'Auxiliary Consumption '** means the quantum of energy consumed by auxiliary equipment of the project.

'Capacity Index' means the average of the daily capacity indices over one year.

**'Daily Capacity Index'** means percentage of the declared capacity to the maximum available capacity for the day.

Daily Capacity Index = Maximum Available Capacity (MW)

**'Declared capacity'** (MW) means the capacity to be available from the plant over the peaking hours of the next day, as declared by the generator. The peaking hours shall be not less than 3 hours within a 24- hour period,

**'Declared Energy'** means amount of energy to be generated at the plant over the next 24-hour period, as declared by the generator.

**'Deemed Generation '** means the energy which a generating station was capable of generating but could not generate due to grid/power system conditions beyond the control of generator and it results in spillage of water.

**'Design Energy'** means the quantum of energy which could be generated in a 90 percent dependable year with 95 percent installed capacity of the station.

Explanation - If the total energy generation in the years for which hydrological data is available (say N years) is arranged in descending order, the  $[(N + 1) \times 0.9]^{\text{th}}$  year would represent the 90 percent dependable year. The 90 per cent dependable year is a year in which the annual energy generation has the probability of being equal to or in excess of 90 per cent of the expected period of operation of the scheme.

- (a) Design Energy set out in the Techno-Economic Clearance of the Authority shall be considered for fixation of tariff.
- (b) In case of multi-unit projects, the Design Energy applicable on commissioning of units shall be as set out for the respective unit in the Techno-Economic Clearance of the Authority.
- (c) The Authority may review the Design Energy on completion of the project to consider additional hydrological data which would become available and latest status of completion/commissioning of upstream projects involving consumptive use of water.
- (d) The Authority may also review the Design Energy subsequent to the commissioning of the project as and when any specific information about the change in consumptive use of water upstream or in run off is brought to the notice of the Authority.
- (e) The Design Energy presently in use shall continue to be used for tariff purposes. However, the Authority may review the design energy of all existing projects within a period of 2 years from the issue of this notification.

**'Infirm power' means** sale of electricity prior to commercial operation of the generating unit.

**'Installed Capacity'** means the summation of the name plate capacity of the generating units in the station or the capacity as determined in consultation with the Authority from time to time considering the uprating, derating as may be applicable.

'Maximum available capacity' (MW) means the maximum capacity the plant could generate with all units running, under the prevailing conditions of water levels, flows and with 100% gate openings. The peaking hours shall not be less than 3 hours within a 24 hours period.

'**Primary energy** ' means the quantum of energy generated up to Design Energy on an annual basis in the station.

**'Project '** includes the complete hydro power generating facility covering all components such as dam, intake, water conductor systems, power station, generating units of the scheme as apportioned to power generation.

' Saleable Primary energy ' means the quantum of primary energy available for sale after allowing for free energy to the home state.

' Saleable Secondary energy ' means the quantum of secondary energy available for sale after allowing for free energy to the home state.

**'Scheduled energy '**means the quantum of energy to be generated at the plant over the next 24-hour period, as scheduled by the RLDC.

**'Secondary Energy '** means the quantum of energy generated in excess of the design energy on an annual basis in the station.

**'Station '** means a hydro generating station having an installation of one or more hydro generating units, including reversible units

## 3.2 Norms of Operation:

The norms of operation shall be as under:

## (i) Normative Capacity Index = 85 percent

## (ii) Auxiliary consumption :

- a) Surface hydro stations with rotating exciters mounted on the generator shaft = 0.2% of energy generated
- b) Surface hydro stations with static excitation system = 0.5% of energy generated
- c) Underground hydro stations with rotating exciters mounted on the generator shaft ≈ 0.4% of energy generated
- d) Underground hydro stations with static excitation system

= 0.7% of energy generated

# (iii) <u>Transformation losses</u>

(from generation voltage to transmission voltage)

0.5 percent of energy generated.

## (iv) Date of Commercial Operation:

Not exceeding 15 days from the date of synchronization.

#### 3.3 <u>Capital Expenditure</u>

The capital expenditure of the project shall be financed as per the approved financial package set out in the techno-economic clearance of the Authority or as approved by an appropriate independent agency, as the case may be. The project cost shall include reasonable amount of capitalized initial spares.

The actual capital expenditure incurred on completion of the project shall form the basis for fixation of tariff. Where the actual expenditure exceeds the approved project cost, the excess expenditure as allowed by the Authority or an appropriate independent agency shall be considered for the purpose of fixation of tariff.

Provided that such excess expenditure is not attributable to the Generating Company or its suppliers or contractors;

Provided further that where a Power Purchase Agreement entered into between the Generating Company and the beneficiary provides a ceiling on capital expenditure, the capital expenditure shall not exceed such ceiling for computation of tariff.

#### 3.4 Infirm power

Any revenue from sale of infirm power shall be taken as reduction in capital expenditure and not as net revenue.

#### 3.5 Computation of Annual Charges

The two-part tariff for sale of electricity from a hydro power station shall comprise the recovery of Annual Capacity Charge and Primary Energy Charges. The charges for a station shall be regulated as follows:

## 3.5.1 Capacity Charges

The Capacity Charge shall be computed on the following basis.

Capacity Charge = (Annual Fixed Costs- Primary Energy Charge)

Where, Annual Fixed Costs (AFC) shall be as follows:

AFC = IOL + DEP + ROE + O&M +IWC Where, IOL = Interest on Loan Capital DEP = Depreciation and Advance against depreciation ROE = Return on equity

## O&M = 🐇 Operation & Maintenance expenses

IWC = Interest on working capital

When the capacity charge is negative, this amount shall be set to zero +

#### (a) Interest on Ioan capital

Interest on loan capital shall be computed on the outstanding loans duly taking into account the schedule of repayment, as per the financial package approved by the Authority or an appropriate independent agency, as the case may be.

#### (b) **Depreciation**

- (i) The value base for the purpose of depreciation shall be the historical cost of the asset.
- (ii) Depreciation shall be calculated annually as per straight line method at the rate of depreciation as prescribed in the Schedule attached to this notification as **Appendix-II**.

Provided that the total depreciation during the life of the project shall not exceed 90% of the approved original cost. The approved original cost shall include additional capitalization on account of foreign exchange rate variation also.

(iii) Advance against depreciation (AAD), in addition to allowable depreciation, shall be permitted wherever originally scheduled loan repayment exceeds the depreciation allowable as per schedule and shall be computed as follows:

AAD = Originally scheduled loan repayment amount subject to a ceiling of 1/12<sup>th</sup> of original loan amount minus Depreciation as per schedule

- (iv) On repayment of entire loan, the remaining depreciable value shall be spread over the balance useful life of the asset.
- (v) Depreciation shall be chargeable from the first year of operation. In case of operation of the asset for part of the year, depreciation shall be charged on prorata basis.
- (vi) Depreciation against assets relating to environmental protection shall be allowed on case-to-case basis at the time of fixation of tariff subject to the condition that the environmental standards as prescribed have been complied with during the previous tariff period.

#### (c) Return on Equity:

Return on equity shall be computed on the paid up and subscribed capital and shall be 16 percent of such capital.

#### Explanation:

Premium raised by the Generating Company while issuing share capital and investment of internal resources created out of free reserve of the existing utility, if any, for the funding of the project, shall also be reckoned as paid up capital for the purpose of computing the return on equity, provided such premium amount and internal resources are actually utilized for meeting the capital expenditure of the power generation project and forms part of the approved financial package as set out in the techno-economic clearance accorded by the Authority or approved by an appropriate independent agency, as the case may be.

#### (d) Operation and Maintenance expenses

(i) The Operation and Maintenance expenses including insurance (hereinafter referred to as O&M expenses) for the existing stations of NHPC which have been in operation for 5 years or more in the base year of 1999-2000 shall be derived on the basis of actual O&M expenses, excluding abnormal O&M expenses if any for the years 1995-96 to 1999-2000, duly certified by the statutory auditors.

The average of actual O&M expenses for the years 1995-96 to 1999-2000 considered as O&M expenses for the year 1997-98 shall be escalated twice at the rate of 10 percent per annum to arrive a. O&M expenses for the Base year 1999-2000, as given below:

 $BO\&M2000_{I} = AVO\&M_{I} \times (1.10)^{2}$ 

Where

- BO&M2000, = Base level O&M expenses for 1999-2000 for ith generating station.
- AVO&M, = Average O&M expenses from 1995-96 to 1999-2000 for the ith generating station.

The Base O&M expenses for the year 1999-2000 shall be escalated further at the rate of 6 percent per annum to arrive at permissible O&M expenses for the relevant year.

(ii) In case of new hydro stations of NHPC, which have not been in existence for a period of five years, the Base O&M expenses shall be fixed at 1.5 per cent of the actual capital cost as approved by the Authority or an appropriate Independent agency, as the case may be in the year of commissioning and shall be escalated at the rate of 10 percent per annum from the subsequent year to arrive at O&M expenses for the base year 1999-2000. The Base O&M expenses shall be further escalated at the rate of 6 percent per annum to arrive at permissible O&M expenses for the relevant year.

- (iii) For plants commissioned during the tariff period (2001-02 to 2003-04), the Base O&M expenses shall be fixed at 1.5 percent of the actual capital cost as approved by the Authority or an appropriate Independent agency, as the case may be in the year of commissioning and shall be subject to an annual escalation of 6 percent per annum for the subsequent year.
- (iv) The escalation factor of 6 percent per annum shall be used to revise the base figure of O&M expenses. A deviation of the escalation factor computed from the actual inflation data that lies within 20 percent of the above notified escalation factor of 6 percent (which works out to be 1.2 percentage points on either side of 6 percent) shall be absorbed by the utilities/beneficiaries. In other words if the escalation factor computed from the observed data lies in the range of 4.8 to 7.2 percent, this variation should be absorbed by the utilities. Any deviation beyond this limit shall be adjusted on the basis of the actual escalation factor arrived at by applying a weighted price index of CPI for industrial workers (CPI\_IW) and an index of select components of WPI (WPIOM) as per formula given in note 2 to clause (v) below, for which the utility shall approach the Commission with a petition.
- (v) The escalation of yearly expenses from published data for the tariff period shall be as below:

Escalation =  $0.55 \times \text{Infl}_{CPI} + 0.45 \times \text{Infl}_{WPIOM}$ Where

Infl <sub>CPI</sub> = Annual Average Inflation in CPI\_IW

Infl wPIOM = Annual Average Inflation in WPIOM

#### Note 1

Where as CPI\_IW is directly published by the Government, WPIOM shall be computed from disaggregated data on wholesale prices published by Ministry of Industry.

#### Note 2

WPIOM may be obtained as a weighted average of relevant components selected from disaggregated WPI series (1993-94=100) as given below:

COMMODITIES	WEIGHT
1. Lubricants	0.16367
2. Cotton Cloth	0.90306

3. Jute, Hemp and Mesta Cloth	0.37551
4. Paper & Paper Products	2.04403
5. Rubber & Plastic Products	2.38819
6. Basic Heavy Inorganic Chemical	1.44608
7. Basic Heavy Organic Chemical	0.45456
8. Paints Varnishes & Lacquers	0.49576
9. Turpentine, Synthetic Resins, Plastic materials etc	0.74628
10.Matches Explosives & Other Chemicals	0.94010
11. Non-Metallic Mineral Products	2.51591
12. Basic Metals Alloys & Metals Products	8.34186
13. Machinery & Machine Tools	8.36331
14. Transport Equipment & Parts	4.29475
All the Above (WPIOM)	33.47307

*WPIOM* =  $\frac{\sum_{i=1}^{14} wiWPIi}{\sum_{i=1}^{14} wi}$  where *WPIi* is the wholesale price index of the ith

commodity and wi is the respective weight

# Note 3

The data used for computing the permissible O&M expenses shall be certified by the statutory auditors,

#### Note 4

Where as CPI\_ IW is directly published by the Central Government WPIOM shall be computed from disaggregated data on wholesale prices published by Ministry of Industry.

# (e) Interest on Working Capital

Interest on Working Capital shall cover;

- (i) Operation and Maintenance expenses for one month;
- (ii) Maintenance spares at actuals but not exceeding one year's requirements less value of one fifth of initial spares already capitalized for the first five years; and
- (iii) Receivables equivalent to two months of average billing for sale of electricity.

- [PART III-SEC. 4]
- (iv) The interest rate for this purpose shall be the cash-credit rates prevailing at the time of tariff filing.
- **3.5.2** Full Capacity Charges shall be recoverable if the station achieves Capacity Index of 85%. The Capacity Charges shall be calculated on monthly basis and denominated in Rs./kW/month.

# 3.5.3 Primary Engery Charges

Energy Charges shall be worked out on the basis of paise per kWh rate on exbus energy scheduled to be sent out from the Generating Station after adjusting for the free power delivered to the home state.

Rate of Primary Energy for all hydro stations except for pumped storage stations, shall be taken as 90% of the lowest variable charges of the central sector thermal power station of the concerned region. The primary energy charge shall be computed based on the primary energy rate and saleable energy of the project. This rate shall also be the rate to be used in merit order despatch of the plants.

Primary Energy Charge = Primary Saleable Energy (Ex-Bus) \* Primary Energy Rate/(1-r)

Secondary Energy Charge = Secondary Saleable Energy(Ex-Bus)\* Secondary Energy Rate/(1-r)

r = 0.12 and represents 12% free power to the home state.

Secondary Energy Rate shall be equal to Primary Energy Rate.

# 3.6 Incentive/Disincentive

In addition to the 'Capacity Charge' and 'Primary Energy Charge', the generator shall be paid incentive when the Capacity Index (CI) exceeds the normative Capacity Index target of 85%. Incentive shall accrue up to a maximum Capacity Index of 100%. When Capacity Index is less than 85%, disincentive shall be deducted from Capacity Charges paid to the Generating Company on pro-rata basis of the Capacity Index Value.

Incentive shall be payable in accordance with the following formula:

 (a) Incentive = (Annual Fixed Costs - Primary Energy Charge) x (Cl<sub>A</sub> - Cl<sub>N</sub>) (This may be a positive or negative quantity)

Where,  $CI_A$  is the Capacity Index achieved and  $CI_N$  is the normative value of Capacity Index in percent.

For the purpose of incentive, the primary energy rate determined for the first year of tariff period shall remain constant throughout the entire tariff period.

The incentives on account of higher Capacity Index and secondary energy shall be payable on monthly basis, subject to cumulative adjustment in each month of the financial year and final adjustment shall be made at the end of the financial year.

The total incentive payment calculated on an annual basis shall be shared by the various beneficiaries as per their individual allocated capacity.

# 3.7 <u>Tax on Income</u>

Tax on income from core activity of the Generating Company, if any, is to be computed as an expense and shall be recoverable by the Generating Company from the beneficiaries.

Any under or over recoveries of tax shall be adjusted every year on the basis of certificate of statutory auditors.

Provided that:

- (i) Tax on any income streams other than the income from core activity, if any, accruing to the Generating Company shall not constitute as a pass through component in the tariff. Tax on such other income shall be payable by the Generating Company.
- (ii) The station-wise profit before tax as estimated for a year in advance shall constitute the basis for distribution of the Corporate tax liability to all the stations.
- (iii) The benefit of Tax Holiday where applicable as per the provisions of the Income Tax Act, 1961 shall be passed on to the respective stations.
- (iv) The credit for carry forward losses if any shall also be given in an equitable manner for all stations.
- (v) The tax allocated to stations shall be charged to the beneficiaries on the same proportions as annual fixed costs.

#### 3.8 <u>Development Surcharge</u>

The Generating Company shall be entitled to a Development Surcharge of 5% on both Capacity and Primary Energy Charges for the purpose of fresh capacity addition and

project development activities. The Development Surcharge shall not be payable for operations exclusively within a State. The levy of Development Surcharge shall be subject to the following conditions:

- (a) Surcharge collected by the utilities shall be kept in a separate bank account and may be invested in securities of recognised infrastructure funds like IDFC or IDBI Tax free bonds and income therefrom shall also be credited to that bank account;
- (b) The Generating Company shall maintain separate accounts in its books and reflect the balance in the Development Surcharge Reserve Account and the investment represented against the same in their balance sheet;
- (c) On the purchase of the undertaking or on any other such contingency the reserve and the corresponding investments shall be transferred to the successor undertaking to subserve the same objective of fresh capacity addition;
- (d) The fund can be made use of to the extent of 1/3<sup>rd</sup> of the equity requirement for any capacity addition in the respective region and the balance 2/3<sup>rd</sup> being provided by the Generating Company
- (e) To the extent to which the fund is used as equity in any new capacity addition, pro rata reduction for the return on equity in the determination of tariff of the new project shall be allowed;
- (f) A certificate in the prescribed form regarding the use of these funds shall be filed with the Commission every year, duly verified by the statutory auditors of the Generating Company;
- (g) The use of these funds in any other manner shall be only with the prior approval of the Commission either on petition or suo motto for which the due process as per the CERC (Conduct of Business) Regulations shall be followed.

# 3.9 Unscheduled Interchange (UI)

Variation in actual generation/drawal and scheduled generation/drawal shall be accounted for through Unscheduled Interchange (UI). UI for a Generating Station shall be equal to its actual generation minus its scheduled generation. UI for a beneficiary shall be equal to its total actual drawal minus its total scheduled drawal. UI shall be worked out for each 15 minute time block. Charges for all UI transactions shall be based on average frequency of the time block.

UI Charges =(Actual Energy - Scheduled Energy) \* UI Rate

This may be a positive or negative quantity

The following UI rates shall apply:

Average Frequency of time block	<u>Ul rate (Paise per kWh)</u>
50.5 Hz and above	0.0
Below 50.5 Hz and up to 50.48 Hz	5.6
Below 49.04 Hz and up to 49.02 Hz	414.4
Below 49.02 Hz	420.0
Between 50.5 Hz and 49.02 Hz	linear in 0.02 Hz step

(each 0.02 Hz step is equivalent to 5.6 paise/kWh within the above range)

The above average frequency range and UI rates are subject to change through a separate notification or order of the Commission from time to time.

The provisions relating to UI shall come into force in accordance with the following time schedule, after implementation of ABT.

Southern Region	:	01-04-2001
Eastern Region	:	01-05-2001
Northern Region	:	01-06-2001
Western Region	:	01-08-2001
North Eastern Region	:	Date will be notified subsequently.

#### 3.10 Rebate

For payment of bills through letter of credit on presentation, a rebate of 2.5 percent shall be allowed. Where payments are made subsequently through opening of letter of credit or otherwise, but within a period of one month of presentation of bills by the Generating Company, a rebate of 1 percent shall be allowed.

#### 3.11 Late Payment Surcharge

In case the payment of bills by the beneficiary (ies) is delayed beyond a period of 1 month from the date of billing a late payment surcharge at the rate of 1.5 percent per month shall be levied by the Generating Company.

#### 3.12 Deemed Generation

In case of reduced generation due to the reasons beyond the control of Generating Company or on account of non-availability of board's transmission lines or on receipt of backing down instructions from the concerned Regional Load Despatch Centre resulting in spillage of water, the energy charges on account of such spillage shall be payable to the Generating Company. Apportionment of energy charges for such spillage among the beneficiaries shall be in proportion to their shares in saleable capacity of the station. Energy charges on the above account shall not be admissible if the energy generated during the year is equal to or more than Design Energy.

# 3.13 Scheduling

The methodology of scheduling shall be as under:

- (i) Each day starting from 00.00 hrs. shall be divided into 96 time blocks of 15 minutes intervals.
- (ii) The generator shall make an advance declaration of capacity of its generating station. The declaration shall for that capacity which can be actually made available for a period of time not less than 3 hours within a 24 hour period.

The generator shall intimate the declared capacity(MW), maximum available capacity(MW) and total Ex-Bus (MWh) to RLDC to enable it to prepare the schedule.

The declaration should also include limitation on generation during any specific time period of the day on account of restriction(s) on water usage, etc.

It shall be ensured that declared capacity does not exceed the installed capacity of the plant ordinarily. The over load capacity of the plant, wherever available, shall also be declared in case of systems requirements.

- (iii) While making or revising its declaration of capacity, the generator shall ensure that its declared capacity during peak hours is not less than that during other hours. However, exception to this rule shall be allowed in case of tripping /re-synchronization of units as a result of forced outage of units.
- (iv) The generation scheduling shall be done in accordance with the operating procedure, as stipulated in the IEGC.
- (v) Based on the declaration of the generator, RLDC shall communicate to the beneficiaries their shares out of which they shall give their requisitions.
- (vi) Based on the requisitions given by the beneficiaries and taking into account technical limitations on varying the generation and also taking into account transmission system constraints, if any, RLDC shall prepare the economically optimal generation schedules and drawal schedules and communicate the same to generator and the beneficiaries.

RLDC shall also formulate the procedure for meeting contingencies both in the long run and in the short run (Daily scheduling).

- (vii) The scheduled generation and actual generation shall be at the generating station's ex-bus MWh. For beneficiaries, the scheduled and actual net drawals shall be at their receiving points.
- (viii) For calculating the net drawal schedules of beneficiaries, the transmission losses shall be apportioned in proportion to their drawals.
- (ix) Scheduled generation of the generating station for each time block shall mean the Scheduled MWh Sent Out Ex-bus from the generating station.
- (x) Actual generation of the generating station for each time block shall mean the actual MWh Sent Out Ex-bus from the generating station.
- (xi) In case of forced outage of a unit, RLDC shall revise the schedules on the basis of revised declared capacity. The revised schedules shall become effective from the 4<sup>th</sup> time block, counting the time block in which the revision is advised by the generator to be first one. The revised declared capacity shall also become effective from the 4<sup>th</sup> time block.
- (xii) In the event of bottleneck in evacuation of power due to any constraint, outage, failure or limitation in the transmission system, associated switchyard and sub stations owned by CTU (as certified by RLDC) necessitating reduction in generation, RLDC shall revise the schedules which shall become effective from the 4<sup>th</sup> time block, counting the time block in which the bottleneck in evacuation of power has taken place to be the first one. Also, during the first, second and third time blocks of such an event, the scheduled generation of the station shall be deemed to have been revised to be equal to actual generation and also the scheduled drawals of the beneficiaries shall be deemed to have been revised to be equal to their actual drawals.
- (xiii) In case of any grid disturbance, scheduled generation of all the generating stations and scheduled drawal of all the beneficiaries shall be deemed to have been revised to be equal to their actual generation/drawal for all the time blocks affected by the grid disturbance. Certification of grid disturbance and its duration shall be done by RLDC.
- (xiv) Revision of declared capability by generator(s) and requisition by beneficiary(ies) for the remaining period of the day shall also be permitted with advance notice. Revised schedules/declared capability in such cases shall become effective from the 6<sup>th</sup> time block, counting the time block in which the request for revision has been received in RLDC to be the first one.

154	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(xv)	If, at any point of time, RLDC observes that there is need for revision of the schedules in the interest of better system operation, it may do so on its own and in such cases, the revised schedules shall become effective from the 4 <sup>th</sup> time block, counting the time block in which the revised schedule is

- (xvi) Generation schedules and drawal schedules issued/revised by RLDC shall become effective from designated time block irrespective of communication success.
- (xvii) For any revision of scheduled generation, including post facto deemed revision, there shall be a corresponding revision of scheduled drawals of the beneficiaries.
- (xviii) A procedure for recording the communication regarding changes to schedule duly taking into account the time factor shall be evolved by CTU.
- (xix) a) Run-of-River type hydro stations

issued by RLDC to be the first one.

Since there is no regulation possible in such stations, these shall be treated as must run stations. The maximum declared capacity, duly taking into account the over load capability, must be equal to or greater than that required to make full use of the available water. There shall be no spillage, unless plant is operating at full plant capacity.

b) Diurnal storage & long term Storage hydro stations

These type of hydro stations are designed to operate during peak hours to meet system peak demand. The declared capacity shall be equal the maximum available capacity of the plant including overload capacity, wherever applicable. RLDCs shall ensure that generation schedules of such type of stations shall be prepared and the stations dispatched accordingly except in the event of specific system requirements/constraints.

# 3.14 Demonstration of Declared Capacity

The Generating Company may be required to demonstrate the declared capacity of its generating station as and when asked by the RLDC of the region in which the generating station is situated. In the event of Generating Company failing to demonstrate the declared capacity within a tolerance limit specified by CTU, the capacity charges due to the Generating Company shall be reduced as a measure of penalty.

The quantum of penalty for the first mis-declaration for any 24 hour period shall be the charges corresponding to two days fixed charges. For the second misdeclaration the penalty shall be equivalent to fixed charges for four days and for subsequent mis-declarations, the penalty shall be multiplied in the geometrical progression as per the order of the Commission.

A procedure shall be evolved by RLDCs for testing the declared capacity of a station in the event of minimum flow available in case of Run-of-River and pondage type hydro stations.

Note :

In case it is observed that the declared capacity and/or declared energy given by the generator is repeatedly under-stated compared with actual generation within a tolerance specified by the CTU, then UI charges due to the generator on account of such extra generation shall be reduced to zero and the amount shall be credited towards UI account of beneficiaries in the ratio of their capacity share in the station.

The operating log books of the generating station shall be available for review by the RLDC. These books keep record of machine operation and maintenance, reservoir level and spillway gate operation.

#### 3.15 Metering and Accounting

Metering arrangements, including installation, testing and operation and maintenance of meters and collection, transportation and processing of data required for accounting of energy exchanges and average frequency on 15 minute time block basis shall be provided by the POWERGRID/RLDC. Processed data of the meters along with data relating to declared capability and schedules etc., shall be supplied by RLDCs to REBs and REBs shall issue the Regional Accounts for energy as well as UI charges on monthly basis. The UI accounting procedures shall be governed by the orders of the Commission.

#### 3.16 Billing and Payment of Capacity Charges

Billing and Payment of Capacity Charges shall be done on a monthly basis in the following manner:

(i) Each beneficiary shall pay the Capacity Charges in proportion to its percentage share in total saleable capacity of the station, adjusted for the home state free capacity.

**Note 1**: Allocation of total capacity of Central Sector Stations is made by Gol from time to time which also has an unallocated portion. Allocation of the unallocated portion shall be made by the Gol from time to time, for the total unallocated capacity. The total capacity share of any beneficiary would be sum of its capacity share plus allocation out of the unallocated portion. Ir case of no specific distribution of unallocated power by the Gol,

the unallocated power shall be added to the allocated shares in the same proportion as the allocated shares.

**Note 2**: The beneficiaries may propose surrendering part of their allocated share to other States within/outside the region. In such cases, depending upon the technical feasibility of power transfer and specific agreements reached by the generating company with other States within/outside the region for such transfers, the shares of beneficiaries may be re-allocated by the Gol for a specific period. When such re-allocations are made, the beneficiaries who surrender the share shall not be liable to pay capacity charges for the surrendered share. The capacity charge for capacity surrendered and reallocated as above shall be paid by the State(s) to whom the surrendered capacity is allocated. Except for the period of reallocation of capacity as above, the beneficiaries of the generating station shall continue to pay the full fixed charges as per allocated capacity shares.

- (ii) The beneficiaries shall have full freedom for negotiating any transaction for utilization of capacity shares. In such cases, the beneficiary having allocation in the capacity of the generating station shall be liable for full payment of capacity charge and energy charge (including that for sale of power under the transactions negotiated by them) for all its scheduled and unscheduled transactions from its capacity shares.
- (iii) If there is any capacity which remains un-requisitioned during day -to-day operation, RLDC shall advise all beneficiaries in the region and the other RLDCs so that such capacity may be requisitioned through bilateral arrangements with the concerned generating company/beneficiary(ies) under intimation to the RLDC.
- (iv) The capacity charges shall be paid by the beneficiary(ies) including those outside the Region to the generator every month in accordance with the following formulae:

 $1^{st}$  month =  $(1 \times ACC1)/12$   $2^{nd}$  month =  $(2 \times ACC2 - 1 \times ACC1)/12$   $3^{rd}$  month =  $(3 \times ACC3 - 2 \times ACC2)/12$   $4^{th}$  month =  $(4 \times ACC4 - 3 \times ACC3)/12$   $5^{th}$  month =  $(5 \times ACC5 - 4 \times ACC4)/12$   $6^{th}$  month =  $(6 \times ACC6 - 5 \times ACC5)/12$   $7^{th}$  month =  $(7 \times ACC7 - 6 \times ACC6)/12$   $8^{th}$  month =  $(8 \times ACC8 - 7 \times ACC7)/12$   $9^{th}$  month =  $(9 \times ACC9 - 8 \times ACC8)/12$   $10^{th}$  month =  $(10 \times ACC10 - 9 \times ACC9)/12$   $11^{th}$  month =  $(11 \times ACC11 - 10 \times ACC10)/12$  $12^{th}$  month =  $(12 \times ACC12 - 11 \times ACC11)/12$ 

$$i^{ih}month = \frac{ACC_i}{12} + \frac{(i-1)}{12} * (ACC_i - ACC_{i-1})$$

and, each beneficiary having firm allocation in capacity from the generating station shall pay:

1 <sup>st</sup> month = [ ACC1	xWB1]/1	200
$2^{nd}$ month = [2xACC2	xWB2	- 1xACC1xWB1]/1200
$3_{i}^{rd}$ month = [3xACC3	xWB3	- 2xACC2xWB2]/1200
$4_{ii}^{th}$ month = [4xACC4	xWB4	- 3xACC3xWB3]/1200
$5^{\text{th}}$ month = [5ACC5	xWB5	- 4xACC4xWB4]/1200
$6^{\text{th}}$ month = [6ACC6	xWB6	- 5xACC5xWB5]/1200
$7^{\text{th}}$ month = [7xACC7	xWB7	- 6xACC6xWB6]/1200
8 <sup>th</sup> month = [8xACC8	xWB8	- 7xACC7xWB7j/1200
$9^{\text{th}}$ month = [9xACC9	xWB9	- 8xACC8xWB8]/1200
$10^{\text{th}}_{\text{m}}$ month = [10xACC10]	xWB10	- 9xACC9xWB9]/1200
$11^{\text{th}}_{\pm}$ month = [11xACC11]	xWB11	- 10xACC10xWB10]/1200
$12^{\text{th}}$ month = [12xACC12]	xWB12	- 11xACC11xWB11]/1200

$$i^{th}month = \frac{ACC_{i} * WB_{i}}{12} + \frac{(i-1)}{12} * (ACC_{i} * WB_{i} - ACC_{i-1} * WB_{i-1})$$

#### Where

-

ACC1, ACC2, ACC3, ACC4, ACC5, ACC6, ACC7, ACC8 ACC9, ACC10, ACC11 and ACC12 are the amount of Capacity Charge for the period up to the end of 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup>, 5<sup>th</sup>, 6<sup>th</sup>, 7<sup>th</sup>, 8<sup>th</sup>, 9<sup>th</sup>, 10<sup>th</sup>, 11<sup>th</sup>, and 12<sup>th</sup> months respectively.

And, WB1, WB2, WB3, WB4, WB5, WB6, WB7, WB8, WB9, WB10, WB11 and WB12 are the weighted average of percentage allocated capacity share of the beneficiary during the cumulative period upto 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup>, 4<sup>th</sup>, 5<sup>th</sup>, 6<sup>th</sup>, 7<sup>th</sup>, 8<sup>th</sup>, 9<sup>th</sup>, 10<sup>th</sup>, 11<sup>th</sup>, and 12<sup>th</sup> months respectively.

Year means the financial year.

When the month of change over to tariff as per this notification is the first month of a financial year, then 'capacity index' for the part of the year prior to switchover shall be "deemed capacity index" determined on the basis of actual generation plus backing down and weighted average of percentage allocated capacity share of the beneficiary shall be equal to its total drawal from station (as per regional energy accounting) expressed as percentage of total ex-bus generation. Payment of capacity charges for the period prior to switchover shall be regulated as per tariff applicable till the date of switchover and pro-rata incentive, as applicable shall be paid. Payment of Capacity Charges for the month after the switchover to tariff shall be as per the formula given above.

# CHAPTER 4

# INTER-STATE TRANSMISSION

#### 4.1. Definitions

Unless the context otherwise requires, for the purpose of this chapter:

- (i) **'Authority'** means Central Electricity Authority established under section 3 of the Electricity (Supply) Act, 1948.
- (ii) 'Availability' in relation to a transmission system for a given period means the time in hours during that period the transmission system is capable to transmit electricity at its rated voltage from the supply point to the delivery point and shall be expressed in percentage of total hours in the give period.
- (iii) **'Commission'** means the Central Electricity Regulatory Commission established under Section 3 of the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998.
- (iv) **'Contract Path'** means the shortest route formed by a series of transmission lines capable of carrying contracted power between the point of receipt to point of delivery in the wheeling system.
- (v) '**Contracted Power'** means the power in MW which the wheeling utility has agreed to carry or which the wheeling utility is required to carry as per allocation/agreement between the importing and exporting utility.
- (vi) **'Rated Voltage'** means the manufacturers design voltage at which the transmission system is designed to operate or such lower voltage at which the line is charged, for the time being, in consultation with supplier and receiver of electricity.
- (vii) **'Transmission Service Agreement** ' means the agreement, contract, memorandum of understanding, or any such covenants, entered into between the Transmission Utility and the beneficiary of the transmission service.
- (VIII) **'Transmission System'** means a line with associated Sub-Stations or a group of lines inter-connected together alongwith associated sub-stations
- (IX) **'Transmission Utility**' means any Generating Company, board, licensee or other person engaged in the inter-state transmission of energy

(x) 'Wheeling' means the operation whereby the transmission system and associated facilities of Transmission Utility are used by another person for conveyance of electricity.

#### 4.2 Norms of Operation

The norms of operation, subject to modifications thereof from time to time shall be as under:-

#### (i) Date of Commercial Operation

The date of commercial operation shall be the date of charging the transmission system to its rated voltage level or seven days after the date on which it is declared ready for charging by the transmission utility, but not able to charge for reasons not attributable to its suppliers or contractors.

- (ii) <u>Auxiliary Power Consumption in the Sub-Station:</u>
  - (a) AC System NIL

#### Note

The auxiliary consumption in the AC sub-station for the purpose of airconditioning, lighting, technical consumption, etc. shall be borne by the transmission utility as part of its operation & maintenance expenses.

(b) For HVDC Sub-station -

For Auxiliary power consumption in HVDC stations Gol shall allocate appropriate share from the ISGS / Central Power Stations in the region. Fixed charges for such power shall be borne by the beneficiaries of the region and ISGS shall bill the Transmission Utility only for the variable charges.

(iii) Normative Availability of the Transmission System

The Normative Availability of the Transmission System shall be 98% and shall be calculated as per the procedure contained in **Appendix** - III to this notification.

#### 4.3. Capital Cost and capital structure

(a) The capital expenditure of the Transmission System shall be financed as per the approved financial package set out in the

techno-economic clearance of the Authority or as approved by an appropriate independent agency, as the case may be.

- (b) The capital cost shall include capitalised initial spares for the first 5 years of operation. The approved project cost shall be the cost which has been specified in the techno-economic clearance of the Authority or as approved by an appropriate independent agency, as the case may be.
- (c) The actual capital expenditure incurred on completion of the project shall be the criterion for the fixation of tariff Where the actual expenditure exceeds the approved project cost the excesses as approved by the Authority or an appropriate independent agency, as the case may be, shall be deemed to be the actual capital expenditure for the purpose of determining the tariff, provided that excess expenditure is not attributable to the 'Transmission Utility' or its suppliers or contractors

Provided further that where a transmission services agreement entered into between the Transmission Utility and the beneficiary provides a ceiling on capital expenditure, the capital expenditure shall not exceed such ceiling

# 4.4 Computation of Transmission Charges

The single part tariff for transmission of electricity by a transmission system shall comprise the recovery of annual transmission charges consisting of interest on loan capital, depreciation, advance against depreciation, operation and maintenance expenses, return on equity and interest on working capital at a normative availability level. The taxes on income reckoned as expenses at actuals on core business and FERV shall be regulated as prescribed

The annual Transmission Charges shall be computed on the following basis, namely -

# (a) Interest on Ioan Capital

Interest on loan capital shall be computed on the outstanding loans, duly taking into account the schedule of repayment, as per the financial package approved by the Authority or any independent agency

# (b) <u>Depreciation</u>:

(i) The value base for the purpose of depreciation shall be the historical cost of the asset

(ii) Depreciation shall be calculated annually as per straight line method at the rate of depreciation as prescribed in the Schedule attached to this notification in **Appendix II**.

Provided that the total depreciation during the life of the project shall not exceed 90% of the approved Original Cost. The approved original cost shall include additional capitalization on account of foreign exchange rate variation also.

(iii) Advance against depreciation (AAD), in addition to allowable depreciation, shall be permitted wherever originally scheduled loan repayment exceeds the depreciation allowable as per schedule and shall be computed as follows:

AAD = Originally scheduled loan repayment amount subject to a ceiling of 1/12<sup>th</sup> of original loan amount Deprectiation as per the schedule

- (iv) On repayment of entire loan, the remaining depreciable value shall be spread over the balance useful life of the asset.
- (v) Depreciation shall be chargeable from the first year of operation. In case of operation of the asset for part of the year, depreciation shall be charged on pro-rata basis.
- (vi) Depreciation against assets relating to environmental protection shall be allowed on case-to-case basis at the time of fixation of tariff subject to the condition that the environmental standards as prescribed have been complied with during the previous tariff period.

# (c) <u>Return on Equity</u>

Return on equity shall be computed on the paid up and subscribed capital relatable to the transmission system and shall be 16 percent of such capital.

#### Explanation:-1

Premium raised by the Transmission Utility while issuing share capital & investment of internal resources created out of free reserve of the existing utility, if any, for the funding of the project, shall also be reckoned as paid up capital for the purpose of computing the return on equity, provided such premium amount and internal resources are actually utilised for meeting the capital expenditure of the Transmission project and forms part of the approved financial package as set out in the techno-economic clearance accorded by the Authority.

# (d) **Operation and Maintenance expenses**

Operation and maintenance expenses including expenses on insurance, if any, (hereinafter referred to as O&M expenses) shall be calculated as under

i) Where the O&M expenses, excluding abnormal O&M expenses if any on sub-stations(OMS) and lines (OML), are separately available for each region, these shall be normalized by dividing them by number of bays and line length respectively. Where data as aforesaid is not available, O&M expenses in the region shall be apportioned to the sub-stations and lines on the basis of 30:70 ratio and these shall be normalized as below :

O&M Expenses per unit of line length in Kilometers (OMLL)

OMLL= O&M expenses for lines (OML) /Average line length in kilometers (LL).

O&M expenses for Sub stations (OMBN)

**OMBN** = O&M expenses for substations (OMS) / Average number of bays(BN).

ii) The five years average of the normalized O&M expenses for lines and for bays (for the period 1995-96 to 1999-2000) shall be escalated at 10 percent per annum for two years (1998-99 and 1999-2000) to arrive at the norm for O&M expenses per unit of line length and per bay for 1999-2000.

Normative O&M per unit of line length (NOMLL) = AVOMLL x  $(1.10)^2$ Normative O&M per bay (NOMBN) = AVOMBN x  $(1.10)^2$ 

Where AVOMLL & AVOMBN are average O&M expenses per unit of line length and per bay respectively.

$$AVOMLL = \frac{\sum_{i=1999-2000}^{1999-2000} OMLi}{\sum_{i=1995-96}^{1999-2000} LLi}$$
$$AVOMBN = \frac{\sum_{i=1995-96}^{1999-2000} OMSi}{\sum_{i=1995-96}^{1999-2000} BNi}$$

Where LLi and BNi is the average line length and number of bays respectively in the given year i.

(iii) NOMLL & NOMBN for the regions derived in the preceding paragraph shall be escalated at the rate of 6 percent per annum to obtain the normative values of O&M expenses per unit of line length and per bay in the relevant year. These normative values shall be multiplied by the line length and number of bays (as the case may be) in a given system in that year to compute the permissible O&M expenses for that system.

- (iv) The escalation factor of 6 percent per annum shall be used to revise the normative base figure of O&M expenses. A deviation of the escalation factor computed from the actual inflation data that lies within 20 percent of the above notified escalation factor of 6 percent (which works out to be 1.2 percentage points on either side of 6 percent) shall be absorbed by the utilities/beneficiaries. In other words if the escalation factor computed from the observed data lies in the range of 4.8 to 7.2 percent, this variation should be absorbed by the utilities. Deviations beyond this limit shall be adjusted on the basis of the actual escalation factor arrived at on the basis of a weighted price index of CPI for industrial workers (CPI\_IW) and an index of select components of WPI (WPITR) as per formula given below, for which the utility shall approach the Commission with a petition:
- (v) The actual escalation factor during the tariff period shall be computed from the published data as below:

Where

Infl <sub>CPI</sub> = Annual Average Inflation in CPI\_IW. Infl <sub>WPITR</sub> = Annual Average Inflation in WPITR (to be calculated as under)

(vi) WPITR is computed as a weighted average of relevant components (listed below) selected from disaggregated WPI series (1993-94=100).

COMMODITIES	WEIGHT
1. Cotton Cloth	0.90306
2. Paper & Paper Products	2.04403
3. Rubber & Plastic Products	2.38819
4. Paints Varnishes & Lacquers	0.49576
5. Turpentine, Synthetic Resins, Plastic Materials etc	0.74628
6. Non-Metallic Mineral Products	2.51591
7. Basic Metals Alloys & Metals Products	8.34186
8. Machinery & Machine Tools	8.36331
9. Transport Equipment & Parts	4.29475
All the Above (WPITR)	30.0931

$$WPITR = \frac{\sum_{i=1}^{9} wiWPIi}{\sum_{i=1}^{9} wi}$$

where WPI<sub>i</sub> is the Wholesale Price Index for the ith sub-group and w<sub>i</sub> is its respective weight

# Note

O&M expenses on account of network expansion in a given Financial Year shall be computed on the basis of relevant normative O&M expenses per unit of line length or number of bays. The normative O&M expenses for 1999-2000 (NOMLL and NOMBN as the case may be) shall be escalated at 6 percent per annum to bring them to level of relevant year. These normative expenses multiplied by the line length or the number of bays, as the case may be, for added the year in which expansion has taken place shall give the O&M expenses on account of network expansion per year. For the year of commissioning, the O&M expenses for lines and bays added shall be apportioned for on the basis of their months in operation during that year.

# Note

Where as CPI\_IW is directly published by the Government, WPITR shall be computed from disaggregated data on wholesale prices published by Ministry of Industry.

# Note

The data used for computing the permissible O&M expenses shall be certified by the statutory auditors,

# (e) Interest on Working Capital

Interest on working capital shall cover;

- (i) operation and maintenance expenses (cash) for one month;
- (ii) maintenance spares at a normative rate of 1% of the Capital cost less 1/5<sup>th</sup> of the initial capitalized spares. Cost of maintenance spares for each subsequent year shall be revised at the rate applicable for revision of expenditure on O&M of transmission system and
- (iii) receivables equivalent to two months' average billing calculated on normative availability level.

# 4.5 <u>Tax on Income</u>

Tax on the income streams of the Transmission Utility from core activity, if any, to be computed as an expense at shall and shall be recovered from the beneficiaries.

Any under-recoveries or over recoveries of tax shall be adjusted every year on the basis of certificate of statutory Auditors.

165

Provided:

- (i) Tax on any other income streams, other than the core activity, shall not constitute a pass through component in the tariff. Tax on such other income shall be payable by the Transmission Utility.
- (ii) The region-wise profit before tax as estimated for a year in advance shall constitute the basis for distribution of the Corporate tax liability to all the regions.
- (iii) The benefits of Tax Holiday applicable as per the provisions of the Income Tax Act, 1961 shall be passed on to the beneficiaries.
- (iv) The credit for carry forward losses could also be given in the same proportion as mentioned above (in the Sub clause (ii)) in the absence of any other equitable basis.
- (v) The tax allocated to regions shall be charged to the beneficiaries on the same lines as annual fixed charges/existing charges.

# 4.6. Payment of Transmission Charges

Full annual transmission charges shall be recoverable at 98 percent Availability of Operation. Payment of transmission charge below 98 percent shall be on prorata basis. There shall not be any payment of annual transmission charges for availability level above 98 percent. The transmission charge shall be calculated on monthly basis. In case of more than one beneficiaries of the transmission system, the monthly transmission charge leviable to each beneficiary shall be computed as per the following formula.

 TC
 EB

 Transmission Charges=
 ------ x

 12
 ES

Where TC = Annual Transmission Charges payable by the beneficiaries.

- EB = Monthly energy sale from Central Sector Stations as may come in the system to each beneficiary individually as per Regional Energy Account.
- ES = Total monthly energy sale from Central Sector Stations.

# Note

When availability based generation tariff and unscheduled interchange tariff is introduced for payment of 'generation/ unscheduled interchange charges by the beneficiaries, the monthly transmission charges leviable to each beneficiary shall be computed as per their respective capacity allocation from ISGS or per the transmission agreement, if any.

# 4.7 Incentive

The Transmission Utility shall be entitled to incentive beyond the Availability of 98% as per table below:

Availability %	Incentive	Cumulative Incentive
	As a percent of equity	As a percent of equity
98% and below	0.00	0.00
98.01% -98.50%	1.00	1.00
98.51% - 99.00%	1.00	2.00
99.01% - 99.50%	1.00	3.00
99.51 -99.75%	1.00	4.00

# 4.8 Principle of sharing of Transmission Charges of the inter-regional assets including HVDC system by the beneficiaries

The Transmission Charges of the inter-regional assets including HVDC system shall be shared in the ratio of 50:50 by the two contiguous regions. These Transmission Charges shall be recovered from the beneficiaries by pooling 50% of the Transmission Charges for such inter-regional assets with the Transmission Charges for transmission system of the respective regions.

#### 4.9 Wheeling Charges for inter-state transmission :

#### 4 9.1 Wheeling on POWERGRID/Licensee's system:

- 4.9.1.1 In case of inter-regional transmission of power through the transmission system belonging to POWERGRID or any Licensee, the total monthly charges payable to them by the importing, exporting and intermediary regions (if any) shall remain the same.
- 4.9.1.2 Till introduction of ABT, the sharing of monthly transmission charges shall be in proportion to energy drawal. In case of importing region, the monthly transmission charges payable to POWERGRID/Licensee shall be shared in proportion to energy drawal as per Regional Energy Accounting including energy drawn from exporting region. In case of exporting region, the monthly transmission charges payable to POWERGRID/Licensee shall be shared by its constituents and beneficiaries (importing utilities) outside the region in proportion to energy drawal as per Regional Energy Accounting. Subsequent to introduction of ABT, sharing of the monthly transmission charges shall be on the basis of capacity allocation and contracted power. No transmission charges shall, however, be payable by the importing utility for utilisation of POWERGRID/Licensee system in intermediary region(s).
- 4.9.1.3 The transmission losses shall be payable for utilisation of the POWERGRID/Licensee's system.

# 4.9.2 Wheeling through SEB/State Utility system:

- 4.9.2.1 In case of wheeling of power through SEB/state utility system, the importing utility and the wheeling utility shall endeavour to mutually agree on wheeling charges as well as transmission losses. In such cases, approval of the Commission shall not be required. However, the wheeling utility shall not deny use of its system merely on the basis of non-agreement on wheeling charges.
- 4.9.2.2 If the parties are not able to agree on the wheeling charges, the Contract Path method shall be used for calculation of wheeling charges. Monthly transmission charges of this path would be payable in proportion to contracted power vis-à-vis SIL of the lines in the contracted path. The monthly transmission charges for the contract path shall be calculated as per the provisions of this notification.
- 4.9.2.3 In case, wheeling utility makes some special arrangement (such as backing down cheaper generation) to facilitate exchange, the verifiable opportunity cost or the charges calculated as per contract path method, which ever is higher, shall be payable to the wheeling utility. In any case, the wheeling charges shall not exceed the charges corresponding to a new transmission line of adequate capacity along the contracted path. The Member Secretary, REB of the region in which wheeling utility is located, shall calculate wheeling charges by applying the principles enumerated above.
- 4.9.2.4 The incremental transmission losses on account of wheeling shall be payable in kind i.e. the transmission losses shall be compensated by an equivalent amount of energy charged to the importing utility. In case of non-agreement on the issue of transmission losses, the studies to determine incremental transmission losses in the wheeling utility system shall also be carried out by the Member Secretary of the region concerned.
- 4.9.2.5 The Commission may be approached in case of disagreement with the decision of Member Secretary, REB. Pending the final order of the Commission, decision of the Member Secretary, REB shall be implemented on provisional basis.

# 4.10 Development Surcharge

The Transmission Utility shall be entitled to a Development Surcharge of 10 percent on every bill raised by it on account of transmission charges at regional level. The levy of Development Surcharge shall be subject to the following conditions:

(a) Surcharge collected by the transmission utility shall be kept in a separate bank account and may be invested in securities of recognised infrastructure funds like IDFC or IDBI Tax free bonds and income therefrom shall also be credited to that bank account;

- (b) The transmission utility shall maintain separate accounts in its books and reflect the balance in the Development Surcharge Reserve Account and the investment represented against the same in its balance sheet;
- (c) On the purchase of the undertaking or on any other such contingency the reserve and the corresponding investments shall be transferred to the successor undertaking to subserve the same objective of fresh capacity addition;
- (d) The fund can be made use of to the extent of 1/3<sup>rd</sup> of the equity requirement for any capacity addition in the respective region and the balance 2/3<sup>rd</sup> being provided by the transmission utility;
- (e) To the extent to which the fund is used as equity in any new capacity addition, pro rata reduction for the return on equity in the determination of tariff of the new project shall be allowed;
- (f) A certificate in the prescribed form regarding the use of these funds shall be filed with the Commission every year, duly verified by the statutory auditors of the Transmission Utility.
- (g) The use of these funds in any other manner shall be only with the prior approval of the Commission either on petition or suo motto for which the due process as per the CERC (Conduct of Business) Regulations shall be followed.

#### 4.11 <u>Rebate</u>

For payment of bills through letter of credit on presentation, a rebate of 2.5 percent shall be allowed. Where payments are made subsequently through opening of letter of credit or otherwise, but within a period of one month of presentation of bills by the Transmission Utility, a rebate of 1 percent shall be allowed.

#### 4.12 Late payment surcharge

In case the payment of bills by the beneficiary (s) is delayed beyond a period of 1 month from the date of billing a late payment surcharge at the rate of 1.5 percent per month shall be levied by the 'Transmission Utility'

K. VENUGOPAL, Secy. [ADVT III/IV/Exty./150/2000]

# (Appendix-I)

# <u>Checklist of Documents for tariff filing for Thermal</u> <u>Stations(Part-I)</u>

1. 2.	Approval of the Project from Competent Authority. Capital cost approval from the Competent Authority.	
3.	Equity participation agreements and necessary approval for foreign equity.	
4.	Stationwise/Corporate audited Balance Sheet and Profit & Loss A/c with all the schedules & annexes from the Financial year 1998-99 and onward.	
5.	A copy of project specific tariff Notification of GOI or PPA with beneficiaries.	
6.	Statement of Tariff proposal (Form No.1)	
7.	Normative Technical/Financial/Macro-Economic	
	assumptions/Energy Generation Parameters (Form No.2)	
8.	Power Station Basic Information and Technical Characteristics	
	(Form No.2A)	
9.	Summary of various components of Fixed charge (Form No.3)	
10.	Computation of Interest on Loans(Form No.4)	
11.	Statement of Calculation of Average Rate of Interest on Working	· · · · · ·
	Capital Loans (Form No.5)	L
12.	Statement of Depreciation on various assets as per CERC norms	
	(Form No.6)	
13.	Calculation of Operation & Maintenance Expenses (Form No.7)	
14.	Details of Capital Cost and Financing structure (Form No.8)	
15.	Statement of Capital expenditure actually incurred and capitalised/	
	approved expenditure (Form No.9)	
16.	Information of Environmental matters and its related issues (Form	
	No.9A)	
17.	Statement of outstanding loan, interest and financing charges thereon	
	(Form No.10).	
18.	Details of Financial packages (Form No.11)	
19.	Details of Operation and Maintenance expenses (Form No.12)	
20.	Details/information to be submitted for computation of energy charges of coal/lignite based stations (Form No.13 & 13A)	
21.	Details/information to be submitted for computation of energy	·
	charges of gas/naphtha fuel based stations/secondary fuel oil for	
	solid fuel stations (Form No.14 & 14A)	
22.	Method of calculation of rate of energy charge (Form No.15)	
23.	Any other relevant information, (Please Specify)	

# TARIFF FILING FORMS -PART-I (THERMAL GENERATING COMPANY)

				FO	RM-1
Vame	of the Company		· · · ·		·····
Name	of the Generating Station :				· ·
Brief De	escription of event leading to tariff filing:-				
STATE	MENT OF TARIEF PROPOSALS FORCOVERIN	NG TARIFF PERIO	0 FROM T(	<u>D</u>	
		As existing		Proposed	
	PARTICULARS	2000-01	01-02	02-03	03-04
.Calcul	(1) Iation of Fixed Charges(Rs. Crs)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1	Interest on Loan [FORM-3 ]				
1.2	Interest on Working Capital [FORM-3]				
1.3	Depreciation [FORM-3]				
1.4	Advance against Depreciation[FORM-3]				
1.5	Return on Equity(FORM-3)				
16	O & M Expenses [FORM-3]				
.Calcul	TOT/ lation of Rate of Energy Charge(Rs./Kwh)[FORI ]		ition A	After Stablisation	
	Rate of Energy Charge from Primary Fuel (REC) <sub>r</sub>				
	Rate of Energy Charge from Alternate/ Secondary Fuel (REC) <sub>9</sub>				
	Rate of Energy Charge (REC)				
	Any escalation in fuel cost to be considered for are of the escalation.	subsequent years	or FPA to tal	<e< td=""><td></td></e<>	
					·

.

	NAME OF POWER STATION : FORM-2
<u> </u>	
	Year ending March 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04
<b> </b> <u>'</u> .	NORMATIVE PARAMETERS (AS NOTIFIED BY CERC) :
-	
ĺ	Normative PLF
·	Auxiliary consumption (%)
-	Station Heat Rate KCal/KWh
	Hours of operation at Target Availability
-	Hours of operation at Target PLF
İ.	Sp Oil consumption (ml/KWh)
-	O & M Charges (% of CC for plants less than 5 years old)
-	(Based on actuals for plants more than 5 years
	Coal stock +expense in months for Working Capital (WC)
-	Oil stock in months for WC
	Spares stock for WC as % of O&M
-	Recievables in Months for WC
-	Rate of Return on Equity (%)
2	ENERGY GENERATION
	Projected Availability
	ACTUAL/ESTIMATED PLF
	Energy Generated
	Energy Sold
ĺ	
	(PETITIONER)

r Station BASIC INFORMATION AND TECHNICA	L CHARACTERISTICS					FORM 2 A
inancial Year						
	J					
NAME OF THE POWER STATION:						
ocation	Region		State	_ <u></u>	Dsitrict	
ant Basic Characteristics and Fuel Type						
Mant Basic Charactenstics (see Note 1)						
Contracted Capacity						
Fuel Type						
Capacity (based on Performance Tests If any) :	The data must be provided	for each single	Unit (with a turbo ge	merator), starting	with the Module 1 (or Stag	• 1}
Adule (Block) Name or Number						
nit Number						· <b>k</b> (
ate of Synchronisation				-∤		<u> </u>
apacity at the date of synchronisation				++		
Pate of entry into commercial						
apacity at the date of entry into commercial operat	non			<u>↓</u>		
Date of stabilisation						
Capacity at the date of stabilisation						
lated Capacity						
ype of Drive for Boller Feed Pump, if any (see I	lote 2)					
ype of Cooling system for condenser, if any (se	e Note 3)					
ype of cooling system for electric generator (se	e Note 4)					
Other Main Characteristics						
Note 1 Ex for Coal Plant: (a) conventional steam ge Note 2 (a) motor driven (b) steam turbine driven of	her (describe)				gh stealin generator; etc	
Note 3 (a) once through cooling system, (b) closed Note 4 (a) air cooled, (b) water cooled, (c ) hydroge				<u> </u>		
						(PETITIONER)

	NAME OF POWER STATION :	} _	_	1	Į			i			_		FORM-3	
								F		D.TO EN	D OF THE			
	Year ending March		1		2	3		4	5	····	2000-01	01-02	02-03	03-04
	SUMMARY		US COM	PONENT		IXED CHAR	GES	• +		1	- +	ļ	┿──╴ ~ ┘	H
	INTEREST ON LOAN						1	1			ļ	1		, f
	(As per Form-4)										1			
-											· •		·	i
	INTEREST ON WORKING CAPITAL										- <u> </u>	i 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
-	(As per Form-5)						!	1						; 
		]									· -			1 -
	DEPRECIATION (A)			1										: :
							•			-,		1		
	(As per Form-6)	i									•			í
		_		,							- + -			<del>-</del>
	ADVANCE AGAINST DEPRECIATION													 •
	Loan repayment during year										4	-1		1~
1	(As per Form 4)													۲ –
	1/12th of the Loan										-			÷ -
	(Loan as per Form 4) AMOUNT ADMISSIBLE UNDER AAD (B)											<u> </u>	+	•
	AMOUNT ADMISSIBLE UNDER AAD (B)							,		•	i		1	J
	ADVANCE AGAINST DEPRECIATION (B-A)			1							İ	-1		•
			_								1	-	-	
<b>i</b>	RETURN ON EQUITY											I		
											, -			F -
	Equity Foreign											-;	<u></u>	
	Indian										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			। ┯- ← -
	Total Equity (Rs Crs)											-1		; 
											ļ			•
	Return on foreign Equity Return on Indian Equity										,		-+	÷
	RETURN ON EQUITY (Rs crs)												-+	
												-+		†
5	O&M EXPENSES	j	-	I			}	-					÷	Ţ
	(As per Form-7)	÷	~				-		•	I		·		
				1		-	;							
		I			i						(PETITIO)	IER)		
		1		I I	;		:	,	ı.		,. <u> </u>			

NAME OF POWER STATION :	1~			i	T			۰ <u>-</u>	FORM-	¢ !	-
FROM THE C.O.D.									1		
Year ending March	1	1	2	3 4	l	1		2000-01	01-02	02-03	03-04
COMPUTATION OF INTEREST ON LOANS				_	{		↓ ~		[	_	· - ·
COMPUTATION OF DEBT CHARGES						i					
LOAN-1 Loan in Orginal Currency		1					•			ļ	
Principal Repayment											
Balance Payable					I	1	1				
Interest in Rs Crs		ł		$\uparrow$			1			ł	
LOAN-2 Loan in Organal Currency			-		1	- <del> </del>		-			
Principal Repayment				-		1	'			1	_
Balance Payable				1.	{ _	1 + -	1		}	1	-
Interest in Rs Crs				{			}	1	-		_
		1				· _	†				-
LOAN-3 Loan in Orginal Currency					1		4		1		-
Principal Repayment	-					-1	ł	1			
Balance Payable						1			-	}	
Interest in Rs Crs	- +	-	[ -	ł		- •	ł	-		1	
LOAN-4 Loan in Orginal Currency						†	<b>●</b> ⊥		-	-	
Principal Repayment				1		4					
Balance Payable				_	.] _	_i_					
interest in Rs Crs			Í	- I	1	-	1	1			
	ļ		ļ			1	1	ſ			
Yearly installment(RS Crs)			1		Ì	i	4				
Cummulative Repayment				_		<u>.</u> .	L		1	1	
Year End Debt(Curr Exc Rate)		1 I	ł	_	t			1	1		
B/S Debt		1	]								ļ
Total Interest payment		1	}	j			1		}		
INTEREST ON IOAN FOR TARIFF									1		
Interest charged to IDC	1	1	1			1	L	ļ	ļ	ļ	
	ł		• ]	1	1	l l					
NOTE Repeat details for additional loans, if any			Ι			1		(PETITK	ONER)		
	1	1	1	I		I					
	l		•								

# NAME OF POWER STATION :

FORM-5

State	ament of Calculation of Average Rate Loans And Amount of			Vorking C	apital_
.NO	BRIEF DESCRIPTION OF LOAN	AMOUNT (Rs. in Crs)	RATE OF INTEREST (CC) (%)	Weighted	
1	2	3	4	5=3*4	n.
	8				
	b				
	c				
	d[				
	B				<u> </u>
				·	
		+		L	
<u>_</u>		┥╼╶╸			
	TOTAL				
	Weighted Average Rate of Interest (5/3)				
	Year ending March	2000-01	2001-02	2002-03	2003-(
		+			
	INTEREST ON WORKING CAPITAL	+			_ <u></u>
		<u> </u>			
	Coal Stock - 1 or 1/2 month		ł		
	Oil stock - 2 months	<u>+</u> -			
	O & M expenses - 1 month				
	Spares 1 year = 40% of O&M Less 1/5th				
	of initial capitalised spares for first 5 years				
	Reclevables- 2 months				
	Total Working Capital (Rs cr)	ļ			
		ļ			
	Working Capital Loan allowed				
	Weighted Average Interest Rate	<del> </del>			
		1		L	
	INTEREST ON WORKING CAPITAL (Rs cr)				
					h
					<del>_</del>
	CC: Cash Credit	1			
	-+		1	(PETITION	

NAME OF POWER STATION									FOF	RM-6						
STATEMENT OF DEPRECIATION				<u> </u>												
	Actual cost	t base limit	ed to App	roved Cost	for Generati	on alone	Additions due to FERV up to the and of FY	Additional capitalisation	Total Approved Cost	Difference, if any with Justication	Depreciatio	Depreciation as considerd	Amount	of Depreciab	ion during t	he pricing
Details of approved Expenditure on Assets	YEAR END PERIOD	ING MARC	H FROM	C O.D TPO	THE END OF	-	preceeding start	upto the end o FY preceeding start of tariff penod already	ſ		n (As Notified byCERC)	in Tanff for 2000-2001	01-02	02-03	03-04	Tota: Depreciata n
	1	2		3	2000-01	TOTAL as on 2899-01		Includied in col.(7)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(10) (7,	) (12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17
a) LAND b)BUILDING c)PLANT & MACHINERY d) a)HOTHER MINOR ITEMS												-				
Total (A)					+				<u></u>		<b>_</b>	<u>↓ </u> ↓		+		+
<ul> <li>B) Specify following items included in A above a) Capitalised Initial Spares b)interest During Construction Capitalised c) Equipments for policition Control Total (B)</li> </ul>																

#### NAME OF POWER STATION : CALCULATION OF OPERATION AND MAINTENANCE EXPENSES

						-	Average	Base	Base	Ta	nff Period	
		95-96	96-97	97-98	98-99	99-00	95-96 TO 99-00	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CASE	I: O&M data available for 1995	-96 to 1999	-2000	1								
(Base	O&M on the basis of actual data	)										
	A) Total O&M Expenses											
	B) Abnormal O&M expenses*			1								
	- On account of water charge	es										
	- On account of other factors	5		<u> </u>								
	C) Calculation of Base O&M (A	-B)		<u> </u>	}		E	X=Ex(1.1) <sup>2</sup>	X x 1.06	$X x (1.06)^2$	X x(1.06) <sup>3</sup>	X x(1.06)
CASE	II: Recent Plants for which O8	M data for	five year o	data for 1	995-96 t	o 1999-2	2000 is not availa	ble l		<u> </u>		
	and other new plants which con	ne up during	the tariff p	period			1 1					
	Year of Commissioning				1							
	Calculation of Base O&M**							Y	Y x 1.06	$Yx(1.06)^{2}$	Yx(1.06) <sup>3</sup>	Yx(1.06) <sup>4</sup>

FORM-7

Notes:

948 GI 2001 -23

\* Abnormal O&M expenses such as on account sharp increase in water charges etc which are abnormal in nature and for which the utility shall file a separate petition

\* Base O&M (Y)= (0.025 x Capital cost) escalated at the rate of 10 percent per annum after the year of commissioning to bring it to 1999-2000 level. For example if the capital cost of the plant commissioned in 1996-97 is Rs 100 cores then the base for 1999-2000 is

computed as Base O&M for 1999-2000 ('Y' in the format)= (0.025\*100)\*(1.10)<sup>3</sup>

(PETITIONER)

15

NAME OF POWER STATION :			1	1	FC	RM-8	
		<u>_</u>			L		
DETAILS OF CAPITAL COST AND FINAN	ICING STRU	CTURE					
Year ending March from C.O.D			<del>.</del>	2000-2001	01-02	02-03	03-04
		2 3	<u> </u>	2000 2001	1	T	
BASIC PROJECT FINANCIAL PARAMETERS			<u> </u>		<b> </b>	<b>↓</b>	
Approved Capital Cost at the beginning of the Project			<u> </u>				
Addition during the year							
Deletion during the year							
Gross Capital Cost (Rs crs) (A)							[
Depreciation as per Taniff (Rs cr)			<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	
Cummulative Dep (Rs cr) (B)			<u> </u>	<u></u>	ļ		ļ
Net asset to be depreciated (C=A-B)			ļ		ļ	ļ	ļ
			<u></u>		ļ	<u> </u>	L
					ļ	<b></b>	
Worling Capital Margin/ 25% of WC (D)			<b></b>	·	ļ	Į	Ì
Total Cost met from long term finance (C+D)			ļ	·	Ļ	ļ	
Depreciable Gross Assets			<u> </u>	<u> </u>		∔	
Equity against Original Prject Cost							
Addition during the year							
Equity Sub-Total (E)					L	ļ	L
Debt outstanding against the onginal Capital cost					ļ	ļ	L
New Loans added during the year						1	
Debt Sub-Total (F)							
Total Financing (E+F)			┟			<u> </u>	<u> </u>
NOTE : Approved or Actual Capital Cost whichever	is less.		<u> </u>	<b></b>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
			(PETITIO				

[PART III-Ster 4]

[ भाग ]II—खण्ड 4 ]

FORM-9

भारत का राजपत्र : असाधारण

NAME OF POWER STATION
STATEMENT OF CAPITAL EXPEN

#### TATEMENT OF CAPITAL EXPENDITURE ACTUALLY INCURRED AND CAPITALISED/APPROVED EXPENDITURE

PARTICULARS	1	2		3	2000-01	'01-02	.02-03	03-04	TOTAL	TOTAL APPROVED EXPENDITURE	REMARKS
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NIALL MAJOR ITEMS				1					<u> </u>	ļ	4
a) LAND							-	_			-
b)BUILDING					_			-	ļ		
c)PLANT & MACHINERY							_				
	l	-					-			1	_
A)HOTHER MINOR ITEMS											
Total (A)										·	-
<li>B) Specify following items included in 'A' above</li>	ļ				ļ						
a) Capitalised Initial Spares											
b)Interest During Construction Capitalised								1			
c) Equipments for pollution Control	_							_			
Total (B)											1
Break up of sources of financing											
a) Loans/ Borrowings										Į	1
<u> </u>											
b) Equity		i ·									
1)											
c) Others											
Total(a+b+c)										+	
IOTES:	-						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1	
The break up wherever required and necessary may b	e given in respe	ect of Loans a	nd Equity fi	inancing sup	ported with r	espective loa	an documen	ts etc			
Copies of Approval of PIB/CEA/MOF/Competent aut	<b>-</b> -							∴e			

nru	ORMATION ON ENVIRONMENT	AL MATTERS AND IT	S RELATED ISSU	ES	FORM-9A
Van	e of the company				
NA	E OF THE POWER STATION:				
					L
Α.	Details of Equipment, Machine	ry and Other Capital	Assets related to	environmental issues	
No.	Name of the Equipment etc	Amount Included in Approved Cost Estimates of CEA (As reckoned for tanff)	Amount Actually incurred on the Equipment etc	Reasons for Deviations between col(3) and Col(4)	Impact (to be quantified) ,if any, of reasons identified in col(5) on emission levels etc achieved against standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Whether the equipments listed u	nder (A) above were in	operation through	out the year . If not list the reasons theref	or along with extent of duration when
	the equipments etc were out of c	•••			
0	Enclose copies of the applicable	e Govt and Quasi Govt	approvals / cleara	nces relating to environmental issues	
D	Measures incurred for rehabilation	on and resettlement			
E	Enclose copies of inspection rep	ort / certificates, issued	l by competent enf	orcement agencies of Central and State (	Govts.
F	List details as to time ,duration a	nd reasons for instruct	ions, if any, issued	by environmental enforcement agency fo	r partial or complete shutdown.
<u>G</u>	Spell out details of corrective ac to in (F) above.	tion taken to overcome	the causes for su	ich partial or complete shutdown referred	(PETITIONER)

8

NAME OF POI	NER STAT	ION :					FO	RM-10	
STATEMENT OF OUTSTANDING LO	DAN , INTER	EST & FINAN	ICING CH	ARGES TH	EREON				
		From the Year	of Commer	cial Operatio	n	!			
Particulars	,	1	2	3		2000-01	(01-02	{02-03	03 <b>-04</b>
Balance at the Beginning Additions During the Year (New Tranche of Loan)	(2) (3)								
Repayments during the year Other adjustments by additions /deletions (on account of adjustments) not accounted in Col(3) or Col(4)	(4) (5)					_			-
Balance at the end of the year	(6) = (2+3-4-5)						1		i i
nterest Accrued for the year/period Financing Charges payable during the year nterest/financing charges paid during the year	(9)								-
Balance Outstanding c/f to next year Remarks I/12 of the loan amount Min. of amount of Row(12) &Row(4)	10) = (7+8-9) (11) (12) (13)								
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	·			+		l	- 1	~~	+
) This form is to be filled for each loan/bon i)The Financial years referred to in Row (1) whichever is later. The information in respec nterest and Other financing Charges during	will have to cov ct of financial ye	ver the period clear coinciding wi	ommencing f	from drawl of	loan to the end of p	ricing period or till	ull repaymen	t of outstandir tent of information	ng Ioan ation on total
iii) Remark row may be used whereever neo			res/proposal	s ,if requried.			(PETITIC	NER)	

[भाग ]]]-

NAME OF POWER STAT	ON										FORM-11	
	T	DETAILS	S OF FINA	NCIALP	ACKAG	ES		[			1	1
SOURCES OF FUNDS	Amount	t	Amount in	Amount	Period	Grace	Interest	Guarantee	Upfront	% of	% of	1
DEBT	in FC	Exchange	Indian	TOTAL	of	Penod	rate %	Commission	Fees/Exposr	Total	Total	]
	(Name of	Rate	Currency	Rs Crs	Rpymt			1	Premium	Debt	PC	]
	Currency)		(Rs in Crs)									
Foreign									1	1		1
Loan 1									1	۱ ۲		
Loan 2										· 		↓ 
Loan 3									_		  -	ļ 
Loan 4											I	 
Indian									r	۱ ۱		ļ
Loan-1											 	 +
Loan-2										I •		
Total Loan (A)												1
										i		ר ו
EQUITY										I		
Foreign											F	+
Indian												
Total Equity(B)										·		7
											1	<b>-</b>
											l	
TOTAL FINANCING(A+B)											- 1	
												·
Total Project Cost												- F=-
									-	]	1	
											<u> </u>	_
NOTE Financial pac	-		ed by the Co	ompetent A	uthority at	the time	of approva	of the Proje	ect,	1 1	·	·
shall be furnish		ormat									F	1
FC- Foreign Currency	/									I	r	F
PC- Project Cost												
								_				
									(PETITIONE	R)		

**B** 

NAME OF POWER STATION :

#### FORM-12

#### DETAILS OF OPERATION AND MAINTENANCE EXPENSES 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 2 3 4 5 6 1 (A) Breakup of O&M expenses 1 Employee cost 2 Repair and Maintenance 3 Stores consumed 4 Power Charges 5 Water Charges 6 Communication expenses 7 Travelling expenses 8 Insurance - Plant and Machinery - Other 9 Rent 10 Security expenses 11 Professional expenses 12 Printing and stationery 13 Corporate office expenses allocation 14 Other Expenses 15 Total (1 to 14) LESS: RECOVERED (IF ANY) Net Expenses Notes: 1 The process of allocation of corporate expenses to generating stations should be specified II. An annual increase in O&M expenses under a given head (in excess of 20 percent should be explained) III The data should be be certifed by statutory auditors. (B) Corporate office expenses (aggregate) - Direct employee expense - Repair and maintenance - Training and Recruitment - Communication - Travelling - Security - Rent - Others (PETITIONER)

	DETAILS INFORMATIONS TO BE SUBMITTED FOR COM	PUTATION OF ENERGY	CHARGES OF A COAL/ LI	ENITE BASED STATIONS
	-			
Company		Generating Station		
Installed (	Capacity(MW)	Configuration of Plant-		_
Ś.No.	Pescription	* Value c	onsidered for Energy Char	
	F. ARMITHMAN, 1	As per project specific	As per PPA/ BPSA with	
		larifi notification of Gol	beneficiaries	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1	COD of Station			
-				
	Unit-it			
-	Unit-N			
	Note- COD of station shall be COD of last Unit commissioned			
_2	Gross Station Heat Rate (kCal/kWh)-GHR			
	-During stabilisation Period			
	-Subsequent Penod			
3	Secondary Fuel Oll Consumption (mi/kWh)- (Q.)n		·	
	-During stabilisation Period	·	·	
	-Subsequent Period			
	Auxililary Energy Consumption (%)- (AUX)			
*				
	During stabilisation Period			
	-with Cooling Towers	<u></u>		
	Subsequent Period			
	-without Cooling Towers			
	Specify type of BFP whether Electical driven or Steam			
	driven			
5	Weighted average GCV of Coal/Lignite for the the		···	
	preceeding 3 months from the month of Lanft filing $(Kcal/Kg)$ - $(GCV)_p$			
-	(Submit detailed worksheet in the form 13A )			
<u> </u>	Weighted average Price of Coal/Lignite for the the preceeding 3 months from the month of lariff filing			
	(Rs /MT) - (Pp)			
	(Submit detailed worksheet in the form 13A )			
	Weighted average GCV of Secondary Fuel Oil for the the preceeding 3 months from the month of tartif filing (Kcal/Kgl	·	······································	
	or Keel/Litre) - (GCV),			
	(Submit detailed worksheet in the form 14A)			
8	Weighted average Price of Sec Fuel Oil for the the			
	preceeding 3 months from the month of tariff filing $(Rs_{J}MT)$ (P <sub>a</sub> )			
	(Submit detailed worksheet in the form 13A.)			
9	Specify Fuel Price adjustment formula			
	-During stabilisation Period			
-	-Subsequent Period			
Note:				
1 Submit	a copy of project specific tanff Notification of Gol or PPA with	h benuficiaries		
	detailed calculations in support of Energy charge for stabilis		ent period separately as per f	Form- 15
	any other relevant information			
- 30 <b>000</b> -	out whichever is not applicable			
			•	PETITIONER

DETAILS INFO	RMATIONS TO	BE SUBMITTED FOR	COMPUTATION OF	ENERGY CHARGES	OF A COAL/LIGNITE BA	SED STAT	IONS				FORM 13
			For 1st Month	ł	For 2nd Month		11	For 3rd M	onth	For all prev	Three Months Weighted
			Total	Neighled average	Total	Weighte average		, Totai	Weighted average	Total	average of 3 months
late		ł						1	1		I
onsignment Nos, use multiple os if quality and price are same uantity of Coall Lignite		(NHAT)		x					1	J	
ype/ Grade of Coal		()							1	1	
Amount charged by the coal Co		(Rs )						1	1	ł	
ransportation by rait ship road		(De )						1		ł	1
otal Price Paid		(Rs) (Rs)						I.	, r	-	I
Unit price of Coal Lignite lefwered		(RsJMT)					j I '		1 1	+  -	-
SCV of coal Lignite		(Kcal/Kg)				J	· 	, , ,		↓ ←	
knount charged by the Coal Co	Base price	(Rs )				,	1 '		Г		1
	Royality	(Rs )				•		,	1 1	-	
	Cess or duty	(Rs )				ł	'	l	ł	1	1
	Sales Tax	(Rs.)				1	( )		· I	J	
	Transportation	(Rs )						I		I	I
the second second second second second second second second second second second second second second second se	Total	(Rs)						1	I	ſ	
	Distance	(Km)				ı	I	ł			
	Rate Total Amount	(Rs./ Km/MT) (Rs)					J		1	i.	J
fotal Price Paid		(RS) (RS)				I	,	r			
loie.		(19)						·····			
	Furnish details (	umentary proof in supp of price charged by the	coal/lignite Co and by	the transport Co.	st to CERC on quaterly ba						

Compan	y	Generating Station		
Installed	Capacity(MW)	Configuration of Plant		
a.No.	Description		ered for Energy Charge	
			As per PPA/ BPSA with beneficianes	As per notification of CERC
1_	COD of Station			
	Unit/Block 1 Unit/Block		·	
	Unit/ Block N		·	
_	Note- COD of station shall be COD of last Unit/Block commissioned			
2	Gross Station Heat Rate (KCaVkWh) GHR			
-	Open Cycle Operation Combined Cycle Operation			
_ <u>3</u>	Auxiliary Energy Const mption (%) (AUX)			
·	Open Cycle Operation			
	During stabilisation Period Subsequent Period			
-	Combined Cycle Operation			
	-During stabilisation Period Subsequent Period			
4	Weighted average GCV of gas/Naphtha/ liquid Fuel/SFO for the the preceeding 3 months from the month of tarff fling (Kcal/ SCM or Kcal/Kg) (GCV), or (GCV),			
	(Submit detailed worksheet in the form 14A.)			
5 	Weighted average Price of gas/Naphtha/ liquid Fuel/SFO for the the preceding 3 months from the month of lariff filing (Rs / Thousand CM or Rs /MT) (Pp)			
 	(Submit detailed worksheet in the form 14A )			
_e_	Specify Fuel Price adjustment formula			
	Open Cycle Operation During stabilisation Period			
_	Subsequent Period			
	Subsequent Period			
lote	_			
Submi	a copy of project specific tariff Notification of GoI or PPA with beneficiaries $-$			_

PETITIONER

DETAILS/ INFORMATIONS TO	BE SUBMITTED F	OR COMPUTATION			IA LIQUID FUEL BASE	D STATIONS/ SFO	D IN SOLID FUEL BAS	50		F	
			STATIO	<b>45</b> 1		I.	1	1		1	
		ł	For 1st Month	1	For 2nd Month	144	l	For 3rd Month	137 64- 4	Weg	
			Total	Weighted avorage	Total	Weightad average		Total	Weighted average	avera Total of 3	iĝe
	1		I.								
249											
Consignment No											
uantity of Liquid Fuel/SFOr 'Gas		(MMT) / MCM		x						_	
lype/ Grade or Liquid Fuel/SF	0										
Gaburt charged by the Fue- Co											
fransportation by rails ships rea	-	(Rs)	1							$\rightarrow$	
ransportason by ran snapi roa popeline	u	(Rs)									
'otal Price Paid		(Rs)									
Init price of Liquid Fuel /GA	s	(na )	1								
bereviel		/MT) / (Rs/1000CM)	I I								
GCV of Fuel	1	T	I							~ -+	
	1		I								
Amount charged by the Fuel Co.	Basa pace	, (Rs.)									
•	-										
	Royalty	(Ps.)	. 1				I.				
	Cess or duty	(Rs.)	1								
	Sales Tex	(Rs)	I.								
	Transportation	(Rs )									
fan an adapted far met skan far ad	Total	(Rs.)									
ransportation by rady ship froad	Distance	(Km)					I				
	Rate	(Rs / KnvMT)	1							1	
	Total Amount	(Rs)					I			· 	_
ocal Price Paid		(Rs.)									
1	Furnish the docs	mentary article in suc	port of mostiniy data furnit	hed above							
2	Furniah details o	f price charged by Pr	Fuel Co. and by the tran	sport Co							
3			uniment on incells to mon		to CERC on quaterly ten						
										PETT	TIONER

FORM-15

Value

#### **METHOD OF CALCULATION OF RATE OF ENERGY CHARGE**

Sr. No.	Description	Formula
1	Rate of Energy Charge from Sec. Fuel Oil/ Alternate Fuel - (REC),	= (Q <sub>s</sub> ) <sub>n</sub> X P <sub>s</sub>
2	Heat Contribution from SFO / Alternate Fuel - (Hs)	≖ (Qs) <sub>n</sub> X (GÇV) <sub>s</sub>
3	Heat Contribution from SFO / Alternate Fuel - (H <sub>p</sub> )	= GHR- H <sub>a</sub>
4	Specific Primary Fuel Consumption - (Qp) <sub>n</sub>	= H <sub>p</sub> / (GCV) <sub>p</sub>
5	Rate of Energy charge from Primary Fuel - (REC) <sub>p</sub>	$= (Q_p)_n X P_p$
6	Rate of Energy charge ex-bus per kWh (REC)	= ((REC) <sub>s</sub> + (REC) <sub>p</sub> )/ (1-(AUX))

Note

- The rate of energy charge shall be computed separately for stabilisation period and subsequent period in case of coal/ lignite fired plants.
- 2 The rate of energy charge shall be computed for stabilisation period and subsequent period and for open cycle and combined cycle, separately, in case of gas/ liquid fuel fired plants.
- 3 The total energy charge shall be worked out based on ex-bus energy scheduled to be sent out in case of plants covered by ABT, and ex-bus energy delivered/ sent out in case of plants not covered by ABT, as the case may be.

# **Checklist of Documents for tariff filing for Hydro Stations(Part-II)**

		1. 1
1.	Approval of the Project from Competent Authority.	
2.	Capital cost approval from the Competent Authority.	[ ]
3.	Equity participation agreements and necessary approval for foreign	
	equity.	
4.	Stationwise/Corporate audited Balance Sheet and Profit & Loss A/c	
	with all the schedules & annexes from the Financial year 1998-99	
	onward.	<b></b>
5.	A copy of project specific tariff Notification of GOI or PPA with	[ ]
	beneficiaries.	
6.	Statement of Tariff proposal (Form No.1)	
7.	Information required for computation of energy charge & capacity	
	index. (Form No.2)	
8.	Summary of various components of Fixed charge (Form No.3)	
9.	Computation of Interest on Loan (Form No.4)	
10.	Statement of Calculation of Average Rate of Interest on Working	
	Capital Loans (Form No.5)	
11.	Statement of Depreciation on various assets as per CERC norms	
	(Form No.6)	
12.	Calculation of Operation & Maintenance Expenses (Form No.7)	<u> </u>
13.	Details of Capital Cost and Financing structure (Form No.8)	
14.	Statement of Capital expenditure actually incurred and capitalised/	<b></b>
	approved expenditure (Form No.9)	
15.	Information of Environmental matters and its related issues (Form	
	No.9A)	لــــــا
16.	Statement of outstanding loan, interest and financing charges thereon	
	(Form No.10).	
17.	Details of Financial packages (Form No.11)	
18.	Details of Operation and Maintenance expenses (Form No.12)	
19.	Any other relevant information(Please Specify)	

## [PART III-SEC 4]

## TARIFF FILING FORMS -PART-II (HYDRO GENERATING COMPANY)

				FORM-1
Name of the Company				
Name of the Power Station :			<u></u>	
Brief Description of event leading to tariff filing:-				
	, <u></u>			
STATEMENT OF TARIFF PROPOSALS FOR COVE	RING TARIFF	PERIOD FRO	M TO	
	As existing	-	- Proposed	
PARTICULARS	2000-01	01-02	02-03	03-04
(1) 1.Calculation of Fixed Charges(Rs in Crs)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 1 Interest on Loan [FORM-3]		-	-	
1 2 Interest on Working Capital [FORM-3]			-	
1 3 Depreciation [FORM-3]		-	-	
1 4 Advance against Depreciation[FORM-3]				
1 5 Return on Equity(FORM-3)		ļ		
160 & M Expenses [FORM-3]	-			
TŌTAL				
2.Primary Energy Charges In Rs Crs. (As per FORM-2)		_	-	
Note:		-		
Annual Capacity charges plus annual primary energy c	harges shall be	equal to the A	nnual Fixed Charg	es
	_			
				(PETITIONER)

NAME OF POWER STATION :

## FORM-2

### INFORMATION REQUIRED FOR COMPUTATION OF PRIMARY ENERGY CHARGE & CAPACITY INDEX

SI. No.	Description		Existing 2000- 2001	As per CERC norms fo tariff period 2001-2004
1	Installed Capacity	MW		
2	Free power to home state	%		
3	Date of commercial operation			
	Unit-1			
	Unit-2			
	Unit-3			
4	Type of Station			
	a) Surface			
	b) Underground			
5	Type of excitation			
	a)Rotating exciters on generator			
	b) Static excitation			
6	Design Energy	Gwh		
7	Auxiliary Consumption	%		
8	Transformation losses	%		
9	Primary Energy Rate	paise/Kwh		
	(90% LVC of central generating			
	station of the concerned Region)			
	Primary Energy Charge	Rs in Crs		
11	Capacity Index			
	Normative value	85%		

(PETITIONER)

	NAME OF POWER STATION				EPON (		END OF THE		FORM-3	
	Year ending March	1	2	3	4 5		2000-01	01-02		03-04
		VARIOUS COM	PONENTS OF F	XED CHARGES						
	INTEREST ON LOAN									
	(As per Form-4)					1	I	ŀ	+ 1	
	INTEREST ON WORKING CAPITAL							T I		
	(As per Form-5)									
3	DEPRECIATION (A)							1		
	(As per Form-6)									
ţ	ADVANCE AGAINST DEPRECIATION									·
	Loan repayment during year (As per Form 4)									
	1/12th of the Loan									
	(Loan as per Form 4)									
	AMOUNT ADMISSIBLE UNDER AAD (B)									
	ADVANCE AGAINST DEPRECIATION (B-A)									
5	RETURN ON EQUITY								1	
	  EquityForeign							t T	+	
	Indian						I	Ι		
	Total Equity (Rs Crs)							I	-+	•
	Return on foreign Equity					ļ			1	
	Return on Indian Equity							I		
	RETURN ON EQUITY (Rs ars)						F	+	+	
						'		ſ	i I	
6	O&M EXPENSES				1	T				_
	(As per Form-7)				I					
							(PETITIC	nekj		
	1									

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

NAME OF POWER STATION :	, 	ł	,			,		FORM-	•	
FROM THE C.O.D. Year ending March							2000-01	01-02	02-03	03-04
COMPUTATION OF INTEREST ON		1	2		4	<u> </u>		1-1-2	1	
							1	1		
COMPUTATION OF DEBT CHARGES	1		ł					}	1	
LOAN-1 Loan in Organal Currency	1								1	
Principal Repayment								ł		
Balance Payable		-					-			
Interest in Rs Crs	· ·	} .	. 1	► T	}			}	1	
	1 -				1			-		
LOAN-2 Loan in Orginal Currency		ł			ļ					
Principal Repayment	1						1	1	Į	[
Balance Payable	, I	1					1		1	
Interest in Rs Crs	. [	1	1				1			
					1					1
LOAN-3 Loan in Organal Currency	. (	1	Ì							1
Principal Repayment		1				_		۱.		ļ
Balance Payable		-	1		- {			}		- I
Interest in Rs Crs										
	i l	1			1					
LOAN-4 Loan in Orginal Currency	;  -				-		-			
Principal Repayment			ł		j		ł	1		ł
Balance Payable			1		ļ				i	
Interest in Rs Crs		1		Ì	1					
	· •		{		l l		1	Į –	í	1
1			ł				1	1		1
Yearly instalment (Rs. Crs)	. (	1	1	1	1			1		
Cummulative Repayment	1						-			
Year End Debt(Curr Exc Rate)		ł		ł	}			}		
B/S Debt					ł		1			
	ł	1		1	ł			1		
Total Interest payment				1						
INTEREST ON LOAN FOR TARIFF	}									ļ
Interest charged to IDC	ļ	ļ	Ì		I		I	I	I	1
	I.									
		1		ļ			(B			
NOTE: Repeat details for additional load	ns, it any.						(PETITK	INER)		

## NAME OF POWER STATION :

FORM-5

## Statement of Calculation of Average Rate of Interest on Working Capital Loans And Amount of Working Capital

SL.NO.	BRIEF DESCRIPTION OF LOAN	AMOUNT	RATE OF	INTEREST	<b></b>
ULINU.		(Rs. in	INTEREST	INTEREST	
		Crs)			
			(CC) (%)		
1	2	3	4	5=3*4	
а					
Ь					
C					
d			······································	· · · · · ·	
0	·····	<b> </b>			
			·		
			·		
				·	
					·
	TOTAL				
	Weighted Average Rate of Interest (5/3)				
	Veen ending Merch	2000-01	2004 02	2002.02	2002.04
	Year ending March	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
	INTEREST ON WORKING CAPITAL		·	n	·
	······································				"·
	O & M expenses - 1 month				
	Spares*				
	Recievables- 2 months				
	Total Working Capital (Rs cr)				
	Working Capital Loan allowed				
					•
	Weighted Average Interest Rate				
<u> </u>	INTEREST ON WORKING CAPITAL (Rs cr)				
					· · · ·
	nce spares at actuals but not exceeding				
one year's	requirments less value of one fifth of initial				
spares alr	eady capitalised.	<u>├</u>			
				(PETITIONE	R)

NAME OF POWER STATION :									FOR	<b>SN-6</b>		(Rs	, In Crs)			
STATEMENT OF DEPRECIATION					- <b>.</b>			,	<u> </u>			,		1		
	Actual cost	base limit	ad to App	oved Cost	for Generali	on alone	Additions due to FERV upto the and of FV	Additional capitalisation	Total Approved Cost	Difference,if any with justification		Depreciation as considerd in Tartif for	Amount of	Depreciation	during the	Tariff period
Details of approved Expenditure on Assets	YEAR END PERIOD	NING MAR	CH FROM (	C.O.D. UTP	O THE END	OF TARIFF		FY preceeding start of tartif		;	Notified byCERC)	2008-2001	01-92	02-03	03-04	Total Oepreciati n
	1		••• 2 !	 5 1	2009-01	TOTAL as on 2800-81	:	included in .col.(7)				, . ;		   		
(1)	(2)	(3)	(4)	.(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(10)-(7)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
a) LAND . b)BUILDING c)PLANT & MACHINERY d) a)NOTHER NUMOR ITEMS															-	
Specify following items included     n'A' above,     a) Capitalised initial Spares     bjinterest During Construction     construction     control     Total (8)												(PETITIONER				

ાજ્ર

#### FORM-7

#### CALCULATION OF OPERATION AND MAINTENANCE EXPENSES

	Ĩ						Average	Base	Base	Т	anff Penod	
	1	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	95-96 to 99-00	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
	1	2	3	4	5	Q	7	8	9	10	11	12
CASE I: C	&M data av	ailable for	1995-96 to	1999-2000								
Base O&	M on the bas	sis of actual	data)								[	
	A) Total O	&M Expense	÷s									
	B) Abnorm	al O&M exp	enses*									
	- Additio	nal security	expenses									
	- Siltatio	n										
	- Over s	taffing										
	- Any Ot	her										
	C) Calcula	tion of Base	O&M (A-B)				E	X=E x (1 1) <sup>2</sup>	X x 1 06	X x (1 06) <sup>2</sup>	X x (1 06) <sup>3</sup>	X x (1 06 <sup>)4</sup>
CASE II: I	Recent Plan	ts for whicl	h O&M data	a for 1995-9	6 to 1999-2	2000 is not	available					<u> </u>
	Year of Co	mmissioning	g				1					†
	Calculation	of Base O8	3.M**					Y	Yx106	Y x (1 06) <sup>2</sup>	Y x (1 06) <sup>3</sup>	Y x (1 06)*

\* Abnormal O&M expenses such as

- Security expenses on account of insurgency

- Due to abnormal siltation

- There has been a significant redeployment of staff from completed projects of NHPC to those under construction during 1999-2000 This led to a significant drop in O&M expenses in 1999-2000

Therefore, the norms based on past data of actual O&M expenses will overestimate the normative base

NHPC should adjust the O&M data downwards under the assumption of employment level as in 1999-2000

This implies that employee remuneration for the past data should be adjusted on the basis of employment in 1999-00

The utility shall file a separate petition for claiming the abnormal O&M expenses

\*\* Base O&M= (0.015 x Capital cost) escalated at the rate of 10 percent per annum to bring it to 1999-2000 level

For example if the capital cost of the plant commissioned in 1996-97 is Rs 100 cores then the base for 1999-2000 is computed as follows

Base O&M for 1999-2000= (0 015\*100)\*(1 10)<sup>3</sup>

(PETITIONER)

NAME OF POWER STATION :						FC	RM-8	-
						4		
DETAILS OF CAPITAL COST AND FINANCIN	G STRUC	TURE						<del>,</del>
						<u> </u>	İ	•
Year ending March from C.O.D	1	2	3		2000-2001	01-02	02-03	03-04
BASIC PROJECT FINANCIAL PARAMETERS						<u> </u>	<u> </u>	
Approved Capital Cost at the beginning of the Project							<u> </u>	
Addition during the year						<u> </u>		<u> </u>
Deletion during the year Gross Capital Cost (Rs crs) (A)			-+-				<u>+</u>	
								<u> </u>
Depreciation as per Tanff (Rs cr)						L	Ļ	<b> </b>
Cummulative Dep (Rs cr) (B)							<b></b>	L
Net asset to be depreciated (C=A-B)						<u> </u>		
Working Capital Margin/ 25% of WC (D)		{					╂	
Total Cost met from long term finance (C+D)						<u> </u>		<u> </u>
Depreciable Gross Assets						+	╂────	
					···	<u>†</u>	<u> </u>	
Equity against Original Project Cost								
Addition during the year								
Equity Sub-Total (E)								
Debt outstanding against the original Capital cost						1	L	
New Loans added during the year								L
Debt Sub-Total (F)					L		L	
Total Financing (E+F)						<b> </b>		
NOTE : Approved or Actual Capital Cost whichever is les	<b>S</b> .							
,			(PI	ETITION	ER)			

	YEAR ENDIN	G MARCH I	ROM C.O.D							
PARTICULARS			3	. <mark>2000-01</mark>	01-02	02-03	03-04	TOTAL	TOTAL APPROVED EXPENDITURE	REMARK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
a) LAND b)BUILDING c)PLANT & MACHINERY										
NOTHER MINOR ITEMS										-
Total (A)			<u> </u>  -			-+			<u> </u>	4
<ul> <li>Specify following items included in 'A' above.</li> <li>a) Capitalised Initial Spares</li> <li>b)Interest During Construction Capitalised</li> </ul>	-									
c) Equipments for pollution Control		<u> </u>							<b>_</b>	1
Total (B)			·				+	ļ		}
a) Loans/ Borrowings					~		-  			 
b) Equity			}		-			_		
c) Others					1		-			
			┟╼╌╾╌┝				+	╉━───	<u> </u>	

#### NAME OF THE POWER STATION

#### INFORMATION OF ENVIRONMENTAL MATTERS AND ITS RELATED ISSUES

#### A. Details of environmental issues

Amount Included in	Amount	Reasons for		1	1	Amount	}	Total
pproved Cost by CEA	Actually	Deviations			1	included for		
As reckoned for tariff)	incurred	between col(1) and	Amount included		Compensator	environment	Any other	
(1)	(2)	Col(2)	in for Catchment	R&R	У	management	issue, please	
		(3)	area treatment	Charges	Afforestation	plan	specify	
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			]					
				1				

B. Enclose copies of the applicable Govt and Quasi Govt approvals / clearances relating to environmental issues

C. Enclose copies of inspection report / certificates, issued by competent enforcement agencies of Central and State Govts.

D. List details as to time , duration and reasons for instructions, if any, issued by environmental enforcement agency for partial or complete shutdown

E. Spell out details of corrective action taken to overcome the causes for such partial or complete shutdown referred to in (D) above.

(PETITIONER)

FORM-9A

NAME OF POV	VER STAT	ON :					FO	RM-10	
TATEMENT OF OUTSTANDING LC	DAN , INTER	EST & FINAN	ICING CHA	RGES THE	REON	· <u>·</u>			1
		From the Year	of Commerc	ial Operation					
articulars		1	2	3		2000-01	01-02	02-03	03-04
alance at the Beginning dditions Dunng the Year (New Tranche of oan)	(2) (3)								
epayments during the year ther adjustments by additions /deletions in account of adjustments) oot accounted Col(3) or Col(4)	(4) (5)								-
alance at the end of the year	(6) = (2+3-4-5)					l l			-
terest Accrued for the year/period	(7)		ľ						-
nancing Charges payable during the year	(8)								
terest/financing charges paid during the ear	(9)								
alance Outstanding c/f to next year	10) = (7+8-9)								
emarks /12 of the loan amount In. of amount of Row(12) &Row(4)	(11) (12) (13)								-
OTES:		1							
This form is to be filled for each loan/born	owing and sub	sequently to be	aggregated.	This may be :	supported by resp	ective loan documer	ts.		
The Financial years referred to in Row (1) hichever is later. The information in respec iterest and Other financing Charges during ) Remark row may be used wherever nece	t of financial ye construction p	er coinciding wi	ith the date of	commercial p					
				1			(PETITIO	NER)	

~

[PART III-SEC. 4]

NAME OF POWER STATI	ON :				T						FORM-11
	T	DETAILS	S OF FINA	NCIAL F	ACKAG	ES					11
SOURCES OF FUNDS	Amount	<u>}</u>	Amount in	Amount	Period	Grace	Interest	Guarantee	Upfront	% of	% of
DEBT	in FC	Exchange	Indian	TOTAL	of	Period	rate %	Commission	Fees/Exposr.	Total	Total
	(Name of	Rate	Currency	Rs Crs	' Rpymt			1	Premium	Debt	P.C.
	Currency)		(Rs. in Crs)		1			1			
Foreign			••								
∟oan 1			1								
Loan 2											r
Loan 3									· ]		1
Loan 4									1		
Indian.											
Loan 1									·		_L
Loan 2	_			_							
Total Loan (A)			Г						1		i j
									1		
EQUITY				•				1	· ·		1
Foreign.											
Indian											
Total Equity(B)								1			
								- <del></del>	1		
								_			
TOTAL FINANCING(A+B)											
								· - —			i T
Total Project Cost											
					<u></u>						
NOTE : Financial pac			ed by the Co	ompetent A	uthority at	the time of	of approval	of the Proje	ct,		
shali be furnish		ormat						1			
-C- Foreign Currency	/										
PC- Project Cost			1						1		
								-			
									(PETITIONE	R)	

948 GI/2001 26

.

[ भाग ]][—खण्ड 4 ]

l

FORM-12

#### NAME OF THE POWER STATION

#### DETAILS OF OPERATION AND MAINTENANCE EXPENSES

		1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00						
	11	2	3	4	5	6						
A)	Breakup of Q&M expenses											
	1 Consumption of Stores and Spares											
	2 Repair and Maintenance											
	3 Administrative Expenses											
_	- Insurance											
	- Rent											
	- Electricity Charges											
	- Travelling and conveyance											
	- Staff Car											
	- Telephone, telex and postage											
	- Advertising											
	- Entertainment			î								
	- Corporate management expenses											
	- Others											
	4 Employee Cost			1								
	- Salaries, wages and allowances			1								
	- Staff welfare expenses	-+										
_	5 Corporate office expenses allocation											
	6 Total (1 to 5)											
	LESS: RECOVERED (IF ANY)											
	Net Expenses											
		·										
	Notes											
	I. The process of allocation of corporate expenses to generating stations should be specified											
	II. An annual increase in OSM expenses under a given head (in excess of 20 percent should be explained)											
	III The data should be cartified by statutory auditors											
					ľ							
B)	Breakup of corporate expenses (Aggregate)											
	- Employee expenses											
	- Repair and maintenance											
	- Training and Recruitment											
	- Communication			·····								
	- Communication											
	- Travelling											
	- Travelling											

(PETITIONER)

## <u>Checklist of Documents for tariff filing for Transmission</u> <u>Systems(Part-III)</u>

Approval of the Project from Competent Authority. 1. 2. Capital cost approval from the Competent Authority. 3. Equity participation agreements and necessary approval for foreign equity. Regionwise/Corporate audited Balance Sheet and Profit & Loss A/c 4. with all the schedules & annexes from the Financial year 1998-99 onward. A copy of project specific tariff Notification of GOI or BPTA with 5. beneficiaries. 6. Statement of Tariff proposal (Form No.1) 7. Details of Transmission lines & substations. (Form No.2) Summary of various components of Fixed charge (Form No.3) 8. Computation of Interest on Loan (Form No.4) 9. 10. Statement of Calculation of Average Rate of Interest on Working Capital Loans (Form No.5) 11. Statement of Depreciation on various assets as per CERC norms (Form No.6) Calculation of Operation & Maintenance Expenses (Form No.7) 12. 13. Details of Capital Cost and Financing structure (Form No.8) 14. Statement of Capital expenditure actually incurred and capitalised/ approved expenditure (Form No.9) Information of Environmental matters and its related issues (Form 15. No.9A) 16. Statement of outstanding loan, interest and financing charges thereon (Form No.10). 17. Details of Financial packages (Form No.11) 18. Details of Operation and Maintenance expenses (Form No.12) 19. Any other relevant information (please specify)

#### [PARTIN-SEC 4]

FORM-1

#### TARIFF FILING FORMS PART III (TRANSMISSION COMPANY)

#### Name of the Company

Name of the Power System :

#### Date of COMMISIONING

Brief Description of event leading to tariff filing:-

## STATEMENT OF TARIFF PROPOSALS FOR -----COVERING TARIFF PERIOD FROM ------

T	0					
---	---	--	--	--	--	--

		As existing	-	Proposed	
_	PARTICULARS	2000-01	01-02	02-03	03-04
.Calcula	(1) ation of Fixed Charges(Rs. in Crs.)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Interest on Loan [FORM-3]		[		
1 2	Interest on Working Capital [FORM-3]				
13	Depreciation [FORM-3]				
14	Advance against Depreciation[FORM-3]				
15	Return on Equity(FORM-3)				
16	O & M Expenses [FORM-3]				
	TÓTAL				
. <u> </u>		<u> </u>	,		DETITION
					PETITIO

						FORM-2
Year: 199	DETAILS	_	NSMISSI	ON LINE	S & SUBS	STATIONS
		2000				
NAME OF	REGION -					
NAME OF	POWER S	STEM				
<u>Transmis</u>	sion lines					
S.NO.	Name of line	Type of line AC/HVDC	S/C or D/C	Voltage level kV	Line length Km.	Commercial operation Date
	From -	То				
1						
2	<u> </u>			<u>}</u>		
4				<u> </u>		
				<u> </u>		
	+			<u> </u>	+ <u>-</u>	
	1			<u> </u>		
Substatio				Th		
S.NO.	Name of Substation	Type of Substation Conventio nal / GIS	Voitage ievel kV	No. of tran MVA capa Reactors	sformers & acity /	Commercial operation Date
1				<u> </u>		
2						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3	<u> </u>	ļ	······································	<u> </u>	<u>-</u>	
			·	┼───		
				<u>├</u>	··	
		L				
				(PET	ITIONER)	

	NAME OF POWER SYSTEM						TO END OF THE		FORM-3	
	Year ending March	1	2	3	4	5	2000-01	01-02	02-03	03-04
	Summary of various components of Fixed charge					I	Ι	ļ		
1	INTEREST ON LOAN									
	(As per Form-4)									
2	INTEREST ON WORKING CAPITAL (As per Form-5)					<b>—</b> ———————————————————————————————————				
13	DEPRECIATION (A)									
	(As per Form-6)									
14	ADVANCE AGAINST DEPRECIATION (AAD)									
	Loan repayment during year									
	(As per Form 4 ) 1/12th of the Loan									
	(Loan as per Form 4)									
	AMOUNT ADMISSIBLE UNDER AAD (B)									
	ADVANCE AGAINST DEPRECIATION (B A)									
15	RETURN ON EQUITY							۱		
	EquityForeign									
	Indian									
	Total Equity (Rs in Crs.)									
	Return on foreign Equity									
	Return on Indian Equity									
	RETURN ON EQUITY (Rs m Crs )									
16	O & M EXPENSES									
	Length of all the lines in the system in kms. (LLs)									
	No of Bays in the System (BNs)									
	Total O&M allowed for all fines (TOMLL)= LLs x NOMLL (Form 7)								$\overline{1}$	
	Total O&M allowed for all SubStris (TOMBN) = BNs x NOMBN (Form 7)							1		
	Total permissible O&M = (TOMLL+TOMBN)	والمعبباوم						1		
			1		i			_		
	L								(PET	TIONER

. FORM-4 NAME OF POWER SYSTEM : FROM THE C.O.D. 2000-01 01-02 02-03 03-04 Year ending March 2 3 4 1 10 COMPUTATION OF INTEREST ON LOAN COMPUTATION OF DEBT CHARGES LOAN-1 Loan in Orginal Currency Principal Repayment Balance Payable Interest in Rs Crs LOAN-2 Loan in Orginal Currency Principal Repayment Balance Payable Interest in Rs Crs LOAN-3 Loan in Orginal Currency Principal Repayment Balance Payable Interest in Rs Crs LOAN-4 Loan in Orginal Currency Principal Repayment **Balance** Payable Interest in Rs Crs Yearly instalment (Rs in Crs.) Cummulative Repayment Year End Debt(Curr Exc Rate) B/S Debt Total interest payment INTEREST ON LOAN for tariff Interest charged to IDC NOTE Repeat details for additional loans if any (PETITIONER)

102

[ भाग III—खण्ड 4]

भारत को राजपत्र :

असाधारण

### NAME OF POWER SYSTEM :

FORM-5

## Statement of Calculation of Average Rate of Interest on Working Capital Loans And Amount of Working Capital SL.NO. BRIEF DESCRIPTION OF LOAN AMOUNT RATE OF INTEREST AMOUNT (Rs. in INTEREST Crs) (CC) (%) 5=3\*4 1 2 3 4 а b С d θ TOTAL Weighted Average Rate of Interest (5/3) Year ending March 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 INTEREST ON WORKING CAPITAL O & M expenses - 1 month Spares\* Recievables- 2 months Total Working Capital (Rs. in Crs.) Working Capital Loan allowed Weighted Average Interest Rate INTEREST ON WORKING CAPITAL (Rs. in Crs.) \*Note:Maintenance spares at a normative rate of 1% the capital cost.Cost of maintenance spares for each subsequent year shall be revised at the rate applicable for revision of expenditure on O& M of transmission system. CC=CASH CREDIT

(PETITIONER)

NAME OF POWER SYSTEM :									F	ORN-6						
STATEMENT OF DEPRECIATION										······		·				
Details of approved Expenditure on Assets					t for transmi		Additions due to FERV upto the and of FY preceeding start of tartif period already include in col.(7)	Additional capitalisation upto the end of FY preceeding start of tariff	Total Approved Cost	Ofference,2 any with justification	Rate of Depreciation (As Notified byCERC)	Depreciation as consideral is Tartif for 2000-2001	Amount 01-82	of Depreciation 22-03	e3-84	e Tariff period Total Depreciatik
	1	2	2	J	2080-01	101AL as on 2008-01		period already included in col.(7)			I	1		; 1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(7)	(6)	(9)	(10)	(11)=(10)-(7)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(17)
A) LALL MAJOR ITEMS			Í I I										_	-		
a) LAND b)BUILDING c)PLANT & MACHINERY d) A)BLOTHER MINOR ITEMS		i								-					 	
Total (A)			ļ	Į			<u> </u>	+	<b> </b>	<u> </u>	ţ			+	ļ	<b></b>
B) Specify following semis included in 'A' above a) Capitalised Initial Spares b)interest During Construction Capitalised c) Equipments for pollution Control Teal (8)												-				
	4		}					1	1		<b>{</b> -			PETITIONE	5 <b>8</b> ()	}

#### TARIFF FILING REQUIREMENT FOR OPERATION AND MAINTENANCE EXPENSES AND ITS COMPUTATION Average Base Base Tariff Period 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 95-96 to 99-00 1999-2000 2002-03 2003-04 1995-96 2000-01 2001-02 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 ... (A) Total O&M Expenses (B) Abnormal O&M expenses\* - On account of additional security expenses - On any other reason (C) Data for calculation of Base O&M (A-B) OML (O&M for lines) = 0.7x (C) OMS (O&M for substations) = $0.3 \times (C)$ Line Length at the beginning of the year in Kms Line Length added in the the year in Kms Line length at the end of the year LL (Average Line length in the Region in Kms) No of Bays at the beginning of the year Bays added in the year No of bays at the end of the year BN (Average Number of Bays in the Region AVOMEL (OML/LL)\*\* E2 AVOMBN (OMS/BN)\*\* F2 E3x(1.06) $E3x(1.06)^{2}$ E3x(1.06)<sup>3</sup> E3x(1 06)4 NOMLL (Allowable O&M per unit of line length) $E3=E2x(1 1)^{2}$ $F3x(1.06)^2$ $F3x(1.06)^{3}$ F3x(1 06)4 NOMBN (Allowable O&M per bay) $F3=F2x(1.1)^2$ F3x(1.06)

#### NOTES:

1) \* Abnormal O&M expenses such as on account of security expenses which are abnormal in nature for which the utility shall file a

separate petition	
<ol><li>** Average to be reported in column 7 should</li></ol>	Sum of OML for the period 1995-96 to 1999-2000
be computed as	
(Normalised O&M expenses for lines, E2)	Sum of LL for the period 1995-96 to 1999-2000

Same procedure is to adopted for computing the average of normalised O&M expenses for sub stations on the basis of number of bays (F2)

3) O&M Expenses on account of network expansion in an given financial year shall be computed on the basis of relevant nomative O&M expenses per unit of line length or number of basis. The normative O&M for 1999-2000 (NOMLL or NOMBN as the case may be) shall be escalated at 6 percent per annum to bring them to the level of

relevant year. These normative expenses multiplied by the line length or number of bays as the case may be, for the year in which

expansion has taken place shall give the O&M expenses on account of network expansion per year

For the year of commissioning, the O&M expenses for lines and for bays added shall be apportioned for on the basis of their months in operation during that year

PETITIONER

210

Form 7

NAME OF POWER SYSTEM :						FO	RM-8	
							<del></del>	<u></u>
		<u>COST A</u>	ND FINA	NCING S	TRUCTUF	<u>RE</u>	, <del>}</del>	·
						!	1 -	
Year ending March from C.O.D	1	2	3		2000-2001	01-02	02-03	03-04
BASIC PROJECT FINANCIAL PARAMETERS								
Approved Capital Cost at the beginning of the Project								
Addition during the y	/ear							
Deletion during the y	/ear							
Gross Capital Cost (Rs crs) (A)							ļ	
					[	<b></b>	Ļ	ļ
Depreciation as per Tariff (Rs cr)							L	
Cummulative Dep (Rs cr) (B)					ļ	ļ		ļ
Net asset to be depreciated (C=A-B)						<b> </b>	<b> </b>	
		 	 			ļ	l	<b></b>
		ļ			<b> </b>	<b> </b>	<b> </b>	<b> </b>
Working Capital Margin (25% of WC ) (D)			 			ļ	ļ	┝
Total Cost met from long term finance (C+D)					<b> _</b>		<u> </u>	
Depreciable Gross Assets						<u> </u>	╂	<u> </u>
Equity against Original Prject Cost				┣	<b>{</b>	┼───	╁╼╼╼╸	
Addition during the y		<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	{	<u> </u>
Equity Sub-Total							┨────	<u> </u>
Debt outstanding against the original Capital cost								
New Loans added during the	year	[	f		+	<u> </u>		
Debt Sub-Total						1	†	<u> </u> -
Total Financing (E	+F)							1
			·	<u></u>	·	<u> </u>	·	
NOTE : Approved or Actual Capital Cost whiche	ver is less.		-					
			-	(PETITION	IER)			

	YEAR ENDIN	IG MARCH F								
PARTICULARS	1	2	3	2000-01	01-02	02-03	03-04	TOTAL	TOTAL APPROVED EXPENDITURE	REMARKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A) I ALL MAJOR ITENS										
a) LAND			] ]							
b)BUILDING						ł			ſ	
C)PLANT & MACHINERY		l								
ANOTHER MINOR ITEMS		-			l					
Total (A)						-+		+	·/	
3) Specify following items included in 'A' above										
a) Capitalised Initial Spares										
b)Interest During Construction Capitalised		Ì	I Ì	1		l				
c) Provision for pollution Control				ľ						
****										
Break up of sources of financing	_						T			
a) Loans/ Borrowings							ļ			
b) Equity						ļ				
0		Ì				1	1			
c) Others							1			
,					1					

NAME O	F THE P	OWER SY	STEM		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FORM-9A
INFORMA1	TION ON E	NVIRONME	NTAL MAT	TERS AND	) ITS RELA	TED ISSUES
A. Detail:		ironment	al issues			Total
Arnount Included in Approved Cost by CEA (As reckoned for tariff) (1)	Amount Actually incurred (2)	Reesons for Deviations between col(1) and Col(2) (3)	Compens atory	Amount included for environme nt managem ent plan (5)	issue,	lotai
B. Enclose environmen		the applicat	le Govt and	d Quasi Gov		(PETITIONER)

NAME OF POV	VER SYSTEM	:					FO	RM-10	
STATEMENT OF OUTSTANDING LO								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	From	n the Year	of Commer	cial Operatio	м				
Partículars		1, 	2	3		2000-01	01-02	02-03	03-04
Balance at the Beginning Additions During the Year (New Tranche of Loan)	(2)								
Repayments during the year Other adjustments by additions /deletions (on account of adjustments) not accounted in row(3) or row(4)	(4) (5)								
Balance at the end of the year	(6) = (2+3-4-5)					-		-	-
Interest Accrued for the year/period Financing Charges payable during the year Interest/financing charges paid during the year	(7) (8) (9)								
Balance Outstanding c/f to next year	10) = (7+8-9)					l l		ļ	
Remarks 1/12 of the loan amount Min. of amount of Row(12) &Row(4)	(11) (12) (13)								
NOTES:		Ť							
<ol> <li>This form is to be filled for each loan/born ii)The Financial years referred above will hav later. The information in respect of financial y financing Charges during construction perior iii) Remark row may be used wherever neces</li> </ol>	ve to cover the peri year coinciding with d.	od commer the date of	ncing from di commercial	rawl of loan it l operation m	o the end of pricing	period or till full repa	yment of our		

-

(PETITIONER)

-

NAME OF POWER SYST	EM							FORM-11			
		Financia	I package	e details	:						
SOURCES OF FUNDS	Amount	<u> </u>	Amount in	Amount	Period	Grace	Interest	Guarantee	Upfront	% of	% of
DEBT	in FC	Exchange	Indian	TOTAL	of	Period	rate %	Commission	Fees/Exposr	Total	Total
	(Name of	Rate	Currency	Rs Crs	Rpymt				Premium	Debt	PC
	Currency)		(Rs in Crs)								
Foreign	-	•	• +		·	·		-	••		
Loan 1					· ·				ł	-	
Loan 2									I		1
Loan 3			1						ł		I
Loan 4											. –
Indian			1						J		
Loan1											
Loan2											F
Total Loan (A)											
EQUITY Foreign									I		
Indian											
Total Equity(B)	<u> </u>					·		<u>., </u>			
				······································					•		+
								1		l	1
TOTAL FINANCING(A+B)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·	· ·				
									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+
Total Project Cost								I	Ι	I	-
			! !								ł
			I						•		
NOTE Financial pac	kage details	, as approve	ed by the Co	mpetent A	uthority at	the time of	of approva	of the Proje	ct, and any s	ubsequent	modificatio
shall be furnish									1	· -	
FC- Foreign Currency	1									~	
PC- Project Cost					I						·
								_	(PETITIONE	R)	

NAME OF POWER SYSTEM:				FORM-12	
DETAILS OF OPERATION AND MA		E EXPENSES			
	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6
(A) Breakup of O&M expenses		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	t		
Employee Cost	1				
Repair and Maintenance			<u> </u>		
Power Charges					· · · · · ·
Training and Recruitment	1		<b>_</b>		
Communication Exp					
Travelling Exp				·	
Printing and Stationery	<u>+</u>		† <del></del> †		
Rent	†				<u> </u>
Misc Exp			<u> </u> †		
Insurance					<u> </u>
Others					
Corporate office expenses allocation			<b> </b>		
Grand total					
Less: Recovery (if any)					
Net O& M expenses					<u> </u>
	1				
Notes:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
I. The process of allocation of corpor	rate expense	s to various s	ystems should	be specified	
II. An annual increase in O&M exper	nses under a	given head in	excess of 20	percent should	be explained
III. The data should be be certified by	/ statutory au	ditors.			
					1.
(B)Corporate office Expense					
(aggregate)	1				
Employee Cost					
Repair and Maintenance					
Power Charges					
Training and Recruitment	<b>T</b>				
Travelling Expenses					
Printing and Stationery					
Rent					
Others					
Total					
Less: Recovery (if any)					
Net Corporate expenses					
				!	

\_\_\_\_\_

•

### (PETITIONER)

## Appendix II

## **Depreciation Schedule**

Description of Assets	Useful Life(yrs)	Rate (Calculat ed w.r.t. 90%)	
A. Land owned under full title	1 Infinity	2	3=1*2
A. Land Owned under full the	minity		
B. Land held under lease:			
(a) for investment in land.	The period of lease or the period remaining unexpired on the Assignment of the lease.		
(b) for cost of clearing site	The period of lease remaining unexpired at the date of clearing the site.		
<ul> <li>C. Assets:</li> <li>Purchased new :</li> <li>(a) Plant and machinery in generating Stations including plant foundations :-</li> </ul>			
(i) Hydro-electric	35	2.57	90
(ii)Steam-electric NHRS & Waste Heat Recovery Boilers/Plants	25	3.60	90
(iii)Diesel-electric & gas plant	15	6.00	90
(b) Cooling towers and circulating water systems	25	3.60	90

(c) Hydraulic works forming Part of hydro-electric system including:-			
<ul> <li>(i) Dams, Spilways weirs, canals reinforced concrete Flumes &amp; syphons</li> </ul>	50	1.80	90
(ii) Reinforced concrete pipelines and surge tanks, steel pipelines, sluice gates, steel surge (tanks) hydraulic control valves and other hydraulic works.	35	2.57	90
(d) Building & civil engineering works of a Permanent character, not mentioned above:-			
(i) Offices & showrooms	50	1.80	90
(ii)Containing thermo- electric generating plant	25	3.60	90
(iii) Containing hydro- electric generating plant	35	2.57	90
(iv) Temporary erection such as wooden structures	5	18.00	90
(v) Roads other than kutcha roads	50	1.80	90
<ul> <li>(vi) Others</li> <li>(e) Transformers, transformer (Kiosk) substation</li> <li>equipment &amp; other fixed apparatus</li> <li>(including</li> <li>plant foundations)</li> </ul>	50	1.80	90
(i) Transformers (including foundations) having a rating of 100 kilo volt amperes and over	25	3.60	90
(ii) Others	25	3.60	90

Appendix-II - (ii)

(f) Switchgear, including cable connections	25	3.60	90
(g) Lightning arrestors:	25	2 60	0
(i) Station type	25	3.60	9
(ii) Pole type	15	6.00	9
(iii) Sychronous condensor	35	2.57	9
(h) Batteries:	5	18.00	9
(i) Underground Cable Including joint boxes and disconnected boxes	35	2.57	9
(ii) Cable duct system	50	1.80	9
(I) Overhead lines including supports:			
(i) Lines on fabricated steel operating at nominal voltages higher than 66 KV	35	2.57	9
<ul> <li>(ii) Lines on steel</li> <li>supports operating at</li> <li>nominal voltages higher</li> <li>than 13.2 Kilo volts but</li> <li>not exceeding 66 Kilo vols</li> </ul>	25	3.60	9
(iii) Lines on steel or reinforced concrete supports	25	3.60	9
(iv) Lines on treated wood supports	25	3.60	ç
(j) Meters	15	6.00	ç
(k) Self propelled vehicles	5	18.00	ç
(l) Air conditioning plants:	15	6.00	ç
(i) Static			
(ii) Portable	5	18.00	ç
(m) (i) Office furniture and fittings	15	6.00	ç

220	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY		[PART III-SEC. 4]	
	(ii) Office equipments:	15	6.00	90
	(iii)Internal wiring including fittings and apparatus	15	6.00	90
	(iv) Street light fittings	15	6.00	90
	(o) Apparatus let on hire:			
	(1) Other than motors	5	18.00	90
	(ii) Motors	15	6.00	90
	(p) Communication equipment:			
	(i) Radio and higher frequency carrier system	15	6.00	90
	(ii) Telephone lines and telephones	15	6.00	90
	(q) Assets purchased second hand and assets not otherwise provided for in the schedule			

Government determines in each case having regard to the nature, age and condition of the assets at the time of its acquisition by the owner.

## Appendix- III

## Procedure for calculation of Transmission System Availability

- 1. The transmission elements shall be grouped into following categories for the purpose of calculation of availability of Regional Transmission Systems :
- i) <u>AC transmission lines</u>: Each circuit of AC transmission line shall be considered as one element.
- ii) <u>Inter-Connecting Transformers (ICTs)</u>: Each ICT bank (three single phase transformer together) shall form one element.
- iii) <u>Static VAR Compensator (SVC)</u>: SVC along with SVC transformer shall form one element. However, 50% credit to inductive and 50% to capacitive rating shall be given.
- iv) <u>Switched Bus Reactor</u>: Each switched Bus Reactor shall be considered as one element.
- v) <u>HVDC lines</u>: Each pole of HVDC line along with associated equipment at both ends shall be considered as one element.

- vi) <u>HVDC back-to-back station</u>: Each block of HVDC back-to-back station shall be considered as one element. If associated AC line (necessary for transfer of inter-regional power through HVDC back-to-back station) is not available, the HVDC back-to-back station block shall also be considered as unavailable.
- 2. The Availability of Regional Transmission system shall be calculated as under:

% System Availability

Where

ο	is	Total number of AC lines.
$AV_o$	is	Availability of o number of AC lines.
р	is	Total number of HVDC poles.
$AV_p$	is	Availability of p number of HVDC poles.
q	is	Total number of ICTs.
AVq	is	Availability of q number of ICTs.
r	is	Total number of SVCs.
AVr	is	Availability of r number of SVCs.
S	is	Total number of switched bus reactors
$AV_s$	is	Availability of s number switched bus reactors
t	is	Total number of HVDC back-to-back station blocks.
AV	is	Availability of t number of HVDC back-to-back station
·		blocks

- 3. The weightage factor for each category of transmission elements shall be as under:
  - (a)For each circuit of AC line Surge Impedance Loading for Uncompensated line (SIL) multiplied by Circuit Km.

SIL rating for various voltage level and conductor configuration is given in **Annexure-I** to this Appendix.

For inter regional AC lines, 50% of the weightage factor shall be allocated to each Region.

- (b) For each HVDC pole The rated MW capacity x Circuit Km.
  - (c) For each ICT bank The rated MVA capacity.
  - (d) For SVC The rated MVAR capacity (inductive & capacitive).

- (e) For switched Bus reactor The rated MVAR capacity.
- (f) For HVDC back-to-back station connecting two Regional grids 50% of the rated MW capacity of each block to each region.
- 4. The availability for each category of transmission elements shall be calculated based on the weightage factor, total hours under consideration and non-available hours for each element of that category. The formulae for calculation of Availability of each category of the Transmission elements are as per Annexure-II to this Appendix.
- 5. The transmission elements under outage due to following reasons not attributable to POWERGRID shall be deemed to be available:
  - i) Shut down of POWERGRID transmission elements availed by other agency/agencies for maintenance or construction of their transmission system.
  - ii) Manual tripping of POWERGRID line due to over voltage and manual tripping of switched bus reactor as per the directions of RLDC.
- 6. Outage time of POWERGRID transmission elements for the following contingencies shall be excluded from the total time of the element under period of consideration.
  - Outage of elements due to acts of God and force majeure events i) beyond the control of POWERGRID. However, onus of satisfying the Member Secretary, REB that element outage was due to aforesaid events and not due to design failure shall rest on POWERGRID. A reasonable restoration time for the element shall be allowed by Member Secretary, REB and any additional time taken by POWERGRID for restoration of the element beyond the reasonable time shall be treated as outage time attributable to Secretary REB Member may consult POWERGRID. POWERGRID or any expert for estimation of restoration time. Circuits restored through ERS (Emergency Restoration System) shall be considered as available.
  - ii) Outage caused by grid incident/disturbance not attributable to POWERGRID, e.g. faults in substation or bays owned by other agency causing outage of POWERGRID elements, tripping of lines, ICTs, HVDC back-to-back stations etc. due to grid disturbance. However, if the element is not restored on receipt of direction from RLDC while normalising the system following grid incident/disturbance within reasonable time, the element will be considered not available for whole period of outage and outage time shall be attributable to POWERGRID.

7. If the outage of any element causes loss of generation at Central Sector Station(s) then the outage period for that element should be deemed to be twice the actual outage period for the day(s) on which such loss of generation has taken place.

#### **ANNEXURE-I**

S.No.	Line voltage	Conductor	SIL
	(kv)	Configuration	(MW)
1	765	Quad Bersimis	2250
2	400	Quad Bersimis	691
3	400	Twin Moose	515
4	400	Twin AAAC	425
5	400	Quad Zebra	647
6	400	Quad AAAC	646
7	400	Tripple Snowbird	605
8	400	ACKC(500/26)	556
9	400	Twin ACAR	557,
10	220	Twin Zebra	175
11	220	Single Zebra	132
12	132	Single Panther	50
13	66	Single Dog	10

### SURGE IMPEDANCE LOADING (SIL) OF AC LINES

#### **ANNEXURE-II**

Formulae for calculation of Availability of each category of transmission elements

$$AV_{o}(Availability of o no. of AC lines) = \sum_{i=1}^{o} \frac{Wi(Ti - T_{NA}i)}{Ti} / \sum_{i=1}^{o} Wi$$
$$AV_{p}(Availability of p no. of HVDC pole) = \sum_{j=1}^{p} \frac{Wi(Ti - T_{NA}i)}{Tj} / \sum_{j=1}^{p} Wj$$
$$AV_{q}(Availability of q no. of ICTs) = \sum_{k=1}^{q} \frac{Wk(Tk - T_{NA}k)}{Tk} / \sum_{k=1}^{q} Wk$$

AV <sub>r</sub> (Availability of	Fr no of SVCs) $= \begin{bmatrix} r & r & r \\ \sum 0.5 W_{jl} (T_{l}l - T_{NAl}l) + \sum 0.5 W_{c}l (T_{c}l - Acl) \\ l=1 & T_{l}l & l=1 & T_{c}l \end{bmatrix} / \begin{bmatrix} r & r & r \\ \sum 0.5 W_{l}l + \sum 0.5 W_{c}l \\ l=1 & l=1 \end{bmatrix}$
AV <sub>s</sub> (Availability of Bus reactors)	m=1 Tm / $m=1$
AV, (Availability of Back-to-back E	
Where $W_l$ $W_j$ $W_k$ $W_l \& W_c l$ Wm Wn	
Tı, Tj, Tk, T <sub>ı</sub> l, T <sub>ı</sub> l, Tm & Tn	- The total hours of $1^{th}$ AC line, $J^{th}$ HVDC pole, $k^{th}$ ICT, $1^{th}$ SVC (Inductive Operation), $1^{th}$ SVC (Capacitive Operation), $m^{th}$ Switched Bus Reactor & $n^{th}$ HVDC back-to-back block during the period under consideration (excluding time period for outages not attributable to POWERGRID for reasons given in Para 6 of the procedure)
T <sub>NA</sub> i , T <sub>NA</sub> j , T <sub>NA</sub> k - T <sub>NAI</sub> l, T <sub>NAC</sub> l, T <sub>NA</sub> m, T <sub>NA</sub> n	